एकादश माला, खंड 15, अंक 4

सोमवार, 28 जुलाई, 1997
6 श्रावण, 1919 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

पांचवां सत्र

(ग्यारहवीं लोक सभा)

सत्यमेव जयते

(खण्ड 15 में अंक 1 से 10 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्यः पचास रुपये

सम्पादक मण्डल

श्री एस॰ गोपालन
महासचिव
लोक सभा

श्री सुरेन्द्र मिश्र
अपर सचिव
लोक सभा सचिवालय

श्री प्रकाश चन्द्र भट्ट
मुख्य सम्पादक
लोक सभा सचिवालय

श्री केवल कृष्ण
वरिष्ठ सम्पादक

श्रीमती वन्दना त्रिवेदी
सम्पादक

श्री पीयूष चन्द्र दत्त
सहायक सम्पादक

श्रीमती अरूणा वशिष्ठ
सहायक सम्पादक

(अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा।)

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

सोमवार, 28 जुलाई, 1997/6 श्रावण, 1919 (शक)

का

शुद्धि-पत्र

...

कॉलम	पंक्ति	के स्थान पर	पढ़िए
18	14	जांच पड़ता	जांच पड़ताल
157	नीचे से 10	श्री सी॰एस॰ इब्राहीम	श्री सी॰एम॰ इब्राहीम

विषय-सूची

[एकादश माला, खंड 15, पांचवां सत्र, 1997/1919 (शक)]

अंक 4, सोमवार, 28 जुलाई, 1997/6 श्रावण, 1919 (शक)

विषय	कालम
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	
*तारांकित प्रश्न संख्या 61 से 64	1—23
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या 65 से 80	24—39
अतारांकित प्रश्न संख्या 675 से 904	39—214
सभा पटल पर रखे गए पत्र	214—217
वित्त सम्बन्धी स्थायी समिति	
विवरण—*सभा पटल पर रखा गया*	217
वाणिज्य सम्बन्धी स्थायी समिति	
इकत्तीसवां प्रतिवेदन—*सभा पटल पर रखा गया*	218
समितियों के लिये निर्वाचन	218—219
(एक) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद	218
(दो) राष्ट्रीय पोत परिवहन बोर्ड	219
जम्मू और कश्मीर में दिए गए प्रधानमंत्री के वक्तव्य पर स्पष्टीकरण	219—230
नियम समिति	240—241
(एक) तीसरा प्रतिवेदन—सभा पटल पर रखा गया	240
(दो) कार्यवाही सारांश—सभा पटल पर रखा गया	241
नियम 377 के अधीन मामले	241—245
(एक) भारत-पाक सीमा पर जिन किसानों की भूमि कांटेदार तार लगाने के लिए ली गई है उन्हें मुआवजा दिए जाने की आवश्यकता	
श्री निहाल चन्द चौहान	241
(दो) लम्बी दूरी की रेलगाड़ियों को गुजरात में जामनगर, द्वारका और ओरवा तक बढ़ाए जाने की आवश्यकता	
श्री चन्द्रेश पटेल	241
(तीन) ढेंकानाल-कामाख्यानगर, कामाख्यानगर-कलियाहाटा बरास्ता कामकादाबाद, नुदुरपुडा-नारायणपुर और नारायणपुर-क्योंझर मार्गों को राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में विकसित किए जाने की आवश्यकता	
श्री के॰पी॰ सिंहदेव	242
(चार) बिहार के औरंगाबाद जिले के चहुंमुखी विकास के लिए वहां भारतीय खाद्य निगम का गोदाम, कृषि विज्ञान केन्द्र और कृभको तथा इफको का बिक्री केन्द्र खोले जाने की आवश्यकता	
श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह	242

* किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिह्न इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस सदस्य ने ही पूछा था।

विषय	कालम
(पांच) महाराष्ट्र की लंबित सिंचाई परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान किए जाने की आवश्यकता	
श्री सुरेश आर॰ जाधव	243
(छः) असम और नागालैंड के बीच सीमा विवाद को सुलझाने हेतु आवश्यक कदम उठाए जाने की आवश्यकता	
श्री केशव महंत	243
(सात) असम के सोनितपुर जिले में विश्वनाथ चराली में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान जैसा एक आधुनिक अस्पताल स्थापित किए जाने की आवश्यकता	
श्री ईश्वर प्रसन्ना हजारिका	243
(आठ) जौनपुर और औरिहार जंक्शन के बीच छोटी रेल लाइन को बड़ी रेल लाइन में परिवर्तित किए जाने की आवश्यकता	
श्री विद्यासागर सोनकर	244
बिहार में हाल की घटनाओं से उत्पन्न गंभीर स्थिति के बारे में प्रस्ताव	245—275, 285—310
श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव	248
श्री सुख लाल कुशवाहा	253
श्री नीतीश कुमार	258
श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह	269
श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव	285
श्री राधा मोहन सिंह	294
श्री चित्त बसु	299
श्री राम कृपाल यादव	302
मंत्री द्वारा वक्तव्य	275—285
27 जुलाई, 1997 को फरीदाबाद में कर्नाटक एक्सप्रेस और हिमसागर एक्सप्रेस रेलगाड़ियों के बीच हुई टक्कर	
श्री राम विलास पासवान	275

लोक सभा

सोमवार, 28 जुलाई, 1997/6 श्रावण, 1919 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न 11 बजे समवेत हुई

[उपाध्यक्ष महोदय *पीठासीन हुए]*

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री पी॰सी॰ चाक्को (मुकुन्दपुरम) : महोदय, फरीदाबाद में एक बहुत बड़ी दुर्घटना हुई है। फरीदाबाद में दो रेलगाड़ियों की टक्कर हुई है और 50 व्यक्ति मारे गये हैं।

श्री पृथ्वीराज दा॰ चव्हाण (कराड) : मंत्री महोदय को तत्काल एक वक्तव्य देना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं प्रश्नकाल के बाद इसकी अनुमति दूंगा।

...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : मैं अनुमति दूंगा।

...*(व्यवधान)*

श्री पी॰सी॰ चाक्को : यह शून्यकाल में उठाए जाने वाला मामला नहीं है। बहुत से लोग मारे गये हैं।

[हिन्दी]

श्री मोहन रावले (मुम्बई दक्षिण-मध्य) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा अनुरोध है कि प्रश्न काल के बाद इस विषय को अवश्य लिया जाए।

[अनुवाद]

श्री पी॰सी॰ चाक्को : वहां कोई भी बचाव दल नहीं गया है ...*(व्यवधान)*। कई लोग मारे गये हैं।...*(व्यवधान)*। रेल मंत्री कहां हैं?...*(व्यवधान)*।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइये।

...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे इस समस्या की गंभीरता का आभास है। मैं इस विषय पर प्रश्नकाल के बाद चर्चा की अनुमति दूंगा।

...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : मैं प्रश्न काल के बाद इसकी अनुमति दूंगा।

[हिन्दी]

प्रो॰ रासा सिंह रावत (अजमेर) : उपाध्यक्ष महोदय, पचासों लोग मर गए हैं और सैकड़ों घायल हो गए हैं। यहां उसकी जानकारी देने वाला भी कोई नहीं है।

[अनुवाद]

श्री अनन्त कुमार (बंगलौर दक्षिण) : महोदय, मैं बंगलौर का प्रतिनिधित्व करता हूं...*(व्यवधान)*

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी (दमदम) : सबसे पहले, इस दुर्घटना में मारे गये लोगों की याद में शोक व्यक्त किया जाना चाहिये ...*(व्यवधान)*

श्री रमेश चेन्नितला (कोट्टायम) : रेल मंत्री कहां हैं? ...*(व्यवधान)*

श्री पी॰सी॰ चाक्को : हम जानना चाहते हैं कि रेल मंत्री कहां गये हैं...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया मंत्री महोदय की बात सुनिये। वे कुछ कहना चाहते हैं।

...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अब उन्हें बोलने दें।

पर्यटन मंत्री और संसदीय कार्य मंत्री (श्री श्रीकान्त जेना) : मैं माननीय सदस्यों की चिंता में पूर्णतः सहभागी हूं। रेल मंत्री ने मुझे बताया था कि वे वहां गये थे। इस समय भी, वे वहां गये हैं। दुर्घटना स्थल से वापस आने के बाद वे तत्काल वक्तव्य देंगे।...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री श्रीकान्त जेना : उपाध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने पहले कहा है रेल मंत्री वहां गए हैं। उनके आने के तुरंत बाद यहां पर पूरी जानकारी दी जाएगी।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न संख्या-61, श्री जी॰ए॰ चरण रेड्डी।

प्रो॰ पी॰जे॰ कुरियन (मवेलीकारा) : मंत्री महोदय के पास जो भी सूचना है वह सभा को दें...*(व्यवधान)*

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : हमें एक मिनट मौन खड़े होकर इस दुर्घटना में मारे गए लोगों के प्रति शोक व्यक्त करना चाहिए।

[हिन्दी]

श्रीमती सुषमा स्वराज (दक्षिण दिल्ली) : उपाध्यक्ष महोदय, जो लोग इस दुर्घटना में दिवंगत हुए हैं, उनके प्रति दो मिनट का शोक तो सदन में व्यक्त किया जा सकता है। उसके बाद प्रश्न-काल लिया जाए।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : हमारे पास पूरी जानकारी होनी चाहिए। हम उचित समय पर ऐसा करेगे।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : मृत्यु पर शोक व्यक्त करने के लिये किसी जानकारी की आवश्यकता नहीं है। हमें मौन खड़े हो जाना चाहिये।...*(व्यवधान)*

प्रो॰ पी॰जे॰ कुरियन : उन्हें हमें जानकारी देनी चाहिये। ...*(व्यवधान)*

श्री अनन्त कुमार : गाड़ी बंगलौर से दिल्ली आ रही थी। मैं बंगलौर का प्रतिनिधित्व करता हूं। इस दुघर्टना से बंगलौर में उदासी और निराशा छाई हुई है। कई लोग मारे गये हैं। हम नहीं जानते हैं कि कितने लोग मारे गये हैं। इस संबंध में रेलवे बोर्ड के पास सही आंकड़े नहीं हैं। प्रचार माध्यम कुछ और संख्या बताते हैं। इस संबंध में भ्रम है।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न काल के बाद रेल मंत्री आयें और उत्तर दें।

...*(व्यवधान)*

श्री रमेश चेन्नितला : उनके पास जो भी जानकारी है, वह मंत्री जी हमें दें।

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : जितना मंत्री महोदय को कहना था उतना उन्होंने कह दिया है अब आप लोग बैठ जाएं। रेल मंत्री के आने के बाद जो सूचना आएगी उसके बाद इस पर विचार किया जा सकता है।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री अनन्त कुमार : यह भयावह दुर्घटना रात 11.00 बजे के लगभग हुई। दुर्घटना के बारह घंटे बाद भी...*(व्यवधान)*

प्रो॰ पी॰जे॰ कुरियन : उनके पास जो भी जानकारी है, वह हमें देनी चाहिये।

श्री श्रीकान्त जेना : मेरे विचार से, एक या दो घंटे में हमें पूरी जानकारी मिल सकती है।...*(व्यवधान)*

श्री अनन्त कुमार : रेल मंत्री वहां गये हैं। उन्हें वापस आने दें और वह हमें सभा में देरी से आने का कारण बताएंगें।...*(व्यवधान)*

पूर्वाह्न 11.03 बजे

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

[अनुवाद]

पाकिस्तान द्वारा "हत्फ" प्रक्षेपास्त्र का परीक्षण

\+
*61. **श्री जी॰ए॰ चरण रेड्डी :**
श्री छीतूभाई गामीत :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि पाकिस्तान ने 800 किलोमीटर की दूरी तक प्रहार क्षमता वाले "हत्फ" 3, प्रक्षेपास्त्र का सफल परीक्षण किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या पाकिस्तान ने प्रक्षेपास्त्र प्रौद्योगिकी की क्षमता प्राप्त कर ली है;

(ग) यदि हां, तो क्या चीन द्वारा पाकिस्तान को दिए गए एम–11 प्रक्षेपास्त्र भी भारत से लगी सीमा पर तैनात किए गए हैं;

(घ) यदि हां, तो क्या पाकिस्तान ने आरोप लगाया है कि भारत ने पाकिस्तान से लगी सीमा के पास "पृथ्वी" प्रक्षेपास्त्र तैनात किया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है और पाकिस्तान द्वारा प्रक्षेपास्त्र परीक्षण से उत्पन्न स्थिति से निपटने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है?

[हिन्दी]

रक्षा मंत्री (श्री मुलायम सिंह यादव) : (क) से (ङ) सरकार को इस बात की जानकारी है कि पाकिस्तान चीन से एम–11 प्रक्षेपास्त्रों का अर्जन और चीन की प्रौद्योगिकीय सहायता से "हत्फ" सहित प्रक्षेपास्त्रों का स्वदेशी विकास करके अपनी प्रक्षेपास्त्र क्षमताएं बढ़ा रहा है। सरकार को सीमा के नजदीक पृथ्वी प्रक्षेपास्त्र तैनात किए जाने के बारे में पाकिस्तान के आरोप की भी जानकारी है। पाकिस्तान द्वारा प्रक्षेपास्त्रों के अर्जन और उनकी तैनाती से संबंधित सभी गतिविधियों को लगातार मॉनीटर किया जाता है।

हमारी सशस्त्र सेनाओं को अत्याधुनिक प्रक्षेपास्त्रों से सज्जित करने की दृष्टि से सरकार ने 1983 में एकीकृत निर्देशित प्रक्षेपास्त्र विकास कार्यक्रम को मंजूरी दी थी। इस कार्यक्रम के अंतर्गत प्रक्षेपास्त्रों का डिजाइन और विकास कार्य बनाई गई योजना के अनुसार आगे बढ़ रहा है। पृथ्वी प्रक्षेपास्त्र का उत्पादन शुरू हो गया है। अन्य प्रक्षेपास्त्र विकास के विभिन्न चरणों में हैं।

समुचित रक्षा तैयारी बनाए रखने के लिए सरकार द्वारा सभी आवश्यक कदम उठाए जाते हैं ताकि हमारे शत्रुओं के किसी भी दुस्साहसिक प्रयास को विफल बनाया जा सके।

[अनुवाद]

श्री जी॰ए॰ चरण रेड्डी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से पाकिस्तान के विदेश मंत्री, श्री गोहर अयूब खान द्वारा 26 जुलाई को दिये गये साक्षात्कार के संबंध में, जिसमें उन्होंने कहा कि पाकिस्तान एक अपरमाणु समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिये तैयार है, एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। पहली बार पाकिस्तान के किसी अधिकारी ने यह स्वीकार किया है कि उनका रक्षा क्षेत्र में, विशेष रूप से उच्च तकनीक वाले टैंकों के संदर्भ में, चीन के साथ प्रौद्योगिकीय सहयोग है। यद्यपि, उसी साक्षात्कार में उन्होनें इस बात को स्वीकार नहीं किया कि यह सहयोग प्रक्षेपास्त्र प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भी है। मैं, इस पर रक्षा मंत्री की प्रतिक्रिया जानना चाहता हूं।

[हिन्दी]

श्री मुलायम सिंह यादव : जहां तक टैक्नोलॉजी का सवाल है, चीन पूरी तरह से पाकिस्तान की मदद कर रहा है, वह सर्वविदित है। अब सवाल यह उठता है कि पाकिस्तान दस्तखत करने के लिए, हस्ताक्षर करने के लिए तैयार नहीं है, यह भी आपको जानकारी है। लेकिन असल बात यह है कि हमारे देश को किसी तरह से खतरा नहीं है, यह हम आश्वस्त करना चाहते हैं, चाहे चीन मदद कर रहा हो,

चाहे और कोई मदद कर रहा हो, हम अपनी सीमाओं की सुरक्षा करने में पूरी तरह सक्षम है।

[अनुवाद]

श्री जी॰ए॰ चरण रेड्डी : महोदय, मेरे दूसरे अनुपूरक प्रश्न के दो भाग हैं। पहला भाग यह है कि रक्षा मंत्रालय की सलाहकार समिति की हाल ही की बैठक में कुछ सदस्यों ने मंत्रालय से राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद् की स्थापना पर विचार करने को कहा था, जिसे सशस्त्र सेनाओं के तीनों सेनाध्यक्षों से उच्च-अधिकार प्राप्त हों। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार का विचार राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद स्थापित करने का है।

मेरा दूसरा प्रश्न, मेरे साथ-साथ सम्पूर्ण देश के लिये अत्याधिक विचारणीय है। रक्षा मंत्रालय की सलाहकार समिति की बैठक में, यह समझा जाता है कि माननीय रक्षा मंत्री ने यह स्वीकार किया था कि धनराशि के अभाव में कुछ जारी कार्यक्रमों को छोड़ना होगा और कुछ कार्यक्रम पूरे नहीं हो पाएंगे। उदाहरण के लिये, हमारा पड़ौसी देश चीन अपने सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 5 प्रतिशत व्यय कर रहा है और पाकिस्तान सकल घरेलू उत्पाद का 7 प्रतिशत व्यय कर रहा है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 14.8 प्रतिशत अधिक है। इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुये, मैं माननीय रक्षा मंत्री से यह जानना चाहता हूं कि क्या वह इस सभा को यह आश्वासन दे सकते हैं कि हमारे पास पर्याप्त धनराशि होगी अथवा वे पर्याप्त धनराशि जुटा सकते हैं ताकि राष्ट्र की सुरक्षा को कोई खतरा पैदा न हो।

[हिन्दी]

श्री मुलायम सिंह यादव : मान्यवर, जहां तक नेशनल सिक्योरिटी कौंसिल का सवाल है, उसकी चर्चा हुई थी और काफी दिन पहले हुई थी। अभी उस पर कोई निर्णय नहीं लिया गया है। जहां तक आपने चीन की बाबत पूछा है तो चीन पूरी तरह से तैयारी कर रहा है। लेकिन जहां तक धन का सवाल है, माननीय वित्त मंत्री ने आश्वस्त किया था कि रक्षा के लिए जितने भी धन की आवश्यकता होगी, वह पूरी की जाएगी। इस सदन को मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि रक्षा के लिए धन आड़े नहीं आएगा। जितने भी धन की जरूरत होगी, दिया जाएगा। मैं यह भी आश्वस्त करना चाहता हूं कि किसी भी चीज का किसी से हमारे देश को कोई खतरा नहीं है।

[अनुवाद]

श्री जी॰ए॰ चरण रेड्डी : महोदय, माननीय मंत्री ने मेरे दूसरे अनुपूरक प्रश्न के पहले भाग जो राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के संबंध में था, का उत्तर नहीं दिया। क्या सरकार का विचार राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद स्थापित करने का है? यह मेरे दूसरे अनुपूरक प्रश्न का पहला भाग था।

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : आपके दोनों सवाल हो गए थे। क्या इस पर कुछ कहना चाहेंगे?

श्री मुलायम सिंह यादव : मैंने उत्तर में बता दिया था, शायद माननीय सदस्य ने सुना नहीं कि अभी इस पर विचार चल रहा है, कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

[अनुवाद]

श्री विजय हाण्डिक : उपाध्यक्ष महोदय, पाकिस्तान द्वारा कथित रूप से 800 कि.मी. तक मार करने वाली मध्यम दूरी की मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण, जोकि परमाणु प्रक्षेपास्त्र भी हो सकता है, भारत की सुरक्षा के लिये, निःसंदेह, गंभीर खतरा हो सकता है। तथापि, इसका एक और पहलू है। यह परीक्षण विदेश सचिव स्तर की वार्ता की समाप्ति के समय किया गया है, जिससे यह प्रश्न पैदा होता है कि क्या पाकिस्तानी सशस्त्र सेनाओं ने इस बातचीत को अस्वीकृत कर दिया है, क्योंकि पाकिस्तान में सशस्त्र सेनाएं नागरिकों से ऊपर हैं।

क्या मैं सरकार से यह जान सकता हूं कि भारत के साथ हो रही बातचीत के प्रति सशस्त्र सेना के इस शत्रुतापूर्वक रवैये को ध्यान में रखते हुए जैसा कि यदा कदा उनके सरकारी पत्र 'अल हिलाल' के संपादकीय लेखों से पता चलता है, हम अधिकारी स्तर की बातचीत से कितनी सफलता प्राप्त कर सकते हैं क्योंकि इस प्रकार की कार्यवाही इस वार्ता की भावना और माहौल को खराब कर सकती है।

[हिन्दी]

श्री मुलायम सिंह यादव : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक माननीय सदस्य ने पाकिस्तान द्वारा 800 किलोमीटर दूरी की मिसाइल के टैस्ट का जिक्र किया तो उसमें कितना सच है, कितना गलत, उस पर हम नहीं जाना चाहते। लेकिन उसका जवाब देने के लिए हम सक्षम है और इसके लिए हमारी पूरी तैयारी है। जहां तक वार्ता का सवाल है तो वह चल रही है। लेकिन इस अवसर पर इस तरह का टेस्ट और चर्चा होना अच्छी बात नहीं है। हमें विश्वास है कि पाकिस्तान इस पर विचार करेगा। दोनों देशों में बातचीत सफलतापूर्वक हो, यह हम उनसे उम्मीद करते हैं।

श्री जगत वीर सिंह द्रोण : देश की सुरक्षा से संबंधित यह विशेष प्रश्न है। इसमें पार्ट 'क' और 'ग' में जो पूछा गया था, उसका स्पष्ट रूप से उत्तर नहीं आया, गोलमोल उत्तर दिया गया है। प्रश्न के 'क' भाग में पूछा गया है कि क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि पाकिस्तान ने 800 किलोमीटर की दूरी तक प्रहार क्षमता वाले 'हत्फ' 3, प्रक्षेपास्त्र का सफल परीक्षण किया है? मैं रक्षा मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि वे स्पष्ट उत्तर दें कि क्या पाकिस्तान ने चीन की सहायता से या अन्य किसी की सहायता से इसका सफल परीक्षण किया है? इसी तरह से प्रश्न के 'ग' भाग में पूछा गया था कि यदि हां, तो क्या चीन द्वारा पाकिस्तान को दिए गए एम-11 प्रक्षेपास्त्र भी भारत से लगी सीमा पर तैनात किए गए है? इसका भी स्पष्ट उत्तर दें कि क्या भारत सरकार को या रक्षा मंत्रालय को जानकारी है कि हमारी सीमा पर एम-11 को सफल परीक्षण करके तैनात किया गया है और यदि किया गया है तो इसकी रेंज में हमारे देश के कौन-कौन से प्रमुख प्रतिष्ठान आते हैं और इसकी काट के लिए रक्षा मंत्रालय के पास क्या उपाय हैं? बड़ा सीधा सवाल है।

श्री मुलायम सिंह यादव : आपके सवाल का उत्तर है कि जानकारी है। अब 800 कि.मी. मिसाइल का परीक्षण सफल हुआ है या नहीं हुआ है, हम तो यह बात मानकर चलते हैं कि उसका परीक्षण सफल हुआ है। लेकिन उसके बावजूद भी उसकी जो रेंज है, 800 कि.मी. की रेंज में पूरा देश ही आता है, लेकिन हम उसके मुकाबले में उसका दो टूक जवाब देने में सक्षम है।

श्री जगत वीर सिंह द्रोण : सक्षम हैं कि नहीं हैं, आप यह स्पष्ट रूप से बताइए।...*(व्यवधान)* हमारे देश के सभी प्रमुख प्रतिष्ठान आठ सौ कि.मी. की रेंज में आते हैं।

श्री मुलायम सिंह यादव : हम तो खुद ही एडमिट करते हैं। ...*(व्यवधान)*

श्री जगत वीर सिंह द्रोण : नहीं, नहीं, आप बताइए। लोक सभा को नहीं बताएंगे तो किसे बताएंगे? क्या यह भी हमें समाचार पत्रों से मालूम करना पड़ेगा कि हमारे पास क्या है?

श्री मुलायम सिंह यादव : जहां तक इसका सवाल है, हमारे देश की नीति रही है कि कई बार...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : सुन तो लीजिए।

...*(व्यवधान)*

प्रो॰ रासा सिंह रावत : देश को आश्वस्त करिए।...*(व्यवधान)*

श्री मुलायम सिंह यादव : जहां तक हमारे भारत का सवाल है, हम किसी के हमलावर नहीं हैं। हम हमला करना नहीं चाहते हैं। हम शांति के पक्षधर हैं। लेकिन यह आश्वासन हम जरूर देना चाहते हैं कि अगर कोई हमला करता है, कोई भी दुश्मन है तो उसका दो टूक जवाब देने के लिए हम सक्षम हैं। अब सवाल यह है कि हमारे पास क्या-क्या हैं। इसकी चर्चा यहां पर करने की आवश्यकता नहीं है। हम यह आश्वस्त करना चाहते हैं कि हमारा पूरा देश अगर उस मिसाइल की रेंज में है तो उसका मुकाबला करने में हम सक्षम हैं।

श्री पी॰ नामग्याल : माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि यह सरकार ने एडमिट किया है कि जो एम-11 मिसाइल हैं, वे चीन ने पाकिस्तान को सप्लाई की है और उनके जरिए से पाकिस्तान ने अब तक छः मिसाइल्ज को डैवलप किया है। दूसरी न्यूज यह भी है कि चीन ने सी.एस.एस 2 लिक्विड फ्यूल मिसाइलों को सी.एस.एस.-56 मॉडल-1 सॉलिड फ्यूल मिसाइल में परिवर्तित किया, जिसको अब डैवलप किया है और उसमें सॉलिड फ्यूल भी डाला गया है। वह कहते है कि यह डिप्लॉयमेंट के लिए बहुत आसान है कि वह भारत ही नहीं दुनिया की जो बड़ा-बड़ा पॉवर्स जैसे मास्को है, जापान है, वे उनकी रेंज (मार) में आते हैं। हमारा पूरा देश उसकी रेंज में आता है। पाकिस्तान और चीन का पहले से भी मिसाइल डेवलपमेंट में कोलेबोरेशन रहा है। क्या उस कांटेक्स्ट में जंग की सूरत में उसका मुकाबला करने के लिए हमारी सरकार ने कुछ सोचा है? दूसरा यह है कि...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : आपको एक ही सप्लीमेंटरी पूछना है।

...*(व्यवधान)*

श्री पी॰ नामग्याल : सप्लीमेंटरी के दूसरे भाग में मैं यह जानना चाहता हूं कि यह जो उन्होंने हत्फ मिसाइल डेवलप की है, क्या उसमें न्यूक्लिअर वॉर हैड कैरी करने की कैपिबिलिटी वह रखते हैं? अगर रखते हैं तो उसका काउंटर जवाब देने के लिए हमारे देश के पास क्या उपाय हैं?

[**شری پی۔ نامگیال (لداخ)** : مانیئے اپادھیکش جی، میں آپ کے مادھیم سے جاننا چاہتا ہوں کہ سرکار نے ایڈمٹ کیا ہے کہ جو M-11 میزائلز ہیں، وہ چین نے پاکستان کو سپلائی کی ہیں، اور ان کے ذریعے سے پاکستان نے اب تک چھ میزائلز کو ڈیولپ کیا ہے۔ دوسرا نیوز یہ بھی ہے کہ چین نے Conversion of CSS-2 liquid missile into CSS-6 Mode Missile, جسکو اب ڈیولپ کیا ہے اور اس میں سالیڈ فیول بھی ڈالا گیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ ڈیپلائمنٹ کے لئے بہت آسان ہے۔ وہ بھارت ہی نہیں دنیا کی جو بڑی بڑی پاورس جیسے ماسکو ہے، جاپان ہے، وہ اسکی زد میں آتے ہیں۔ ہمارا پورا دیش اسکی رینج میں آتا ہے۔ پاکستان اور چین کا پہلے سے بھی میزائل ڈیولپمنٹ میں کولیبوریشن رہا ہے۔ کیا اس کانٹیکسٹ میں جنگ کی صورت میں اسکا مقابلہ کرنے کے لئے ہماری سرکار نے کچھ سوچا ہے؟ دوسرا یہ ہے کہ ......(مداخلت)۔

ڈپٹی اسپیکر : آپ کو ایک ہی سپلیمنٹری پوچھنا ہے۔

...(مداخلت)

شری پی۔ نامگیال (لداخ) : سپلیمنٹری کے دوسرے حصے میں میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ یہ جو انہوں نے میزائل ڈیولپ کی ہے، کیا اس میں نیوکلیئر وار ہیڈ کیری کرنے کی کیپبلیٹی وہ رکھتے ہیں؟ اگر رکھتے ہیں تو اسکا کاؤنٹر جواب دینے کے لئے ہمارے دیش کے پاس کیا اپائے ہیں؟]

श्री मुलायम सिंह यादव : जहां तक पहले प्रश्न का संबंध है, मैंने पहले ही कहा कि पाकिस्तान और चीन मिलकर डेवलपमेंट कर रहे हैं और इस संबंध में हमारी सरकार पूरे देश को आश्वस्त करना चाहती है कि हम सचेत हैं और हमें पूरी जानकारी है। दूसरी बात यह है कि हम उसका मुकाबला करने के लिए सक्षम हैं। अगर आठ सौ कि.मी. की उसकी रेंज है, उसका भी मुकाबला करने के लिए हम सक्षम हैं। दूसरा सवाल आपने न्यूक्लिअर के बारे में पूछा है। अगर उनका न्यूक्लिअर भी है, कुछ भी है या आठ सौ कि.मी. की रेंज का मिसाइल है तो हम हर तरह से उसका मुकाबला ही नहीं बल्कि जवाब देने के लिए सक्षम हैं।

श्री इलियास आजमी : महोदय, मैं माननीय रक्षा मंत्री जी से जानना चाहता हूं, क्या सरकार को जानकारी है कि पाकिस्तान कितने हत्फ मिसाइल बना चुका है और उनकी संख्या क्या है? क्या इसके

मिसाइल हमारे पृथ्वी मिसाइल से सुपीरियर हैं या बराबर हैं या उससे नीचे हैं?

श्री मुलायम सिंह यादव : जहां तक उनके पास कितने हैं, एम-11 के बारे में तो पता है कि उनके पास 84 हैं। जैसा कि अभी हत्फ के बारे में पूछा है, हम यह मानकर चलते हैं, जो अपने देश की रक्षा के लिए सच बात है, लेकिन सही अभी पता नहीं चल रहा है। उन्होंने टेस्ट किया है, सही है या गलत है, लेकिन हम इस बात को बार-बार आपको बताना चाहते हैं कि हम हर स्थिति का मुकाबला करने के लिए सक्षम हैं।

श्री इलियास आजमी : पृथ्वी और हत्फ के बारे में?

श्री मुलायम सिंह यादव : 800 किलोमीटर रेंज पृथ्वी मिसाइल के रैंज से ज्यादा है और इसका मुकाबला करने के लिए हम सक्षम हैं।

श्री हन्नान मोल्लाह : महोदय, मेरा प्रश्न तैयारी के बारे में है। मिसाइल के बारे में काफी चर्चा हुई है। इसी के साथ जुड़ा हुआ, मैं सवाल पूछना चाहता हूं। पिछले साल हम लोगों ने जब विजिट किया था, हमें यह जानकारी मिली थी कि लाइट कॉम्बैट् एयरक्राफ्ट की इसी साल तैयारी है और यह आसमान में उड़ाया जाएगा। लेकिन खबर यह आ रही है कि सरकार उसी शैड्यूल पर चलने में मजबूर है। मैं यह जानना चाहता हूं, क्या इसके आर्थिक कारण हैं या टैक्नीकल कारण हैं? लाइट कॉम्बैट् एयरक्राफ्ट हमारी वायुसेना के लिए बहुत ही जरूरी विमान हैं। इस एयरक्राफ्ट को पूरा करने के लिए सरकार का क्या कार्यक्रम है और क्यों इसमें टाइम लैग हो रहा है?

श्री मुलायम सिंह यादव : सवाल तो अलग है, लेकिन फिर भी...

उपाध्यक्ष महोदय : देश की सुरक्षा से तो रिलेटेड है।

श्री मुलायम सिंह यादव : देश की रक्षा के लिए कोई भी आर्थिक संकट नहीं है, चाहें कहीं से कितनी भी जरूरत पड़ेगी, उसको पूरा किया जाएगा। इसलिए हम सदन में आश्वस्त करना चाहते हैं कि इसमें कोई भी चिंता की आवश्यकता नहीं है।

कर्नल सोनाराम चौधरी : अध्यक्ष महोदय, पाकिस्तान लगातार मिसाइल एक्वायर कर रहा है और हम भी उसके बारे में कोशिश कर रहे हैं। जैसा कि अभी गल्फ-कन्ट्रीज में हुआ, उसको देखते हुए हम ग्राउन्ड डिफेंस के बारे में क्या सोच रहे हैं? मैं पश्चिमी राजस्थान से आता हूं और फलौदी क्षेत्र मेरे निर्वाचन क्षेत्र के पास पड़ता है वहां पर बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर में बहुत बड़े-बड़े गैप हैं, जिनमें फलौदी एक है और दीसा भी है। इस क्षेत्र में 1981-82 में एक फील्ड बनना था, इस बारे में 15-16 सालों के बाद भी कुछ नहीं हुआ है। मेरे कहने का मतलब यह है, अगर उधर से कोई मिसाइल फायर होती हैं, चाहे उसका टार्गेट दिल्ली हो या मुंबई हो या कोई अन्य, उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए, हमारी ग्राउन्ड फोर्सेस को मजबूत करने के लिए क्या करने जा रहे हैं? 1981 में फलौदी और दीसा के बारे में श्रीमती इंदिरा गांधी ने कहा था कि वहां एयरफील्ड तीन साल में पूरा हो जाएगा, यह मामला फाइलों में हैं, लेकिन आज उसको 16 साल हो गए हैं, आज तक उस विषय में कुछ नहीं किया गया है। पूछने पर कहा जाता है कि फन्ड्स नहीं है। इसलिए मैं पूछना चाहता हूं और कहना चाहता हूं कि हमें ग्राउन्ड डिफेंस के बारे में सोचना चाहिए।

श्री मुलायम सिंह यादव : हम डिस्ट्रॉय करने के लिए सक्षम है और प्रयास किए जा रहे हैं, बहुत जल्दी सफलता मिलेगी। कोई भी मिसाइल होगी या कोई भी हमला होगा, उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं और शीघ्र ही हमें सफलता मिलेगी। आर्थिक मामले में कोई बाधा नहीं है। रक्षा के मामले में कोई भी चीज आड़े नहीं आएगी।

[अनुवाद]

श्री पृथ्वीराज दा॰ चव्हाण : मैं रक्षा मंत्री जी से एक महत्वपूर्ण पहलू के बारे में एक प्रश्न पूछना चाहता हूं जिसका उल्लेख प्रश्न के भाग (घ) में किया गया हैं यह पाकिस्तानी सीमा के पास पृथ्वी प्रक्षेपास्त्र संचालित किए जाने के बारे में है। महोदय, जैसा कि आप जानते हैं कि यह समाचार सी.आई.ए. के माध्यम से प्राप्त करके 'वाशिंगटन पोस्ट' द्वारा लीक किया गया है। मैं जो जानना चाहता हूं वह यह है। यह कैसे हुआ कि हमारे प्रक्षेपास्त्रों के संचालन के बारे में विदेशी गुप्तचर एजेन्सियों द्वारा पता लगाया जा रहा है? क्या हमारे प्रक्षेपास्त्रों के संचालन को गुप्त रखने में कोई कमी है। अथवा क्या यह अमरीकी उपग्रहों के लिए खुला हुआ है। क्या वे कहीं से भी यह पता लगा सकते हैं कि आप क्या कर रहे हैं? यदि अमेरिकी उपग्रह हमारे प्रक्षेपास्त्रों के संचालन का पता लगा सकते हैं और यदि वे हमारे शत्रु को इसके बारे में चेतावनी दे सकते हैं, तो मैं इसे एक गंभीर कमी मानूंगा। यह मेरे प्रश्न का भाग-एक है।

प्रश्न का दूसरा भाग हाल ही में एम.टी.सी.आर. के अंतर्गत हमारे सरकारी क्षेत्र के कुछ रक्षा उद्योगों पर अमेरिकी सरकार के प्रतिबंध के बारे में है। भारत इलेक्ट्रोनिक्स और भारत डायनामिक्स जैसी कम्पनियों पर नजर रखी जा रही है, जिसके कारण पश्चिमी देशों से कोई भी सामरिक सामग्री आयात करने की अनुमति नहीं होगी। मैं इन दो भागों के संबंध में मंत्री जी से उत्तर चाहता हूं।

[हिन्दी]

श्री मुलायम सिंह यादव : मान्यवर, माननीय सदस्य ने जो पृथ्वी मिसाइल्स के बारे में कहा कि अमेरिका को जानकारी दी है, यह तो सर्वविदित है कि हमने इसका परीक्षण किया, हमने स्वीकार किया है। यह सारा विश्व जानता है इसमें अमेरिका की जानकारी का कोई मतलब नहीं है। इसको तो हमने स्वीकार किया है और स्वीकार करते हैं। माननीय विरोधी नेतागण ने भी एक बयान दिया था कि हैदराबाद से जालंधर पृथ्वी मिसाइल्स क्यों लाई गई, उसको सीमा पर लगा देना चाहिए तो हमारे विरोधी नेतागण ने भी जाहिर किया, जो प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हैं, हमारे माननीय प्रमोद महाजन डिफेंस मिनिस्टर रह चुके हैं, यह तो सर्वविदित है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री पृथ्वीराज दा॰ चव्हाण : वे इसके बारे में कैसे जान गए?

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : लेकिन मामला यह है कि हमारे द्वारा कोइ घोषणा किए जाने से पहले ही अमेरिका ने इसकी घोषणा कर दी।

[हिन्दी]

श्री मुलायम सिंह यादव : जहां तक यह सवाल है, विश्व की कुछ ऐसी शक्तियां हैं जो पाकिस्तान से या किसी अन्य देश से अच्छे रिश्ते नहीं करने देना चाहते। इसलिए पहले से ही एक ही देश के अखबार में हर चीज छपती है कि चाइना ने यह मिसाइल पाकिस्तान ने या हिन्दुस्तान ने रेंज में लगा दी है। ऐसा एक ही देश है जिस देश में उसी के अखबार छपते हैं तो हमें समझ लेना चाहिए कि कुछ ऐसी साम्राज्यवादी शक्तियां हैं जो एशिया में शांति नहीं चाहतीं।

[अनुवाद]

रस्तोगी समिति

\+
*62. **प्रो॰ पी॰जे॰ कुरियन :**
श्री नन्द कुमार साय :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कालेजों के अध्यापकों के वेतनमानों में संशोधन करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा गठित रस्तोगी समिति ने हाल ही में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है;

(ख) यदि हां, तो समिति द्वारा की गयी सिफारिशों का ब्यौरा क्या है;

(ग) इस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) ये सिफारिशें कब तक लागू हो जायेंगी?

पर्यटन मंत्री और संसदीय कार्य मंत्री (श्री श्रीकांत जेना) : (क) से (घ) रस्तोगी समिति विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की एक समिति हैं समिति ने अपनी रिपोर्ट आयोग के समक्ष प्रस्तुत कर दी है, आयोग ने रिपोर्ट में की गई सिफारिशों की गंभीरता से जांच शुरू कर दी है। केन्द्रीय सरकार रस्तोगी समिति की रिपोर्ट तथा उस पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के विचारों की तभी जांच कर सकती है, जब आयोग अपनी जांच पूरी करके रिपोर्ट शिक्षा विभाग के पास भेज देगा।

[अनुवाद]

प्रो॰ पी॰जे॰ कुरियन : यह क्या है? शिक्षा मंत्री भी यहां उपस्थित नहीं हैं। हमने एक विशिष्ट प्रश्न पूछा है कि क्या रस्तोगी समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है और यदि हां, तो उसकी सिफारिशें क्या हैं? सरकार ने स्वीकार किया है कि रिपोर्ट प्रस्तुत की जा चुकी है, लेकिन इसका कोई ब्यौरा नहीं दिया गया है यह प्रश्न पूछने का प्रयोजन क्या है? मैं आपका संरक्षण चाहता हूं। इस प्रश्न को इतने साधारण ढंग से लिया जा रहा है। मैं चाहता हूं कि इस संबंध में एक विनिर्णय दिया जाए। उन्होंने इस बात को स्वीकार किया है कि रिपोर्ट विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को प्रस्तुत कर दी गई है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग सरकार का ही एक अंग है। क्या आप यह कह रहे हैं कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग आपके अधीन नहीं है? क्या आप विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से इस रिपोर्ट का ब्यौरा प्राप्त नहीं कर सकते? मुझे खेदपूर्वक यह कहना पड़ रहा है कि मंत्रियों को अपने जिम्मेदारियों के बारे में जानकारी नहीं है। अतः मैं मंत्री जी से इस पहले मूल प्रश्न का उत्तर पूछ रहा हूं कि इस रिपोर्ट का ब्यौरा क्या है। यदि आप ब्यौरा नहीं दे सकते, तो कम से कम रस्तोगी समिति द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट की मुख्य-मुख्य बातों का ब्यौरा दीजिए। यह अनुपूरक प्रश्न नहीं है, मैं मुख्य प्रश्न को दोहराता हूं।

श्री श्रीकान्त जेना : प्रश्न यह है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने वेतन में संशोधन करने हेतु एक समिति नियुक्त की थी। रस्तोगी समिति वैसी अन्य समितियों ने पहले भी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को रिपोर्टें प्रस्तुत की हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, इस समिति की सिफारिशों की जांच करने के बाद सरकार को अपनी राय से अवगत कराती है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की राय जानने के बाद, सरकार अपनी सिफारिशें करती है। यदि आप विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को प्रस्तुत रस्तोगी समिति की सिफारिशें जानना चाहते हैं, तो वह सिफारिशें उपलब्ध हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने पहले ही इन सिफारिशों की घोषणा कर दी है। रस्तोगी समिति की सिफारिशें प्राप्त होने के बाद विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अंतिम निर्णय लेता है और तत्पश्चात् विश्वविद्यालय अनुदान आयोग सरकार को इन्हें लागू करने की सिफारिश करता है। यदि आप रस्तोगी समिति की सिफारिशें जानना चाहते हैं, तो मैं निश्चित रूप से इसके मुख्य अंशों का ब्यौरा आपको दे दूंगा। मुझे रस्तोगी समिति की सिफारिशों के मुख्य अंशों का ब्यौरा देने में कोई संकोच नहीं है।

प्रो॰ पी॰जे॰ कुरियन : कृपया आप मेरे प्रश्न को देखिये। मैंने केवल यही पूछा है कि क्या रस्तोगी समिति ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। यदि हां, तो कृपया इसका ब्यौरा दीजिए। मुख्य प्रश्न यही है।

उपाध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न का दूसरा भाग है।

प्रो॰ पी॰जे॰ कुरियन : जी हां, महोदय, यह मेरे प्रश्न का (ख) भाग है।

श्री श्रीकान्त जेना : महोदय, विगत में भी सेन समिति और महरोत्रा समिति की रिपोर्टें रहीं हैं। यह एक अत्यंत संवेदनशील मामला है। यह मामला विश्वविद्यालय और महाविद्यालय के अध्यापकों के वेतनमानों के संबंध में है... *(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय, यदि आपके पास यह जानकारी उपलब्ध नहीं है तो या तो आप यह कहिए कि आपको इसका ब्यौरा प्राप्त नहीं हुआ है अथवा यह कहिए कि आप उन्हें वांछित जानकारी देने की स्थिति में नहीं हैं।

श्री श्रीकान्त जेना : महोदय, मैं तो उन्हें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को प्रस्तुत रस्तोगी समिति की रिपोर्ट के मुख्य अंशों के बारे में बताना चाहता था।

लेकचरार के लिए उन्होंने 8000-13500 रुपए के संशोधित वेतनमान की सिफारिश की है। लेक्चरार (वरिष्ठ वेतनमान) हेतु 3000 रुपए के विद्यमान वेतनमान के स्थान पर, उन्होंने 10000-15200 रुपए के वेतनमान की सिफारिश की है। लेक्चरार (सेलेक्शन ग्रेड) और रीडर के लिए 3700 रुपए के विद्यमान वेतनमान के स्थान पर उन्होंने न्यूनतम 12000 रुपए और अधिकतम 18000 रुपए के वेतनमान की सिफारिश की है। प्रोफेसर के लिए 4500 रुपए के वर्तमान वेतनमान के स्थान पर उनकी सिफारिश इसे 14300, 22400 रुपए करने की है। रस्तोगी समिति की रिपोर्ट के यही मुख्य अंश हैं।

प्रो॰ पी॰जे॰ कुरियन : इन सिफारिशों के मुख्य अंशों में वेतन और सेवा शर्तें अत्यंत महत्वपूर्ण हिस्सा हैं।

मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार इन सिफारिशों को स्वीकार करेगी। यदि हां, तो सरकार का इन सिफारिशों को कब तक लागू करने का विचार है?

श्री श्रीकान्त जेना : महोदय, मैं इनके दूसरे अनुपूरक प्रश्न से पहले ही ज्यादा बता चुका हूं। जहां तक इन सिफारिशों का संबंध है, वास्तव में, सरकार इनके संबंध में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करेगी, न कि रस्तोगी समिति को। रस्तोगी समिति की सिफारिशों की विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा जांच की जाएगी और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा सरकार को सिफारिशें भेजे जाने के बाद सरकार प्रतिक्रिया व्यक्त करेगी। अतः, इस स्थिति में, रस्तोगी समिति की सिफारिशों पर समय से पहले कोई प्रतिक्रिया व्यक्त करना उचित नहीं होगा।

प्रो॰ पी॰जे॰ कुरियन : यदि यही बात है, तो उन्हें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सिफारिशें सरकार को कब तक मिलने की उम्मीद है? क्या मंत्रालय विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को, अपनी सिफारिशें एक निर्धारित समयावधि के भीतर प्रस्तुत करने हेतु कोई विशिष्ट दिशा-निर्देश देगा?

चूंकि यह समिति अध्यापकों की सेवा शर्तों के साथ भी सम्बद्ध है, अतः विश्वविद्यालय शिक्षा हेतु सर्वोत्तम प्रतिभा को आकृष्ट करना भी राष्ट्र के लिए परमावश्यक है। अतः इसे सुकर बनाने हेतु आपको उनके लिए बेहतर वेतन और सुरक्षित सेवा शर्तें रखनी चाहिए। लेकिन विभिन्न राज्यों में प्रोफेसरों की सेवा शर्तें अलग-अलग हैं। उदाहरणार्थ, कुछ राज्यों में सेवा-निवृत्ति की आयु 55 वर्ष और कुछ में 60 वर्ष है।

चूंकि उनके वेतन और सेवा शर्तों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग नियंत्रित कर रहा है, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या उन्होंने विशेषतः सेवा निवृत्ति आयु के मामले में एक समान सेवा शर्तें लागू करने का प्रयत्न किया है।

श्री श्रीकान्त जेना : महोदय, हम विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सिफारिशों पर निश्चित रूप से विचार करेंगे। जहां तक विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को सरकार के दिशा-निर्देश जारी करने का संबंध है, पहले भी इन मामलों में आमतौर पर सिफारिशें प्राप्त होने के तुरन्त बाद विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ही कार्यवाही करता है। इसी बीच, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने रस्तोगी समिति की सिफारिशों के संबंध में तीन बैठके की हैं और सरकार को उम्मीद है कि इस वर्ष सितम्बर अंत तक, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग सरकार को यह सुझाव दे पायेगा कि इस बारे में क्या किया जाना चाहिए। अतः, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के सुझाव और सिफारिशें प्राप्त करने के बाद ही सरकार प्रतिक्रिया व्यक्त करेगी। मैं प्रो॰ कुरियन की इस बात से पूर्णतया सहमत हूं कि वेतन और सेवा शर्तों के संबंध में समरूपता होनी चाहिए। अब यह सब कुछ इस पर निर्भर है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग वास्तव में क्या सिफारिशें करता है।

[हिन्दी]

श्री सत्यपाल जैन : उपाध्यक्ष महोदय, यूनिवर्सिटी और कॉलेजेज के साथ जुड़े हुए टीचर्स की बड़े लंबे अर्से से डिमाण्ड रही है कि रस्तोगी कमेटी की रैकमंडेशन्स आएं और सरकार उसको स्वीकार करे क्योंकि बहुत लंबे अर्से से टीचर्स एवं लेक्चरर्स की सैलेरी में रिवीजन नहीं हुआ है। बड़े दुख की बात है कि जब रस्तोगी कमेटी की रैकमंडेशन्स आ गई हैं तो मामला यूजीसी पर छोड़ा जा रहा है। पता नहीं कितने महीने यूजीसी ऐक्जामिन करने में लेगी, कब उसकी रिपोर्ट आएगी और कब भारत सरकार उसको लागू करेगी। भारत सरकार भी पहले गवर्नमेंट कॉलेजेज के बारे में करेगी और फिर जो ऐफिलियेटेड कॉलेजेज हैं, उनका संघर्ष शुरू होगा कि हमारे ऊपर लागू होनी चाहिए। मैं मंत्री महोदय से एक सवाल पूछना चाहता हूं कि यह बात ठीक है कि रस्तोगी कमेटी अपनी रिपोर्ट यूजीसी को देती है। आपने हाइलाइट्स बताई हैं, आप यह भी बतायें कि किस तारीख को रस्तोगी कमेटी ने यू.जी.सी. को रिपोर्ट दे दी थी और क्या आप हाउस को किसी समयावधि के बारे में कोई आश्वासन देने को तैयार हैं कि उसके अंदर यू.जी.सी. की रिकमेंडेशंस को लेकर भारत सरकार उसके संबंध में कोई निर्णय ले लेगी और यह निर्णय केवल सरकारी कॉलेजों और यूनिवर्सिटीज के लेक्चरर्स पर ही लागू नहीं होगा। ताकि जो एफिलिएटिड कालेजिज, एडिड कॉलेज और रिकगनाइज्ड कालेज हैं, उस संबंध में भी आप साथ में ही निर्णय ले लेंगे, ताकि उन लेक्चरर्स को बाद में लम्बे अरसे तक संघर्ष न करना पड़े। इसमें एक दूसरी बात यह भी बताने की कृपा करें कि इसकी रिकमेंडेशंस आप किस तिथि में लागू करने की सोच रहे हैं। अगर इसके बारे में कोई विचार हुआ है और कोई रिकमेंडेशन आई है तो उसकी भी जानकारी सदन को देने की कृपा करें।

श्री श्रीकान्त जेना : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने आपको बताया कि रस्तोगी कमेटी की रिपोर्ट यू.जी.सी. को 28 मई को मिली है और उसके बाद कमीशन ने 13 जून, 9 तथा 10 जुलाई को तीन बार मीटिंग ली है और सरकार आशा करती है कि सितम्बर तक यू.जी.सी. की रिकमेंडशन सरकार के पास आ जायेगी और उसके आने के बाद सरकार उसके बारे में जो कार्रवाई करनी है वह करेगी। ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : उन्होंने प्राइवेट कालेजों के बारे में पूछा है।

श्री सत्य पाल जैन : सितम्बर में आने के बाद आप कितने समय में निर्णय ले लेंगे।

[अनुवाद]

श्री श्रीकान्त जेना : महोदय, मेरे विचार से इसमें प्राइवेट कालेज नहीं आते।

[हिन्दी]

श्री शत्रुघ्न प्रसाद सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, जो वेतनमान अंगीभूत विद्यालयों के शिक्षकों को मिलता है, वहीं सम्बद्धता प्राप्त महाविद्यालियों को भी मिलता है। मंत्री जी सदन को गलत सूचना दे रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : आपको बोलने का बाद में चांस दे देंगे।

श्री मोहन रावले : उपाध्यक्ष महोदय, अभी टीचर्स को कितना और इंतजार करना पड़ेगा। अभी पांचवां वेतन कमीशन हो गया है, क्या उन्हें छठे कमीशन तक इंतजार करना पड़ेगा। मैं आपके सामने एक बात रखना चाहता हूं। मैंने मुम्बई यूनीवर्सिटी में फोन किया था। टीचर्स वहां इतने अधिक नाराज हैं कि अगर सरकार इसको जल्दी इम्पलीमेंट नहीं करेगी तो वे हड़ताल करेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय : आप सवाल पूछिये।

श्री मोहन रावले : वहां पर स्ट्राइक हो जायेगी और छात्रों का नुकसान हो जायेगा। क्या वह नुकसान करने के लिए सरकार इंतजार कर रही है। अगर आपके पास कमीशन की रिपोर्ट सितम्बर में आ जायेगी तो आप इम्पलीमेंट कब करेंगे?

[अनुवाद]

श्री श्रीकान्त जेना : महोदय, आमतौर पर इस संबंध में अंतिम निर्णय लेने में सरकार को कम से कम दो महीने का समय लगता है क्योंकि कुछेक प्रक्रियाएँ होती हैं, जिनका कि अनुसरण करना पड़ता है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा सिफारिशें किए जाने की अवधि के दो महीने के भीतर सरकार उनके संबंध में कोई निर्णय लेने की स्थिति में होगी। जहां तक प्राइवेट कालेज के अध्यापकों का संबंध है, मैंने यह उल्लेख किया है कि इस श्रेणी में सहायता प्राप्त कालेज भी शामिल होंगे और इसमें कोई परेशानी नहीं होगी... *(व्यवधान)*

श्री सत महाजन : उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या उन्होंने यह हिसाब लगाया है कि यदि प्राइवेट कालेजों को ये वेतनमान दिये जाते हैं, तो कितना वित्तीय भार पड़ेगा और क्या सरकार इस वित्तीय भार को वहन करेगी। वह प्राइवेट संस्थाओं को वित्तीय सहायता के रूप में कितनी राशि देगी? मैं वास्तविक आंकड़े जानना चाहता हूं।

श्री श्रीकान्त जेना : महोदय, सरकार पर पड़ने वाले वास्तविक वित्तीय भार का हिसाब विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सिफारिशें प्राप्त होने के बाद ही किया जाएगा और हिसाब करके ही इसका पता चल सकता है। लेकिन आमतौर पर केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को भारत सरकार द्वारा सीधे ही अनुदान राशि दी जाती है और राज्यों द्वारा संचालित विश्वविद्यालयों को अस्सी प्रतिशत अनुदान राशि दी जा रही है।

श्री सत महाजन : महोदय, उन्होंने मेरे प्रश्न, अर्थात् क्या वे प्राइवेट कालेजों को भी वित्तीय सहायता देंगे का उत्तर नहीं दिया है। वेतनमानों में वृद्धि चाहे जितनी भी हो क्या वे प्राइवेट कालेजों को भी इसमें शामिल करेंगे? मेरा मुख्य प्रश्न यही था।

श्री श्रीकान्त जेना : महोदय, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सिफारिशें एक बार सरकार द्वारा स्वीकार ली जाती हैं, तो अस्सी प्रतिशत अनुदान राशि पांच वर्षों के लिए लागू रहेगी।

[हिन्दी]

श्री बनवारी लाल पुरोहित : माननीय उपाध्यक्ष जी, शिक्षा के क्षेत्र में एक सबसे बड़ी बीमारी बड़ी तेजी से फैल रही है वह ट्यूशन की बीमारी है। जितने भी टीचर्स हैं उनकी तनख्वाहें जरूर बढ़नी चाहिए। परंतु प्रोफेसर्स, टीचर्स और लेक्चर्रस इल्लीगल तरीके से ट्यूशन लेते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : आप रस्तोगी कमेटी से संबंधित पूछिये।

श्री बनवारी लाल पुरोहित : उपाध्यक्ष महोदय, यह रस्तोगी कमेटी के पे-स्केल से संबंधित है। क्योंकि ये जो ट्यूशन लेते हैं यह टोटल बैन होने चाहिए। इनकी तनख्वाहें जरूर बढ़नी चाहिए, क्योंकि वे कम हैं। परंतु इसके साथ में इस तरह का स्ट्रिक्ट कायदा होना चाहिए कि ट्यूशन पूरी तरह से बैन हों।

इसके माध्यम से बालकों की और स्टूडेंट्स की ब्लैकमेलिंग होती है। सरकार इसको रोकने के लिए अगर कोई कड़े कदम उठाएगी तो क्या उठाएगी?

उपाध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न मूल प्रश्न से रीलेटिड नहीं है। मंत्री जी अगर इसका जवाब देना चाहे तो दे दें।

[अनुवाद]

श्री श्रीकान्त जेना : यह प्रश्न रस्तोगी समिति की रिपोर्ट से संबंधित नहीं है। अब, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ट्यूशन फीस पर प्रतिबंध लगाने के लिए बाध्यकारी नियम तैयार कर रहा है और इस संबंध में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग कार्यरत है। मेरे विचार से शीघ्र ही विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ट्यूशन पर प्रतिबंध लगाने हेतु समुचित कार्यवाही कर पाने की स्थिति में होगा।

[हिन्दी]

प्रो॰ रासा सिंह रावत : मान्यवर उपाध्यक्ष महोदय, बोम्मई साहब आ गए हैं। बोम्मई साहब मेरे प्रश्न का उत्तर दें।

उपाध्यक्ष महोदय : आप पहले क्वश्चन तो पूछ लीजिए।

[अनुवाद]

प्रो॰ रासा सिंह रावत : महोदय, समाचार-पत्रों में रस्तोगी समिति की रिपोर्ट के बारे में टिप्पणी की गई है कि इससे अध्यापन व्यवसाय

का दर्जा कम कर दिया गया है। रस्तोगी समिति की रिपोर्ट में जहां एक तरफ तो शिक्षण को "सभी व्यवसायों की जननी" कहा गया है और विश्वविद्यालय और महाविद्यालय के शिक्षकों के वेतनमान और सेवा शर्तों को इसके समान व्यवसायों के वेतनमान और सेवा-शर्तों से बेहतर नहीं तो कम से कम उनके बराबर करने की बात कही गई है, वहीं दूसरी और समिति की सिफारिशों में अध्यापन व्यवसाय के दर्जे को न केवल आई ए एस और ग्रुप "ए" सेवा के दर्जे से बल्कि ग्रुप 'बी' सेवा के दर्जे से भी कम कर दिया गया है।

महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से जानना चाहूंगा कि अध्यापन व्यवसाय के दर्जे को इस प्रकार कम करने से क्या अध्यापन व्यवसाय युवा और प्रतिभा सम्पन्न उम्मीदवार से वंचित नहीं हो जाएंगे? क्या यह उच्च शिक्षा प्रणाली के लिए अनिष्टकर नहीं होगा? इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया अथवा टिप्पणी है?

मैं जानना चाहूंगा कि क्या सरकार उच्च शिक्षा के लिए राज्य का वित्त पोषण करने की आवश्यकता पर गंभीरतापूर्वक विचार कर रही है जैसाकि मेहरोत्रा समिति ने 1986 में सिफारिशें की थी कि केन्द्र सरकार को विश्वविद्यालय और महाविद्यालय के शिक्षकों के वेतनमानों के लिए राज्यों को 80 प्रतिशत अनुदान राशि प्रदान करनी चाहिए। मैं इस संबंध में सरकार की प्रतिक्रिया जानना चाहूंगा।

श्री श्रीकान्त जेना : महोदय, मैं पहले ही बता चुका हूं कि इस समय आयोग इन सभी मुद्दों की जांच कर रहा है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विश्वविद्यालय के उप-कुलपतियों, राज्य सरकारों और विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों के शिक्षकों का प्रतिनिधित्व करने वाले संगठनों के साथ अनौपचारिक रूप से विचार-विमर्श कर रहा है। ये सभी मुद्दे विश्वविद्यालय और महाविद्यालय के शिक्षकों और उनके संघों द्वारा उठाए गये हैं। इन सभी मुद्दों पर अब विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के स्तर पर विचार किया जा रहा है। इन सभी मुद्दों पर अनौपचारिक रूप से विचार-विमर्श करने के बाद विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा अपनी सिफारिशें भेजे जाने के बाद ही सरकार उन सिफारिशों के संबंध में अपनी औपचारिक प्रतिक्रिया व्यक्त करेगी।

सऊदी एअर लाइंस जम्बो का ताम्बरम् में उतरना

\+
***63. श्री टी॰ गोपाल कृष्ण :**
श्री चर्चिल अलेमाओं :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 2 जून, 1997 को 347 यात्रियों को ला रहे सऊदी जम्बो विमान के अन्ना अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन चेन्नई के बजाय गलती से ताम्बरम् वायु सेना हवाई अड्डे पर उतरने से भारतीय आकाश की ढीली सुरक्षा व्यवस्था तथा हवाई यातायात प्रणाली तथा वहां पर तैनात कर्मियों की कार्य कुशलता की कलई खुल गई है;

(ख) यदि हां, तो क्या सऊदी बोइंग के भारतीय वायु सेना हवाई अड्डे पर उतरने की घटना की कोई जांच कराई गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उसके क्या परिणाम निकले हैं; और

(घ) भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

[अनुवाद]

रक्षा मंत्री (श्री मुलायम सिंह यादव) : (क) 327 यात्रियों और कर्मीदल के 25 सदस्यों को ले जा रहे सऊदी बोइंग 727 को ताम्बरम् रनवे पर मुख्यतः सऊदी कर्मीदल की गलती के कारण उतरना पड़ा था। भारतीय वायुसेना के सभी हवाई अड्डों पर पर्याप्त दृश्य/श्रव्य सहायक उपकरण/ संकेत चिह्न विद्यमान हैं जो भारतीय वायुसेना के एयरोड्रमों और सिविल हवाई अड्डों के बीच अंतर स्पष्ट करते हैं। ताम्बरम् में हवाई यातायात नियंत्रण (ए टी सी) प्रणाली बिल्कुल ठीक तरह से कार्य कर रही थी।

(ख) से (घ) जांच-पड़ता से यह पता चला है कि सऊदी कर्मीदल ने चेन्नई हवाई अड्डे के लिए आई एल एस एप्रोच के वास्ते निर्धारित प्रक्रिया का अनुपालन नहीं किया। कर्मीदल ने उपकरणों और दृश्य चिह्नों द्वारा सही रनवे पर होने की पुष्टि नहीं की थी। सऊदी अरेबियन प्रेसीडेंसी ऑफ सिविल एविएशन ने उड़ान कर्मीदल के अपने तीन सदस्यों के उड़ान लाइसेंस निलंबित कर दिए हैं। चेन्नई हवाई अड्डे के एप्रोच कंट्रोलर और टॉवर कंट्रोलर को भी अपने कर्तव्यपालन में असफल रहने के कारण रोस्टर से हटा दिया गया है।

श्री टी॰ गोपाल कृष्ण : महोदय, माननीय मंत्री जी ने बताया है कि सऊदी अरेबियन विमान के कर्मीदल की गलती के कारण यह घटना घटी थी। मैं जानना चाहूंगा कि इस मामले में भारतीय एप्रोच कंट्रोलर और टावर कंट्रोलर को दंडित क्यों किया गया है। क्या यह ऐसा इसलिए किया गया है कि भारतीय नियंत्रकों से भी गलती हुई हैं? यदि हां, तो उनकी गलतियां क्या थी?

[हिन्दी]

श्री मुलायम सिंह यादव : उपाध्यक्ष महोदय, वायुसेना का ताम्बरम् और चेन्नई के बीच संपर्क था और जो सऊदी बोइंग जहाज था उसका सीधा संबंध ताम्बरम् सेना से नहीं था। वायुसेना ने तीन बार चेन्नई को बताया कि यह ठीक प्रकार से रनवे पर नहीं जा रहा है। उसके बाद ठीक प्रकार से सूचना नहीं दी गई। इसलिए उसको हटा दिया गया।

[अनुवाद]

श्री टी॰ गोपाल कृष्ण : क्या मैं यह जान सकता हूं कि सऊदी अरब की सरकार से इस आशय का अनुरोध किया गया है कि वह अंतर्राष्ट्रीय मार्गों पर भाषा की अच्छी जानकारी रखने वाले पायलटों (विमान चालकों) को ही भेजा जाए?

[हिन्दी]

श्री मुलायम सिंह यादव : अब यह अनुरोध तो नहीं किया गया है। सऊदी अरब ने यह फैसला अपने आप किया है।

[हिन्दी]

सीमा पर गोलीबारी

\+
*64. **श्री एस॰पी॰ जायसवाल :**

श्री कृष्ण लाल शर्मा :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तानी सेनाओं द्वारा नियंत्रण रेखा के पास तथा जम्मू और कश्मीर में पाकिस्तान के साथ लगी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर की जाने वाली गोलीबारी की घटनाओं में वृद्धि हुई है;

(ख) वर्ष 1996 के दौरान और चालू वर्ष में अब तक नियंत्रण रेखा के पास और अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर पाकिस्तानी सेनाओं द्वारा की गई गोलीबारी की घटनाओं का अलग-अलग ब्यौरा क्या है;

(ग) नियत्रंण रेखा और अंतर्राष्ट्रीय सीमा पार से की गई गोलीबारी के परिणामस्वरूप कितने नागरिक और सुरक्षाकर्मी हताहत हुए; और

(घ) जम्मू और कश्मीर में संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने प्रेक्षक कार्यरत/तैनात हैं और उनकी क्या भूमिका है?

रक्षा मंत्री (श्री मुलायम सिंह यादव) : (क) से (घ) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

जम्मू-कश्मीर में नियंत्रण रेखा के पास से 1997 के दौरान 1996 की उसी अवधि की तुलना में गोलीबारी की मात्रा में वृद्धि नहीं हुई है। तथापि, जम्मू-कश्मीर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर 1997 के दौरान 1996 की उसी अवधि की तुलना में पाकिस्तानी रेंजरों द्वारा की गई गोलीबारी की मात्रा में काफी वृद्धि हुई है। नियंत्रण रेखा और अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर गोलीबारी की घटनाओं की कुल संख्या क्रमशः 2949 और 170 रही। इसके विपरीत 1997 के पिछले सात महीनों के दौरान नियंत्रण रेखा पर गोलीबारी की 1056 घटनाएं और अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर 137 घटनाएं हुई। जम्मू-कश्मीर के अंतर्राष्ट्रीय सीमा भाग तथा नियंत्रण रेखा पर 1996 और 1997 के दौरान गोलीबारी की घटनाओं में हमारे देश के हताहत हुए व्यक्तियों का ब्यौरा इस प्रकार है :-

		सेना		सीमा सुरक्षा बल		सिविलियन	
		मारे गए	घायल हुए	मारे गए	घायल हुए	मारे गए	घायल हुए
(क)	**नियंत्रण रेखा**						
(1)	1996	19	118	02	04	15	38
(2)	1997	03	23	-	03	03	10
(ख)	**अंतर्राष्ट्रीय सीमा**						
(1)	1996	-	-	-	06	03	05
(2)	1997	02	07	02	08	-	08

2. इस समय जम्मू-कश्मीर में संयुक्त राष्ट्र प्रेक्षकों की संख्या इस समय 11 है। यह संख्या बदलती रहती है। शिमला करार के बाद भारत जम्मू कश्मीर में संयुक्त राष्ट्र प्रेक्षकों की किसी भूमिका को मान्यता नहीं देता।

श्री एस॰पी॰ जायसवाल : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय रक्षा मंत्री जी ने जो उत्तर दिया है उसमें उन्होंने यह स्वीकार किया है कि 1996 की अवधि की तुलना में 1997 में पाकिस्तानी रेंजरों द्वारा की गई गोलीबारी की घटनाओं में काफी वृद्धि हुई है। मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि एक तो वे यह बताएं कि जब हम एक ओर तो यह कहते हैं हम अपने देश की सुरक्षा करने में हम हर प्रकार से सक्षम हैं, तो फिर पाकिस्तान की ओर से भारत की सीमा पर की जाने वाली गोलीबारी क्यों नहीं रूक रही है और क्यों भारत की ओर से ठीक प्रकार से उत्तर नहीं दिया जा रहा है, इसके क्या कारण है? जनता का भरोसा टूट रहा है भारी संख्या में लोग भाग रहे हैं।

मैं अपने प्रश्न के दूसरे भाग में यह जानना चाहता हूं कि क्या कारण है कि और कहीं ऐसा तो नहीं है कि बार-बार वार्ता की बात कर हम सेना का मनोबल कमजोर कर रहे हैं? मैं समझता हूं कि मंत्री महोदय बताएं कि क्या कारण हैं कि गोलीबारी की अधिक घटनाएं हुई है और उनमें मरने वाले तथा घायल होने वाले लोगों की भी संख्या अधिक है?

श्री मुलायम सिंह यादव : हमने यह स्वीकार किया है कि पहले के मुकाबले गोलीबारी की घटनाएं ज्यादा हुई हैं, लेकिन गोलीबारी का जवाब भी दिया गया है।

श्री नीतीश कुमार : उनके कितने मरे?

श्री मुलायम सिंह यादव : अब कितने मरे कितने घायल हुए, ये सब आंकड़े तो मैंने अपने उत्तर में बताए हैं, लेकिन जहां तक माननीय सदस्य ने इशारा किया है कि क्या कारण हैं, तो हमने बता दिया है कि 1971 के बाद पहली बार उन्होंने हमारे नागरिकों पर हमला

किया है जिसमें दो व्यक्ति मरे हैं और आठ घायल हुए हैं, लेकिन हमने उनकी गोलीबारी का जवाब जब से दिया है, तब से कारगिल पर कोई भी गोलीबारी करने की हिम्मत उन्होंने नहीं की है। यह कहना गलत है कि हम उनका मुकाबला नहीं कर रहे हैं। हमने उनको कारगिल से जैसा जवाब दिया है उससे वे समझ जाएंगे। हम शांति में विश्वास करते हैं। यदि वे शांति में विश्वास नहीं करते हैं, तो कारगिल में उनको जो जवाब दिया गया है, भविष्य में उससे ज्यादा जवाब दिया जाएगा।

श्री कृष्ण लाल शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि मंत्री महोदय ने जो उत्तर दिया है उसको देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि सेना और सीमा सुरक्षा बल के जो लोग ज्यादा मरे हैं वे नियंत्रण रेखा के बजाय अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर ज्यादा मरे हैं, तो क्या अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर जो हमारी व्यवस्था है, वह कमजोर है, जो मंत्री महोदय ने उत्तर दिया है उसके कंपैरीजन से यह आभास हो रहा है।

मेरा प्रश्न यह है कि क्या हमारी जो भी पाकिस्तान से बातचीत होती है, जैसे अभी हमारे प्रधान मंत्री श्रीनगर गये और उन्होंने घोषणा की कि जब तक आतंकवादी अपनी गोली वगैरह बंद नहीं करते, तब तक हम किसी से बात नहीं करेंगे, क्या कभी प्रधान मंत्री के लेविल पर, सैक्रेटरीज के लेविल पर पाकिस्तान से बात करते हुए बात रखी गई कि अगर उनकी तरफ से गोलबारी की घटनाएं जारी रहेगी तो हमारे लिए वार्ता करना कठिन हो जायेगा?

दूसरी बात, अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर और जो नियंत्रण रेखा है, वहां अपनी तरफ से और अपनी सुरक्षा को मजबूत करने के लिए क्या इन दिनों कोई ज्यादा फण्ड्स दिये गये हैं, पैसा दिया गया है? वहां की व्यवस्था को मजबूत करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं?

श्री मुलायम सिंह यादव : उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक अंतर्राष्ट्रीय रेखा पर गोलीबारी ज्यादा हो रही है, वह इसलिए हो रही है कि पाकिस्तान उसको भी विवाद में रखना चाहता है। वह उस अंतर्राष्ट्रीय रेखा को मानने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए गोलीबारी ज्यादा करता है। लेकिन यह कहना कि हमारी कमजोरी है, ऐसा नहीं है। आंकड़ों के अनुसार आपको खुद ही प्रतीत होता होगा कि भारतीय सेना की अपेक्षा पाकिस्तान के सैनिक ज्यादा मारे गये हैं।

मजबूती से आर्थिक संकट का सीमा पर कोई सवाल नहीं उठता है। हमने शुरू में ही जवाब दिया है कि हम पूरी तरह से उनकी गोलीबारी का जवाब देते हैं। अभी जब मैंने आपको कारगिल पर उदाहरण दे दिया था, उसके नागरिकों पर उन्होंने जो हमला किया था, उसका जवाब ठीक तरह से दे दिया है तब से वहां गोलीबारी नहीं हुई है। लेकिन हम शांति में विश्वास करना चाहते हैं, बातचीत चल रही है, इसलिए हम चाहते हैं कि शांति हो। अगर शांति में विश्वास नहीं करेंगे तो हम जवाब देंगे।

श्री मंगत राम शर्मा : मैं डिफेंस मिनिस्टर साहब से यह पूछना चाहता हूं कि क्या यह दुरूस्त है कि इण्टरनेशनल बोर्डर या लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की तरफ हमारा जो देहात है, वहां हमारी जमीनें फर्टाइल हैं और हमारे किसान ऐन बोर्डर तक काश्त करते हैं। क्या यह भी सही है कि जब भी फसल लगाने का या काटने का सवाल आता है तो पाकिस्तान की तरफ से भारी फायरिंग हो जाती है और हमारे किसान फसल लगा नहीं सकते, फसल काट नहीं सकते?

क्या यह भी दुरूस्त है कि जब भी हम बोर्डर पर फैंसिंग का काम स्टार्ट करते हैं, तभी पाकिस्तान की तरफ से भारी फायरिंग हो जाती है? मैं डिफेंस मिनिस्टर से यह पूछना चाहता हूं कि यह कोई एक दिन की बात नहीं है। साल-दर-साल से ऐसा होता आ रहा है, अभी तीन चार महीने से कितने मवेशी मर गये, कितने लोग जख्मी हुए और खास तौर पर जम्मू, कठुआ, राजौरी और पुंछ, ये जो चारों बोर्डर के डिस्ट्रिकट्स हैं, इनमें लोग काश्त नहीं कर सकते, पैडी की क्राप नहीं लगा सकते। हम बोर्डर पर फेंसिंग नहीं कर सकते, बल्कि आपने डिसीजन लिया है कि और पीछे हट पर फेंसिंग करो। बोर्डर को छोड़कर आप फेंसिंग करते है तो यह कमजोरी आप क्यों दिखा रहे हैं? पाकिस्तान को जैसे आपने कारगिल में जवाब दिया, जम्मू के बोर्डर पर उसको करारा जवाब क्यों नहीं देते और फेंसिंग पीछे करने की बजाय ऐन बोर्डर पर क्यों नहीं करते? चाहे बातचीत करो या करारा जवाब दे दो, ताकि किसानों को रोजमर्रा की जो तकलीफ है, उससे छुटकारा हो?

श्री मुलायम सिंह यादव : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य का यह कहना सच है कि फसल के टाइम में गोली बारूदी ज्यादा पाकिस्तान की तरफ से की जाती है, लेकिन उसका जवाब भी दे दिया जाता है। कभी-कभी किसानों को नुकसान भी उठाना पड़ता है, यह सच्चाई है। जहां तक फेंसिंग का सवाल है, यह सही है कि फेंसिंग करने की जब हम कोशिश करते हैं तो वे गोलीबारी या बहुत ज्यादा फायरिंग करते हैं, लेकिन यह कहना गलत है कि हम फेंसिंग लगाने के लिए पीछे हट रहे हैं। जहां हमारी सीमा है, हमारी जो रेखा है, उसी पर हम फेंसिंग करने का प्रयास करेंगे।

श्री चमन लाल गुप्त : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से अपने डिफेंस मिनिस्टर साहब से यह जानना चाहता हूं कि क्या इनको जानकारी है कि इस समय भी हमारे सारे बोर्डर पर से लगभग चार से पांच हजार लोग अपने घरबार छोड़कर पीछे हटकर निवास कर रहे हैं। मंत्री जी ने कहा है कि हम बोर्डर पर ही फैंसिंग कर रहे हैं। लेकिन क्या यह हकीकत नहीं है कि पिछले दो-तीन सालों से बोर्डर पर फैंसिग लगाने के लिए 20 करोड़ रुपये का लोहा, तारें आदि समान पड़ा-पड़ा टोटली जाया हो गया है? क्योंकि जब भी आप फैंसिग लगाना शुरू करते हैं, पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग शुरू हो जाती है। इसलिए वायर लगाने का काम आपने खुद बंद करवा दिया। मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि हम जो फैंसिंग बोर्डर पर कर रहे हैं, यह कब से शुरू हुई है और कब पूरी होगी?

श्री मुलायम सिंह यादव : फैंसिग करा रहे हैं, ये शब्द मैंने नहीं कहे। जब भी हम फैंसिंग करते हैं तो पाकिस्तान ज्यादा फायरिंग करता है। वह किसी न किसी तरह से हमारी सेना की

अंटेशन डाइवर्ट करके अपने उग्रवादी इधर भेजने की कोशिश करता है। फायरिंग करने का यही उसका मुख्य उद्देश्य है, जिससे कश्मीर में शांति न रह सके। लेकिन हमने अभी फैंसिंग शुरू नहीं की है, सामान जरूर पहुंचा है। अगर फैंसिंग करेंगे तो वह गोलीबारी ज्यादा करेगा। लेकिन अभी हम इंतजार कर रहे हैं कि पाकिस्तान की समझ में आ जाए। अगर नहीं समझेगा तो हम फैंसिंग करेंगे, नतीजा कुछ भी हो।

श्री चमन लाल गुप्त : कब तक इंतजार करेंगे, हमें हकीकत बताएं? तीन साल से लगातार फैंसिंग का काम शुरू है, लेकिन अभी तक पूरा नहीं हो पा रहा है...*(व्यवधान)*

श्री विनय कटियार : गृह मंत्री जी कहते है कि हम फैंसिंग करना चाहते है, लेकिन ये कुछ और कह रहे हैं...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : आपकी बात हो गई, अब बैठ जाएं।

श्री चमन लाल गुप्त : पाकिस्तान ने शिमला समझौते के तहत जिस एरिया को अंतर्राष्ट्रीय सीमा माना था, उसको अब वह नहीं मान रहा है। वह कहता है कि कश्मीर विवादित क्षेत्र है, इसलिए वह फायरिंग कर रहा है।

श्री मुलायम सिंह यादव : हम उसका इंतजार कर रहे हैं। बातचीत के बाद आपको नतीजे सामने आ जाएंगे।

प्रो॰ रीता वर्मा : माननीय उपाध्यक्ष जी, अभी हाल में हम लोग लद्दाख गए थे। रक्षा मंत्रालय के सौजन्य से हम सियाचिन ग्लेशियर देखने गए। वहां विश्वस्त सूत्रों से मालूम हुआ कि रोजाना फायरिंग होती है और रोजाना केजुअल्टी होती है। लेकिन आप जो आंकड़े दे रहे हैं वे कुछ और ही बता रहे हैं और उन पर एक नजर में विश्वास नहीं होता। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आपके आंकड़े सही मानूं या जो देखकर आई हूं, उसे सही मानूं। मंत्री जी बार-बार बयान दे रहे हैं कि धन की और संसाधनों की कमी नहीं होने दी जाएगी. लेकिन मैंने देखा है कि हमारे लोग विपरीत परिस्थितियों में लड़ रहे है। उनको स्नो स्कूटर्स चाहिए, उसके स्पेयर पार्ट्स नहीं हैं। जबकि आप कह रहे है कि कोई दिक्कत नहीं होने दी जाएगी। हम कैसे इस बात को माने?

श्री मुलायम सिंह यादव : यह सही है कि वहां रोजाना फायरिंग होती है। लेकिन मेरे दिए हुए आंकड़े भी सही हैं। आपने जो फंड की बात कहीं, तो मैं यही कहना चाहता हूं कि फंड की कमी नहीं है।. ..*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री मधुकर सरपोतदार : बार-बार इसी उत्तर को दोहराया गया है। यह प्रश्न पूर्णतया अलग है।

श्री मुलायम सिंह यादव : आप असली बात तो सुन लें। अग्नि कार्यक्रम है, उसको उच्चतम प्राथमिकता दी गई है। धन का अभाव नहीं है इसलिए वे आंकड़े सही है।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[अनुवाद]

नेहरू युवक केन्द्रों में महिलाओं का प्रतिनिधित्व

***65. श्री हन्नान मोल्लाह :** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेहरू युवक केन्द्रों में विभिन्न स्तरों पर युवतियों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाएंगे?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री एस॰आर॰ बोम्मई) : (क) जी,नहीं। नेहरू युवा केन्द्रों के विभिन्न कार्यक्रमों एवं गतिविधियों के कार्यान्वयन में युवतियों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जाता है। नेहरू युवा केन्द्र संगठन की वार्षिक कार्य योजना तैयार करते समय भी इसके कार्यक्रमों एवं गतिविधियों में युवतियों की पर्याप्त संख्या में सहभागिता पर बल दिया जाता है।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठतें।

पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतें

***66. श्री माधवराव सिंधिया :**

श्री बीर सिंह महतो :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने घाटा पूरा करने तथा तेल आयात बिल में कटौती करने के लिये पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्य युक्तिसंगत बनाने हेतु कोई निर्णय लिया है;

(ख) इसके परिणामस्वरूप विभिन्न पेट्रोलियम उत्पादों पर दी जाने वाली राजसहायता में कितनी कटौती की जाएगी;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान तेल उत्पादों पर उत्पाद और आयात शुल्क से सरकार द्वारा अर्जित राजस्व का ब्यौरा क्या है;

(घ) उपर्युक्त अवधि के दौरान निर्धारित मूल्यों में की गई वृद्धि से सरकार को कुल कितना अतिरिक्त राजस्व प्राप्त हुआ;

(ङ) क्या सरकार ने पेट्रोलियम और अन्य वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि के प्रभावों का कोई आकलन किया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) और (ख) सरकार तेल पूल लेखे के अंतर्गत घाटे को काबू

करने तथा कुछ एक पेट्रोलियम उत्पादों पर दी जा रही राजसहायता को कम करने के संबंध में विभिन्न विकल्पों का पता लगाती रही है। ऐसी राजसहायता के संबंध में कटौती की सीमा अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों, शुल्क नीति तथा मांग इत्यादि जैसे विभिन्न पहलुओं पर निर्भर करेगी।

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान कच्चे तेल तथा पेट्रोलियम उत्पादों पर सीमा शुल्कों एवं उत्पाद शुल्कों के माध्यम से हुई राजस्व वसूली निम्नवत् हैं :-

(करोड़ रुपए)

वर्ष	सीमा शुल्क	उत्पाद शुल्क
1994-95	6209.01	6694.51
1995-96	8452.89	7160.13
1996-97 (अनंतिम)	12436.64	9087.41

(घ) वर्ष 1994-95 तथा 1995-96 के दौरान पेट्रोलियम उत्पादों के शासित मल्यों में कोई वृद्धि नहीं की गई थी। वर्ष 1996-97 के दौरान पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्य जुलाई, 1996 में बढ़ाये गए थे और यह अनुमान लगाया गया था कि वर्ष 1996-97 के दौरान तेल पूल लेखे को लगभग 7000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होगा।

(ङ) और (च) ऐसा अनुमान था कि जुलाई, 1996 में पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्यों में वृद्धि के कारण थोक बिक्री मूल्य सूचकांक पर लगभग 0.9 प्रतिशत का सीधा प्रभाव पड़ेगा।

कैपिटेशन फीस

*67. **श्री एन॰ डेनिस :** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने राज्य सरकारों को आदेश दिए हैं कि वे शैक्षिक संस्थाओं द्वारा ली जाने वाली कैपिटेशन फीस पर रोक लगायें, और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री एस॰ आर॰ बोम्मई) : (क) और (ख) मोहिनी जैन और उन्नीकृष्णन मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित किए गए आदेश के अनुसरण में निजी गैर-सहायता प्राप्त शैक्षिक संस्थानों द्वारा प्रतिव्यक्ति शुल्क लेने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। ये निर्णय सम्पूर्ण देश में बाध्य है। उन्नीकृष्णन मामले में उच्चतम न्यायालय के निर्देश के अनुसरण में शिक्षा विभाग, भारत सरकार ने राज्य सरकारों के साथ विचार-विमर्श करके ऐसे संस्थानों में शुल्क निर्धारण की योजना अधिसूचित की है। इसी प्रकार स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्रालय, भारतीय मेडिकल परिषद तथा डेंटल परिषद ने भी निजी मेडिकल व डेंटल संस्थानों के लिए ऐसे ही दिशा-निर्देश जारी किए हैं।

प्रतिभा पलायन

*68. **श्री रामेश्वर पाटीदार :** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्र/राज्य सरकारों द्वारा व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में उच्च शिक्षा प्रदान करने हेतु वर्ष 1994, 1995 तथा 1996 के दौरान कुल कितना निवेश किया गया;

(ख) उक्त अवधि के दौरान उक्त पाठ्यक्रमों में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात् कितने छात्र पश्चिम के विकसित देशों तथा खाड़ी आदि के देशों में भारतीय पासपोर्ट धारक बन कर या तो स्थाई रूप से अथवा अल्पकालिक नवीकरणीय अनुबंध के आधार पर चले गये हैं; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा इन भारतीय छात्रों की उच्च शिक्षा पर किये गये भारी निवेश को वसूल करने हेतु क्या कानूनी कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाएंगे?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री एस॰ आर॰ बोम्मई) : (क) से (ग) उच्च तथा तकनीकी शिक्षा की व्यवस्था के लिए केन्द्रीय और राज्य सरकारों द्वारा मिलाकर वर्ष 1993-94, 1994-95, और 1995-96 के दौरान किया गया कुल व्यय क्रमशः 4121.36 करोड़ रुपए, 4816,02 करोड़ रुपए तथा 4953.25 करोड़ रुपए है। कुछ छात्र, जो तकनीकी तथा प्रबंधन क्षेत्रों में उच्च शिक्षा प्राप्त कर लेते हैं, नौकरी और उच्च अध्ययन के लिए अन्य देशों में चले जाते हैं। बहरहाल, ऐसे प्रवासियों का कोई रिकार्ड नहीं रखा जाता है। ऐसी व्यावसायिक प्रतिभा को देश में बनाए रखने के लिए देश में एक सकारात्मक वातावरण बनाने के लिए सरकार कदम उठा रही है। कोई कानूनी कदम उठाने के संबंध में विचार नहीं किया जा रहा है।

पर्यटन संबंधी अंतर-मंत्रालयी परिषद्

*69. **श्री सिद्दया कोटा :**

श्री आनन्द रत्न मौर्य :

क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिये शीघ्र ही अंतर-मंत्रालयी परिषद् गठित करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यह परिषद् किस तारीख तक गठित कर दी जायेगी?

पर्यटन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री श्रीकान्त जेना) : (क) से (ग) पर्यटन से संबंधित विभिन्न नीति मामलों पर सरकार को सलाह देने के लिए तथा पर्यटन के विकास के लिए राष्ट्रीय नीति के कार्यान्वयन का निरीक्षण करने के लिए केन्द्रीय पर्यटन मंत्री की अध्यक्षता में एक परामर्शी "पर्यटन उद्योग एवं व्यापार बोर्ड" की स्थापना की गई है। बोर्ड के सदस्यों में संसद के सदस्य, भिन्न-भिन्न

मंत्रालयों/विभागों के सचिव, व्यावसायिक, उद्योग संघों और राज्य सरकारों के प्रतिनिधि शामिल हैं।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास

***70. प्रो॰ प्रेम सिंह चन्दूमाजरा :**
श्री नीतीश कुमार :

क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में राष्ट्रीय राजमार्गों के विस्तार और विकास का दायित्व भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण का है;

(ख) यदि हां, तो क्या प्राधिकरण ने इन सड़कों के विस्तार और विकास हेतु कोई कार्य योजना तैयार की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या इस कार्य योजना को पूरा करने के लिए कोई समयबद्ध कार्यक्रम भी तैयार किया गया है;

(ङ) यदि हां, तो प्रत्येक प्रस्तावित राष्ट्रीय राजमार्ग को पूरा करने के लिए कितनी अवधि निर्धारित की गई है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री टिंडिवनाम् जी॰ वेंकटरामन): (क) से (च) भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (भा॰रा॰रा॰प्रा॰) राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास और रख-रखाव के लिए केन्द्र सरकार की निष्पादन एजेंसियों में से हैं। यह प्राधिकरण उन्हीं परियोजनाओं पर कार्य शुरू करता है जो केन्द्र सरकार द्वारा इसे सौंपी जाती हैं। प्रारंभ में भा.रा.रा.प्रा. को दिल्ली, कलकत्ता, चेन्नई और मुम्बई महानगरों को जोड़ने वाली 4 प्रमुख सड़कों तथा महापत्तनों से संपर्क स्थापित करने वाले राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास की जिम्मेदारी दी गई है। फिलहाल भा.रा.रा. प्राधिकरण इन सड़कों के बारे में साध्यता अध्ययन कर रहा है और इस अध्ययन के आधार पर यह कार्य शुरू किया जाएगा। इस प्रकार, अभी यह बता पाना संभव नहीं है कि यह कार्य कब तक पूरे कर लिए जाएंगे।

[अनुवाद]

कच्चे तेल पर रायल्टी

***71. श्री केशव महन्त :** क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कच्चे तेल पर दी जाने वाली रायल्टी की वर्तमान दर क्या है;

(ख) क्या रायल्टी की दर में वृद्धि करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) पिछली बार इस दर में संशोधन कब किया गया था और रायल्टी दर में इस प्रकार का संशोधन करने के लिए क्या मानदंड अपनाए जाते हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) से (ग) तेल क्षेत्र (विनियमन और विकास) अधिनियम, 1948 के उपबंधों के अधीन केन्द्रीय सरकार किसी भी खनिज तेल के लिए रायल्टी की दर किसी भी तीन वर्ष की अवधि के दौरान एक से ज्यादा बार नहीं बढ़ाएगी। ईश्वरन समिति की सिफारिशों पर विचार-विमर्श और राज्य सरकारों के साथ चर्चाओं के बाद इससे पहले फरवरी, 1993 में, 01 अप्रैल, 1990 से 31 मार्च, 1993 की अवधि के लिए कच्चे तेल पर रायल्टी की दर 481 रुपए प्रति मीट्रिक टन निर्धारित की गई थी। 01 अप्रैल, 1993 से 31 मार्च, 1996 तक की अवधि के लिए कच्चे तेल पर रायल्टी के लिए 528 रुपये प्रति मीट्रिक टन का "लेखागत" भुगतान, रायल्टी की अंतिम दर की अधिसूचना पर समायोजन और यथासमय क्रूड मूल्य को अंतिम रूप दिए जाने की शर्त पर किया गया। रायल्टी की इस "लेखागत" दर को 01 अप्रैल, 1996 से बढ़ाकर 578 रुपये प्रति मीट्रिक टन किया गया है।

1993-94 से 1995-96 तक के तीन वर्षों के लिए उत्पादन की वास्तविक भारित लागत नियंत्रक महालेखा परीक्षक द्वारा लेखा परीक्षित आंकड़ों और इस आधार पर अधिसूचित अंतिम रायल्टी दर के आधार पर निकाली जाएगी तथा पहले से किए गए "लेखागत" भुगतानों के प्रति आवश्यक समायोजन किए जाएंगे।

असैनिक विमानपत्तनों का नवीकरण

***72. श्री महेन्द्र सिंह भाटी :** क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को राज्य सरकारों से असैनिक विमान-पत्तनों और सिविल अंतः क्षेत्र के विकास और नवीकरण के संबंध में प्रस्ताव मिले हैं;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1994-95, 1995-96 और 1996-97 के दौरान अब तक मिले इस प्रकार के प्रस्तावों का राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाने का विचार हैं?

नागर विमानन मंत्री (श्री सी॰एम॰ इब्राहीम) : (क) से (ग) वर्ष 1994-95 से 1996-97 तक की अवधि में विमानपत्तनों और सिविल एन्क्लेवों के नवीकरण/विस्तार के लिए राज्य सरकारों से प्राप्त प्रस्तावों की मौजूदा स्थिति इस प्रकार है :-

वर्ष	विमानपत्तन/राज्य का नाम	मौजूदा स्थिति
1	2	3
1994-95	जयपुर (राजस्थान)	योजना बनाई जा रही है।
	मंगलौर (कर्नाटक)	विस्तृत अनुमान तैयार करने के लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण

1.	2	3
		को विस्तार हेतु भूमि हस्तांतरित की जा रही है।
	कालीकट (केरल)	परियोजना पर काम शुरू हो चुका है। धावनपथ का विस्तार किया जा रहा है। एक नया अंतर्राष्ट्रीय टर्मिनल ब्लॉक चालू हो चुका है।
1995-96	अहमदाबाद (गुजरात)	अहमदाबाद विमानपत्तन को अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन बनाने के लिए मास्टर प्लान को अंतिम रूप दिया जा रहा है।
	भुज (गुजरात) सिविल एन्क्लेव	भारतीय वायुसेना के क्षेत्र से लगे नए सिविल एन्क्लेव का निर्माण नौंवी योजना अवधि के दौरान शुरू किया जाएगा।
	जबलपुर (मध्य प्रदेश)	धावनपथ के विस्तार का काम शुरू किया जा चुका है तथा वर्ष 1999 में पूरा हो जाने की उम्मीद है।
	पोर्टब्लेयर (अंडमान निकोबार द्वीप समूह)	एक नए टर्मिनल भवन, नए एप्रन और लिंक टैक्सी पथ के निर्माण के प्रस्तावों को अंतिम रूप दिया जा रहा है अण्डमान-निकोबार प्रशासन धावनपथ की लम्बाई बढ़ा रहा है।
1996-97	श्रीनगर (जम्मू और कश्मीर)	रक्षा मंत्रालय इस विमानपत्तन का स्तरोन्नयन अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक करने पर सिद्धांत रूप में सहमत हो गया है। मास्टर प्लान तैयार की जा रही है।
	कुल्लू (हिमाचल प्रदेश) (भुन्तर)	विशेषज्ञों के एक दल ने निष्कर्ष निकाला है कि धावनपथ की लम्बाई बढ़ाना व्यवहार्य नहीं है। इसके विकल्पों को देखा जा रहा है।
	विजयवाड़ा (आंध्र प्रदेश)	काम देने के लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने निविदाएं आमंत्रित की हैं। विमानपत्तन के विकास के लिए राज्य सरकार ने 69 एकड़ जमीन निःशुल्क दी है। आंध्र प्रदेश सरकार से 8.00 करोड़ रुपए बिना ब्याज के ऋण के रूप में मिलने की प्रतीक्षा है।

1	2	3
	गुवाहाटी (असम)	धावनपथ और सहायक पटरियों का स्तरोन्नयन अंतर्राष्ट्रीय टर्मिनल भवन तथा कार्गो परिसर का निर्माण नौवीं योजना अवधि में हाथ में लिया जाएगा। अंतर्देशीय टर्मिनल भवन (आगमन लाउंज) के परिवर्धन का प्रथम चरण शुरू हो चुका है।

उपर्युक्त के अलावा, गोवा, बंगलौर और विशाखापत्तनम में नए विमानपत्तन विकसित करने के साथ-साथ हैदराबाद को अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन बनाने के प्रस्ताव भी प्राप्त हुए थे। इन प्रस्तावों का मूल्यांकन किया जा रहा है।

[हिन्दी]

विकास निधि

***73. श्री पंकज चौधरी :**

श्री ईश्वर प्रसन्ना हजारिका :

क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश भर के विभिन्न पर्यटन स्थलों पर राज्य सरकारों और गैर-सरकारी संगठनों द्वारा आरंभ की गई आधारभूत ढांचा परियोजनाओं को वित्त पोषित करने हेतु पर्यटन विकास निधि स्थापित करने के लिए सरकार ने कोई प्रस्ताव रखा है;

(ख) उपर्युक्त परियोजनाओं को वित्त पोषित करने के साधन क्या हैं; और

(ग) प्रस्तावित निधि से सहायता प्राप्त परियोजनाओं द्वारा सहायता का उपयोग किस प्रकार किया जायेगा और इस पर ब्याज दर, भुगतान अवधि आदि संबधी शर्तें क्या होंगी?

पर्यटन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री श्रीकान्त जेना) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) ब्यौरों को अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

[अनुवाद]

सिंचित क्षेत्र में पानी का जमाव

***74. श्री संतोष कुमार गंगवार :** क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नहरों द्वारा सिंचित क्षेत्रों में पानी भर जाने की समस्या से निबटने के लिए कोई उपयुक्त तकनीक विकसित की गई है;

(ख) यदि हां, तो इस तकनीक का उपयोग किस हद तक किया जा रहा है; और

(ग) देश में पांच वर्ष पूर्व और आज पृथक रूप में कौन-कौन से क्षेत्र जल भराव क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं?

जल संसाधन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शीश राम ओला): (क) जी हां। नहरों से सिंचित क्षेत्रों में जलजमाव की समस्या को हल करने के लिए निवारक तथा सुधारात्मक तकनीकी पैकेजों का विकास किया गया है।

(ख) अलग-अलग राज्यों में उनकी परिस्थितियों के अनुसार अलग-अलग तकनीकों का उपयोग किया जा रहा है।

(ग) नहर सिंचित कमान में 1991 तथा वर्तमान में जलजमाव से प्रभावित क्षेत्र निम्नानुसार हैं :-

वर्ष	क्षेत्रफल (लाख हेक्टेयर में)	टिप्पणी
1991	24.60	
195-96	10.00	केवल राजस्थान, कर्नाटक, हरियाणा, महाराष्ट्र, गुजरात, जम्मू तथा कश्मीर, आंध्र प्रदेश और पंजाब ने हाल की स्थिति का आकलन किया है (अन्य राज्यों ने अभी तक आकलन नहीं किया है।)

[हिन्दी]

राष्ट्रीय राजमार्ग

***75. श्री शत्रुघ्न प्रसाद सिंह : क्या जल भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) क्या देश में अनेक राष्ट्रीय राजमार्ग और विशेष रूप से बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 30 तथा 31 की हालत अत्यंत जीर्ण-शीर्ण है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) बिहार में उक्त दोनों राजमार्गों का दोहरीकरण करने तथा मजबूत बनाने संबंधी प्राक्कलनों को स्वीकृति देने के बावजूद भी कार्य शुरू न करने के क्या कारण हैं; और

(घ) राष्ट्रीय राजमार्गों को अच्छी हालत में बनाए रखने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री टिंडिवनाम् जी॰ वेंकटरामन): (क) और (ख) देश के सभी राष्ट्रीय राजमार्गों, जिसमें बिहार से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग-30 और 31 भी शामिल हैं, को सामान्यतया यातायात योग्य स्थिति में रखा जाता है। उनका रख-रखाव एक सतत् प्रक्रिया है और समय-समय पर आवश्यकतानुसार मरम्मत की जाती हैं जून, 1997 के अंत से ही बिहार में लगातार भारी वर्षा के कारण बिहार में इन दो राष्ट्रीय राजमार्गों के कुछ खंडों में गड्ढे बन गए हैं और इनकी तत्काल आधार पर मरम्मत की जा रही है।

(ग) जॉब संख्या 031-बी आर-96-341 दिनांक 31.10.96 के तहत संस्वीकृत केवल एक कार्य नामतः "रा.रा.-31 पर 227 कि.मी. और 228 कि.मी. (500 मीटर) पर चार लेन बनाया जाना", को निविदा प्रक्रिया के दौरान अभ्यावेदनों के कारण कार्य सौंपने में हुए विलंब के कारण अभी तक शुरू नहीं किया जा सका है।

(घ) राष्ट्रीय राजमार्गों में सुधार कार्य योजनागत-आबंटन के जरिए चरणबद्ध रूप में तथा रख-रखाव कार्य समान्यतया गैर-योजनागत आबंटन के माध्यम से संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर किया जाता है। राष्ट्रीय राजमार्गों पर विकास कार्यों में निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए भी प्रयास किए गए हैं।

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस का उत्पादन

***76. श्री थावर चन्द गेहलोत : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) देश में वर्ष 1995-96 और 1996-97 के दौरान पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के उत्पादन का संस्थान-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) उपर्युक्त अवधि के दौरान पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस निकालने के लिए कितने स्थानों पर खोज और संछिद्रण (ड्रिलिंग) कार्य आरंभ किया गया है;

(ग) कितने स्थानों पर पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मिली है;

(घ) उपर्युक्त संस्थानों को वर्ष 1995-96 और 1996-97 के दौरान हुई लाभ-हानि का संस्थान-वार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) देश में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस की आवश्यकता को पर्याप्त रूप से पूरा करने के लिए सरकार द्वारा क्या विशेष उपाय किये जा रहे हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) 1995-96 और 1996-97 के दौरान देश में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के उत्पादन का ब्यौरा निम्नानुसार है :-

कच्चे तेल का उत्पादन (आंकड़े एम एम टी में)

	ओएनजीसी	ओआईएल	सं.उ.**	योग
1995-96	31.635	2.882	.63	35.147
1996-97	28.671	2.87	1.34	32.881*

*अनन्तिम **संयुक्त उद्यम

प्राकृतिक गैस का उत्पादन (आंकड़े मिलियन घन मीटर में)

	ओएनजीसी	ओआईएल	सं.उ.**	योग
1995-96	20875	1432	332	22639
1996-97	21278	1467	509	23254

*अनन्तिम **संयुक्त उद्यम

(ख) और (ग) पिछले दो वर्षों के दौरान ओएनजीसी और ओआईएल ने बम्बई के अपतटीय और भूस्थित बेसिनों, केरल, कोंकण, कृष्णा, गोदावरी, कैम्बे, सौराष्ट्र और कावेरी, असम अराकान फोल्ड बैल्ट, हिमालय की तराई, राजस्थान, गुजरात, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश राज्यों में अन्वेषण कार्य किए हैं। इन अन्वेषण प्रयासों के परिणामस्वरूप 32 स्थानों पर तेल और गैस की खोजें हुई हैं।

(घ) ओ.एन.जी.सी./ओ.आई.एल. के कर पश्चात् शुद्ध लाभ निम्नानुसार थे :

(आंकड़े करोड़ रुपयों में)

	1995-96	1996-97
ओ.एन.जी.सी.	1945.43	2033.65
ओ.आई.एल.	206.46	220.14

(ङ) देश में तेल और गैस की मांग पूरी करने के लिए सरकार द्वारा किए जा रहे उपाय निम्नलिखित हैं :-

(1) तेल/गैस की नई विकास योजनाओं का कार्यान्वयन और मौजूदा क्षेत्रों का अतिरिक्त विकास।

(2) हाइड्रोकार्बनों के अन्वेषण में निवेश को बढ़ावा देने के लिए नई अन्वेषण लाइसेंस नीति की घोषणा।

(3) तेल/गैस के अन्वेषण और विकास में निजी/संयुक्त उद्यम कंपनियों की भागीदारी को प्रोत्साहन देना।

(4) साबित हुए बेसिनों और नए क्षेत्रों में अन्वेषण प्रयासों को गहन बनाना तथा गहरे समुद्र और सीमावर्ती क्षेत्रों तक इनका विस्तार।

(5) निकास घटकों में सुधार करने के लिए विशिष्ट प्रौद्योगिकी को अपनाना।

(6) तरलीकृत प्राकृतिक गैस (एल.एन.जी.) के आयात के लिए गेल, आई ओ सी, ओ.एन.जी.सी. और बी.पी.सी.एल. द्वारा संयुक्त रूप से एक नई कंपनी का गठन।

(7) पेट्रोलियम की मांग और आपूर्ति का अंतर आयातों के माध्यम से पूरा किया जाना है।

नोट :

ओ.एन.जी.सी. - तेल और प्राकृतिक गैस कारपोरेशन लिमिटेड।

ओ.आई.एल. - आयल इंडिया लिमिटेड

जी.ए.आई.एल. - गैस अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड

आई.ओ.सी. - इंडियन आयल कारपोरेशन लिमिटेड

बी.पी.सी.एल. - भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड।

[अनुवाद]

अमान्य फोटो पहचान-पत्र

***77. श्री राम बहादुर सिंह :**
श्री चुन चुन प्रसाद यादव :

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में हवाई अड्डे पर कार्य कर रही कई अमान्य एजेंसियों के कर्मचारियों को फोटो पहचान पत्रों का उपयोग करते हुए पकड़ा गया है जो इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन की सुरक्षा के लिए गंभीर चूक है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने अमान्य फ़ोटो पहचान पत्र धारकों को संवेदनशील स्थानों पर जाने की अनुमति देने में की गई लापरवाही के बारे में कोई जांच कराई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है?

नागर विमानन मंत्री (श्री सी॰एम॰ इब्राहीम) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) ये प्रश्न नहीं उठते।

सशस्त्र बलों के लिए "कैरियर प्रोफाइल"

***78. श्री नामदेव दिवाथे :** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में सशस्त्र बलों में कैरियर बनाने के लिए किशोरों को स्कूल स्तर से ही प्रशिक्षण उन्मुख करने हेतु अनेक उपाय किए हैं;

(ख) यदि हां, तो रक्षा संबंधी कार्यों की ओर सर्वोत्तम प्रतिभा को आकर्षित करने हेतु की गयी नई पहल/तैयार की गई रणनीतियों और योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) चालू वर्ष के दौरान प्रशिक्षण ढांचा, संस्थागत नेटवर्क तथा पाठ्यक्रम व्यूह के आधुनिकीकरण/उन्नयन हेतु किए गए धनराशि के प्रावधान का ब्यौरा क्या है; और

(घ) महाराष्ट्र स्थित प्रशिक्षण संस्थानों में किए जा रहे उन्नयन की वर्तमान स्थिति क्या है तथा चालू वर्ष के दौरान परियोजना-वार कितनी धनराशि का आबंटन किया गया है?

रक्षा मंत्री (श्री मुलायम सिंह यादव) : (क) से (घ) राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में प्रवेश के लिए किशोरों को शैक्षिक, शारीरिक और मानसिक रूप से तैयार करके सशस्त्र सेनाओं में उनका कैरियर बनाने के लिए 18 सैनिक स्कूल, 5 मिलिट्री स्कूल और एक राष्ट्रीय भारतीय मिलिट्री कालेज मौजूद हैं। इन संस्थाओं के कार्यनिष्पादन की समय-समय पर समीक्षा की जाती है। हाल ही में एक छवि निर्माण अभियान शुरू करने का निर्णय लिया गया है ताकि सेना में सम्पूर्ण

कैरियर के प्रति युवा वर्ग में जागरूकता बढ़ाई जा सके और उन्हें इस ओर आकर्षित किया जा सके।

सिमुलेटर और कम्प्यूटर सहित उन्नत प्रशिक्षण उपकरण शामिल करके प्रशिक्षण व्यवस्था का आधुनिकीकरण/उन्नयन शुरू किया गया है। सेना, नौसेना और वायुसेना के संबंध में 1997-98 के लिए वार्षिक प्रशिक्षण अनुदान क्रमशः 9.82 करोड़ रुपए, 0.55 करोड़ रुपए और 2.25 करोड़ रुपए है।

पुणे स्थित सेना के मिलिट्री इंजीनियरी कालेज की प्रयोगशालाओं को 3.36 करोड़ रुपए की कुल लागत से आधुनिक बनाए जाने संबंधी परियोजना मार्च, 1996 में स्वीकृति कर दी गई है। यह परियोजना दो वर्ष में पूरी की जानी है।

[हिन्दी]

तेलशोधक कारखाने

*79. **श्री एन.जे. राठवा :** क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान आज तक विभिन्न तेल कम्पनियों के विभिन्न तेलशोधक कारखानों, विशेषकर गुजरात स्थित तेलशोधक कारखानों में कारखाना-वार कितना घन इकाई तेल परिष्कृत किया गया;

(ख) कम्पनी-वार प्रत्येक तेलशोधक कारखाने ने क्षमता का कितना उपयोग किया और क्या यह उपयोग उनकी क्षमता के अनुरूप है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इन तेल कम्पनियों और तेलशोधक कारखानों की क्षमता का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का प्रस्ताव है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) से (ङ) स्थापित क्षमता, वास्तविक थ्रूपुट और क्षमता उपयोग से संबंधित कंपनी-वार रिफाइनरी-वार ब्यौरा अनुबंध में दिया गया है।

पिछले तीन वर्षों अर्थात् 1994-95, 1995-96 और 1996-97 के दौरान सभी रिफाइनरियों का कुल क्षमता उपयोग क्रमशः 105.7 प्रतिशत, 104.2 प्रतिशत और 104.1 प्रतिशत रहा है। तथापि, जैसा कि नीचे दर्शाया गया हैं, कुछ रिफाइनरियों में क्षमता का उपयोग कम रहा हैं:-

	रिफाइनरियां	अवधि	कारण
(क)	बरौनी/गुवाहाटी/ बी आर पी एल	सभी तीन वर्ष	असम तेल क्षेत्रों के लिए क्रूड की कम उपलब्धता
(ख)	डिग्बोई सी आर एल	1996-97 95-96/96-97	नई इकाई को आरंभ किए जाने के पहले वर्ष के दौरान स्थिरीकरण
(ग)	एम आर एल-नारिमणम	सभी तीन वर्ष	नारिमणम तेल क्षेत्रों से क्रूड का कम उत्पादन
(घ)	एच पी सी एल-मुंबई	1994-95	रिफाइनरियों का बड़ा टर्न-एराउंड शट-डाउन
(ङ)	एम आर एल-चेन्नई	1995-96	मुख्य इकाई में आग की घटना

(1) सरकार ने आयातित क्रूड आपूर्तियों को सुदृढ़ करने के लिए हल्दिया से बरौनी तक कच्चे तेल की एक पाइपलाइन बिछाने के लिए आई ओ सी के प्रस्ताव का अनुमोदन कर दिया है ताकि बरौनी रिफाइनरी और असम में रिफाइनरियों के क्षमता उपयोग में सुधार किया जा सके।

(2) अल्पकालिक व्यवस्था के रूप में आयातित कच्चे तेल की हल्दिया से रेल द्वारा आपूर्ति करके बरौनी रिफाइनरी को क्रूड की आपूर्तियों में वृद्धि की गई है।

(3) सरकार ने एम आर एल नारिमणम रिफाइनरी में संसाधन के लिए चेन्नई से नारिमणम तक कच्चे तेल का परिवहन सड़क द्वारा करने की अनुमति दे दी है।

कंपनी/रिफाइनरीवार स्थापित क्षमता, वास्तविक थ्रूपुट और क्षमता उपयोग

(आंकड़े एम.एम.टी. में)

	1994-95			1995-96			1996-97		
	01.04.97 की स्थिति के अनुसार	वास्तविक	उपयोग प्रतिशत	01.04.97 की स्थिति के अनुसार	वास्तविक	उपयोग प्रतिशत	01.04.97 की स्थिति के अनुसार	वास्तविक	उपयोग प्रतिशत
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
आईओसी की रिफाइनरियां									
आई ओ सी मथुरा	7.50	8.38	11.7	7.50	8.33	111.1	7.50	8.11	108.2
आई ओ सी कोयाली	9.50	9.89	104.1	9.50	10.17	107.0	9.50	10.35	109.0

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
आई ओ सी हल्दिया	2.75	3.26	118.5	2.75	3.42	124.2	2.75	3.45	125.5
आई ओ सी बरौनी	3.30	2.22	67.3	3.30	2.32	70.4	3.30	1.90	57.4
आई ओ सी गुवाहाटी	1.00	0.88	88.4	1.00	0.84	83.8	1.00	0.85	84.8
आई ओ सी डिग्बोई	0.50	0.54	107.2	0.50	0.56	111.8	0.50	0.48	95.4
उप योग (आई ओ सी)	24.55	25.16	102.5	24.55	25.64	104.4	24.55	25.14	102.4
हिन्दुस्तान पेट्रोलियम की रिफाइनरियां									
एच पी मुम्बई	5.50	5.23	95.2	5.50	5.97	108.5	5.50	6.54	118.9
एच पी विजाग	4.50	5.01	111.4	4.50	5.04	112.0	4.50	4.85	107.7
उप योग (एच पी)	10.00	10.25	102.5	10.00	11.01	110.1	10.00	11.38	113.8
बी पी सी मुम्बई	6.00	7.42	123.6	6.00	7.46	124.3	6.00	7.64	127.3
एम आर एल रिफाइनरियां									
एम आर एल मद्रास	6.50	6.92	106.5	6.50	5.60	88.1	6.50	6.62	101.9
एम आर एल नारीमणम	0.50	0.38	76.4	0.50	0.37	74.0	0.50	0.35	69.0
उप योग (एम आर एल)	7.00	7.30	104.3	7.00	5.97	85.3	7.00	6.97	99.5
एम आर एल	4.50	5.14	114.1	7.50	7.42	98.9	7.30	7.29	97.2
बी आर पी एल	1.35	1.18	87.3	1.35	1.22	90.0	2.35	1.54	85.7
बी आर पी एल					0.04		3.00	2.91	97.0
कुल योग	53.40	56.45	105.7	56.40	58.75	104.2	60.40	62.87	104.1

[अनुवाद]

प्राथमिक शिक्षा

***80. श्री चित्त बसु:**

श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने छः वर्ष से चौदह वर्ष तक की आयु के बच्चों के लिए प्राथमिक शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाने का निर्णय ले लिया है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव को लागू करने के लिए अब तक क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या सरकार को नेताजी जन्म शताब्दी वर्ष के दौरान नेताजी के सम्मान में इस कार्यक्रम का नाम "नेताजी अनिवार्य शिक्षा योजना" करने का सुझाव मिला है;

(घ) यदि हां, तो इस सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ङ) क्या भारत इस शताब्दी के अंत तक पूर्ण साक्षरता का लक्ष्य प्राप्त कर सकता है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री एस-आर- बोम्मई) : (क) और (ख) जी हां। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने को मौलिक अधिकार बनाने तथा 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा अवसर प्रदान करने के लिए बच्चों के माता-पिता/अभिभावकों को मौलिक कर्तव्य बनाए जाने संबंधी प्रस्ताव का मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदन कर दिया गया है। संसद के चालू सत्र में इस आशय का एक संवैधानिक संशोधन विधेयक संसद में पेश किए जाने की आशा है।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ङ) और (च) प्रारंभिक शिक्षा का सार्वजनिकीकरण, अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम और राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के माध्यम से सरकार का उद्देश्य सन 2005 ई॰ तक संपूर्ण साक्षरता का लक्ष्य हासिल करना है। संपूर्ण देश में निरक्षरता उन्मूलन के लिए एक त्रिआयामी कार्य नीति बनाई गई है। अब तक 430 जिलों को संपूर्ण साक्षरता अभियान के अंतर्गत तथा 195 जिलों को उत्तर साक्षरता अभियान के अंतर्गत शामिल किया जा चुका है। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की सभी योजनाओं

के अंतर्गत अब तक 63.64 मिलियन व्यक्तियों को साक्षर बना दिया गया है।

कम्प्यूटर शिक्षा

675. श्री भक्त चरण दास : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार विभिन्न राज्यों में विद्यालयों में "कम्प्यूटर शिक्षा के प्रति जागरूकता" कार्यक्रम का कार्यान्वयन कर रही है;

(ख) यदि हां, तो उक्त कार्यक्रम के अंतर्गत उड़ीसा में अब तक कितने विद्यालयों को शामिल किया गया है; और

(ग) इससे कुल कितने छात्रों को लाभ पहुंचा है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुही राम सैकिया) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) उड़ीसा में "स्कूलों में संगणक साक्षरता और अध्ययन" (क्लास योजना) की संशोधन-पूर्व योजना के अंतर्गत 117 स्कूल शामिल किए गए हैं। इनसे लाभान्वित छात्रों की कुल संख्या के बारे में आंकड़ा इस विभाग में नहीं रखा जाता है।

[हिन्दी]

गुजरात में भूमिगत जल का स्तर

676. श्री महेश कुमार एम० कनोडिया :

श्री काशी राम राणा :

क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को गुजरात सरकार से राज्य में भूमिगत जल स्तर बढ़ाने संबंधी कोई योजना प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस योजना के मुख्य लक्ष्य क्या हैं और क्या इस योजना के देश के अन्य राज्यों में लागू किए जाने की संभावना है;

(घ) क्या सरकार ने इस योजना को लागू करने के लिए अतिरिक्त वित्तीय संसाधन जुटाए हैं; और

(ङ) इस समय यह योजना किस चरण में है और केन्द्र सरकार द्वारा इस योजना को कब तक स्वीकृति दिए जाने की संभावना है ?

जल संसाधन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शीश राम ओला): (क) से (ग) जी, हां। गुजरात सरकार ने "उत्तर गुजरात के अति दोहित जलभृतों में सतही हल पुनर्भरण-बढ़ाने" के लिए 110.65 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से एक परियोजना प्रस्ताव भेजा था। यह परियोजना प्रस्ताव केवल उत्तर गुजरात में क्रियान्वयन करने के लिए है।

(घ) और (ङ) जल संसाधन मंत्रालय ने इस परियोजना प्रस्ताव को मार्च, 1996 में अपनी सिफारिश के साथ वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग) को भेजा ताकि इस प्रस्ताव को सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से किसी विदेशी दाता अभिकरण के समक्ष प्रस्तुत किया जा सके। केन्द्र सरकार द्वारा परियोजना प्रस्ताव का अनुमोदन विदेशी सहायता की उपलब्धता पर निर्भर करता है।

[अनुवाद]

भारतीय गैस प्राधिकरण लिमिटेड

677. श्री के॰पी॰ नायडू : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय गैस प्राधिकरण लिमिटेड के शेयर को अन्यत्र निवेश करने के संबंध में एशियाई विकास बैंक से क्या वचनबद्धता की गई है तथा अब तक कितना विनिवेश किया गया;

(ख) क्या सरकार का विचार वचनबद्धता को पूरा करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) वर्ष 1994 में एशियाई विकास बैंक से इस विषय में वचनबद्धता की गई थी कि सरकार दिसम्बर, 1996 तक गैस अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड के अंतर्गत अपनी धार्यता का 30 प्रतिशत विनिवेश करेगी। सरकारी धार्यताओं का 5 प्रतिशत जनवरी, 1995 में घरेलू निवेशकों को प्रस्तावित किया गया था तथा प्राप्त बोलियों के आधार पर समांशता का 3.67 प्रतिशत निवेशकों को बेचा गया था।

(ख) जी, हां।

(ग) विनिवेश आयोग की सिफारिशों के आधार पर सरकार ने गैस अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड के अंतर्गत 25 प्रतिशत समांशता तक के और भी विनिवेश को अनुमोदित कर दिया है। वर्तमान वित्तीय वर्ष के अंत तक इस प्रक्रिया के पूरा हो जाने की आशा की जाती है।

आंध्र प्रदेश में राजमार्ग परियोजनाओं के लिए विश्व बैंक ऋण

678. श्रीमती लक्ष्मी पनबाका :

डा॰ टी॰ सुब्बारामी रेड्डी :

क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक आंध्र प्रदेश में स्थापित की जाने वाली राज्य राजमार्ग परियोजनाओं के लिए केन्द्रीय सरकार को ऋण उपलब्ध कराने के लिए सहमत हो गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या आंध्र प्रदेश ने विश्व बैंक द्वारा उपलब्ध कराए जाने वाले प्रस्तावित ऋण से सड़कों के विकास के लिए कोई योजना तैयार की है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री टिंडिवनाम् जी॰ वेंकटरामन): (क) और (ख) जी हां।

(ग) योजना में राष्ट्रीय राजमार्गों के अति भीड़-भाड़ वाले खंडों की लगभग 1347 कि.मी. कुल लम्बाई को सुदृढ़ करना और चौड़ा करना शामिल है। परियोजना को तीन चरणों में पूरा करने की परिकल्पना की गई और इसको वर्ष 2002 तक पूरा करने का लक्ष्य है।

व्यक्तिगत विद्यार्थियों का परिणाम

679. श्री परसराम भारद्वाज :

श्री माणिक राव होडल्या गावीत :

श्री छीतू भाई गामीत :

क्या **मानव संसाधन** विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस वर्ष बारहवीं कक्षा की परीक्षा में सम्मिलित व्यक्तिगत विद्यार्थियों का परिणाम संतोषजनक नहीं था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या व्यक्तिगत विद्यार्थियों के प्रश्नपत्रों की जांच करते समय नियमित विद्यार्थियों की तुलना में पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाया जाता है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या असफल हुए विद्यार्थियों द्वारा प्रश्नपत्रों की पुनः जांच किए जाने की मांग पर केवल परीक्षार्थी द्वारा प्राप्त कुल अंकों की ही पुनः जांच करके औपचारिकता पूरी कर दी जाती है तथा व्यथित परीक्षार्थियों को पुनः जांच की गई कापियां नहीं दिखाई जाती;

(च) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार विद्यार्थियों की इस मांग पर विचार करने का है कि उन्हें सहानुभूति के आधार पर पुनः जांच की गई कापियों को दिखाया जाए; और

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुही राम सैकिया) : (क) और (ख) केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से प्राप्त सूचना के अनुसार बोर्ड द्वारा 1997 में संचालित कक्षा XII की परीक्षा में 26.68% प्राइवेट छात्र उत्तीर्ण हुए जबकि 1996 तथा 1995 में इनकी उत्तीर्णता प्रतिशत क्रमशः 27.49 और 25.94 थी।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने सूचित किया है कि यदि उम्मीदवार अंकों की फिर से जांच, समुचित समीक्षा के लिए आवेदन करते हैं तो ऐसे मामलों को बोर्ड के परीक्षा उप-नियमों के अनुसार निपटाया जाता है। बोर्ड के परीक्षा उप-नियमों के तहत उम्मीदवारों को उत्तर-पुस्तिका दिखाने का कोई प्रावधान नहीं है।

(च) और (छ) केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड उम्मीदवारों को उत्तर पुस्तिका दिखाने संबंधी मांग को स्वीकार कर लेने की बात को प्रशासनिक दृष्टि से व्यवहार्य नहीं मानता है।

आंध्र प्रदेश की सिंचाई परियोजनाएं

680. श्री सुब्रह्मण्यम नेलावाला :

डा॰ टी॰ सुब्बारामी रेड्डी :

क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वर्ष 1997-98 से वर्ष में कम से कम दो सिंचाई परियोजनाओं को पूरा करने के लिए सहमत हो गये हैं;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1997-98 के दौरान राज्य सरकार द्वारा कौन-सी पहली दो परियोजनाएं किये जाने का विचार है;

(ग) इन दो परियोजनाओं पर वास्तविक लागत क्या आयेगी;

(घ) क्या केन्द्र सरकार ने इन परियोजनाओं को पहले ही मंजूरी दे दी है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) क्या इन परियोजनाओं को पूरा करने के लिए कोई ठोस कार्यक्रम बनाया गया है?

जल संसाधन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शीश राम ओला): (क) आन्ध्र प्रदेश राज्य सरकार के अनुसार वहां के मुख्य मंत्री द्वारा ऐसी कोई वचनबद्धता नहीं की गई है कि वे वर्ष 1997-98 से आगे एक वर्ष में दो सिंचाई परियोजनाएं पूरी कर लेंगे।

(ख) से (च) प्रश्न नहीं उठते।

आंध्र प्रदेश में चार लेनों वाले एक्सप्रेस मार्ग

681. श्री आर॰ साम्बासिवा राव : क्या **जल-भूतल परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार चार लेनों के 2000 किलोमीटर लंबे एक्सप्रेस हाईवे का निर्माण करने के आंध्र प्रदेश सरकार के प्रस्ताव को मलेशिया की सरकार को भेजने पर सहमत हो गई है;

(ख) यदि हां, तो यह प्रस्ताव कब भेजा गया है;

(ग) क्या आंध्र प्रदेश के मुख्य मंत्री की मलेशिया यात्रा के दौरान मलेशिया सरकार राज्य में एक्सप्रेस मार्गों के विकास के लिए विशेषज्ञता उपलब्ध कराने पर सहमत हो गई है;

(घ) मलेशिया सरकार को भेजे गए प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) उसकी अनुमति कब तक प्राप्त हो जाने की संभावना है?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री टी॰जी॰ वेंकटरामन): (क) जी नहीं।

(ख), (घ) और (ङ) : प्रश्न नहीं उठते।

(ग) जी हां।

दिल्ली में एस॰के॰ओ॰/एल॰डी॰ओ॰ के वितरक

682. **श्री अशोक प्रधान :** क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री दिल्ली के एस के ओ/एल डी ओ के वितरकों के बारे में 26 फरवरी, 1997 के अतारांकित प्रश्न संख्या 645 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आज की तारीख के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली में एस के ओ/एल डी ओ वितरकों की संख्या के संबंध में जानकारी एकत्र की है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान इन एजेंसियों को आबंटित किये गये मिट्टी के तेल/हल्का डीजल तेल की मात्रा क्या है;

(ग) क्या भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा कम आबंटन के विषय में हाल ही में अनेक शिकायतें प्राप्त हुई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्यवाही की गई है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) से (घ) वांछित सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

नेशनल बुक ट्रस्ट में अनियमिततायें

683. **श्रीमती शीला गौतम :** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "नेशनल बुक ट्रस्ट" में पदोन्नति संबंधी मामलों में अनियमितताओं से संबंधित समाचार कुछ समाचार पत्रों में प्रकाशित हुए हैं,

(ख) यदि हां, तो कितने मामलों में अनियमिततायें बरती गयी हैं तथा क्या इन मामलों में विभागीय जांच कराई गई है;

(ग) यदि हां, तो ऐसे कितने मामले प्रकाश में आए हैं; और

(घ) क्या विभाग द्वारा इस प्रकार प्रभावित कर्मचारियों की पदोन्नति हेतु कोई कार्यवाही की जा रही है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुही राम सैकिया) : (क) जी हां।

(ख) से (घ) राष्ट्रीय पुस्तक न्यास में पदोन्नतियां, पदोन्नति के लिए निर्धारित भर्ती नियमों तथा प्रक्रिया के अनुसार विभागीय पदोन्नति समिति की सिफारिशों के आधार पर की जाती है।

[अनुवाद]

केरल राज्य काजू विकास निगम से रक्षा विभाग द्वारा की गयी खरीद

684. **श्री ए॰ सम्पत :** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को केरल सरकार से रक्षा आपूर्ति संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए केरल राज्य काजू विकास निगम लिमिटेड को आदेश दिए जाने के लिए अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा क्या कदम उठाया गया है?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एन॰वी॰एन॰ सोमू) : (क) और (ख) अभ्यावेदन प्राप्त होने पर राज्य सरकार से यह अनुरोध किया गया था कि केरल राज्य काजू विकास निगम को यह सलाह दी जाए कि वे एम जी ए एस सी, उत्तर कमान से सम्पर्क करके उनके विचारार्थ काजू की गिरी की दरें कोट करें, क्योंकि यह केन्द्रीय रूप से खरीदी जाने वाली मद नहीं है। एम जी ए एस सी को भी तदनुसार अनुदेश दिए गए थे लेकिन 28.1.1997 तथा 22.4.1997 को टेंडर सैट भेजने के बावजूद इस निगम से कोई जवाब नहीं मिला है।

[हिन्दी]

मिग लड़ाकू विमानों की टक्कर

685. **श्री सुशील चन्द्र :** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में कुल कितने मिग लड़ाकू विमान हैं तथा प्रत्येक मिग लड़ाकू विमान का क्या मूल्य है;

(ख) भारतीय वायुसेना के कुल कितने लड़ाकू विमान दुर्घटनाग्रस्त हुए, क्षतिग्रस्त हुए तथा इससे कुल कितनी वित्तीय क्षति उठानी पड़ी;

(ग) इन दुर्घटनाओं के क्या कारण हैं और क्या हमारे पायलट अन्य देशों के पायलट से कम प्रशिक्षित हैं; और

(घ) भारत में अन्य देशों की तुलना में वायु दुर्घटनाओं की औसत दर क्या है?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एन॰वी॰एन॰ सोमू) : (क) भारतीय वायुसेना की सेवा में इस समय मिग युद्धक वायुयानों के 9 रूपांतरण मौजूद हैं। तथापि, सुरक्षा की दृष्टि से इन वायुयानों की संख्या प्रकट करना वांछनीय नहीं समझा गया है। वर्ष 1997–98 के मूल्य स्तर पर विभिन्न मिग रूपांतरणों का मूल्य 8.34 करोड़ रुपए से लेकर 89.33 करोड़ रुपए तक है।

(ख) अप्रैल, 1993 तक 58 युद्धक वायुयान दुर्घटनाग्रस्त हुए और नष्ट हो गए। अनंतिम हानि विवरण के अनुसार इस अवधि में युद्धक वायुयानों की हानि के कारण हुई कुल हानि 612 करोड़ रुपए है।

(ग) इन दुर्घटनाओं के कारण हैं– तकनीकी खराबियां, मानव त्रुटि और पक्षियों का टकराना। भारतीय वायुसेना के पायलटों का प्रशिक्षण अन्य देशों के पायलटों के प्रशिक्षण से किसी भी रूप में निम्न स्तर का नहीं है।

(घ) दुर्घटनाओं की औसत दर की अन्य देशों की दर से तुलना करना संभव नहीं है क्योंकि अन्य देशों की दुर्घटनाओं की संख्या की सूची और उनके वायुयानों के उड़ान घंटों की संख्या उपलब्ध नहीं है।

घोटाला

686. श्री ललित उरांव : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार और अन्य राज्यों में अल्पसंख्यक समुदाय के कुछ शिक्षक और प्रबंधन कर्मचारी संघ लोक सेवा आयोग और बिहार लोक सेवा आयोग की कोचिंग की कक्षाओं के लिये विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा दी गई धनराशियों में घपला कर रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस दिशा में सरकार का क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुही राम सैकिया) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों को आरक्षण

687. श्री बादल चौधरी : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) शिक्षण संस्थाओं में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण उपलब्ध न कराने के क्या कारण हैं;

(ख) शिक्षण पद का न्यूनतम ग्रेड जिसमें आरक्षण लागू है कौन–सा है; और

(ग) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों में 1974–75 से अनु॰जा॰/अनु॰ज॰जा॰ के लिए आरक्षण नीति को लागू न करने के क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुही राम सैकिया) : (क) और (ख) अधिकांश केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के अध्यादेशों में व्याख्याता के स्तर पर नियुक्ति के मामले में अ.जा./अ.ज.जा. के उम्मीदवारों के लिए आरक्षण का प्रावधान है। जहां तक भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों का संबंध है, पदों को शैक्षिक, तकनीकी, प्रशासनिक और अन्य श्रेणियों में बांटा जाता है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों में शैक्षिक श्रेणियों में वैज्ञानिक अधिकारी (ग्रेड II), अनुसंधान इंजीनियर (ग्रेड II), सिस्टम प्रोग्रामर (ग्रेड II), तथा सहायक कार्यशाला अधीक्षक के पदों में अ.जा./अ.ज.जा. के उम्मीदवारों को आरक्षण दिया जाता है। जहां तक नवोदय विद्यालयों तथा केन्द्रीय विद्यालयों में शिक्षण पदों का संबंध है, अ.जा./अ.ज.जा. के उम्मीदवारों को आरक्षण उपलब्ध है।

(ग) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों में शैक्षिक श्रेणियों के सबसे निचले स्तरों के पदों के मामले में अ.जा./अ.ज.जा. के उम्मीदवारों के लिए आरक्षण है।

लेखा परीक्षा पैरा

688. श्री जय प्रकाश (हरदोई) : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक से गत तीन वर्षों के दौरान 1997 सहित अब तक मुख्य प्रशासनिक अधिकारी और संयुक्त सचिव (रक्षा मंत्रालय) के कार्यालय से संबंधित कितने लेखा परीक्षा पैरा प्राप्त हुए हैं;

(ख) लेखा परीक्षा पैराओं का ब्यौरा क्या है; और

(ग) प्रत्येक लेखा परीक्षा पैराओं पर क्या कार्रवाई की गई है?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एन॰वी॰एन॰ सोमू) : (क) शून्य

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

युद्ध पीड़ितों की शिकायतों का निवारण

689. चौधरी रामचन्द्र बैंदा : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 12 मई, 1997 के "दैनिक जागरण" में प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है जिसमें कहा गया है कि युद्ध पीड़ितों की शिकायतों संबंधी भारतीय कानून पर्याप्त नहीं है और उन्हें अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार कानून के अनुसार संशोधित किए जाने की आवश्यकता है;

(ख) यदि हां, तो इन कानूनों की कमियों का ब्यौरा क्या है;

(ग) इन कानूनों में संशोधन के लिए दिए गए सुझावों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एन॰वी॰एन॰ सोमू) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) शिकायतों को दूर करने के लिए वर्तमान व्यवस्था संतोषजनक समझी गई है। फिलहाल उसमें किसी तरह का परिवर्तन किए जाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

करीमगंज स्टीमर स्टेशन

690. श्री द्वारका नाथ दास : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि असम के करीमगंज जिले में करीमगंज स्टीमर स्टेशन को मंत्रालय द्वारा लाखों रुपये खर्च करके संवर्द्धित किया गया है लेकिन यह सब बांग्लादेश से होकर आने वाली कुशियारा नदी के जलमार्ग के कार्य न करने के कारण व्यर्थ रहा; और

(ख) क्या सरकार का विचार बांग्लादेश के साथ कोइं ऐसा समझौता करने का है जिससे पूर्वोत्तर क्षेत्र के लोगों को सुविधा के लिए कार्गो सहित छोटे-छोटे जहाज बांग्लादेश से आने वाली कुशियारा नदी से आ जा सकें?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री टिंडिवनाम् जी॰ वेंकटरामन): (क) बांग्लादेश से होकर कलकत्ता और करीमगंज के बीच का नदी मार्ग प्रतिवर्ष मई से अक्तूबर तक प्रचालन में रहता है तथा पर्याप्त डूबाव की कमी के कारण वर्ष के शेष महीनों में बंद रहता है।

(ख) बांग्लादेश के साथ अंतर्देशीय जल पारगमन एवं व्यापार संबंधी विद्यमान संधि के अंतर्गत बांग्लादेश से होकर कलकत्ता से करीमगंज तक कुशियारा नदी में के.अ.ज.परि.नि. के जलयानों के प्रचालन का प्रावधान है।

पर्यटन को बढ़ावा देने के लिये धनराशि का आबंटन

691. श्री समीक लाहिड़ी :
श्री टी॰ गोविन्दन :
श्री एन॰एन॰ कृष्णादास :
श्री आई॰बी॰ राई :

क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान देश में पर्यटन के विकास के लिये केन्द्र सरकार द्वारा राज्यवार और वर्षवार कुल कितनी धनराशि आबंटित की गई है; और

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान केरल सरकार ने स्वीकृत राशि में से कितनी राशि व्यय की है?

पर्यटन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री श्रीकान्त जेना) : (क) पर्यटन विभाग, प्रत्येक वर्ष राज्य सरकारों से प्राप्त विशिष्ट प्रस्तावों के आधार पर केन्द्रीय वित्तीय सहायता प्रदान करता है और कोई संभावित आबंटन नहीं किया जाता। आठवीं पंचवर्षीय योजना के प्रत्येक वर्ष के दौरान राज्य सरकारों को विभिन्न पर्यटन परियोजनाओं के लिए केन्द्रीय पर्यटन विभाग द्वारा स्वीकृत की गई राशि संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत सरकार के पर्यटन विभाग ने केरल राज्य सरकार को पर्यटन परियोजनाओं के लिए 1014.87 लाख रुपयों की राशि स्वीकृत की और 402.91 लाख रुपयों की राशि रिलीज की। राशि, परियोजनाओं की वास्तविक प्रगति और उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने के आधार पर प्रदान की जाती है।

विवरण

आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान राज्य सरकारों के लिए केन्द्रीय पर्यटन विभाग द्वारा स्वीकृत राशि

क्रम सं.	राज्य	1992-93	1993-94	1994-95	1995-96	1996-97
1	2	3	4	5	6	7
1.	आन्ध्र प्रदेश	8.75	114.28	174.64	13.46	125.50
2.	अरूणाचल प्रदेश	55.62	45.40	-	52.26	2.00
3.	असम	82.54	78.11	52.99	70.24	153.46
4.	बिहार	54.31	53.61	112.12	115.84	44.00
5.	गोवा	42.71	78.82	161.32	221.55	94.56
6.	गुजरात	20.90	58.30	21.19	7.98	82.21

1	2	3	4	5	6	7
7.	हरियाणा	113.97	171.97	188.96	126.91	146.23
8.	हिमाचल प्रदेश	108.10	463.42	356.85	485.91	196.93
9.	जम्मू और कश्मीर	152.83	225.60	215.98	99.09	88.47
10.	कर्नाटक	184.66	177.44	229.96	229.36	353.29
11.	केरल	128.89	133.40	307.05	209.94	235.59
12.	मध्य प्रदेश	39.07	32.42	9.32	–	–
13.	महाराष्ट्र	201.30	309.11	273.46	130.00	187.69
14.	मणिपुर	66.24	45.50	4.00	75.81	51.90
15.	मेघालय	15.62	1.85	–	4.08	88.81
16.	मिजोरम	47.70	88.18	111.80	100.86	107.18
17.	नागालैंड	17.85	16.66	36.43	51.60	100.62
18.	उड़ीसा	72.37	101.52	166.31	108.86	324.22
19.	पंजाब	135.83	186.67	136.71	139.49	29.67
20.	राजस्थान	147.16	287.94	638.40	230.75	69.71
21.	सिक्किम	49.12	130.89	49.07	29.61	63.10
22.	तमिलनाडु	107.41	402.44	184.79	250.11	190.20
23.	त्रिपुरा	85.84	15.07	46.61	26.19	104.85
24.	उत्तर प्रदेश	110.93	137.45	223.80	31.10	271.96
25.	पश्चिम बंगाल	100.77	181.42	144.01	191.10	39.00
26.	अण्डमान और निकोबार	93.50	53.47	–	45.00	2.00
27.	चण्डीगढ़	13.70	18.66	64.66	17.20	3.00
28.	दादरा और नागर हवेली	–	–	23.62	–	84.66
29.	दमन और दीव	28.50	12.03	42.31	48.21	15.00
30.	दिल्ली	58.86	156.39	86.50	28.23	7.25
31.	लक्षद्वीप	–	–	19.95	24.65	123.81
32.	पांडिचेरी	–	29.75	–	28.12	4.00

के॰एस॰आई॰ई॰ से एयर कार्गो परिसर का अधिग्रहण करना

692. श्री टी॰ गोविन्दन : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार केरल सरकार के इस अनुरोध पर विचार कर रही है कि केरल राज्य औद्योगिक उद्यम लिमिटेड से एयर कार्गो परिसर अधिग्रहित नहीं किया जाए और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण कालीकट को 2000 वर्ग फुट क्षेत्र में दे दिया जाए ताकि उसका कार्गो के रखरखाव के उद्देश्य से नवीकरण किया जा सके; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्री (श्री सी॰एम॰ इब्राहीम) : (क) और (ख) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण का कालीकट हवाई अड्डे से 30 किलोमीटर पर स्थित केरल राज्य औद्योगिक उद्यम लिमिटेड की कार्गो हैंडलिंग सुविधाओं को अपने हाथ में लेने का कोई इरादा नहीं है। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण कार्गो काम्प्लैक्स का प्रबंध देखेगा जिसे कालीकट हवाई अड्डे पर विकसित किया जा रहा है।

एल.पी.जी. कनेक्शन

693. **श्री ए॰जी॰एस॰ रामबाबू : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिलनाडु में सभी गांवों में एल.पी.जी. कनेक्शन दे दिये गये हैं;

(ख) यदि हां, तो अब तक कितने गांवों में एल.पी.जी. कनेक्शन दिये गये हैं;

(ग) यदि नहीं, तो तमिलनाडु में कितने गांवों में एल.पी.जी. कनेक्शन नहीं दिये गये हैं; और

(घ) इसके क्या कारण हैं तथा उन गांवों में कब तक एल.पी.जी. कनेक्शन दिये जाने की संभावना है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) और (ख) जी नहीं। वर्तमान में एल.पी.जी. डिस्ट्रीब्यूटर तमिलनाडु में 91 बाजारों में उपभोक्ताओं की मांग पूरी कर रहे हैं। इन बाजारों में कस्बे/शहर अथवा शहरी भाग शामिल हैं, जिनमें ऐसे छोटे गांव शामिल हो सकते हैं, जो शहरी भागों और/अथवा इसके शहरी क्षेत्रों का भाग होते हैं।

इंडियन आयल कारपोरेशन ने तमिलनाडु में 18.5.97 से एक ग्रामीण सचल वाहन की शुरूआत की है। यह वाहन उसी जगह पर एल.पी.जी. सिलेंडर भर देता है और ग्रहकों को सौंप देता है। यह वाहन केवल ग्रामीण क्षेत्रों में ही एल.पी.जी. के विपणन के लिए बनाया गया है। फिलहाल तमिलनाडु में इन दो गांवों की मांग इस वाहन द्वारा पूरी की जा रही है:

	गांव	जिला
1.	थिरूकुवलई	नागपट्टिणम
2.	भापिलेनेकेनपट्टी	तंजावुर

ग्रामीण सचल वाहन से तमिलनाडु में निम्नलिखित पांच अतिरिक्त गांवों को भी अपनी सेवा उपलब्ध करानी होती है :

	गांव	जिला
1.	मरियाम्मन कोइल	तंजावुर
2.	नाडु कावेरी	तंजावुर
3.	मेलात्तुर	तंजावुर
4.	अगराकंदबनूर	नागपट्टणम
5.	प्रथमरामपुरम	नागपट्टिणम

(ग) और (घ) एल.पी.जी. डिस्ट्रीब्यूटरशिपें केवल ऐसे बाजारों में स्थापित की जाती है, जो आर्थिक रूप से व्यवहार्य डिस्ट्रीब्यूटरशिप उपलब्ध कराते हैं। वर्तमान में 1991 की जनगणना के अनुसार 20,000 से अधिक की जनसंख्या वाले कस्बों/बाजारों को देश में एल.पी.जी. डिस्ट्रीब्यूटरशिप के लिए सम्मिलित कर लिया गया है। तथापि, तैयार की जा रही 1996-98 की नई विपणन योजना में, एल.पी.जी. डिस्ट्रीब्यूटरशिपें खोलने के लिए 15 किलोमीटर के दायरे में आने वाले गांवों सहित 10,000 या इससे अधिक की जनसंख्या वाले सभी कस्बों और बड़े कस्बों के समीप वाले कतिपय ग्रामीण क्षेत्रों को शामिल किया जा रहा है।

स्वर्ण जयंती समारोह

694. **श्री सुलतान सलाउद्दीन ओवेसी : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 27 जनवरी, 1997 के "इंडियन एक्सप्रेस" में "यू॰के॰ आउटशाइंस इंडिया इन गोल्डन जुबिली सेली-ब्रेशन्स आन इंडिपेन्डेन्स" शीर्षक के अंतर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) इस संबंध में क्या कदम उठाए गए है?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री एस॰आर॰ बोम्मई) : (क) जी, हां।

(ख) विश्व के कतिपय अन्य देशों से भिन्न, जहां भारत की स्वतंत्रता की 50वीं वर्षगांठ के दौरान स्मरणोत्सव संबंधी कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं, भारत में 50वीं वर्षगांठ संबंधी स्वतंत्रता के 50 वर्ष पूरे होने पर प्रारंभ किए जाएंगे अर्थात् 15 अगस्त, 1997 से लेकर 15 अगस्त, 1998 तक।

(ग) कार्यक्रमों को दिशा-निर्देशित, संचालित और निदेशित करने के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय समिति की स्थापना की गई है। अनुमोदनों और निकासियों के संबंध में शीघ्र कार्रवाई को सुकर बनाने तथा स्मरणोत्सव संबंधी कार्यक्रमों का कार्यान्वयन यथा समय सुनिश्चित करने के लिए गृह मंत्री की अध्यक्षता में एक मंत्रिमंडल समिति का गठन किया गया है। स्मरणोत्सव संबंधी कार्यक्रमों को परिकल्पित और तैयार करने तथा कार्यान्वयन को देखने के लिए मानव संसाधन विकास मंत्री की अध्यक्षता में एक कार्यान्वयन समिति का भी गठन किया गया है। इन तीनों समितियों की सहायता करने तथा 50वीं वर्षगांठ से संबंधित विभिन्न कार्यक्रमों और गतिविधियों को आयोजित और समन्वित करने के लिए एक अपर सचिव की अध्यक्षता में 88 पदों की कुल संख्या वाले एक सचिवालय को सृजित किया गया है।

समारोह संबंधी कार्यक्रमों को मोटे तौर पर निम्नलिखित तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है :-

(i) समारोहिक कार्यक्रम

(ii) महत्वपूर्ण कार्यक्रम, और

(iii) सांस्कृतिक और बौद्धिक आदान-प्रदान/प्रस्तुतियां

वर्ष भर चलने वाले समारोहों का फोकस स्वतंत्रता संग्राम की भावना एवं मूल्यों को पुनर्प्रज्वलित करने पर होगा। इन कार्यक्रमों में अर्थपूर्ण तरीके से जन सामान्य की भागीदारी सुनिश्चित करने के प्रयास किया जा रहे हैं। कार्यक्रमों और समारोहों की परिकल्पना समाज के सभी वर्गों को ध्यान में रख कर और इस बोध के साथ की जा रही है कि भारत की सांस्कृतिक विविधता और संपूर्ण निरन्तरता इसकी एक प्रमुख शक्ति है।

अगस्त, 1997 से आयोजित किए जा रहे कार्यक्रम निम्नलिखित हैं :-

1. मुम्बई में "अगस्त क्रांति मैदान" में 9 अगस्त, 1997 को प्रारंभिक समारोह।
2. राजपथ, नई दिल्ली में 14 अगस्त, 1997 को राष्ट्र के बढ़ते कदम (मार्च आफ द नेशन)
3. दिनांक 14 अगस्त, 1997 की मध्य रात्रि में संसद के केन्द्रीय कक्ष में भारत की स्वतंत्रता की स्वर्ण जयंती का स्मरणोत्सव कार्यक्रम।
4. दिनांक 15 अगस्त, 1997 को स्वतंत्रता दिवस संबंधी समारोह देश भर में उपयुक्त तरीके से मनाया जाएगा।

भारत सरकार के अधीन मंत्रालय/विभाग, राज्य सरकारें और संघ राज्य क्षेत्र तथा विदेशों में भारतीय मिशन वर्ष के दौरान अपने कार्यक्रम आयोजित करेंगे।

कार्यक्रमों का एक राष्ट्रीय कैलेन्डर तैयार किया जा रहा है जिसमें वर्ष भर चलने वाले समारोहों कि लिए गतिविधियों और कार्यक्रमों को शामिल किया गया है।

स्वीकृति हेतु परियोजनाएं

695. डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी :
श्री येल्लैया नंदी :

क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने स्वीकृत प्रमुख परियोजनाओं राज्य सरकार को संशोधन के लिए लौटायी गई परियोजनाओं और स्वीकृति हेतु लंबित की संख्या के बारे में आन्ध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री को एक विस्तृत रिपोर्ट दी है;

(ख) यदि हां, तो स्वीकृति के लिए लम्बित कितनी परियोजनाओं को स्वीकृति दी गयी, कितनी परियोजनाएं राज्य को लौटा दी गई;

(ग) क्या संशोधन के लिए राज्य सरकार को लौटायी गयी परियोजनाएं केन्द्र सरकार को पुनः प्राप्त हो गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) यदि हां, तो वम्सधारा द्वितीय चरण की परियोजना स्वीकृति कहीं दी जा सकी चूंकि आन्ध्र प्रदेश सरकार उड़ीसा राज्य के साथ अन्तरराज्यीय मुद्दों को हल करने में विफल रही है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) केन्द्र सरकार द्वारा राज्य को भेजी गई सभी लम्बित परियोजनाओं को वापस लौटाने के लिए राज्य सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं?

जल संसाधन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शीश राम ओला): (क) और (ख) जी, हां। 19 वृहद परियोजनाओं में से 6 परियोजनाएं कुछ शर्तों के अधीन तकनीकी सलाहकार समिति द्वारा स्वीकार्य पाई जा चुकी हैं, 11 परियोजनाएं संशोधित परियोजना रिपोर्टें प्रस्तुत करने के लिए आन्ध्र प्रदेश सरकार को लौटाई गई हैं और दो परियोजनाओं पर राज्य सरकार के साथ पत्राचार चल रहा है।

(ग) और (घ) एक परियोजना के संबंध में संशोधित रिपोर्ट प्राप्त हुई है। केन्द्रीय जल आयोग की टिप्पणियों के आधार पर संशोधित रिपोर्ट प्रस्तुत करना राज्य सरकार पर निर्भर करता है।

(ङ) और (च) आन्ध्र प्रदेश राज्य सरकार बम्सधारा चरण II परियोजना के संबंध में उड़ीसा सरकार के साथ अन्तर्राज्यीय मुद्दों को हल करने में असफल रही है।

(छ) केन्द्रीय जल आयोग की टिप्पणियों की अनुपालना करने के बाद संशोधित रिपोर्ट राज्य सरकार ने प्रस्तुत करनी होती है। केन्द्रीय सरकार इस संबंध में अपेक्षित किसी भी प्रकार की तकनीकी सहायता देने को तैयार है।

हवाई सुरक्षा नेटवर्क का आधुनिकीकरण

696. श्री संदीपान थोराट : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा देश में हवाई सुरक्षा नेटवर्क के आधुनिकीकरण और इन्हें अद्यतन बनाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं;

(ख) इस संबंध में आरंभ की गई परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) कुछ परियोजनाओं को पूरा किए जाने में विलंब के क्या कारण हैं और त्रुटिपूर्ण कार्यान्वयन/विलंब जिसके परिणामस्वरूप लागत में वृद्धि हुई है के लिए उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है; और

(घ) विशेषकर महाराष्ट्र में, चालू और नई परियोजनाओं संबंधी कार्ययोजना का ब्यौरा क्या है और चालू बर्ष के दौरान इन परियोजनाओं के लिए कितनी धनराशि प्रदान की गयी है?

नागर विमानन मंत्री (श्री सी॰एम॰ इब्राहीम) : (क) दिल्ली तथा मुम्बई में विमान यातायात सेवा प्रणाली के आधुनिकीकरण के

अतिरिक्त मद्रास, कलकत्ता, त्रिवेन्द्रम, हैदराबाद, अहमदाबाद, गुवाहाटी, नागपुर, वाराणसी तथा भुवनेश्वर में गौण निगरानी राडारों के संस्थापन द्वारा दिक्चालन तथा निगरानी प्रणालियों का स्तरोन्नयन किया जा रहा है। उपर्युक्त में से, गुवाहाटी, त्रिवेन्द्रम तथा हैदराबाद में राडार संस्थापित कर लिए गए हैं तथा चेन्नई, कलकत्ता तथा अहमदाबाद में संस्थापनाधीन हैं।

(ख) जहां तक दिल्ली तथा मुम्बई हवाई अड्डों के आधुनिकीकरण का संबंध है, दिल्ली हवाई अड्डे पर सिस्टम साइट एक्सेपटेंस टैस्ट पूरा कर लिया गया है तथा प्रचालनात्मक जांच जारी है। मुम्बई में प्रणाली के अक्तूबर, 1997 तक प्रचालनात्मक जांच हेतु तैयार हो जाने की संभावना है।

(ग) परियोजना के पूरा होने में विलंब के कारण निम्न प्रकार हैं :-

(1) वर्ष, 1993 तथा 94 के दौरान असाधारण वर्षा जिसके कारण सिविल निर्माण कार्य प्रभावित हुआ,

(2) कार्य के क्षेत्र में परिवर्तन।

(3) संघटकों के प्रतिस्थापन में विलंब जो संस्थापन के दौरान सेवा योग्य नहीं रहे,

(4) विशिष्टताओं को पूरा करने के लिए ठेकेदार द्वारा परिवर्धन किये जाने थे,

(5) सीमा-शुल्क तथा आयात लाइसेंस क्लीयरेंस प्राप्त करने में कार्यविधिक विलंब।

(घ) जैसा कि ऊपर बताया गया है, मुम्बई में आधुनिकीकरण विमान यातायात सेवा प्रणाली अक्तूबर, 1997 तक प्रचालनात्मक हो जाएगी तथा मुम्बई हवाई अड्डे के लिए परियांजना की कुल लागत 212 करोड रुपए है।

पद्मा नदी में कटाव

697. श्री सनत कुमार मंडल : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार इससे परिचित है कि बांग्लादेश को जाने वाली पद्मा नदी जो आंशिक रूप से पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले से गुजरती है, राज्य में खतरे की सूचना दे रही है;

(ख) क्या हाल ही में नदी तल में देखी गई कटाव की विनाशकारी प्रवृत्ति गंगा में भी हो सकती है विशेषरूप से तब जब कि पद्मा तथा गंगा के बीच केवल 2 किलो मीटर की दूरी है; और

(ग) यदि हां, तो केन्द्र सरकार द्वारा पश्चिम बंगाल सरकार को पद्मा नदी के लगातार कटाव को रोकने के लिए क्या तकनीकी और अन्य सहायता दी जायेगी?

जल संसाधन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शीश राम ओला): (क) जी हां। बंगलादेश में बहने वाली पद्मा/गंगा नदी अधिक बाढ़ के दौरान आंशिक रूप से मुर्शिदाबाद जिले से होकर गुजरती है और नुकसान पहुंचाती है।

(ख) और (ग) योजना आयोग ने हाल ही में पश्चिम बंगाल में गंगा/पद्मा नदी की कटाव समस्याओं का अध्ययन करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति गठित की है ताकि उपयुक्त उपाय किए जा सकें। इस समिति ने सिफारिशों सहित अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। समिति ने फाजिलपुर के निकट गंगा/पदमा नदी के कटाव की इस समस्या पर भी विचार किया है जहां पदमा नदी और भागीरथी के बीच फासला बहुत कम रह जाता है, और पद्मा नदी में कटाव को रोकने के लिए उपयुक्त उपाय करने का सुझाव दिया है।

[हिन्दी]

मोरारजी देसाई की जन्म शताब्दी

698. वैद्य दाऊ दयाल जोशी : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्री मोरारजी देसाई की जन्म शताब्दी के अवसर पर केन्द्र सरकार द्वारा कुछ योजनाओं की घोषणा की गई थी;

(ख) यदि हां, तो क्या दिल्ली में प्राकृतिक चिकित्सा और योग महाविद्यालय स्थापित किए जाने की कोई घोषणा की गई थी और यदि हां, तो इस संबंध में अब तक क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) क्या नौंवी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत इस प्रयोजनार्थ कोई धनराशि स्वीकृत नहीं की गई है और यदि हां, तो क्या-क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री एस॰आर॰ बोम्मई) : (क) जी, हां।

(ख) मोरारजी देसाई के जन्म शताब्दी समारोह संबंधी राष्ट्रीय समिति के आदेश पर स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (भारतीय चिकित्सा पद्धति और होमियोपैथी विभाग) ने राष्ट्रीय योग संस्थान का नाम बदलकर मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान करने का निर्णय लिया है। सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 की धारा 12 के अनुसार इस निर्णय की राष्ट्रीय योग संस्थान के सामान्य निकाय द्वारा दिनांक 15.4.1997 को हुई अपनी बैठक में इस बात की पुष्टि भी की गयी है। प्रस्तावित मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान योग और प्राकृतिक चिकित्सा का एक डिग्री कालेज चलाएगा। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय प्रस्तावित मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान पर एक परियोजना रिपोर्ट पर पहले से ही कार्य कर रहा है ताकि नवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इसे चालू किया जा सके।

(ग) नौवीं पंचवर्षीय योजना के प्रथम वर्ष के दौरान योजनागत के अधीन प्रस्तावित संस्थान के लिए 50.00 लाख रुपये की राशि प्रदान की गयी है।

[अनुवाद]

मध्याह्न भोजन योजना का सही तरीके से कार्य न करना

699. श्री आई॰डी॰ स्वामी : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री मध्याह्न भोजन योजना का सही तरीके से कार्य न करना के बारे में 14 मार्च, 1997 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3454 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस संबंध में जानकारी एकत्रित कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुही राम सैकिया) : (क) से (ग) उड़ीसा सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार, उड़ीसा विधान सभा (1996-97) की लोक लेखा समिति ने अपने 35वें प्रतिवेदन में चर्चा की थी तथा इस राज्य में मध्याह्न भोजन कार्यक्रम के कार्यान्वयन के बारे में कुछ मुददों को उठाया था। इस संबंध में समाचार प्राप्त हुआ है कि यह मामला अभी भी उड़ीसा सरकार के विस्तृत छान-बीन तथा जांच के अधीन हैं। "मोनेको किस्म" के नमकीन बिस्कुटों की आपूर्ति के लिए दिल्ली नगर निगम द्वारा आमंत्रित किए गए टेंडरों के संबंध में, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार ने सूचित किया है कि निगम ने नमकीन बिस्कुटों (मोनेको किस्म) की खरीद अनुमोदित शर्तों के अनुसार ही की थी।

सिंचाई क्षमता

700. श्री सौम्य रंजन : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1995-96 तथा 1996-97 के दौरान उड़ीसा में कुल कितनी सिंचाई क्षमता सृजित हुई है;

(ख) क्या सरकार का विचार सिंचाई क्षमता बढ़ाने के लिए राज्य में कुछ नई सिंचाई परियोजनाएं शुरू करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा आगामी दो वर्षों के दौरान कितनी क्षमता बढ़ाने की संभावना है?

जल संसाधन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शीश राम ओला): (क) वर्ष 1995-96 और वर्ष 1996-97 के दौरान उड़ीसा में सृजित की जाने वाली सम्भावित सिंचाई क्षमता का ब्यौरा इस प्रकार है:-

सिंचाई क्षमता हजार हेक्टेयर में

वर्ष	वृहद एवं मध्यम	लघु सिंचाई	कुल
1995-96 (अनन्तिम)	44.14	83.16	127.30
1996-97 (लक्ष्य)	181.31	55.00	236.31
कुल	225.45	138.16	363.61

(ख) जी हां।

(ग) नौवीं पंचवर्षीय योजना (1997-2002) के दौरान छः वृहद सिंचाई परियोजनाएं तथा चार मध्यम परियोजनाएं और चार विस्तार नवीकरण और आधुनिकीकरण परियोजनाओं को शुरू किए जाने का प्रस्ताव है। इन परियोजनाओं के पूरा हो जाने पर लगभग 287.11 हजार हेक्टेयर की अतिरिक्त सिंचाई क्षमता सृजित हो जाने की संभावना है।

मुख्यालय के कर्मचारियों को कैन्टीन की सुविधाएं

701. श्री जंग बहादुर सिंह पटेल : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संचार, रेल आदि जैसे मंत्रालय सेवानिवृत्ति के पश्चात् अपने कर्मचारियों को एस॰टी॰डी॰/आई॰एस॰डी॰/पी॰सी॰ओ॰ बूथ तथा मुफ्त रेल पास के आबंटन में वरीयता देते हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या इनका मंत्रालय भी सशस्त्र सेना मुख्यालय से सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को कैन्टीन सुविधाएं प्रदान करता है;

(ग) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सेवानिवृत्ति पर अपने कर्मचारियों को कैन्टीन सुविधाएं देने के लिए उनके मंत्रालय द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं/उठाये जाने का विचार है?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एन॰वी॰एन॰ सोमू) : (क) से (घ) कैंटीन स्टोर विभाग की स्थापना मुख्यतः रक्षा सैन्य कार्मिकों के हित के लिए की गई है और रक्षा सिविलियन कर्मचारियों की कुछ श्रेणियों को भी यह सुविधा देना प्रासंगिक है। चूंकि ऐसे सिविलियन कर्मचारियों की सेवा शर्तें रक्षा सैन्य कार्मिकों से बिल्कुल भिन्न है इसलिए सशस्त्र सेना मुख्यालय से सेवानिवृत्त होने वाले सिविलियन कर्मचारियों को यह सुविधा देना आवश्यक नहीं समझा गया है। कर संबंधी रियायतों और इस सुविधा को देने में होने वाले आधारभूत ढांचे संबंधी अतिरिक्त व्यय को ध्यान में रखते हुए भी इसे उचित नहीं माना जा सकता। अतः सेवानिवृत्त सिविलियन रक्षा कर्मचारियों को ऐसी सुविधाएं देने हेतु फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है।

लड़ाकू विमानों की कमी

702. श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय वायुसेना में लड़ाकू विमानों की कमी है;

(ख) यदि हां, तो विमान मारक क्षमता को बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गये हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार खामियों से परिपूर्ण सुखोई (रूसी) विमान के संबंध में सौदा करने का है जो किसी भी प्रकार से हमारी वायुसेना की लड़ाकू इकाई को किसी भी प्रकार से सुदृढ़ता प्रदान नहीं कर पाएगा; और

(घ) यदि हां, तो विमान की मूल तकनीकी खामियों का ब्यौरा क्या है तथा सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक उपाय किये गये हैं?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एन॰वी॰एन॰ सोमू) : (क) और (ख) लड़ाकू वायुयानों की संख्या की समीक्षा उनकी प्रहार क्षमता को ध्यान में रखते हुए की जाती है। अतः इन वायुयानों की संख्या से उनकी प्रहार क्षमता का पता चल पाना आवश्यक नहीं है। वर्तमान और भावी खतरों को ध्यान में रखते हुए भारतीय वायुसेना के वायुयानों की प्रहार क्षमता बनाए रखने और उसमें वृद्धि करने के उद्देश्य से भारतीय वायुसेना को आधुनिक/सुदृढ़ बनाने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। इनमें कतिपय मौजूदा वायुयानों/शस्त्र प्रणालियों का उनकी उपयोगिता अवधि के मध्य में उन्नयन, अतिरिक्त हवाई रक्षा/उत्कृष्ट श्रेणी के वायुयानों को खरीदा जाना और बहुभूमिका वाले अत्याधुनिक वायुयानों को सेवा में लाया जाना शामिल है। भारतीय वायुसेना के इलेक्ट्रॉनिक युद्ध शस्त्रों की क्षमता बढ़ाने तथा परिशुद्धता वाली निर्देशित युद्ध-सामग्री की व्यवस्था करने के लिए भी कदम उठाए गए है ताकि इन वायुयानों की अचूक एवं घातक प्रहार क्षमता बढ़ाई जा सके। भारतीय वायुसेना के लड़ाकू वायुयानों और हमलावार हेलिकाप्टरों को भी रात में हमला करने योग्य बनाया जा रहा है ताकि दिन में और रात के समय हवाई हमला करने के लिए उन्हें इस्तेमाल किया जा सके।

(ग) बहुभूमिका वाले सुखोई-30 अत्याधुनिक वायुयान को औपचारिक रूप से भारतीय वायुसेना में पहले ही शामिल किया जा चुका है। इसमें कोई कमी नहीं है।

(घ) नव्यतम वैमानिकी से लैस यह वायुयान विश्व में उपलब्ध अपनी श्रेणी के उत्कृष्ट वायुयानों में से एक है।

राष्ट्रीय राजमार्ग संबंधी परियोजनाएं

703. **श्री विजय संकेश्वर :** क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्य-वार बाईपास का निर्माण सड़कों का दोहरीकरण एक्सप्रेस राजमार्गों आदि का निर्माण जैसी राष्ट्रीय राजमार्गों संबंधी चालू परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) इन परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है जो राज्य-वार पांच वर्षों से भी अधिक समय से लम्बित हैं;

(ग) इनके विलम्ब के क्या कारण हैं;

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है;

(ङ) क्या इन परियोजनाओं के अंतर्गत स्वीकृत की गई कोई धनराशि अन्य स्थानों के लिए प्रयुक्त/स्थानांतारित की गई है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री टिंडिवनाम् जी॰ वेंकटरामन): (क) राज्य-वार ब्यौरे संलग्न विवरण-I में दिए गए हैं।

(ख) राज्य-वार ब्यौरे संलग्न विवरण-II में दिए गए हैं।

(ग) विलम्ब के कारणों में भूमि अधिग्रहण करने में विलम्ब/कठिनाई, उपयोगी सुविधाओं को हटाने में विलम्ब, जिसमें अनेक विभाग शामिल होते हैं, अधूरी जांच के कुछ मामले और डिजाइन बनाने में विलम्ब, स्थल की स्थिति के कारण स्वरूप में परिवर्तन, बाढ़, ठेका संबंधी समस्याएं, श्रमिक समस्याएं, कानूनी विवाद, न्यायालय द्वारा दिए गए स्थगन आदेश और निधियों की कमी इत्यादि शामिल हैं।

(घ) भावी परियोजनाओं में विलम्ब को कम करने के लिए अनेक उपाय किए गए हैं। जैसे,

(i) व्यवहार्यता अध्ययन और विस्तृत इंजीनियरी रिपोर्टें परामर्शदाताओं द्वारा तैयार की जाती हैं ताकि स्थल की समुचित जांच की जा सके और कार्यान्वयन के दौरान मात्रा में न्यूनतम फेरबदल हो।

(ii) परियोजनाएं भूमि अधिग्रहण के बाद ही शुरू की जाती हैं।

(iii) बड़ी परियोजनाओं के लिए ठेका देने से पहले ठेकेदारों की पूर्व-अर्हता देखी जाती है।

(iv) मुख्य परियोजनाओं के मामले में, उपयोगी सुविधाओं के हटाए जाने के बाद ही उनके बारे में निवेश निर्णय लिया जाता है।

(ङ) चूंकि, संस्वीकृत कार्यों पर सम्पूर्ण व्यय की केवल प्रतिपूर्ति की जाती है, अतः निधियों के विपथन का प्रश्न नहीं उठता।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण-I

चालू राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की संख्या दर्शाने वाली राज्य-वार सूची

क्रम सं॰	राज्य का नाम	इकहरी लेन को 2-लेन बनाना संख्या	दो लेन को 4-लेन का बनाया जाना संख्या	एक्सप्रैस मार्ग संख्या	बाइपास संख्या
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	3	-	--	-
2.	अरूणाचल प्रदेश	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6
3.	असम	–	–	–	–
4.	बिहार	4	–	–	–
5.	चंडीगढ़	–	–	–	–
6.	दिल्ली	–	–	–	–
7.	गोवा	–	–	–	1
8.	गुजरात	–	15	1	1
9.	हरियाणा	–	7	–	–
10.	हिमाचल प्रदेश	11	–	–	3
11.	जम्मू एवं कश्मीर	–	–	–	–
12.	कर्नाटक	9	1	–	2
13.	केरल	1	1	–	4
14.	मध्य प्रदेश	11	–	–	2
15.	महाराष्ट्र	–	3	–	–
16.	मणिपुर	–	–	–	–
17.	मेघालय	3	–	–	–
18.	नागालैण्ड	–	–	–	–
19.	उड़ीसा	15	2	–	1
20.	पांडिचेरी	–	–	–	–
21.	पंजाब	1	1	–	1
22.	राजस्थान	2	1	–	1
23.	तमिलनाडु	–	1	–	3
24.	उत्तर प्रदेश	–	2	–	5
25.	पश्चिम बंगाल	3	–	1	1
	जोड़	63	34	2	25

विवरण–II

पांच वर्ष से अधिक समय से लंबित रा॰रा॰ परियोजनाओं की संख्या दर्शाने वाली राज्य–वार सूची

क्रम सं॰	राज्य का नाम	इकहरी लेन को 2–लेन का बनाना	दो लेन को 4–लेन का बनाना	एक्सप्रैस मार्ग	बाईपास
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	1	–	–	–
2.	अरूणाचल प्रदेश	–	–	–	–
3.	असम	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6
4.	बिहार	4	–	–	–
5.	चंडीगढ़	–	–	–	–
6.	दिल्ली	–	–	–	–
7.	गोवा	–	–	–	–
8.	गुजरात	–	5	1	1
9.	हरियाणा	–	5	–	–
10.	हिमाचल प्रदेश	3	–	–	2
11.	जम्मू एवं कश्मीर	–	–	–	–
12.	कर्नाटक	–	1	–	1
13.	केरल	–	1	–	3
14.	मध्य प्रदेश	10	–	–	2
15.	महाराष्ट्र	–	–	–	–
16.	मणिपुर	–	–	–	–
17.	मेघालय	3	–	–	–
18.	नागालैण्ड	–	–	–	–
19.	उड़ीसा	6	–	–	1
20.	पांडिचेरी	–	–	–	–
21.	पंजाब	–	–	–	–
22.	राजस्थान	1	1	–	–
23.	तमिलनाडु	–	1	–	3
24.	उत्तर प्रदेश	–	1	–	3
25.	पश्चिम बंगाल	3		1	–
	जोड़	31	15	2	16

गहरे समुद्र में तेल की खोज

704. **श्री बी॰एल॰ शंकर : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 4 जुलाई, 1997 के "टाइम्स आफ इंडिया" में "ओ एन जी सी प्लान्स टू अन्डरटेक डीप सी एक्सपलोरेशन" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) वर्ष 1997–98 के दौरान राज्य–वार कहां–कहां गहरे समुद्र में खोज की जाएगी;

(घ) वर्ष 1997–98 और शेष नौवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान इसके परिणामस्वरूप अनुमानित कितना पेट्रोलियम उत्पादन होगा; और

(ङ) प्रति बैरल तेल की खोज की अनुमानित लागत कितनी है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) से (ग) जी हां। ओ एन जी सी ने 1997–98 में वेधन के लिए तीन गहरे समुद्री स्थानों को प्राथमिकता दी है। इनमें से एक–एक स्थान केरल–कोंकण, कृष्ण–गोदावरी और कावेरी बेसिन में हैं।

(घ) गहरे समुद्री स्थानों से कच्चे तेल का उत्पादन 1997–98 के दौरान नियोजित अन्वेषण क्रियाकलापों के परिणामों पर निर्भर करेगा।

(ङ) इस समय अन्वेषण की प्रति बैरल लागत का अनुमान लगाना संभव नहीं है।

घाटे में चल रहे पत्तन

705. श्री इन्नीब बिसवाल : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने घाटे में चल रहे पत्तनों का पता लगाया है;

(ख) यदि हां, तो घाटे में चल रहे पत्तनों का ब्यौरा क्या है और ये कब से घाटे में चल रहे हैं; और

(ग) इन पत्तनों के कार्य निष्पादन में सुधार करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री टिंडिवनाम् जी• वेंकटरामन): (क) पिछले तीन वर्षों में सभी महापत्तनों ने प्रचालन अधिशेष दर्शाया है। वर्ष 1993-94, 1994-95 और 1995-96 के दौराम प्रचालन अधिशेष के आंकड़े विवरण के रूप में संलग्न हैं।

(ख) और (ग) उपर्युक्त (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठते।

विवरण

वर्ष 1993-94 से 1995-96 के दौरान महापत्तन न्यासों का प्रचालन अधिशेष

(करोड़ रुपए)

पत्तन का नाम	1993-94 प्रचालन अधिशेष	1994-95 प्रचालन अधिशेष	1995-96 प्रचालन अधिशेष
केपीटी	50.07	63.06	71.84
एमबीपीटी	176.75	174.53	268.29
जेएनपीटी	24.59	66.08	118.03
एमओपीटी	27.91	22.88	16.35
एनएमपीटी	10.32	15.24	14.38
सीओपीटी	9.79	19.80	25.45
टीपीटी	11.46	11.29	25.87
एमपीटी	109.40	97.60	103.23
वीपीटी	70.50	78.71	97.19
पीपीटी	48.26	55.59	65.32
सीपीटी	129.77	155.36	189.91

[हिन्दी]

तेलशोधक कारखाना स्थापित करना

706. श्री जयसिंह चौहान : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात में ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में तेलशोधक कारखाना स्थापित किए जाने से संबंधित कोई प्रस्ताव सरकार के अनुमोदन और कार्यान्वयन हेतु लम्बित है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस प्रस्ताव को कब तक कार्यान्वित किए जाने की संभावना है; और

(घ) प्रस्तावित तेलशोधक कारखानों की अधिष्ठापित क्षमता क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) से (घ) कच्छ जिले में 16.6 मिलियन प्रति वर्ष की क्षमता वाली शत-प्रतिशत निर्यातोन्मुखी रिफाइनरी की स्थापना के लिए एक निजी पक्षकार से हाल ही में आवेदन पत्र प्राप्त हुआ है। सरकार द्वारा इस प्रस्ताव की जांच की जा रही है।

[अनुवाद]

जासूसी में लगे रक्षा कर्मी

707. श्री अमर राय प्रधान : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 जनवरी, 1995 तथा 30 जून, 1997 की अवधि के दौरान जासूसी करते पाये गये रक्षा कर्मियों के क्या-क्या नाम हैं और वे किस-किस पद पर हैं;

(ख) ऐसे कर्मियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है अथवा किये जाने का विचार है; और

(ग) ऐसी बुरी प्रथाओं को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एन•वी•एन• सोमू) : (क) और (ख) विवरण संलग्न है।

(ग) रोकथाम संबंधी सुरक्षा उपायों के बारे में विस्तृत अनुदेश मौजूद हैं। इन अनुदेशों की समय-समय पर समीक्षा करके इन्हें परिचालित किया जाता है ताकि रक्षा कार्मिक इस प्रकार की निकृष्ट गतिविधियों में संलिप्त न हो सकें। इन अनुदेशों का उल्लंघन करने वाले किसी भी कार्मिक के विरुद्ध निर्धारित नियमों के प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई की जाती है।

विवरण

क्रम सं॰	1.1.95 से 30.6.97 तक की अवधि में जासूसी के मामले में संलिप्त पाए गए रक्षा कार्मिकों के नाम और पदनाम	की गई/प्रस्तावित कार्रवाई
1.	सं॰ 6382911 एन नायक (क्लर्क) जोगिन्दर सिंह कद्यान	इस गैर कमीशन प्राप्त अफसर को सेना की हिरासत में ले लिया गया है और इनके विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई की जा रही है।
2.	सं॰ 3380221 सिपाही अवतार सिंह	इनके विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई की जा रही है।
3.	सं॰ 804597 के एन सी (ई) विलियम बी कुक।	ये सिविल–हिरासत में हैं और इनके विरुद्ध मामला चल रहा है।

स्कूलों की स्थापना

708. **श्री एस॰ अजय कुमार** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में नये केन्द्रीय विद्यालय स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन्हें कब तक स्थापित किये जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुही राम सैकिया) : (क) और (ख) केन्द्रीय विद्यालय संगठन ने वर्तमान शैक्षिक वर्ष के दौरान केरल के कलपेट्टा, वायनाद जिला में एक केन्द्रीय विद्यालय खोलने की स्वीकृति दी है जिसने जुलाई, 1997 के प्रथम सप्ताह से कार्य करना आरंभ कर दिया है।

छात्रावासों का निर्माण

709. **डा॰ अरूण कुमार शर्मा** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वोत्तर परिषद् ने दिल्ली विश्वविद्यालय (डी॰यू॰) परिसर में दो छात्रावासों के निर्माण के लिए कुल 81 लाख रुपये की राशि दी है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष–वार दिल्ली विश्वविद्यालय को कितनी राशि दी गई तथा कितनी राशि का उपयोग किया गया;

(ग) छात्रावासों के निर्माण की प्रगति क्या है और यह कहां–कहां स्थित हैं;

(घ) छात्रावासों का निर्माण कार्य पूरा करने की निर्धारित तिथि क्या है; और

(ङ) पूर्वोत्तर राज्यों के विद्यार्थियों के लिए आरक्षण की प्रतिशतता कितनी है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुही राम सैकिया) : (क) जी, हां।

(ख) से (ङ) दिल्ली विश्वविद्यालय से विस्तृत सूचना मंगाई गई है। यद्यपि सरकार ने इस मामले में धीमी प्रगति तथा परियोजना को शीघ्रता से पूरा करने की आवश्यकता की ओर कुलपति का ध्यान दिलाया है। विश्वविद्यालय के कुलपति ने यह बताया है कि अब परियोजना के कार्य को शीघ्र करने की ओर ध्यान दिया जा रहा है।

[हिन्दी]

इन्दिरा गांधी शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय में प्रवेश

710. **श्री मणी भाई रामजी भाई चौधरी** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विश्वविद्यालय के अंतर्गत इन्दिरा गांधी शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय में केवल अंग्रेजी माध्यम के छात्रों को प्रवेश दिया जाता है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार उक्त महाविद्यालय में हिन्दी माध्यम के विद्यार्थियों के प्रवेश के लिए कोई निर्देश जारी करने का है;

(ग) यदि हां, तो कब तक; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुही राम सैकिया) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

नौंवी पंचवर्षीय योजना में धनराशि

711. **श्री एन॰एन॰ कृष्णादास** :

श्री आर॰बी॰ राई :

क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नौंवी योजना अवधि के दौरान देश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए राज्यवार कितनी धनराशि निर्धारित की गई है;

(ख) राज्यों में पर्यटन स्थलों के रूप में विकसित किए जाने के लिए प्रस्तावित नए स्थानों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त अवधि के दौरान भारतीय पयटन विकास निगम द्वारा बनाए जाने वाले नए होटलों की राज्यवार संख्या कितनी है?

पर्यटन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री श्रीकान्त जेना) : (क) पर्यटन के लिए नौंवी योजना के आवंटन को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है। वर्ष 1997-98 के लिए पर्यटन विभाग, भारत सरकार का योजना बजट 110.35 करोड़ रुपए है। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को पर्यटन की संरचनात्मक परियोजनाओं के लिए उनसे प्राप्त विशिष्ट प्रस्तावों के आधार पर केन्द्रीय वित्तीय सहायता मुहैया की जाती है और कोई संभावित आबंटन नहीं किया जाता है।

(ख) नए पर्यटन स्थलों की पहचान करना तथा विकास करना एक सतत् प्रक्रिया है और ये मुख्यतया राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है।

(ग) नौंवी पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत पर्यटन विकास निगम का चण्डीगढ़ में 33.95 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से एक 100 कमरों वाले पांच सितारा होटल का निर्माण करने का प्रस्ताव है।

आदर्श विद्यालय

712. श्री चमन लाल गुप्त : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय विद्यालय संगठन ने अपने पचास केन्द्रीय विद्यालयों को आदर्श विद्यालय घोषित किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या जम्मू और कश्मीर में कोई आदर्श विद्यालय है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) किसी विद्यालय को आदर्श विद्यालय घोषित करने के लिए निर्धारित मानदण्ड क्या हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुही राम सैकिया) : (क) और (ख) संलग्न विवरण के अनुसार पचास केन्द्रीय विद्यालयों को फिलहाल आदर्श विद्यालयों के रूप में विकसित किया जाना प्रस्तावित है;

(ग) और (घ) केन्द्रीय विद्यालय संख्या-1 जम्मू ऐसे विद्यालयों में एक है, जिसे आदर्श केन्द्रीय विद्यालय के रूप में विकसित किया जाना है;

(ङ) इस स्कीम के लिए केन्द्रीय विद्यालय का चयन भौगोलिक स्थान और संवृद्धि और विकास हेतु संभावना के आधार पर किया गया है।

विवरण

उन केन्द्रीय विद्यालयों की सूची जिन्हें आदर्श केन्द्रीय विद्यालय के रूप में विकसित किया जाना है

क्रम संख्या	केन्द्रीय विद्यालय का नाम
1	2
1.	अहमदाबाद संख्या-1
2.	इफ्को, गांधी धाम
3.	एम.ई.जी. और केन्द्र बंगलौर
4.	संख्या-1 वास्कोडिगामा
5.	हुबली संख्या-1
6.	केन्द्रीय विद्यालय, मैसूर
7.	भोपाल संख्या-1
8.	भुवनेश्वर संख्या-1
9.	सम्बलपुर
10.	बोकारो संख्या-1
11.	कोलाबा संख्या-2
12.	बी.ई.जी. एवं केन्द्र
13.	बैरकपुर आर्मी
14.	साल्ट लेक संख्या-1, कलकत्ता
15.	सैक्टर-47 चण्डीगढ़
16.	जाखु हिल्स, शिमला
17.	भटिण्डा संख्या-1
18.	संख्या-1 अम्बाला छावनी
19.	जालंधर छावनी संख्या-1
20.	एफ.आर.आई., देहरादून
21.	एयरफोर्स स्टेशन, बरेली
22.	एण्डूजगंज
23.	सिरसो संख्या-1 एयरफोर्स स्टेशन
24.	संख्या-1 दिल्ली छावनी
25.	तेजपुर संख्या-1
26.	शिलांग (अपर)
27.	इटानगर नं॰-1
28.	खानापारा, गुवाहाटी
29.	मुरैना
30.	झांसी छावनी संख्या-1
31.	ग्वालियर संख्या-1

1	2
32.	आगरा छावनी-2
33.	नौसेना बाग संख्या-2 विशाखापट्टनम
34.	संख्या-1 उप्पल, हैदराबाद
35.	जबलपुर संख्या-1
36.	संख्या-1 जयपुर छावनी
37.	संख्या-1 एयरफोर्स स्टेशन, जोधपुर
38.	जम्मू संख्या-1, गांधी नगर
39.	पठानकोट संख्या-1
40.	एयरफोर्स स्टेशन, बमरौली, इलाहाबाद
41.	सैक्टर जे. अलीगंज, लखनऊ
42.	आई.आई.टी., कानपुर
43.	मीनाम्बक्कम, मद्रास
44.	पालाघाट संख्या-1
45.	तिरूचिरापल्ली संख्या-1
46.	पट्टम, त्रिवेन्द्रम
47.	संख्या-1 कंकड़बाग, पटना
48.	दीमापुर (के॰रि॰पु॰ब॰)
49.	संख्या-1 इम्फाल
50.	अगरतला नं॰ 1

असैनिक रक्षा कर्मियों के पेंशन मामले

713. **श्रीमती भावनाबेन देवराजभाई चिखलिया** : क्या रक्षा मंत्री 12 मई, 1997 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5649 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अवधि के दौरान असैनिक रक्षा कर्मियों के पेंशन के 934 मामलों में से आज तक कितने मामले निपटाये गये हैं;

(ख) उनमें से कितने मामले अभी लम्बित हैं तथा ये मामले किस स्थिति में हैं;

(ग) मामलों के शीघ्र निपटान के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं; और

(घ) सभी मामलों के कब तक निपटाये जाने की संभावना है?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एन॰वी॰एन॰ सोमू) : (क) पेंशन संबंधी 934 अनिर्णीत मामलों में से 366 मामलों का पहले ही निपटान कर दिया गया है।

(ख) से (घ) 568 मामले नामितों के बारे में विवाद, अपेक्षित दस्तावेजों की अनुपलब्धता आदि के कारण अभी भी अनिर्णीत पड़े हैं। इन मामलों का शीघ्रता से निपटान सुनिश्चित करने के लिए सभी प्रयास किए जा रहे हैं। इन मामलों को शीघ्रता से निपटाए जाने के लिए इलाहाबाद स्थित मुख्य नियंत्रक रक्षा लेखा (पेंशन) द्वारा अधिकारियों को नियमित तौर पर तैनात किया जाता है। दावेदारों को भी सलाह दी जाती है कि वे लेखा परीक्षा की आवश्यकताओं को पूरा करें। संबंधित व्यक्ति/संगठन द्वारा अपेक्षित दस्तावेज/सूचना उपलब्ध कराते ही मामलों के बारे में तत्काल निर्णय लिया जाता है।

भारतीय विश्वविद्यालय संघ

714. **श्री सत्यजीत सिंह दलीप सिंह गायकवाड़** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय विश्वविद्यालय संघ मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंतर्गत एक स्वायत्तशासी संगठन है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसे किस कानून के अंतर्गत पंजीकृत किया गया है;

(घ) क्या भारत सरकार के कर्मचारियों पर लागू भर्ती और सेवाशर्तों संबंधी नियम भारतीय विश्वविद्यालय संघ के कर्मचारियों पर भी लागू होते हैं;

(ङ) यदि हां, तो किस हद तक;

(च) भारतीय विश्वविद्यालय संघ में अ.जा./अ.ज.जा. के लिए आरक्षित पदों की संख्या कितनी है;

(छ) भारतीय विश्वविद्यालय संघ में रिक्त पड़े आरक्षित पदों की संख्या कितनी है;

(ज) इन पदों को कब तक भर लिये जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुही राम सैकिया) : (क) से (ज) भारतीय विश्वविद्यालय संघ, का पंजीकरण सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के अंतर्गत एक पंजीकृत निकाय है। इसके कर्मचारियों की सेवा की शर्तें सोसायटी के उपनियमों द्वारा नियंत्रित होती है। नियुक्तियों में आरक्षण के मामले में अनु.जाति/अनु.जनजाति श्रेणियों के लिए आरक्षण के संबंध में संगठन ने एक निर्णय लिया है कि स्वैच्छिक निकाय होने के कारण इसे ऐसे आरक्षणों हेतु प्रावधान रखना आवश्यक नहीं है तथा नियुक्तियों के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित करते समय यह उल्लेख किया जाता है कि इन श्रेणियों से सम्बंधित आवेदकों को वरीयता दी जाएगी।

सरकार उचित एजेंसियों के परामर्श से संगठन के निर्णय की यथातथ्यता की जांच कर रही है।

उड़ीसा में सिंचाई परियोजनाएं

715. श्री गिरिधर गमांग : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में विदेशी एजेंसियों द्वारा वित्त पोषित उन सिंचाई परियोजनाओं के नाम क्या हैं जिन्हें निर्धारित समय में पूरा किया जाना है;

(ख) हाल के वर्षों में विदेशों द्वारा वित्त पोषण के लिये शामिल की गई नई परियोजनाओं के नाम क्या हैं; और

(ग) राज्य सरकार द्वारा उन्हें समय पर पूरा करने के लिए क्या कदम उठाये गए हैं?

जल संसाधन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शीश राम ओला): (क) और (ख) विवरण संलग्न है।

(ग) सिंचाई परियोजनाओं की आयोजना, वित्त पोषण और क्रियान्वयन राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है। इन परियोजनाओं को समय पर पूरा करने के लिए वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करने वाले अभिकरणों के परामर्श से राज्य सरकारों द्वारा आवश्यक कदम उठाये जाते हैं। वे राज्य स्तर पर कार्यान्वयन प्रक्रिया का मूल्यांकन करने और उसे तीव्र करने के लिए समय-समय पर उनकी समीक्षा करते हैं।

विवरण

(दाता मुद्रा राशि मिलियन में)

क्र.सं.	परियोजना का नाम	सहायता देने वाले अभिकरण	समझौते की तिथि	सहायता की राशि
1.	उड़ीसा जल संसाधन समेकन परियोजना	विश्व बैंक	19.12.95	यूएस डालर 290.0 एम
2.	बांध सुरक्षा आश्वासन और पुनर्वास परियोजना (उड़ीसा सहित केंद्रीय बहु राज्य)	विश्व बैंक	10.6.91	यूएस डालर 148.88 एम
3.	जल विज्ञान परियोजना (उड़ीसा सहित केंद्रीय बहु-राज्य)	विश्व बैंक	9.6.95	यू एस डालर 142.00 एम
4.	अपर इंद्रावती सिंचाई परियोजना	ओईसीएफ जापान	15.12.88	येन 3744 एम
5.	अपर कोलाब सिंचाई परियोजना	ओईसीएफ जापान	15.12.88	येन 3769 एम
6.	लिफ्ट सिंचाई परियोजना	केडब्ल्यू एफ जर्मनी	19.12.93	डीएम 55.00 एम
7.	भूजल परियोजना का उपयोग (ट्रेंच-2)	आस्ट्रेलिया	31.7.92	यूएस डालर 13.08 एम
8.	लघु सिंचाई परियोजना	ईईसी	11.7.95	ईसीयू 11.02 एम

यू एस डालर	अमेरिकी डालर 35.70 के बराबर
डी एम	डच मार्क 19.66 के बराबर
येन	जापान (100 येन, 30 रुपए)
ईसीयू	यूरोपियन करेंसी यूनिट 44.61 के बराबर

नागरिक सामान्य परिवहन के अन्तर्गत कर्मचारी

716. श्री आर॰बी॰ राई : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नागरिक सामान्य परिवहन के अन्तर्गत कर्मचारियों को कभी-कभी अति सामरिक महत्व के क्षेत्रों में तैनात किया जाता है और उन्हें महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां सौंपी जाती हैं;

(ख) यदि हां, तो कार्मिकों को बिना समुचित सैनिक प्रशिक्षण के ऐसे कार्यों की जिम्मेदारी सौंपे जाने के क्या कारण हैं?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एन॰वी॰एन॰ सोमू) : (क) और (ख) सिविल जनरल ट्रांसपोर्ट कर्मचारियों को न तो सामरिक क्षेत्रों में नियोजित किया जाता है और न ही उन्हें संवेदनशील कार्य सौंपे जाते हैं। उन्हें केवल अग्रिम प्रशासनिक क्षेत्रों में बेस डिपो/अधिष्ठापनाओं तक वाहन ड्राइव करने के लिए ही नियोजित किया जाता है। तथापि सेवा की अपरिहार्य आकस्मिक स्थिति में यदि उन्हें संक्रियात्मक क्षेत्रों में ड्राइविंग के लिए नियोजित किया जाता है तो संबद्ध विरचना कमांडर द्वारा उनके वास्ते समुचित सशस्त्र सुरक्षा/एस्कार्ट की व्यवस्था की जाती है। इसलिए उनके वास्ते मिलिटरी प्रशिक्षण आवश्यक नहीं माना गया है।

भद्रावती आयुध कारखानों के निकट खनन कार्य

717. **श्री बनवारी लाल पुरोहित :** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने भद्रावती आयुध कारखाने के निकट खनन कार्य हेतु निजी इस्पात ग्रुप कम्पनी के लिए महाराष्ट्र के चन्द्रपुर जिले के विदर्भ क्षेत्र में काफी बड़ा भू-भाग आबंटित किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या मंत्रालय ने आयुध कारखाने के निकट इस्पात ग्रुप को भूमि के आबंटन पर आपत्ति की है;

(ग) यदि हां, तो इसके तथ्य और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एन॰वी॰एन॰ सोमू) : (क) से (घ) संघ सरकार ने आयुध निर्माणी, चन्द्रपुर के नजदीक कोयले के खनन के लिए किसी निजी कम्पनी को महाराष्ट्र के चन्द्रपुर जिले में कोई भूमि आबंटित नहीं की है। तथापि, आयुध निर्माणी बोर्ड ने आयुध निर्माणी, चन्द्रपुर के निकट किसी तरह की खनन कार्यवाही के विरुद्ध महाराष्ट्र सरकार को अभ्यावेदन दिया है।

सरदार सरोवर परियोजना

718. **श्री विजय पटेल :**

श्री काशी राम राणा :

क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरदार सरोवर परियोजना के संबंध में संबंधित राज्यों की समस्याओं का आंकलन तथा गहन अध्ययन करने के लिए प्रत्येक राज्य में आयोग के एक सदस्य को भेजने का निर्णय लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सम्मिलित राज्यों द्वारा क्या दृष्टिकोण अपनाया गया है;

(ग) क्या सरकार ने सदस्यों द्वारा की गई सिफारिशों की जांच की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा विवाद को शीघ्र निपटाने तथा परियोजना को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा क्या प्रयास किये जा रहे हैं?

जल संसाधन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शीश राम ओला): (क) से (घ) गुजरात के मुख्य मंत्री ने प्रधान मंत्री से यह अनुरोध किया था कि वे सभी चार सहभागी राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक बुलाकर इस मामले में अपना हस्तक्षेप करें ताकि सरदार सरोवर परियोजना का निर्माण कार्य वर्तमान निर्माण मौसम के दौरान शीघ्र पुनः शुरू हो सके। बांध का निर्माण मुख्य रूप से जल मग्नता से प्रभावित लोगों के पुनर्वास तथा पुनर्स्थापना की समस्याओं के कारण प्रभावित हुआ है। इस बात को देखते हुए कि परियोजना के पूरा होने से क्षेत्र को अत्यधिक आर्थिक लाभ होगा तथा इस परियोजना के सुचारु एवं समयबद्ध क्रियान्वयन के लिए चारों सहभागी राज्यों के बीच पूर्ण सहयोग होना आवश्यक है, इसलिए यह जरूरी है कि लंबित मुद्दों का समाधान शीघ्र किया जाए। इसलिए चारों पक्षकार राज्यों के साथ प्रधानमंत्री स्तर की बैठक आयोजित करने के लिए मार्ग प्रशस्त करने की दृष्टि से यह उपयुक्त समझा गया कि चारों पक्षकार राज्यों से अलग-अलग अनौपचारिक वार्ता करने का प्रयास किया जाए ताकि उनके मतभेदों को कम किया जा सके तथा इन चारों राज्यों के बीच इस मामले पर सहमति हो सके। इस पृष्ठभूमि में सदस्य (सिंचाई), योजना आयोग ने चारों पक्षकार राज्यों से अलग-अलग बैठकें करने का निर्णय लिया है।

हल्के परिवहन विमानों का निर्माण

719. **श्री के॰पी॰ सिंह देव :** क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार हल्के परिवहन विमानों के निर्माण करने का है;

(ख) क्या ऐसे विमानों के विकास और इनका डिजाइन तैयार करने के लिए नेशनल एयरोस्पेस, लेबोरेटरीज, बंगलौर को कहा गया है;

(ग) यदि हां, तो इस उद्देश्य के लिये कितनी धनराशि स्वीकृत की गई है;

(घ) इस संबंध में नेशनल एयरोस्पेस लेबोरेटरीज, बंगलौर ने क्या कदम उठाये हैं; और

(ङ) इस संबंध में सरकार के कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्री (श्री सी॰एम॰ इब्राहीम) : (क) से (ङ) राष्ट्रीय एअरोस्पेस प्रयोगशाला (एन.ए.एल.) का हल्के परिवहन विमानों का निर्माण किए जाने संबंधी कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, उन्होंने हल्के परिवहन विमानों के डिजाइन तथा विकास हेतु एक विभागीय परियोजना की शुरूआत की है। हल्के परिवहन विमान के संरूपण को रोक दिया गया है। विस्तृत डिजाइन अब तैयार किया जा रहा है लेकिन इसके पूरे होने की नियम समय-सीमा फिलहाल नहीं बतायी जा सकती।

सरकार द्वारा अभी तक कोई राशि स्वीकृत नहीं की गयी है। तथापि, एन.ए.एल. इस दिशा में अनुसंधान एवं विकास संबंधी क्रियाकलापों को चालू रखने के लिए अपनी स्वयं की रिजर्व निधियों का उपयोग कर रहा है।

निगरानी किये जा रहे संस्थान

720. श्री सुरेश प्रभु :

डा॰ एम॰ जगन्नाथ :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीकी प्रशासन ने बंगलौर स्थित भारतीय विज्ञान संस्थान को हाल ही में निगरानी सूची में शामिल करने का निर्णय लिया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुही राम सैकिया) : (क) और (ख) उपलब्ध सूचना के अनुसार, निर्यात नियंत्रण विनियमों के लिए संयुक्त राज्य अमरीका द्वारा अपने आंतरिक विधान के अंतर्गत अधिसूचित भारतीय संगठनों में भारतीय विज्ञान संस्थान, बंगलौर एक है।

[हिन्दी]

सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने में कठिनाई

721. श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 22 जून, 1997 के "दैनिक जागरण" में "सीमा पर जीना मुहाल" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) पाकिस्तान द्वारा बार-बार की जाने वाली गोलाबारी के परिणामस्वरूप होने वाले पलायन को रोकने के लिए क्या व्यवस्था की जा रही है?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एन॰वी॰एन॰ सोमू) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) जम्मू तथा कश्मीर राज्य में उग्रवाद जारी है जिसे कुछ विदेशी शक्तियों की सहायता प्राप्त है। जम्मू तथा कश्मीर में राज्य सरकार सुरक्षा बलों की सहायता से स्थिति से निपट रही है और ये बल एक एकीकृत मुख्यालय के समग्र समन्वय के तहत कार्य कर रहे हैं।

सीमा पार से पाकिस्तानी सैन्य-टुकड़ियों द्वारा गोलीबारी किया जाना एक सामान्य घटना है। हमारे सुरक्षा बल इस प्रकार की गोलीबारी का समुचित उत्तर देते हैं किन्तु इस बात का भी ध्यान रखते हैं कि ऐसी घटनाएं उसी क्षेत्र तक सीमित रहें और हमारी ओर हताहतों की संख्या कम से कम रहे।

सीमा क्षेत्रों में रह रहे व्यक्तियों को यदा-कदा सीमा-पार से होने वाली गोलीबारी और उग्रवादियों की गतिविधियों की वजह से कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। सरकार उनकी स्थिति में सुधार करने के लिए यथासंभव आवश्यक उपाय करती है।

[अनुवाद]

चीन का हिन्दुस्तान एरोनोटिक्स लिमिटेड (एचएएल) को इन्कार

722. श्री अन्ना साहिब एम॰के॰ पाटिल : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 30 जून, 1997 के "द फाइनेंसियल एक्सप्रेस" में "एच.ए.एल. फ्युज्ड वर्थ इन चाइनाज एशियन एक्सप्रेस" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो समाचार में की गई टिप्पणियों पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और मामले संबंधी तथ्य क्या हैं; और

(ग) इस मामले को समुचित विदेशी प्राधिकारियों के साथ उठाने और हिन्दुस्तान एरोनोटिक्स लिमिटेड के हितों की रक्षा और संवर्धन के लिए की गई/की जाने वाली कार्यवाही का ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एन॰वी॰एन॰ सोमू) : (क) से (ग) जैसा कि 30 जून, 1997 के "फाइनेंशियल एक्सप्रेस" में प्रकाशित समाचार में बताया गया है, "एशियन एक्सप्रेस" कार्यक्रम चीनी सरकार की 100 सीटों वाले वायुयान संबंधी परियोजना है। दूसरी बात यह है कि मैसर्स हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड अपनी विविधीकरण योजना के एक भाग के रूप में 100 सीटों वाले वायुयान के सह-उत्पादन/सह-विकास के लिए सहभागियों की खोज कर रहा है। इस संबंध में, हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड ने चीन के विमानन उद्योगों (ए वी आई सी) से भी संपर्क किया है। तथापि, उनकी ओर से कोई प्रत्युत्तर नहीं मिला है।

हल्के लडाकू विमान के लिए "डिजीटल फ्लाइट कंट्रोल"

723. श्री बसुदेव आचार्य : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत इलेक्ट्रानिक लिमिटेड की हल्के लडाकू विमान (एल.सी.ए.) के लिए "डिजीटल फ्लाइट कंट्रोल कम्पयूटर" हेतु अमरीका के "लॉकहैड मारटिन" के साथ कोई कार्यकारी व्यवस्था है;

(ख) क्या अमरीकी सरकार उक्त व्यवस्था में अड़चनें डालने का प्रयास कर रही है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है और इस मुद्दे से निपटने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एन॰वी॰एन॰ सोमू) : (क) जी. नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

"सी इगल" प्रक्षेपास्त्र का प्रदर्शन

724. श्री अजमीरा चन्दूलाल :

श्री सुरेश प्रभु :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नौसेना के लिए खरीदे गए "सी इगल" प्रक्षेपास्त्र का प्रदर्शन निम्न कोटी का पाया गया;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या घटिया प्रक्षेपास्त्र की खरीद के लिए उत्तरदायित्व का निर्धारण करने हेतु कोई जांच की गयी है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एन॰वी॰एन॰ सोमू) : (क) से (घ) सी ईगल प्रक्षेपास्त्र, नौसेना ने 1987-88 में ब्रिटिश एयरोस्पेस, यू.के. से खरीदे थे। यू.के. से सी ईगल प्रक्षेपास्त्र लेने से पूर्व इनकी क्षमता का सी हैरियर वायुयान से वास्तविक फायरिंग करके पूरी तरह से प्रदर्शन किया गया था और इसलिए इन प्रक्षेपास्त्रों को घटिया बताना सही नहीं है। हाल में, अप्रैल, 1997 में नौसेना ने दो अभ्यास फायरिंग किए और दोनों ही मामलों में कुछ दोष देखे गए। समस्या के विशिष्ट स्वरूप की पहचान करने के लिए तत्काल उपाय शुरू कर दिए गए हैं ताकि उसे दूर किया जा सके और स्टाक में मौजूद शेष प्रक्षेपास्त्रों की उपयोगिता सुनिश्चित की जा सके।

[हिन्दी]

नौवीं पंचवर्षीय योजना में नये राष्ट्रीय राजमार्ग

725. श्रीमती पूर्णिमा वर्मा :

श्री सुखबीर सिंह बादल :

क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान वर्तमान राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास तथा रख-रखाव और नयें राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण के लिए कोई योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) नौवीं पंचवर्षीय योजना में इसके लिए कितनी धनराशि निर्धारित की गयी है?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री टिंडिवनाम् जी॰ वेंकटरामन): (क) से (ग) नौवीं योजना को अभी अंतिम रूप दिया जाना है अतः उसके ब्यौरे बता पाना अभी संभव नहीं है।

[अनुवाद]

गैस ग्रिड

726. श्री रघुनन्दन लाल भाटिया : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार उत्तरी क्षेत्र में विशेषरूप से हरियाणा, हिमाचल प्रदेश तथा जम्मू और कश्मीर में गैस ग्रिड स्थापित करने पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो कब तक इसे शुरू किए जाने की संभावना है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

बालिकाओं के लिए शिक्षा

727. श्री रवीन्द्र कुमार पांडेय : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 6 मई, 1997 के "जनसत्ता" में "स्कूल भी नहीं देख पाती आधी से ज्यादा लड़कियां" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाने का तथा बालिकाओं की साक्षरता दर, जो कुछ राज्यों में बहुत कम है, को बढाने हेतु क्या कदम उठाने का विचार है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुही राम सैकिया) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) समाचार पत्र में प्रकाशित समाचार में यह कहा गया है कि कुछ राज्यों में महिला साक्षरता दर बहुत ही कम है, यह सच है। महिला साक्षरता दर कम होने के लिए कई कारण उत्तरदायी पाए गए हैं। स्कूलों में बालिकाओं का कम नामांकन तथा उन्हें स्कूलों में बनाए रखने की कम दर और स्कूल की पढ़ाई बीच में ही छोड़ने वालों की अधिक दर के साथ-साथ इन क्षेत्रों में महिला साक्षरता दर कम होने के लिए कई अन्य सामाजिक तथा आर्थिक कारण उत्तरदायी हैं। प्रारंभिक शिक्षा को सर्वसुलभ बनाने स्कूल की पढ़ाई बीच में ही छोड़ने वालों के लिए अनौपचारिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं तथा राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के संपूर्ण साक्षरता अभियान देश में महिला साक्षरता को बढ़ाने के लिए प्रमुख कार्य नीति के अंग

बन गए हैं। अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत केन्द्रीय सरकार विशेष रूप से लड़कियों के लिए केन्द्रों को चलाने कि लिए 90:10 के अनुपात में राज्यों को सहायता प्रदान करती है जबकि लड़कों/सह शैक्षिक केन्द्रों के लिए उन्हें 60:40 के अनुपात में वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

भारत-बांग्लादेश जल समझौता

728. श्री शिबू सोरेन :

श्री सुरेश प्रभु :

क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में भारत-बांग्लादेश जल समझौते पर हस्ताक्षर के बाद बांग्लादेश को और ज्यादा जल दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या केन्द्र सरकार इस मामले में पश्चिम बंगाल के हितों की भी रक्षा करेगी; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शीश राम ओला): (क) और (ख) जी, नहीं। 12 दिसम्बर, 1996 को हस्ताक्षरित भारत-बंगलादेश जल समझौते में निर्धारित शर्तों के अनुसार बंगलादेश को जल दिया गया है।

(ग) और (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभापटल पर रख दी जाएगी।

बारगी बांध परियोजना

729. श्री दादा बाबूराम परांजपे : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जबलपुर (मध्य प्रदेश) को बारगी बांध परियोजना से जल नहीं मिल रहा है;

(ख) क्या बारगी बांध से जबलपुर को सिंचाई के लिए जल उपलब्ध कराने की आवश्यकता है;

(ग) यदि हां, तो क्या किसानों के लाभ के लिए बारगी बांध से नहर का निर्माण करने संबंधी प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक ले लिये जाने की संभावना है?

जल संसाधन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शीश राम ओला): (क) से (घ) बारगी बांध परियोजना में जबलपुर और नरसिंह पुर जिलों में 2,19,000 हेक्टेयर क्षेत्र की वार्षिक सिंचाई करने और जबलपुर शहर को 54 मिलियन घनमीटर पेयजल प्रदान करने तथा 105 मेगावाट विद्युत उत्पन्न करने की परिकल्पना की गई है।

इसके अलावा, राज्य सरकार बारगी व्यपर्वतन परियोजना नामक एक स्कीम कार्यान्वित कर रही है जिसमें विद्यमान बारगी जलाशय के दायें तट से नहर के निर्माण की परिकल्पना है ताकि जबलपुर, सतना और रीवा जिलों में 2,45,000 हेक्टेयर अतिरिक्त भूमि की सिंचाई की जा सके।

बारगी बांध परियोजना को वर्ष 2001-02 में और बारगी व्यपर्वतन परियोजना को 2013-14 तक पूरा किए जाने का कार्यक्रम है।

[अनुवाद]

केन्द्रीय जल आयोग

730. श्री महबूब जहेदी :

श्री हाराधन राय :

क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आसनसोल स्थित केन्द्रीय जल आयोग के दामोदर डिवीजन में पिछले 15 वर्षों से काफी अधिक संख्या में सीजनल स्टाफ कार्य कर रहा है जिनकी सेवा अवधि वर्ष में $4^1/_2$ महीने है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे सीजनल स्टाफ की संख्या कितनी है;

(ग) क्या यह भी सच है कि अधिकतर कर्मचारी, नियमित रूप से नौकरी में न लिए जाने के कारण अपनी आयु सीमा पार कर रहे हैं;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार ने उनको नियमित कर्मचारी के रूप में लेने हेतु कोई निर्णय लिया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शीश राम ओला): (क) और (ख) आसनसोल स्थित दामोदर मंडल में प्रत्येक वर्ष मानसून मौसम के दौरान केन्द्रीय जल आयोग की कार्यप्रभारित स्थापना में सीजनल खलासियों के रूप में कुल 98 व्यक्ति काम पर लगाये जाते हैं। उनके काम में लगाए जाने की अवधि मानसून अवधि के अनुसार घटती-बढ़ती रहती है।

(ग) से (ङ) केन्द्रीय जल आयोग की कार्यप्रभारित स्थापना में सीजनल खलासियों को अस्थाई पद देने और उनके नियमन करने के लिए एक स्कीम जारी की है जो 1.6.1997 से प्रभावी हो गई है। वे सीजनल खलासी जो स्कीम के शुरू होने की तारीख को केन्द्रीय जल आयोग की कार्यप्रभारित स्थापना में कार्यरत हैं और जिन्होंने इस प्रकार कार्यरत रहते हुए लगातार 120 दिनों की कम से कम सेवा की हो या ऐसे व्यक्ति जो पिछले एक वर्ष के दौरान किसी भी समय कार्यरत रहे थे और उन्होंने उक्त वर्ष में लगातार कम से कम 120 दिनों की सेवा की हो वे रिक्ति के होने पर केन्द्रीय जल आयोग को कार्यप्रभारित स्थापना में आमेलन/नियमन के पात्र हैं बशर्ते कि वे स्कीम के प्रावधानों और भर्ती सम्बन्धी दिशा-निर्देशों में निर्धारित शर्तों

को पूरा करते हों तथा सक्षम चयन समिति द्वारा उपयुक्त ठहराये गए हों और संबंधित परिमंडल/क्षेत्र कार्यालय के अधीन तैयार की गई वरिष्ठता के अनुसार उनका नम्बर आने वाले हों। ऐसे सीजनल खलासियों को नियमित करने के लिए सीजनल खलासी के रूप में उनके द्वारा की गई लगातार सेवा तक आयु में छूट भी दी जाएगी।

कर्नाटक में सड़क का राष्ट्रीय राजमार्ग में परिवर्तन करना

731. श्री राजा रंगप्पा नायक : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार कर्नाटक में श्रीरंगपत्तनम से बीदर तक की सड़क को राष्ट्रीय राजमार्ग में परिवर्तित किये जाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री टिंडिवनाम् जी॰ वेंकटरामन): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) संसाधनों की कमी के कारण प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया जा सका।

[हिन्दी]

रक्षा उत्पादन एकक

732. श्री रमेन्द्र कुमार : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रक्षा उत्पादन में लगे एककों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या नौवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान कुछ नए एकक स्थापित करने का प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एन॰वी॰एन॰ सोमू) : (क) विवरण संलग्न है।

(ख) और (ग) फिलहाल देश में कोई नई रक्षा उत्पादन इकाई स्थापित करने का प्रस्ताव नहीं है।

विवरण

रक्षा उत्पादन इकाइयों का राज्यवार विवरण

राज्य का नाम	इकाइयों का नाम	स्थान
1	2	3
1. आन्ध्र प्रदेश	1. आयुध निर्माणी परियोजना	मेढक
	2. भारत डायनॉमिक्स लिमिटेड	हैदराबाद
	3. भारत इलैक्ट्रानिक्स लिमिटेड	मछलीपत्तनम
	4. भारत इलैक्ट्रानिक्स लिमिटेड	हैदराबाद
	5. भारत डायनामिक्स लिमिटेड	भानूर (मेढक जिला)
	6. मिश्र धातु निगम लिमिटेड	हैदराबाद
	7. हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड	हैदराबाद
2. बिहार	1. गार्डनरीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड	रांची
3. गोवा	1. गोवा शिपयार्ड लिमिटेड	वास्को-द-गामा
4. हरियाणा	1. भारत इलैक्ट्रानिक्स लिमिटेड	पंचकुला
5. कर्नाटक	1. माझगांव डॉक लिमिटेड	मंगलौर
	2. हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड	बंगलूर
	3. भारत इलैक्ट्रानिक्स लिमिटेड	बंगलूर
	4. भारत अर्थमूवर्स लिमिटेड	बंगलूर
	5. भारत अर्थमूवर्स लिमिटेड	मैसूर
	6. भारत अर्थमूवर्स लिमिटेड	कोलार गोल्ड फील्ड
6. मध्य प्रदेश	1. आयुध निर्माणी	इटारसी
	2. आयुध निर्माणी	खमरिया
	3. तोप गाड़ी निर्माणी	जबलपुर
	4. वाहन निर्माणी	जबलपुर
	5. ग्रे आयरन निर्माणी	जबलपुर
	6. आयुध निर्माणी	कटनी
7. महाराष्ट्र	1. हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड	नासिक
	2. भारत इलैक्ट्रानिक्स लिमिटेड	पुणे
	3. भारत इलैक्ट्रानिक्स लिमिटेड	तलोजा
	4. माझगांव डॉक लिमिटेड	मुम्बई
	5. माझगांव डॉक लिमिटेड	न्हावा
	6. गोला-बारूद निर्माणी	किरकी
	7. अति विस्फोटक निर्माणी	किरकी
	8. आयुध निर्माणी	अंबरनाथ
	9. मशीनी औजार आदिरूप निर्माणी	अंबरनाथ

1	2	3
	10. आयुध निर्माणी	भंडारा
	11. आयुध निर्माणी	वरणगांव
	12. आयुध निर्माणी	चांदा
	13. आयुध निर्माणी	देहू रोड
	14. आयुध निर्माणी	अंबाझरी
	15. आयुध निर्माणी	भुसावल
8. उड़ीसा	1. आयुध निर्माणी	बोलंगीर
	2. हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड	कोरापुट
9. तमिलनाडु	1. कारडाइट निर्माणी	अरूवकाडु
	2. भारी वाहन निर्माणी	आवड़ी
	3. आयुध वस्त्र निर्माणी	आवड़ी
	4. संयुक्त इंजन परियोजना	आवड़ी
	5. आयुध निर्माणी	तिरूचिरापल्ली
	6. हैवी अलाय पैनीट्रेटर प्रोजेक्ट	तिरूचिरापल्ली
	7. भारत इलैक्ट्रानिक्स लिमिटेड	चेन्नई
10. उत्तर प्रदेश	1. फील्ड तोप निर्माणी	कानपुर
	2. लघु शस्त्र निर्माणी	कानपुर
	3. आयुध निर्माणी	कानपुर
	4. आयुध पैराशूट निर्माणी	कानपुर
	5. आयुध उपस्कर निर्माणी	कानपुर
	6. आयुध निर्माणी	देहरादून
	7. ऑप्टो इलैक्ट्रानिक निर्माणी	देहरादून
	8. आयुध वस्त्र निर्माणी	शाहजहांपुर
	9. आयुध उपस्कर निर्माणी	हजरतपुर
	10. आयुध निर्माणी	मुरादनगर
	11. हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड	लखनऊ
	12. हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड	कानपुर
	13. भारत इलैक्ट्रानिक्स लिमिटेड	कोटद्वार
	14. भारत इलैक्ट्रानिक्स लिमिटेड	गाजियाबाद
	15. हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड	कोरवा
11. पश्चिम बंगाल	1. तोप एवं गोला फैक्टरी	काशीपुर
	2. धातु एवं इस्पात निर्माणी	इच्छापुर
	3. राइफल निर्माणी	इच्छापुर
	4. आयुध निर्माणी	दमदम
	5. गार्डनरीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड	कलकत्ता
12. संघ शासित प्रदेश	1. आयुध केबल निर्माणी	चंडीगढ़

मिग-27 विमानों के आधुनिकीकरण संबंधी योजना

733. **श्री सत्य देव सिंह :**

कुमारी उमा भारती :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारतीय वायुसेना में शामिल किए गए मिग-27 विमान की आधुनिकीकरण संबंधी योजना को स्थगित कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) आधुनिकीकरण के कारण कितने मिग-27 विमान प्रयोग में नहीं लाए जा रहे हैं;

(घ) क्या इस संबंध में रूस और भारत के बीच वार्ता हुई थी; और

(ङ) यदि हां, तो इस वार्ता के क्या परिणाम निकले?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एन॰बी॰एन॰ सोमू) : (क) और (ख) जी, नहीं। मिग-27 का उन्नयन नौवीं योजनावधि के दौरान किए जाने की योजना है।

(ग) कोई मिग-27 अप्रयुक्त नहीं पड़ा है।

(घ) और (ङ) मिग-27 का उन्नयन स्वदेशी रूप से करने की योजना है। इस बारे में रूसियों से कोई बातचीत नहीं हुई है।

[अनुवाद]

मुम्बई में पाइपलाइन गैस कनेक्शन

734. **श्री चिन्तामन वानगा :** क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मुंबई में घरेलू उपयोग हेतु पाइपलाइन के माध्यम से मुंबई हाई नेचुरल गैस प्रदान करने संबंधी किसी योजना को मंजूरी दे दी है; और

(ख) यदि हां, तो पाइपलाइन गैस कनेक्शन द्वारा कितने क्षेत्रों को सप्लाई किए जाने की संभावना है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) जी हां।

(ख) ग्रेटर मुंबई क्षेत्र के कुछ भागों में पाइपलाइन गैस कनेक्शन के माध्यम से प्राकृतिक गैस की पूर्ति करने का प्रस्ताव है।

मुम्बई में भूमि को पट्टे पर देना

735. श्री शिवाजी विठ्ठल राव काम्बले :

श्री बनवारी लाल पुरोहित :

श्री अन्ना साहिब एम॰के॰ पाटिल :

क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सी.बी.आई. ने मुम्बई में भूमि को पट्टे पर देने और राजस्व को घाटा पहुंचाने के लिए राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण के अधिकारियों के विरुद्ध मामला दर्ज किया है;

(ख) यदि हां, तो इसके तथ्य क्या हैं और इनका ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इसमें संलिप्त राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण के अधिकारियों और निजी एयरलाइन के मालिकों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई है/किए जाने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्री (श्री सी॰एम॰ इब्राहीम) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा मामले की जांच की जा रही है।

असम में भारतीय वायु सेना की विमान दुर्घटना

736. श्री राजकेशर सिंह :

श्री आनन्द रत्न मौर्य :

कुमारी उमा भारती :

श्री सुशील चन्द्र :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एयर फोर्स के दो मिग-21 लडाकू विमान असम के कलाटी के चाबुआ वायु सेना स्टेशन पर उतरने के पहले बीच आकाश में टकरा गए;

(ख) यदि हां, तो इस दुर्घटना में कितने व्यक्ति मारे गए/घायल हुए;

(ग) क्या दुर्घटना के कारणों का पता लगाने के लिए कोई जांच की गई है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम रहे; और

(ङ) इस दुर्घटना के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एन॰वी॰एन॰ सोमू) : (क) जी, हां।

(ख) दो पायलट मारे गए थे।

(ग) से (ङ) इस दुर्घटना की अदालत द्वारा जांच चल रही है।

रिक्तियां भरना

737. श्री मुरलीधर जेना : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय विद्यालय संगठन में कितने प्रतिशत शिक्षण तथा गैर-शिक्षण पद विभागीय प्रोन्नति द्वारा भरे गये हैं; और

(ख) 1992-97 के दौरान आंतरिक प्रोन्नति द्वारा श्रेणीवार भरे गये शिक्षण पदों का ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुही राम सैकिया) : (क) शिक्षण और शिक्षणेतर पदों की 30 श्रेणियां हैं जो पदोन्नति द्वारा पूर्णतः अथवा आंशिक रूप से निम्न प्रकार भरी जाती हैं :-

(1)	13 श्रेणियों को	100 प्रतिशत पदोन्नति द्वारा
(2)	02 श्रेणियों को	67 प्रतिशत पदोन्नति द्वारा
(3)	04 श्रेणियों को	$66^2/_3$ प्रतिशत पदोन्नति द्वारा
(4)	04 श्रेणियों को	60 प्रतिशत पदोन्नति द्वारा
(5)	04 श्रेणियों को	50 प्रतिशत पदोन्नति द्वारा
(6)	01 श्रेणी को	40 प्रतिशत पदोन्नति द्वारा
(7)	01 श्रेणी को	$33^1/_3$ प्रतिशत पदोन्नति द्वारा
(8)	01 श्रेणी को	10 प्रतिशत पदोन्नति द्वारा

(ख) 1992-97 के दौरान 585 प्राथमिक शिक्षकों को प्रधानाध्यापक, 1532 प्राथमिक शिक्षकों को प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक, 987 प्रशिक्षित स्नातक शिक्षकों को स्नातकोत्तर शिक्षक, 458 स्नातकोत्तर शिक्षकों को उप-प्रधानाचार्य और 128 उप-प्रधानाचार्यों को प्रधानाचार्य के पदों पर प्रोन्नति प्रदान की गई थी।

[हिन्दी]

आने वाली और जाने वाली उड़ानों के लिए पृथक कोरीडोर

738. श्री अनन्त कुमार हेगड़े :
श्री आर॰ साम्बासिवा राव :
श्री पी॰ षण्मुगम :
श्रीमती केतकी देवी सिंह :

क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार दिल्ली तथा अन्य राज्यों के हवाई अड्डों पर आने तथा जाने वाली उड़ानों को पृथक वायुमार्ग देने का है;

(ख) यदि हां, तो हवाई अड्डावार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारतीय वायु सेना द्वारा एक दिशा वाली कोरीडोर के लिए अतिरिक्त वायुस्थान दिए जाने संबंधी सहमति दिए जाने के पश्चात् नौवहन उपस्करों की स्थापना की गई थी;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार वायु दुर्घटनाओं को रोकने तथा इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर यात्रियों को अधिकतम सहुलियत देने के लिए हवाई जहाजों के आगमन तथा प्रस्थान के लिए अलग-अलग कोरीडोर बनाने का भी है;

(ङ) इन कोरीडोरों के निर्माण पर कुल कितनी अनुमानित लागत आने की संभावना है; और

(च) कब तक निर्माण कार्य शुरू होने की संभावना है?

नागर विमानन मंत्री (श्री सी॰एम॰ इब्राहीम) : (क) और (ख) जी, हां। दिल्ली से दोनों पूर्व की ओर तथा पश्चिम की ओर तथा मुम्बई से कलकत्ता और मुम्बई से बैंकॉक के लिए व्यस्त मार्गों के लिए आगमन तथा प्रस्थान पट्टियों को एकदिशीय बनाया जा रहा है।

(ग) जी, हां।

(घ) जी, हां।

(ङ) लगभग 22 करोड़ रुपए।

(च) दिल्ली से पश्चिम की ओर आने वाली तथा जाने वाली उड़ानों के लिए दिनांक 14 अगस्त, 1997 से अलग मार्ग चालू किया जाएगा।

[अनुवाद]

प्रक्षेपास्त्र प्रणाली की तैनाती संबंधी नीति

739. डॉ॰ मुरली मनोहर जोशी :
श्री विजय गोयल :
श्री डी॰ गोपाल कृष्ण :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार की देश की रक्षा हेतु विकसित की गई प्रक्षेपास्त्र तैनाती के संबंध में घोषित नीति क्या है;

(ख) क्या सरकार ने पाकिस्तानी और चीनी प्रक्षेपास्त्र विकास और तैनाती को देखते हुए "अग्नि प्रक्षेपास्त्र" के विकास और उसकी तैनाती के बारे में कोई नीतिगत निर्णय लिया है;

(ग) इस संबंध में भारत की नीति की व्यापक रूपरेखा क्या है; और

(घ) अब तक "अग्नि प्रक्षेपास्त्र" के संबंध में कितने परीक्षण किए गए हैं?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एन॰वी॰एन॰ सोमू) : (क) से (घ) हमारी सशस्त्र सेनाओं को अत्याधुनिक हथियारों से सज्जित करने तथा पड़ौसी देशों के किसी भी संभावित खतरे का मुकाबला करने के उद्देश्य से रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन को एकीकृत निर्देशित प्रक्षेपास्त्रों का विकास कार्यक्रम (आई जी एम डी पी) के माध्यम से विभिन्न प्रक्षेपास्त्रों का विकास करने का कार्य सौंपा गया है। एकीकृत निर्देशित प्रक्षेपास्त्र विकास कार्यक्रम पर डिजाइन और विकास कार्य बनाई गई योजना के अनुसार आगे बढ़ रहा है। "पृथ्वी" प्रक्षेपास्त्र का उत्पादन शुरू हो गया है और अन्य प्रक्षेपास्त्र विकास के विभिन्न चरणों में हैं। इस संबंध में कोई और ब्यौरे प्रकट करना राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में नहीं होगा।

[हिन्दी]

उत्तर पुस्तिकाओं का बदला जाना

740. श्री जय प्रकाश अग्रवाल : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान दिल्ली विश्वविद्यालय के परीक्षा विभाग में छात्रों की उत्तर पुस्तिकाओं के बदल दिए जाने संबंधी कुछ मामलों का पता चला है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) कितने मामलों में दिल्ली विश्वविद्यालय ने छात्रों की शिकायत पर उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन का आदेश दिया है;

(घ) इसके लिए उत्तरदायी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है अथवा किए जाने का विचार है; और

(ङ) इन घटनाओं को रोकने हेतु क्या प्रभावी कार्यवाही की जा रही है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुही राम सैकिया) : (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

रसोई गैस एजेंसियां

741. डा॰ सत्य नारायण जटिया : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में रसोई गैस एजेंसियों के लिए किन-किन

स्थानों को चुना गया है तथा 1995-96 और 1996-97 के दौरान कितनी एजेंसी शुरू की गई; और

(ख) उपर्युक्त अवधि अथवा इस अवधि से पहले की विपणन योजना के अनुसार मध्य प्रदेश में किन-किन स्थानों को शामिल किया गया जहां रसोई गैस एजेंसी की घोषणा की गई थी परन्तु अभी तक उपभोक्ता सेवा शुरू नहीं की गई और इसके क्या कारण हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) और (ख) 1995-96 और 1996-97 के दौरान मध्य प्रदेश में पैंतीस (35) एल पी जी डिस्ट्रीब्यूटरशिपों में से 13 मामलों में आशय-पत्र पहले ही जारी किए जा चुके है। बाकी के 125 मामलों में डिस्ट्रीब्यूटरों का चयन, चयन प्रक्रिया को दोबारा आरम्भ करने के बाद किया जाएगा।

[अनुवाद]

इन्दिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन पर सिगनल का कुप्रबंध और चूक

742. श्री पी॰आर॰ दासमुंशी : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इन्दिरा गांधी अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तन, नई दिल्ली में जून (दूसरे-तीसरे सप्ताह) में हवाई यातायात नियंत्रक द्वारा गलत सिगनल दिए जाने तथा कुप्रबंध के कारण संकट पैदा हो गया था जिसके परिणामस्वरूप रोमानिया एयरलाइन के विमान को उतरने में तथा खाड़ी देश के विमान को उड़ान भरने के लिए खतरा उत्पन्न हो गया था;

(ख) क्या इसके कारणों का पता लगाने के लिए कोई जांच की गई है; और

(ग) हवाई सुरक्षा नियमन हेतु किस प्रकार की विशेष सुरक्षा प्रदान करने पर विचार किया जा रहा है ताकि इस बात को सुनिश्चित किया जा सके कि अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों का अवतरण और प्रस्थान ऐसे सभी खतरों से मुक्त हो?

नागर विमानन मंत्री (श्री सी॰एम॰ इब्राहीम) : (क) 22 जून, 1997 को दिल्ली विमानपत्तन के राडार नियंत्रक के गल्फ एयर के एक जाने वाले विमान को 255 रेडियल पर 2000 फुट तक चढ़ने को क्लियर करते समय रोम के आने वाले ए-310 विमान को दिल्ली वी ओ आर से 100 समुद्री मील की दूरी पर 255 रेडियल पर 17000 फुट तक उतरने का निर्देश दिया। इसके फलस्वरूप दोनों विमान टकराते-टकराते बचे।

(ख) जी, हां।

(ग) निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं :-

1. दिल्ली के पश्चिमी सेक्टर पर आने वाले और जाने वाले यातायात के लिए पृथक मार्ग विकसित किए गए हैं तथा नए मार्ग 14.8.97 से प्रभावी होंगे।
2. एयरवोर्न कुलीजन ऐवोइडेंस सिस्टम को दिसम्बर, 1998 तक और हो सके तो इससे पहले लगाने सम्बन्धी नागर विमानन अपेक्षा लागू कर दी है।
3. दिल्ली और बम्बई विमानपत्तनों पर हवाई यातायात सेवाओं के आधुनिकीकरण को तेज किया जा रहा है।

विदेशी पर्यटक

743. श्री पवन दीवान :

श्री दत्ता मेघे :

श्री काशी राम राणा :

श्री कृष्ण लाल शर्मा :

क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान भारत में वर्षवार कितने पर्यटक आए और वे किन-किन देशों से आए;

(ख) क्या 1984 से विदेशी पर्यटकों के संबंध में भारत की स्थिति दिन-प्रतिदिन बिगड़ रही है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या और अधिक विदेशी पर्यटकों को भारत की यात्रा करने हेतु आकर्षित करने के लिए कोई योजना सरकार के विचाराधीन है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या सरकार ने चालू वर्ष के दौरान तथा अगले पांच वर्षों में और अधिक पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित किया है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यटन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री श्रीकान्त जेना) : (क) 1994, 1995 और 1996 के दौरान भारत में आने वाले विदेशी पर्यटकों की संख्या निम्न प्रकार से थी :-

वर्ष	विदेशी पर्यटकों की संख्या
1994	1886433
1995	2123683
1996	2287860

वे देश, जहां से बड़ी संख्या में पर्यटक भारत आते हैं: यू.के., बंगलादेश, यू.एस.ए., श्रीलंका, जर्मनी, जापान, फ्रांस, कनाडा, मलेशिया, इटली, आस्ट्रेलिया, सिंगापुर और नेपाल हैं।

(ख) और (ग) जी, नहीं। विदेशी पर्यटक आवागमन में भारत का प्रतिशत हिस्सा 1984 में 0.38 से बढ़कर 1996 में 0.39 हो गया।

1984 से विदेशी पर्यटक आगमन के आकडें निम्न प्रकार हैं :-

वर्ष	विदेशी पर्यटक आगमन
1984	1193752
1985	1259384
1986	1451076
1987	1484290
1988	1590661
1989	1736093
1990	1707158
1991	1677508
1992	1867651
1993	1764830
1994	1886433
1995	2123683
1996	2287860

(घ) और (ङ) पर्यटन का विकास एक सतत् प्रक्रिया है। संरचनात्मक सुविधाओं के सुधार, प्रचार और उन्नयन और मानव संसाधनों के विकास को सम्मिलित करते हुए कई योजनाएं प्रारंभ की गई हैं।

(च) और (छ) चालू वर्ष के दौरान पर्यटक आवागमन में 8 प्रतिशत प्रति वर्ष की वृद्धि का पुर्वानुमान लगाया गया है। आगामी वर्षों में वृद्धि दर को बढ़ाने के लिए प्रयत्न किए गए हैं लेकिन कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है।

[अनुवाद]

रक्षा बलों को घटिया दूध की आपूर्ति

744. **श्री चन्द्र भूषण सिंह :**

डॉ॰ एम॰ जगन्नाथ :

श्री एन॰ रामकृष्ण रेड्डी :

श्री अजय मुखोपाध्याय :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को रक्षा बलों को घटिया दूध की आपूर्ति किए जाने के समाचार मिले हैं;

(ख) क्या सैन्य पशुओं को घटिया किस्म का चारा खिलाये जाने के आरोप लगाए गए हैं जिसके परिणामस्वरूप इन पशुओं में से 15 प्रतिशत पशु क्षयरोग से पीड़ित हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या इस मामले में और रक्षा बलों को दूध की आपूर्ति से संबंधित ऐसे अन्य आरोपों के संबंध में कोई जांच करायी गई है; और

(घ) इस संबंध में जिम्मेवार लोगों के विरुद्ध क्या कदम उठाए गए हैं?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एन॰वी॰एन॰ सोमू) : (क) से (घ) 27 मई, 1997 के हिन्दुस्तान टाइम्स में "मिल्किंग दा आर्मी विद सिक कैटल" शीर्षक से एक रिपोर्ट प्रकाशित हुई है।

2. सेना मुख्यालय के क्वार्टर मास्टर जनरल से इस रिपोर्ट के ब्यौरे प्रस्तुत करने के लिए कहा गया था, उन्होंने इसका विधिवत् रूप से सत्यापन करने के पश्चात् सूचित किया है कि सैन्य पशु-चिकित्सा अधिकारी मिलिटरी फार्मों के पशुओं में तपेदिक (टुबरकुलोसिस) का पता लगाने के लिए उनकी नियमित रूप से जांच करते हैं और जिन पशुओं में यह बीमारी पायी जाती है उन्हें तत्काल पशु बाड़े (हर्ड) से हटा दिया जाता है।

3. सैन्य टुकड़ियों को दूध पास्चराईज करने के पश्चात् ही सप्लाई किया जाता है और इसकी गुणता पर लगातार नजर रखी जाती है।

4. सूखे चारे को तह पर तह जमाकर गंज में अच्छी तरह से ढक कर रखा जाता है, सारे संसार में यही प्रक्रिया अपनाई जाती है जिससे यह घटिया किस्म का नहीं होता है।

पत्तन न्यासों द्वारा उप-कर की वसूली

745. **श्री अजमीरा चन्दूलाल :** क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पत्तन न्यास ने प्रदूषण उप-कर के रूप में वसूल किये गये 25.53 करोड़ रु॰ में से 20.39 करोड़ रु॰ अपने पास रोक रखे हैं; और

(ख) सरकार द्वारा पत्तन न्यासों द्वारा उप-कर की वसूली और उसे जमा कराने की प्रभावी निगरानी के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री टिंडिवनम् जी॰ वेंकटरामन): (क) सभी महापत्तनों ने 5.66 करोड़ रु॰ की राशि वसूल की है और वसूली प्रभारों को रखने के बाद 5.35 करोड़ रु॰ की राशि सौंप दी है।

(ख) सरकार उपकर की वसूली की निगरानी कर रही है।

परीक्षा प्रणाली

746. **श्री के॰एच॰ मुनियप्पा :** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की दसवीं और बारहवीं कक्षाओं की परीक्षा प्रणाली की तीखी आलोचना की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या न्यायालयों में इस आशय की अनेक याचिकाएं दायर की गई हैं कि प्रश्नपत्रों को तैयार करने तथा उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन में कुप्रबन्ध तथा कदाचार है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुही राम सैकिया) : (क) केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षा प्रणाली के विभिन्न पहलुओं के बारे में विभिन्न क्षेत्रों में व्यक्त विचारों (जिसमें आलोचना भी शामिल है) से सरकार अवगत है।

(ख) और (ग) केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से प्राप्त सूचना के अनुसार दिल्ली उच्च न्यायालय में अर्थपूर्ण शिक्षा के लिए अभिभावक मंच द्वारा एक याचिका दायर की गई है जिसमें 1997 में बोर्ड द्वारा संचालित परीक्षाओं के प्रश्न पत्रों तथा मुख्य परीक्षकों/परीक्षकों के मार्ग-दर्शन के लिए बोर्ड द्वारा तैयार की गई अंकन योजना में कतिपय खामियों का आरोप लगाया गया है। याचिका में उठाई गई बातों/मुद्दों पर केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने एक विस्तृत प्रत्युत्तर दायर किया है। यह मामला अभी भी न्यायाधीन है।

आयुध कारखानों द्वारा घटिया टैंक गोला बारूद की आपूर्ति

747. **श्री रामसागर** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयुध कारखानों द्वारा सम्पूर्ण देश में "आर्म्ड कोर रेजीमेंट्स" को घटिया टैंक गोला बारूद के 45,000 राउंड की आपूर्ति उक्त गोला बारूद के परीक्षण रिपोर्ट प्राप्त होने के पूर्व ही कर दी गयी है;

(ख) क्या "टेस्ट फायरिंग" के दौरान यह पाया गया था कि "प्राइमर कैप्स" उड़ गए थे तथा "कैप होल्स" के द्वारा प्रणोदक गैस के रिसाव के कारण जान और माल का नुकसान हुआ था क्योंकि गोला-बारूद विपरीत दिशा में छूट गया था;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार आयुध कारखानों द्वारा "आर्म्ड कोर" को घटिया गोला-बारूद की आपूर्ति किए जाने संबंधी मामले की जांच करने का है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले तथा दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है; और

(ङ) "टेस्ट फायरिंग" के दौरान कितने व्यक्ति मारे गए?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एन॰वी॰एन॰ सोमू) : (क) से (ङ) वर्ष 1990-91 में आयुध निर्माणी चांदा द्वारा कवचित कोर रेजिमेंट को अति विस्फोटक (एच ई) 125 मि.मी. टैंक गोला-बारूद तथा अति विस्फोटक टैंक-रोधी (एच ई ए टी) गोला-बारूद के 39,485 राउंड सप्लाई किए गए थे। गोला-बारूद के इन रूपान्तरों में प्राइमर "वाई" का इस्तेमाल किया गया। प्राइमर "वाई" का विनिर्माण विदेश से अंतरित की गई प्रौद्योगिकी द्वारा किया गया था। प्राइमर "वाई" के प्रारंभिक लॉटों का विनिर्माण विदेशी तकनीकी विशेषज्ञों की मौजूदगी में और उनकी प्रत्यक्ष निगरानी में तथा उनकी संतुष्टि के अनुसार किया गया था। इन दोनों रूपांतरों से संबंधित प्राइमर और गोला-बारूद राउंडों के सफलतापूर्वक प्रूफ-परीक्षण के बाद ही इन राउंडों को जारी किया गया था। सप्लाई किए गए इन 39,485 राउंडों में से एक अंश का इस्तेमाल किया गया था। इनके बारे में कोई भी समस्या होने की सूचना नहीं मिली थी।

गोला-बारूद के एक तीसरे रूपांतर, जिसे 125 मि.मी. एफ एस ए पी डी एस के रूप में जाना जाता है और जो टैंक-कवच भेदक गोलाबारूद है, का निर्माण इसी प्रूफ परीक्षित प्राइमर "वाई" का उपयोग करते हुए स्वदेशी रूप से किया गया था। इस एफ एस ए पी डी एस के परीक्षण के दौरान एक दुर्घटना हुई। इस दुर्घटना में दो व्यक्तियों की जानें गई और एक टैंक क्षतिग्रस्त हो गया था।

जांच से पता चला है कि इस बात की काफी संभावना है कि यह दुर्घटना प्राइमर "वाई" के विनिर्माण के दौरान "बीडिंग" नामक आपरेशन न किए जाने के कारण हुई। सुरक्षा से संबंधित समस्त पहलुओं की सभी दृष्टियों से आगे जांच किए जाने के लिए एक समिति गठित की गई थी और इसने यह सिफारिश की कि प्राइमर के विनिर्माण के दौरान बीडिंग के साथ-साथ "थ्री प्वाइंट स्टेकिंग" नामक अन्य ऑपरेशन भी पूरा किया जाना चाहिए। अब इस प्राइमर का विनिर्माण इन ऑपरेशनों के साथ किया जा रहा है और किसी असामान्य बात की सूचना नहीं मिली है।

इस दुर्घटना के पश्चात् पहले जारी किए गए पहले दो रूपांतरों के 39,485 राउंडों में से 28,377 अप्रयुक्त राउंडों को अलग कर उनमें सुधार किया जा रहा है। यद्यपि इन दोनों रूपांतरों के बारे में किसी प्रकार की समस्या की कोई सूचना नहीं मिली थी।

[हिन्दी]

पत्तनों की क्षमता

748. **श्री विनय कटियार** :

कुमारी फ्रिडा तोपनो :

क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में प्रत्येक बड़े पत्तन की क्षमता का ब्यौरा क्या है;

(ख) इस समय उनकी क्षमता के कुल कितने प्रतिशत का उपयोग किया जा रहा है;

(ग) क्या सरकार का विचार पत्तनों में मूल सुविधाओं के साथ-साथ उनकी क्षमता बढ़ाने का है;

(घ) क्या नई पत्तन नीति की घोषणा के बाद विदेशी निवेशकों को प्रोत्साहन दिया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री टिंडिवनाम् जी॰ वेंकटरामन): (क) और (ख) 31.3.1997 की स्थिति के अनुसार विभिन्न महापत्तनों की उपलब्ध क्षमता और 1996-97 के दौरान हैंडल किए गए यातायात के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) से (ङ) जी हां, नौवीं पंचवर्षीय योजना में पत्तन क्षमता में लगभग 122 मिलियन टन वृद्धि करने का प्रस्ताव है। एफ आई पी बी/सक्षम प्राधिकारी से आवश्यक अनुमति प्राप्त करके ऐसे विदेशी निवेशकों के बारे में, जो भारतीय कंपनी अधिनियम के अंतर्गत एक कंपनी के रूप में पंजीकृत हों/पंजीकरण करवाना चाहते हों, पायलटेज को छोड़कर निजी क्षेत्र की परियोजनाओं के लिए विचार किया जा सकता है।

विवरण

31.3.1997 को विभिन्न महापत्तनों की उपलब्ध क्षमता तथा 1996-97 के दौरान हैंडल किए गए यातायात के ब्यौरे

(मिलियन टन)

पत्तन का नाम	31.3.97 को क्षमता (पुनः आकल्पित)	हैंडल किया गया यातायात
कलकत्ता	7.87	6.02
हल्दिया	17.70	17.06
पारादीप	10.90	11.58
विशाखापत्तनम	31.95	34.50
चेन्नई	25.40	31.85
तूतीकोरिन	7.60	9.17
कोचीन	13.46	11.63
नव मंगलौर	16.45	12.45
मुरगांव	19.18	17.37
ज.ला. नेहरू	9.90	8.10
मुम्बई	30.80	33.71
कांडला	24.00	33.73
जोड़	215.21	227.14

[अनुवाद]

अतिमहत्वपूर्ण व्यक्तियों की आवाजाही

749. **श्री जार्ज फर्नांडीज :** क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन-किन महत्वपूर्ण व्यक्तियों की आवाजाही के लिये हवाई अड्डे को सिविलियन हवाई यातायात के लिये बंद रखा जाता है;

(ख) गत तीन महीनों के दौरान अतिमहत्वपूर्ण व्यक्तियों की ऐसी कितनी आवाजाही रही; इसका उद्देश्य क्या था और उसकी अवधि कितनी थी;

(ग) क्या सरकार उड़ान में विलम्ब होने, विमानों को हवाई अड्डों पर रोके रखने तथा अधिक समय तक आकाश में विमानों के उड़ते रहने से अतिरिक्त ईंधन की खपत के कारण सिविलियन विमान सेवा प्रचालकों को होने वाले नुकसान का मुआवजा देती है;

(घ) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान उन्हें कुल कितनी धनराशि का भुगतान किया गया; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

नागर विमानन मंत्री (श्री सी॰एम॰ इब्राहीम) : (क) इस समय, हवाई अड्डों को भारत के राष्ट्रपति तथा विदेशी मुल्कों/सरकारों के प्रमुखों की अति विशिष्ट व्यक्तियों की आवाजाही हेतु सुरक्षा एवं संरक्षा कारणों से सिविलियन यातायात के लिए बंद कर दिया जाता है। भारत के प्रधान मंत्री की यात्रा के कारण हवाई अड्डे को बंद करने की प्रक्रिया दिनांक 11.7.1997 से समाप्त कर दी गयी है। अन्य अति-विशिष्ट व्यक्तियों के संचलन की बाबत भी ऐसे ही आदेश प्राप्त करने के प्रयास किए जा रहे हैं।

(ख) पिछले तीन माह के दौरान, ऐसे संचलनों के 55 मामले हुए और सुरक्षा कारणों से संबंद्ध अति विशिष्ट व्यक्तियों के विवरण तथा हवाई अड्डा बंद करने की समयावधि का उल्लेख नहीं किया जा सकता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) और (ङ) ये प्रश्न नहीं उठते।

राजस्थान में पेयजल की समस्या

750. **कर्नल सोनाराम चौधरी :** क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को उच्चतम न्यायालय द्वारा 3 मार्च, 1997 को दिए गए उस निर्णय की जानकारी है जिसमें नर्मदा बचाओ आन्दोलन के कारण रोक दिये गये नर्मदा बांध निर्माण कार्य को शुरू करने की अनुमति हेतु सरकार द्वारा की गई याचिका को न्यायालय द्वारा अस्वीकार कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) पिछड़ी तथा मरूभूमि वाले पश्चिमी राजस्थान के जिलों में पेयजल की समस्या को दूर करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही किए जाने का विचार है?

जल संसाधन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शीश राम ओला): (क) और (ख) उच्चतम न्यायालय ने जो सरदार सरोवर परियोजना पर अप्रैल 1994 में दायर की गई नर्मदा बचाओ आन्दोलन की याचिका की सुनवाई कर रहा है, दिनांक 3.3.97 के अपने आदेश में यह विचार व्यक्त किया था कि पूर्व अन्तरिम आदेश में संशोधन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। दिनांक 5.5.95 के अन्तरिम आदेश में यह कहा गया था कि बांध की प्रभावी ऊंचाई फिलहाल 80.3 मीटर पर ही रखी जायेगी जो 30 से 46 तक के ब्लाकों के बीच की मौजूदा ऊंचाई है और 29 और 47 से 50 तक के ब्लाकों में बांध की ऊंचाई ई एल 105 मीटर तक एक समान रूप से बढ़ाई जानी चाहिए। स्पिलवे क्रेस्ट के अनुप्रवाह किनारे पर एक सुप्रवाही हम्प बनाया जाना चाहिये, और 32 से 37 और 42 से 46 ब्लाकों में हम्प की ऊंचाई 3 मीटर होनी चाहिए 30, 31 और 38 से 41 के ब्लाकों में हम्प की अधिकतम ऊंचाई 1.2 मीटर से अधिक नहीं होनी चाहिये।

(ग) नर्मदा जल विवाद अधिकरण ने राजस्थान को 0.5 मिलियन एकड़ फुट (5,00,000 एकड़ फुट) नर्मदा जल आबंटित किया है। अब निर्माणाधीन नर्मदा मुख्य नहर को राजस्थान के बाड़मेर और जालौर जिलों में सिंचाई और पेय प्रयोजनों के लिए राजस्थान सीमा में सरदार सरोवर बांध से भी जल ले जाना है।

[हिन्दी]

एयर इंडिया अपने यात्रियों की संख्या बढ़ाने में असफल

751. **श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी :** क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एयर इंडिया अपने यात्रियों की संख्या में वृद्धि करने में पूर्णतः असफल रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है; और

(ग) यदि नहीं, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

नागर विमानन मंत्री (श्री सी॰एम॰ इब्राहीम) : (क) से (ग) एअर इंडिया द्वारा वाहित यात्रियों की संख्या में कमी तो नहीं आई है, फिर भी इसके बाजार शेयर में कमी आई है जो 1990 में लगभग 24.5 प्रतिशत से घटकर 1996 में 22 प्रतिशत ही रह गया है, क्योंकि विमान कंपनी में इस दर से संवृद्धि नहीं हुई है जिस दर पर अन्तरराष्ट्रीय यातायात बढ़ा है।

अपने बाजार शेयर में वृद्धि करने के लिए, एअर इंडिया क्षमता में बढ़ोतरी करने विपणन प्रयासों को तीव्र करने तथा अपने उत्पाद, छवि तथा समयबद्ध कार्य निष्पादन में सुधार करने की दिशा में कदम उठा रहा है।

[अनुवाद]

हवाई दुर्घटनाओं के संबंध में वार्षिक रिपोर्ट

752. **श्री येल्लैया नदी :**

डॉ॰ टी॰ सुब्बारामी रेड्डी :

क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नागर विमानन मंत्रालय का हवाई सुरक्षा निदेशालय प्रकाशन के लिए हवाई दुर्घटनाओं की वार्षिक रिपोर्ट तैयार करता है;

(ख) यदि हां, तो क्या ऐसी घटनाओं संबंधी रिपोर्टें गत तीन वर्षों से प्रकाशित नहीं की गई हैं;

(ग) इसके मुख्य कारण क्या हैं; और

(घ) सरकार का उपर्युक्त रिपोर्टों को वार्षिक रूप से प्रकाशित करने और उन पर शीघ्र अनुवर्ती कार्रवाई करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है?

नागर विमानन मंत्री (श्री सी॰एम॰ इब्राहीम) : (क) जी, हां। सरकार द्वारा रिपोर्ट स्वीकृत कर लिए जाने के उपरान्त हवाई दुर्घटनाओं की घटनाओं पर वार्षिक रिपोर्ट नागर विमानन महानिदेशालय द्वारा जारी की जाती है।

(ख) से (घ) वर्ष 1994 तथा 1995 की वार्षिक रिपोर्ट जारी की जा चुकी हैं। जहां तक वर्ष 1996 का संबंध है, कुछ दुर्घटनाओं की रिपोर्ट पर जांच चल रही है। सरकार द्वारा इन रिपोर्टों की स्वीकृति के उपरांत, 1996 की वार्षिक रिपोर्ट को जारी कर दिया जाएगा।

[हिन्दी]

पेट्रोल पम्पों और रसोई गैस एजेंसियों का आबंटन

753. **श्री सत्य पाल जैन :** क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान चण्डीगढ़ में कितने पेट्रोल पम्प और रसोई गैस एजेंसियां आबंटित की गई थी तथा विवेकाधीन कोटे से कितने व्यक्तियों को इनका आबंटन किया गया था और कितने व्यक्तियों को सामान्य आधार पर इनका आबंटन किया गया है;

(ख) क्या आबंटन से पूर्व विज्ञापन देने और आवेदन पत्र आमंत्रित करने जैसी कानूनी प्रक्रिया पूरी की गई थी; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) और (ख) पिछले तीन वर्षों अर्थात् 1994-95 से 1996-97 तक के दौरान आठ (8) खुदरा बिक्री डीलरशिप और तीन (3) एल पी जी डिस्ट्रीब्यूटरशिप चंडीगढ़ के लिए आबंटित की गई थी। इनमें से सभी खुदरा बिक्री केन्द्र और एक एल पी जी डिस्ट्रीब्यूटरशिप सरकार

के विवेकाधिकार के अंतर्गत आबंटित किए गए थे तथा दो एल पी जी डिस्ट्रीब्यूटरशिप निर्धारित चयन प्रक्रिया के माध्यम से अर्थात् तेल कंपनियों द्वारा विज्ञापन जारी करके और तेल चयन बोर्डों द्वारा आवेदकों के साक्षात्कारों के माध्यम से आंबटित की गई थी।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

निजी एयरलाइन्स से बकाया की वसूली

754. श्री प्रकाश विश्वनाथ परांजपे :
श्री मधुकर सरपोतदार :
श्री सनत मेहता :
श्री सत्यजीत सिंह दलीपसिंह गायकवाड़ :
श्री संतोष कुमार गंगवार :

क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निजी एयरलाइन्स का विमानपत्तन परिवहन प्राधिकरण सहित सरकारी एजेंसियों पर 200 करोड़ रुपये का बकाया हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस बकाया राशि की वसूली के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

नागर विमानन मंत्री (श्री सी॰एम॰ इब्राहीम) : (क) और (ख) निजी एयरलाइनों से वसूली के लिए बकाया देय कुल राशि निम्न प्रकार है :-

अन्तर्देशीय हवाई यात्रा कर
(1.7.1997 की स्थिति के अनुसार)

देय राशि	23.13 करोड़ रुपए
ब्याज	12.76 करोड़ रुपए
जुर्माना	15.40 करोड़ रुपए
योग	51.29 करोड़ रुपए

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के विभिन्न प्रभार, शुल्क इत्यादि

(31.5.1997 की स्थिति के अनुसार)
25.01 करोड़ रुपए

(ग) अन्तर्देशीय हवाई यात्रा कर के भुगतान में चूककर्ता एयरलाइनों के विरुद्ध कानून के अनुसार कार्रवाई की जाती है। यहां तक कि विगत में, अन्तर्देशीय हवाई यात्रा कर की देय राशियों की वसूली के लिए विमानों को भी रोका गया है।

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा अपनी प्राप्य राशियां वसूलने के लिए सभी प्रयास किये जाते हैं। चूककर्ता एयरलाइनों को नियमित रूप से अपनी देयताओं को पूरा करने के लिए कहा जाता है, और ऐसा न करने पर उनकी प्रतिभूति जमा को उनकी देयताओं के प्रति समायोजित किया जाता है। इसके अतिरिक्त, कुछ मामलों में, उधार सुविधा को भी वापस ले लिया जाता है।

[हिन्दी]

पृथ्वी प्रक्षेपास्त्र का विकास

755. डॉ॰ रमेश चन्द तोमर :
श्री देवी बक्स सिंह :
प्रो॰ अजित कुमार मेहता :
श्री सनत कुमार मंडल :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कुछ विदेशी दबाव के कारण पृथ्वी प्रक्षेपास्त्र की तैनाती रोक दी है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस संबंध में क्या कार्रवाई की है?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एन॰वी॰एन॰ सोमू) : (क) और (ख) हमारी सशस्त्र सेनाओं को अत्याधुनिक हथियारों से सज्जित करने तथा पड़ौसी देशों के किसी भी संभावित खतरे का मुकाबला करने के उद्देश्य से रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन को एकीकृत निर्देशित प्रक्षेपास्त्र विकास कार्यक्रम (आई.जी.एम.डी.पी.) के माध्यम से विभिन्न प्रक्षेपास्त्रों का विकास करने का कार्य सौंपा गया है। एकीकृत निर्देशित प्रक्षेपास्त्र विकास कार्यक्रम पर डिजाइन और विकास कार्य बनाई गई योजना के अनुसार आगे बढ़ रहा है। "पृथ्वी" प्रक्षेपास्त्र का उत्पादन शुरू हो गया है और अन्य प्रक्षेपास्त्र विकास के विभिन्न चरणों में हैं। इस संबंध में कोई और ब्यौरे प्रकट करना राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में नहीं होगा।

केन्द्रीय विद्यालय की स्थापना

756. श्री डी॰पी॰ यादव : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1996-97 के दौरान देश में कुल कितने केन्द्रीय विद्यालय खोले गये;

(ख) क्या उत्तर प्रदेश के संभल क्षेत्र में केन्द्रीय विद्यालय खोलने की योजना पर अमल किया गया है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुही राम सैकिया) : (क) 1996-97 के लिए 20 नए केन्द्रीय विद्यालय संस्वीकृत किए गए।

(ख) और (ग) केन्द्रीय विद्यालय संगठन ने सूचित किया है कि सम्भल शहर में कोई नया केन्द्रीय विद्यालय खोलने का प्रस्ताव जिला प्रशासन से प्राप्त नहीं हुआ है।

ग्राम पुस्तकालय

757. श्री राम कृपाल यादव : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सांस्कृतिक विभाग का 1995-96 से बुनियादी शैक्षिक सुविधाओं से परिपूर्ण ग्राम पुस्तकालयों की स्थापना करने का कोई प्रस्ताव था; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव को क्रियान्वित न करने के क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री एस॰आर॰ बोम्मई) : (क) और (ख) विभाग ने विद्यालय-सह-ग्राम पुस्तकालयों की एक स्कीम तैयार की थी। स्कीम को वित्त मंत्रालय द्वारा अनुमोदित नहीं किया गया जिसने विद्यमान स्कीमों के मूल्यांकन की सलाह दी ताकि पुनरावृत्ति से बचा जा सके।

भूमिगत जल संसाधन का विकास

758. श्री जगतवीर सिंह द्रोण : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रत्येक वर्ष सूखे से पीड़ित राज्य के सात जिलों में भूमिगत जल संसाधन के विकास के लिए केन्द्र सरकार द्वारा कोई कार्य योजना तैयार की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस योजना का संक्षिप्त प्रारूप क्या है तथा उक्त योजना कब तक लागू कर दी जायेगी; और

(घ) उत्तर प्रदेश में इस योजना के संबंध में अब तक क्या प्रगति हुई है?

जल संसाधन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शीश राम ओला): (क) जी, नहीं। ज्ल चूंकि राज्य का विषय है इसलिए विभिन्न राज्यों के सूखाग्रस्त जिलों में संसाधनों के विकास का दायित्व संबंधित राज्य सरकारों का है। तथापि, सूखाग्रस्त राज्यों को सहायता प्रदान करने के लिए केन्द्रीय भूजल बोर्ड द्वारा चलाई जा रही एक स्कीम का कार्यान्वयन किया जा रहा है। इस स्कीम के अन्तर्गत विभिन्न राज्यों के सूखाग्रस्त जिलों में कुओं की खुदाई के लिए बोर्ड द्वारा 25 रिगें तैनात की गई हैं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

(घ) चलाई जा रही योजना के अन्तर्गत वर्ष 1997-98 के दौरान 36 बोरहोल्स (31 अन्वेषणात्मक कुएं तथा 5 प्रेक्षण कुएं) खोदने के लिए इस समय 4 रिगें उत्तर प्रदेश के सूखाग्रस्त जिलों इलाहाबाद और मिर्जापुर में लगाई गई हैं।

[अनुवाद]

केन्द्रीय राज्य मंत्री द्वारा भारतीय वायुसेना के विमान का उपयोग किया जाना

759. प्रो॰ ओमपाल सिंह "निडर" : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्तमान रक्षा राज्य मंत्री द्वारा भारतीय वायुसेना के विमान का चेन्नई से दिल्ली और कलकत्ता तक अपने रिश्तेदारों और अन्य व्यक्तियों को कितनी बार ले जाने के लिए उपयोग किया गया;

(ख) इस संबंध में उनके द्वारा भारतीय वायुसेना को कितनी धनराशि के प्रभारों का भुगतान किया जाना है;

(ग) उनके द्वारा अब तक कितनी राशि का भुगतान किया गया है; और

(घ) उनसे शेष राशि की वसूली के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एन॰वी॰एन॰ सोमू) : (क) से (घ) रक्षा राज्य मंत्री अपने कार्यों का निर्वहन करने के लिए सर्विस वायुयान का इस्तेमाल करते हैं। प्रत्येक यात्रा का प्रयोजन और अन्य ब्यौरे प्रकट करना लोकहित में नहीं होगा।

प्रमुख हवाई अड्डों पर हवाई यातायात

760. श्री दिलीप संघानी :

श्री पी॰एस॰ गढ़वी :

क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने देश में प्रमुख विमानपत्तनों पर हवाई यातायात प्रबंधन को उच्च प्राथमिकता दी है;

(ख) यदि हां, तो इस उद्देश्य के लिए किन-किन हवाई अड्डों पर काम आरम्भ किया जाएगा;

(ग) क्या कुछ ऐसे हवाई अड्डों, जहां अन्तर्राष्ट्रीय उड़ानें आती और जाती हैं तथा जिन्हें अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित किया गया है, को भी इस योजना में शामिल किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो अहमदाबाद हवाई अड्डे को अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित किये जाने के बावजूद इसमें अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की सभी सुविधाएं नहीं देने के क्या कारण हैं तथा इस दिशा में सरकार द्वारा यथाशीघ्र क्या प्रयास करने का विचार है?

नागर विमानन मंत्री (श्री सी॰एम॰ इब्राहीम) : (क) जी, हां।

(ख) दिल्ली, मुम्बई, कलकत्ता, चेन्नई, तिरूवनन्तपुरम, हैदराबाद, गुवाहटी, नागपुर, भुवनेश्वर, अहमदाबाद और वाराणसी।

(ग) जी, हां।

(घ) अहमदाबाद हवाई अड्डे पर दिसम्बर, 1997 तक प्रारंभिक राडार सहित मोनोपल्स गौण निगरानी राडार संस्थापित किये जा रहे हैं। ऐसा किये जाने पर, इस हवाई अड्डे की हैंडलिंग क्षमता बढ़ जाएगी। अहमदाबाद हवाई अड्डे से होकर प्रचालित उड़ानों के लिए प्रभावी विमान यातायात नियंत्रण प्रदान करने के लिए, अहमदाबाद में क्षेत्रीय नियंत्रण केन्द्र पहले ही स्थापित किया जा चुका है।

शिकायतें

761. श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को एन.टी.पी.सी., बदरपुर में केन्द्रीय विद्यालय के प्रिंसिपल द्वारा निधियों का दुरूपयोग, ड्यूटी के प्रति लापरवाही और महिला अध्यापकों को उत्पीड़ित करने के बारे में शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में कोई कार्रवाई की गई है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुही राम सैकिया) : (क) और (ख) केन्द्रीय विद्यालय संगठन ने सूचित किया है कि केन्द्रीय विद्यालय संगठन को शिक्षकों के व्यक्तिगत दावों को न निपटाने के संबंध में 16.5.97 को एक गुमनाम व्यक्ति से शिकायत प्राप्त हुई है।

(ग) प्रधानाचार्य से कहा गया है कि वह नियमानुसार शिक्षकों के व्यक्तिगत दावों का निपटान करें।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

नौवहन उद्योग में इंजीनियरों की कमी

762. श्री अनन्त गुढ़े : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में नौवहन उद्योग में नौवहन इंजीनियर और अपेक्षित अन्य कुशल कार्मिकों की भारी कमी है;

(ख) यदि हां, तो विभिन्न राज्यों की तकनीकी संस्थाओं में नौवहन इंजीनियरों और अन्य कुशल कार्मिकों की वर्तमान संख्या और क्षमता का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) अद्यतन समीक्षा के अनुसार ऐसे कार्मिकों की आवश्यकता का ब्यौरा क्या है; और

(घ) नौवहन उद्योग की जनशक्ति आवश्यकता को पूरा करने के लिए मेरीन इंजीनियरिंग कालेज खोलने और तकनीकी इन संस्थाओं में पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए उठाए गए/उठाए जाने के लिए प्रस्तावित कदमों का ब्यौरा क्या है?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री टिंडिवनाम् जी॰ वेंकटरामन): (क) भारतीय जलयानों की विशेषतः निम्न श्रेणियों में, खासकर उन जलयानों पर जो भारतीय तट पर यात्राओं में लगे हैं, समुद्री इंजीनियरों की कुछ कमी है।

(ख) एक विवरण संलग्न है।

(ग) महानिदेशक (नौवहन) ने नौवहन उद्योग के साथ विचार-विमर्श करके यह अनुमान लगाया है कि भारतीय और विदेशी जलयानों के लिए प्रति वर्ष लगभग 1000 प्रशिक्षित समुद्री इंजीनियरिंग कार्मिकों की आवश्यकता है।

(घ) सरकार की नए समुद्री इंजीनियरिंग कालेज स्थापित करने की कोई तात्कालिक योजना नहीं है। तथापि, गैर-सरकारी कार्यशालाओं को फिलहाल प्रशिक्षणरत व्यक्तियों की संख्या बढ़ाने अथवा समुद्री कार्मिकों का प्रशिक्षण प्रारम्भ करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। इसके अतिरिक्त, तमिलनाडु और सूरत के कुछ इंजीनियरिंग कालेजों ने समुद्री इंजीनियरिंग में बी.ई. डिग्री पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए रुचि दर्शाई है। इन कालेजों को इस विचार पर कार्रवाई करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है।

विवरण

समुद्री इंजीनियरों के लिए संस्थानों और कार्यशालाओं की राज्यवार क्षमता के ब्यौरे दर्शाने वाला विवरण

संस्थान

संस्थान का नाम	पाठ्यक्रम के ब्यौरे	प्रतिवर्ष प्रवेश
1	2	3
पश्चिम बंगाल		
समुद्री इंजीनियरिंग एवं अनुसंधान संस्थान, कलकत्ता।	10+2 के पश्चात् समुद्री इंजीनियरिंग में 4 वर्षीय प्रशिक्षण पाठ्यक्रम	126

1	2	3
महाराष्ट्र		
समुद्री इंजीनियरिंग एवं अनुसंधान संस्थान, मुम्बई	बी.ई. (यांत्रिक) डिग्री के पश्चात् 6 माह का पाठ्यक्रम और उसके बाद जहाज पर 9 माह का प्रशिक्षण	156
केरल		
कोचीन शिपयार्ड लि॰, कोचीन	यथोक्त	100

कार्यशालाएं

क्रम सं॰	कार्यशाला का नाम	कुल स्लाट	अलग-अलग स्लाट			
			क	ख	ग	घ
1	2	3	4	5	6	7
(I)	महाराष्ट्र					
1.	मुम्बई पत्तन न्यास, मुम्बई	20	20	0	0	0
2.	मझगांव गोदी लि॰ मुम्बई	25	25	0	0	0
3.	पटेल इंजीनियरिंग, मुम्बई	10	7	3	0	0
4.	लारसन एवं टुब्रो लि॰, मुम्बई	10	0	0	0	0
5.	सेन्चुरी शिपिंग, मुम्बई	12	0	0	0	12
6.	एच.एम.जी. इंजीनियरिंग, मुम्बई	3	3	0	0	0
	योग	80				
(II)	पश्चिम बंगाल					
1.	कलकत्ता डाकिंग एंड इंजीनियरिंग, कलकत्ता	4	4	0 या	0	0
2.	हुगली डाक एंड पोर्ट इंजीनियर्स लि॰, कलकत्ता	20	20	20	0	0
3.	गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लि॰, कलकत्ता	30	0	0	0	30
4.	केन्द्रीय अंतर्देशीय जल परिवहन निगम लि॰, कलकत्ता	20	20	0	0	0
5.	शालीमार वर्क्स, कलकत्ता	5	5	0	0	0
6.	कलकत्ता पत्तन न्यास, कलकत्ता	30	30	0	0	0
	योग	109				
(III)	तमिलनाडु					
1.	मद्रास पत्तन न्यास, चेन्नई	20	0	0	0	20
2.	चिदम्बरम शिपकेयर प्रा॰ लि॰, चेन्नई	9	5	0	0	4
3.	बिन्नी इंजीनियरिंग, चेन्नई	9	0	0	0	9
	योग	38				

1	2	3	4	5	6	7
(IV)	**आंध्र प्रदेश**					
1.	हिन्दुस्तान शिपयार्ड लि॰, विशाखापत्तनम	50	0	0	0	50
2.	विशाखापत्तनम पत्तन न्यास, विशाखापत्तनम	12	0	0	0	12
	योग	62				
(V)	**केरल**					
	कोचीन पत्तन न्यास, कोचीन	10	0	3	1	6
(VI)	**गोवा**					
	गोवा शिपयार्ड लि॰, गोवा	10	10	0	0	0

संकेत :

क = 10+2

ख = यांत्रिक इंजीनियरिंग में डिप्लोमा

ग = इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में डिग्री

घ = यांत्रिक इंजीनियरिंग में डिग्री

सारांश	प्रति वर्ष प्रवेश
एम.ई.आर.आई., मुम्बई	156
एम.ई.आर.आई, कलकत्ता	126
सी.एस.एल., कोचीन	100
अन्य कार्यशालाएं	309
जोड़	691

उपर्युक्त के अतिरिक्त, भारतीय नौसेना और भारतीय नौसेना डाकयार्ड से प्रतिवर्ष लगभग 50 तकनीकी कार्मिक वाणिज्यिक नौसेना में कार्यभार संभालते हैं।

आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को मानदेय प्रदान करना

763. **डॉ॰ एम॰ जगन्नाथ :**

श्री एल॰ रमना :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1996 में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और हैल्परों को किस दर से मानदेय प्रदान किया गया और इसकी वर्तमान संशोधित दरें क्या हैं;

(ख) क्या कार्यकर्ता मानदेय की दर में अल्प वृद्धि का विरोध कर रहे हैं; और

(ग) यदि हां, तो आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओ को उचित मानदेय प्रदान करने के लिए क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री एस॰आर॰ बोम्मई) : (क) आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं/सहायिकाओं को वर्ष 1996 के दौरान दिए गए मानदेय तथा 16.5.97 से संशोधित मानदेय की दरों के संबंध में ब्यौरा इस प्रकार है :–

आंगनवाड़ी कार्यकर्ता श्रेणी	1996 के दौरान	संशोधित दरें
(1) नॉन मैट्रिकुलेट	350	438
(2) नॉन मैट्रिकुलेट, जिन्होंने 5 वर्ष की अवैतनिक सेवा की है	375	469
(3) नॉन मैट्रिकुलेट, जिन्होंने 10 वर्ष की अवैतनिक सेवा की है	400	500
(4) मैट्रिकुलेट	400	500
(5) मैट्रिकुलेट, जिन्होंने 5 वर्ष की अवैतनिक सेवा की है	425	531
(6) मैट्रिकुलेट, जिन्होंने 10 वर्ष की अवैतनिक सेवा की है	450	563
सहायिकाएं	200	260

(ख) आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं तथा आंगनवाड़ी सहायिकाओं के मानदेय में क्रमशः 25 प्रतिशत तथा 30 प्रतिशत की वृद्धि की गयी है तथापि, सरकार को कतिपय आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं/एसोसिएशनों से मानदेय में और अधिक वृद्धि करने के अभ्यावेदन प्राप्त हुए है।

(ग) आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं/सहायिकाओं के मानदेय में 16 मई, 1997 से हुई वृद्धि का अनुमोदन उनके दायित्वों तथा कार्यों की अवैतनिक प्रकृति को दृष्टिगत रखते हुए किया गया है अतः मानदेय में और वृद्धि का प्रश्न सरकार के विचाराधीन नहीं है।

शिक्षा क्षेत्र के लिए आबंटन

764. श्री प्रमोद महाजन : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार का विचार नौवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक शिक्षा के क्षेत्र के लिए आबंटन सकल घरेलू उत्पादन के 6 प्रतिशत तक बढ़ाने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इतनी अधिक राशि जुटाने के लिए नीतियों को अंतिम रूप दे दिया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इस संबंध में विलंब के क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुही राम सैकिया) : (क) से (घ) नौवीं पंचवर्षीय योजना (1997–2002), योजना आयोग के दृष्टिकोण पत्र में इस बात का उल्लेख है कि वर्ष 2000 तक सकल घरेलू उत्पाद का 6 प्रतिशत शिक्षा क्षेत्र के लिए रखा जाएगा।

[हिन्दी]

पेट्रोल पम्प/रसोई गैस एजेंसियां

765. श्री विद्यासागर सोनकर : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार की आरक्षण नीति के अनुसार जौनपुर जिले में अनुसूचित जाति के कितने व्यक्तियों को पेट्रोल पम्प तथा प्राकृतिक गैस की एजेंसियां दी गयी हैं;

(ख) क्या यह सुविधा समय पर प्रदान की गयी और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक उपाय किए जा रहे हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले में अनुसूचित जाति से संबद्ध व्यक्तियों द्वारा छह खुदरा बिक्री केन्द्र डीलरशिपों और एक एल.पी.जी. डिस्ट्रीब्यूटरशिप का संचालन किया जा रहा है।

(ख) जी, हां।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

दिल्ली से कलकत्ता के रास्ते बागडोगरा के लिए उड़ान

766. प्रो॰ जितेन्द्र नाथ दास : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की दिल्ली से कलकत्ता होते हुए बागडोगरा के लिए उड़ानें शुरू करने की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो इस योजना का ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

नागर विमानन मंत्री (श्री सी॰एम॰ इब्राहीम) : (क) जी, नहीं।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

(ग) इंडियन एयरलाइन्स पहले ही दिल्ली/बागडोगरा/गुवाहाटी/दिल्ली सैक्टर पर सप्ताह में तीन उड़ानों का तथा कलकत्ता/बागडोगरा/कलकत्ता सैक्टर पर सप्ताह में पांच उड़ानों का प्रचालन कर रही है। इसके अतिरिक्त, बागडोगरा निजी एयरलाइनों की नियमित सेवाओं से भी सीधे दिल्ली से जुड़ा हुआ है।

[हिन्दी]

सिंचित भूमि का प्रतिशत

767. श्रीमती पूर्णिमा वर्मा :

श्री एन॰एन॰ कृष्णादास :

क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में गत तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष राज्य–वार कुल कृषि भूमि में से सिंचित भूमि का प्रतिशत कितना था; और

(ख) उक्त अवधि के दौरान भूमिगत जल के उपयोग हेतु राज्यवार कितना निवेश किया गया?

जल संसाधन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शीश राम ओला): (क) और (ख) कृषि मंत्रालय द्वारा प्रकाशित भूमि प्रयोग आंकड़ों 1993–94 (अद्यतन) के अनुसार वर्ष 1991–92, 1992–93 और 1993–94 के दौरान देश में कुल कृषि योग्य भूमि में से सिंचित भूमि (निवल सिंचित क्षेत्र) के प्रतिशत के साथ–साथ भू–जल संसाधनों सहित लघु सिंचाई के विकास के लिए किये गये निवेश का राज्य–वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

कुल कृष्य क्षेत्र में निवल सिंचाई क्षेत्र का प्रतिशत तथा लघु सिंचाई के विकास पर (भू-जल संसाधनों सहित) किये गये निवेश का राज्यवार ब्यौरा

(करोड़ रुपये में)

राज्य/संघ शासित क्षेत्र	कुल कृष्य क्षेत्र में निवल सिंचित क्षेत्र का प्रतिशत			लघु सिंचाई विकास पर निवेश		
	1991-92	1992-93	1993-94	1991-92	1992-93	1993-94
आंध्र प्रदेश	27.36	25.41	29.39	50.94	60.53	95.29
अरूणाचल प्रदेश	11.61	13.43	20.57	9.63	10.77	12.25
असम	17.71	17.71	20.47	45.36	44.07	38.00
बिहार	30.19	30.17	36.92	55.39	69.47	34.75
गोवा	10.81	11.62	16.67	4.88	3.98	3.90
गुजरात	19.19	21.38	24.57	30.21	45.61	39.18
हरियाणा	69.69	69.73	71.55	24.60	28.49	0.47
हिमाचल प्रदेश	12.42	12.27	16.08	21.76	21.42	17.14
जम्मू-कश्मीर	29.84	29.65	37.45	15.28	16.05	16.77
कर्नाटक	17.91	16.81	19.55	26.36	44.05	63.39
केरल	13.61	13.71	14.17	16.91	15.03	21.17
मध्य प्रदेश	20.28	20.93	26.12	132.41	125.82	131.09
महाराष्ट्र	12.97	11.67	14.15	111.96	203.99	215.31
मणिपुर	39.63	39.63	46.43	4.36	3.00	4.75
मेघालय	4.18	4.18	16.25	5.81	5.78	4.19
मिजोरम	1.37	1.37	3.23	2.45	2.54	2.60
नागालैण्ड	9.10	9.26	19.74	2.78	2.41	3.49
उड़ीसा	23.92	25.60	32.39	53.28	53.35	56.65
पंजाब	90.26	90.76	91.62	19.23	17.16	21.68
राजस्थान	16.90	17.39	24.95	30.01	34.53	32.13
सिक्किम	14.04	14.04	16.16	1.86	2.10	1.99
तमिलनाडु	31.05	32.27	40.96	30.93	41.63	40.70
त्रिपुरा	16.13	16.13	12.46	7.20	6.59	4.62
उत्तर प्रदेश	53.00	54.33	62.83	58.28	70.08	46.45
पश्चिम बंगाल	32.22	32.22	33.46	33.41	45.27	62.97
कुल संघ शासित राज्य	30.14	31.28	45.33	4.67	5.80	6.57
		...	...			
कुल (राज्य/संघ शासित राज्य)	...	...		799.96	979.52	977.40
कुल केन्द्रीय क्षेत्र	...	...		44.17	15.07	70.91
कुल योग	...	...	...	844.13	994.59	1048.31

टिप्पणी : अपर लघु सिंचाई विकास पर दर्शाये गये निवेश के आंकड़ो मे वित्तीय संस्थानों द्वारा किया गया निवेश शामिल नहीं है।

हजारीबाग हेतु वायु मार्ग

768. श्री महावीर लाल विश्वकर्मा : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार दक्षिण बिहार में हजारीबाग को वायु मार्ग से जोड़ने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्री (श्री सी॰एम॰इब्राहीम) : (क) जी, नहीं।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

बुनियादी ढांचा संबंधी सुविधाएं

769. श्रीमती सुमित्रा महाजन : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इंदौर में शुरू किये गये आई॰आई॰एम॰ को बुनियादी ढांचे संबंधी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए कोई योजना तैयार की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुही राम सैकिया) : (क) और (ख) सरकार ने 9वीं योजना अवधि के दौरान इंदौर में 43.10 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय से एक भारतीय प्रबंधन संस्थान की स्थापना को अनुमोदित किया है और संस्थान को चलाने के लिए अनेक कदम उठाए हैं। संस्थान/शासी बोर्ड का गठन किया गया है और परियोजना निदेशक ने अपना कार्यभार ग्रहण कर लिया है। संस्थान की स्थापना के लिए लगभग 150 एकड़ भूमि अधिग्रहीत कर ली गई है।

[अनुवाद]

उच्च न्यायालय के आदेश का उल्लंघन

770. श्री शान्तिलाल पुरूषोत्तम दास पटेल : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 14 मई, 1997 को "इकनॉमिक टाइम्स" में "बिड टू फलोट हाई कोर्ट आर्डर ऑन स्कूल कोटा" शीर्षक के अंतर्गत प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है: और

(ग) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुही राम सैकिया) : (क) जी, हां।

(ख) इस समाचार रिपोर्ट में केन्द्रीय विद्यालय संगठन के कर्मचारियों की एक एसोसिएशन द्वारा केन्द्रीय विद्यालयों में विशेष छूट के आधार पर प्रवेशों के विरुद्ध दिल्ली उच्च न्यायालय में दायर समादेश याचिका का उल्लेख किया गया है। भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों में मंत्रियों द्वारा उपयोग किए जाने वाले विशेष कोटों को समाप्त करने सरकार के निर्णय को दृष्टिगत रखते हुए माननीय उच्च न्यायालय ने अपने दिनांक 11.4.97 के आदेश में इस याचिका का उसके निष्फल रूप में निपटान किया है। इस समादेश याचिका का अंतिम निपटान होने तक केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा उनको विशेष छूट के आधार पर प्रवेश करने की स्वीकृति देने के बारे में दायर एक विविध याचिका इस आदेश के अंतर्गत न्यायालय द्वारा भी निरस्त कर दी गई थी।

(ग) सरकार ने न्यायालय के किसी आदेश की अवज्ञा नहीं की है।

नौसेना मुख्यालय के टेलीफोन बिलों में धोखाधड़ी

771. लेफ्टीनेंट जनरल प्रकाश मणि त्रिपाठी :
श्री मंगल राम प्रेमी :
श्री प्रदीप भट्टाचार्य :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 1 जुलाई, 1997 के "इंडियन एक्सप्रेस" में "इलेवन हेल्ड फॉर फ्रौड इन नेवल हैडक्वार्टर्स" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या नौसेना मुख्यालय कुछ निजी उपभोक्ताओं के टेलीफोन बिलों का भुगतान करता रहा है जिससे नौसेना को आज तक एक करोड़ रुपए से अधिक की हानि हुई है;

(घ) यदि हां, तो क्या इस घोटाले में संलिप्त दोषियों को दण्डित करने के लिए जांच के आदेश दे दिए गए हैं;

(ङ) यदि हां, तो इस मामले की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(च) उन अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है जो अपने मातहत कर्मचारियों पर उचित पर्यवेक्षण में असफल रहे हैं तथा नाविकों और अधिकारियों को लम्बे समय तक गलत ढंग से नौसेना मुख्यालय में रखा?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एन॰वी॰एन॰ सोमू) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) केन्द्रीय जांच ब्यूरों को दिल्ली शाखा जो इस मामले की जांच कर रही है, ने यह सूचित किया था कि नौसेना मुख्यालय का एक सेवानिवृत्त चीफ पैटी अफसर और कुछ सिविलियन लिपिक महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड के स्टाफ के

साथ सांठगांठ करके नौसेना मुख्यालय के टेलीफोनों के संबंध में महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड के मुद्रित फार्मों पर जाली डुप्लिकेट/पूरक टेलीफोन बिल तैयार किया करते थे। इन बिलों पर सामान्य ढंग से कार्रवाई की जाती थी और फुटकर बिल में सूचीबद्ध नौसेना मुख्यालय के टेलीफोन बिलों के भुगतान के लिए महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड के पक्ष में चैक जारी किए जाते थे। नौसेना मुख्यालय के टेलीफोन नम्बरों का उल्लेख करने वाले फुटकर बिल के साथ चैक इस्तेमाल किए जाते थे और महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड को प्रस्तुत किए जाते थे तथा नौसेना मुख्यालय के वास्ते फुटकर बिल पर महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड की रसीद विधिवत प्राप्त की जाती थी। नौसेना मुख्यालय के अभिलेखों की प्रारम्भिक जांच से केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने 1991 से आगे के कुल लगभग 44 लाख रुपए के संदिग्ध जाली बिलों/कागजातों को जब्त कर लिया है। केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने नौसेना मुख्यालय में कार्यरत दो सिविलियन लिपिकों तथा नौसेना मुख्यालय के एक सेवानिवृत्त चीफ पैटी अफसर को गिरफ्तार कर लिया है। इसके अलावा केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड के एक कर्मचारी तथा आठ गैर-सरकारी व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। 24.7.97 की स्थिति के अनुसार पांच अभियुक्त अभी तक न्यायिक हिरासत में हैं।

(घ) और (ङ) केन्द्रीय जांच ब्यूरो दिल्ली शाखा ने अभियुक्तों के विरुद्ध एक आपराधिक मामला पहले ही दर्ज कर लिया है।

(च) नौसेना मुख्यालय में अफसर/नाविक की सेवा अवधि क्रमशः 3 से 5 वर्ष तथा 2 वर्ष के लिए प्रतिबंधित है। तथापि, आपवादिक मामलों में सेवा की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए विशेष छूट दी जाती है।

बोफोर्स तोप गोले

772. श्री मंगल राम प्रेमी : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को दिल्ली में हाल ही में कोयले के वैगन में बोफोर्स तोप के पांच अप्रयोज्य गोले पाए जाने की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस मामले की कोई जांच कराई गई है और यदि हां, तो इसके क्या निष्कर्ष निकले; और

(ग) इस मामले में और क्या कार्रवाई की गई है?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एन॰वी॰एन॰ सोमू) : (क) से (ग) बदरपुर थर्मल पावर स्टेशन पर कोयले के वैगनों में पांच कंटेनर पाए गए थे जिनमें प्रोपलैंट चार्ज थे न कि सजीव गोले। इस मामले की जांच की गई है। जांच अदालत इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि एस्कार्ट पार्टी द्वारा एस्कार्ट ड्यूटी के निष्पादन में लापरवाही बरतने के कारण कंटेनरों की चोरी हुई और उसमें एस्कोर्ट पार्टी के साथ-साथ उन व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई किए जाने की सिफारिश की है जो गोला-बारूद के प्रेषण तथा गार्ड तैनात करने से संबंधित अनुदेशों के अननुपालन के लिए जिम्मेदार हैं। जांच निष्कर्षों में इस घटना में जान-बूझकर तोड़-फोड़ किए जाने अथवा राष्ट्र विरोधी तत्वों के संलिप्त होने की संभावना होने से इंकार किया गया। जांच अदालत द्वारा यथासंस्तुत अनुशासनिक कार्रवाई संबंधी मामला शुरू कर दिया गया है।

रक्षा आवास

773. श्री राधा मोहन सिंह :

श्री चमन लाल गुप्त :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली स्टेशन हेडक्वार्टर्स के विवाहित कर्मचारियों के लिए आवास में रहने वाले कुछ रक्षा सिविलियन व्यक्तियों को अस्थायी आवंटन के आधार पर आवास खाली करने के लिए नोटिस जारी कर दिए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो मई, 1993 से सितम्बर, 1995 के बीच किए गए प्रत्येक आबंटनों का ब्यौरा क्या है और उन्हें रद्द किए जाने की तिथि क्या है, यदि कोई हो; और

(ग) संपदा अधिकारी द्वारा जारी किए इन नोटिसों की क्या वैधता है यद्यपि ये आबंटन पब्लिक प्रीमिसिस इविक्शन एक्ट, 1971 के अस्थायी आबंटन की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आते हैं?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एन॰वी॰एन॰ सोमू) : (क) जी, हां।

(ख) विवरण संलग्न है।

(ग) आवास, संबंधित व्यक्तियों के विशेष अनुरोध पर अस्थाई आधार पर विशेष अवधि के लिए आबंटित किए गए थे। इस अवधि के समाप्त होने पर संबंधित व्यक्ति को आवास खाली करना था। सक्षम प्राधिकारी ने सरकारी स्थान (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) अधिनियम, 1971 की धारा 4 और 7 के अधीन मकान खाली करने के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया था।

विवरण

मई, 1993 से सितंबर, 1995 के बीच किए गए प्रत्येक आबंटन का ब्यौरा जिसमें बेदखली का नोटिस दिया गया है

क्रम सं.	क्वार्टर सं. और अवस्थिति	आबंटन की तारीख	आबंटिती का नाम	आबंटन की अवधि	आबंटन के कारण	रद्द करने की तारीख	रद्द करने का औचित्य	स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	11/3, ए.पी.एस. कालोनी दिल्ली छावनी	29.5.93	श्रीमती संगीता अशोक, केन्द्रीय विद्यालय संख्या 2 में अ.श्रे.लि.	छह माह	यह आवास उनके अनुरोध पर आबंटित किया गया क्योंकि उनका 4 महीने का बच्चा था और उन्हें दूर स्थित अपने निवास से विद्यालय में आना मुश्किल था।	11.9.95	केन्द्रीय विद्यालय सं.2 के स्टाफ क्वार्टरों का निर्माण हो चुका था और यह क्वार्टर जूनियर कमीशन प्राप्त अफसरों/अन्य रैंक को आबंटित किए जाने के लिए अपेक्षित था।	यह मामला इस समय दिल्ली छावनी स्थित संपदा अधिकारी के न्यायालय में विचाराधीन है। संपदा अधिकारी के अंतिम आदेशों की प्रतीक्षा है।
2.	11/3, बसंत रेंज, दिल्ली छावनी	20.7.93	श्री मधु विज, टी जी टी, केन्द्रीय विद्यालय संख्या-2	छह माह 30.4.95 तक बढ़ाए गए परिवर्तन आबंटन के रूप में आबंटित	यह आवास केन्द्रीय विद्यालय सं.2 के प्रधानाचार्य द्वारा संबंधित व्यक्ति के विधिवत अनुशंसित अनुरोध पर आवास परिवर्तन के रूप में आबंटित किया गया था।	1.5.95	-वहीं	-वही-
3.	208/बी, केन्द्रीय वाहन डिपो लाइन दिल्ली छावनी	16.4.93	श्रीमती सुशीला धवन, टी जी टी केन्द्रीय विद्यालय सं. 3	छह माह 31.3.96 तक समयावधि बढ़ाई गई थी	यह आवास संबंधित व्यक्ति के अनुरोध पर क्वार्टर सं. टी-13 पुराना डी.आई.डी. लाइन के बदले में आबंटित किया गया था।	13.4.96	केन्द्रीय विद्यालय सं.3 के स्टाफ क्वार्टरों का निर्माण हो चुका था इसके अतिरिक्त यह आवास जूनियर कमीशन प्राप्त अफसरों/अन्य रैंक को नियमित आबंटन के लिए अपेक्षित था।	यह मामला इस समय छावनी दिल्ली स्थिति संपदा अधिकारी के न्यायालय में विचाराधीन है। यह मामला साध्य तथा बहस किए जाने वाले मुकदमों की सूची में है।

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.	67/2 डब्ल्यू ई सी लाइन, दिल्ली छावनी	6.7.93	श्रीमती सुमन भट्ट, टीजीटी, केन्द्रीय विद्यालय सं. 3	छह माह 6.7.93 से 5.1.94 तक छह माह की समयावधि 31.3.96 तक बढ़ाई गई थी।	यह आवास केन्द्रीय विद्यालय सं.3 के प्रधानाचार्य की सिफारिश पर संबंधित कर्मचारी के अनुरोध पर आवास परिवर्तन के रूप में आबंटित किया गया था।	1.4.96	-वही-	-वही-
5.	64/3, डब्लयू ई सी लाइन, दिल्ली छावनी	12.7.93	श्री आर.एन.यादव टी जी टी, केन्द्रीय विद्यालय सं.3	छह माह 31.3.96 तक समयावधि बढ़ाई गई थी।	यह आवास संबंधित व्यक्ति के अनुरोध पर केन्द्रीय विद्यालय सं. 3 के प्रधानाचार्य की विधिवत अनुशंसा पर आबंटित किया गया था।	1.4.96	-वही-	-वही-
6.	340/1, केन्द्रीय वाहन डिपो लाइन, दिल्ली छावनी	29.9.94	श्री एस.एस. मलिक, टी जी टी, केंद्रीय विद्यालय सं. 4	जून, 95 तक	यह आवास संबंधित व्यक्ति के अनुरोध पर केन्द्रीय विद्यालय सं.4 के प्रधानाचार्य की अनुशंसा पर आबंटित किया गया था।	5.3.96	केन्द्रीय विद्यालय सं. 4 से बाहर स्थानांतरित होने पर संबंधित व्यक्ति इस आवास के लिए हकदार नहीं था।	यह मामला इस समय दिल्ली छावनी स्थित संपदा अधिकारी के न्यायालय में विचाराधीन है। यह अंतिम आदेश किए जाने वाले मामलों की सूची में है।
7.	30/10 उरी इन्कलेव, दिल्ली छावनी	21.12.93	श्री राम चन्द्रा स्टेशन वर्कशाप ई एम ई डी/सी	अवधि निर्दिष्ट नहीं की गई है।	प्रशासनिक कारणों से हुए परिवर्तन के मुद्दे आवास का आबंटन किया गया था।	8.12.95	रक्षा सिविलियनों को उनकी वरिष्ठता के अनुसार आवास का आबंटन स्थाई आधार पर किया जाना अपेक्षित था।	इस समय यह मामला संपदा अधिकारी के न्यायालय में दिल्ली कैंट में चल रहा हैं संबंधित व्यक्ति को आवास खाली करने के लिए 28.2.97 तक समय दिया गया है।
8.	32/13 सी वी डी लाइन्स, दिल्ली कैंट	23.7.94	श्री बाल किशन सी वी डी रक्षा/ कैंट	22.1.95 तक छह माह	आवास का आबंटन मेडिकल आधार पर किया गया था।	23.1.95	आवास का आबंटन एक निश्चित समय के लिए किया गया था ताकि वह	इस समय यह मामला संपदा अधिकारी के न्यायालय में दिल्ली कैंट में चल रहा है। यह मामला

1	2	3	4	5	6	7	8	9
					संबंधित व्यक्ति की पुत्री दिमागी रोग से पीड़ित है तथा इसे शीघ्र मेडिकल इलाज की आवश्यकता है।		वैकल्पिक व्यवस्था कर सकें। एक्सटेंशन को अनिश्चित काल के लिए नहीं बढ़ाया जा सकता है।	बहस के लिए सूचीबद्ध है।
9.	34/11 सी वी डी लाइन्स, दिल्ली कैंट	3.2.94	श्री चरनजीत सिंह सी ओ डी रक्षा/ कैंट	आवास अस्थाई तौर पर छह माह के लिए आबंटित किया गया था। एक्सटेंशन 31.5.95 तक बढ़ाया गया।	आवास का आबंटन मेडिकल आधार पर किया गया था। संबंधित व्यक्ति की पुत्री मंदबुद्धि रोग से ग्रस्त है।	4.7.95	संबंधित व्यक्ति से वैकल्पिक व्यवस्था करने की अपेक्षा थी एक्सटेंशन अनिश्चित काल के लिए नहीं बढ़ाया जा सकता है। नियमित आबंटन के लिए आवास की जरूरत थी।	यह मामला इस समय संपदा अधिकारी के न्यायालय में दिल्ली कैंट में चल रहा है। संबंधित व्यक्ति से 31.3.97 तक आवास खाली करने का अनुरोध किया गया है। अंतिम निर्णय के लिए मामला सूचीबद्ध है।
10.	7/1 कंधार लाइन्स दिल्ली कैंट	7.2.94	श्री विजय कुमार जी ई (पश्चिम)	अवधि निर्दिष्ट नहीं की गई है	आबंटन प्रशासनिक आधार पर हुआ था ताकि संबंधित व्यक्ति असामान्य समय में भी अपने कार्यस्थल के निकट रह सके।	5.12.95	चूंकि आवास अस्थाई आधार पर आबंटित किया गया था इसलिए इसको और आगे नहीं बढ़ाया जा सकता था। इसके अतिरिक्त आवास का आबंटन स्थाई आधार पर किया जाना अपेक्षित था।	यह मामला संपदा अधिकारी के न्यायालय दिल्ली कैंट में चल रहा है। इसे अंतिम निर्णय के लिए सूचीबद्ध कर लिया गया है।
11.	टी–4 सं.4 कुक्कुट फार्म दिल्ली कैंट	21.9.94	श्री सुरिंदर कुमार सी डब्लू ई, दिल्ली कैंट	अवधि निर्दिष्ट नहीं की गई है।	टी–12/1 दूबक लाइन दिल्ली कैंट से परिवर्तन के कारण प्रशासनिक आधार पर आबंटित। इसके अतिरिक्त यह आवास नियमित आधार पर आबंटित किया जाना था।	6.12.95	चूंकि आवास का आबंटन अस्थाई आधार पर किया गया था इसलिए एक्सटेंशन को बढ़ाया नहीं जा सकता था।	यह मामला संपदा अधिकारी के न्यायालय में चला। इस मामले में अंतिम निर्णय जारी कर दिए गए हैं।

1	2	3	4	5	6	7	8	9
12.	18/3 हैडक्वार्टर लाइन, किंग्सवे कैंप	16.10.93	श्री नीरज जैन सी डब्ल्यू ई, दिल्ली कैंट	अवधि निर्दिष्ट नहीं की गई है।	आबंटन प्रशासनिक आधार पर हुआ था ताकि संबंधित व्यक्ति असामान्य समय में भी अपने कार्यस्थल के निकट रह सके।	5.12.95	चूंकि यह आवास अस्थायी तौर पर आबंटित किया गया था इसलिए एक्सटेंशन अवधि अनिश्चित काल के लिए नहीं बढ़ाई जा सकी। इसके अतिरिक्त यह आवास नियमित आधार पर आबंटित किया जाना था संबंधित व्यक्ति द्वारा यह आवास 30.3.96 को खाली कर दिया गया।	आवास आबंटिती द्वारा खाली कर दिया गया है।

[हिन्दी]

भारत को रूसी जहाजों की बिक्री

774. श्री कचरू भाऊ राउत :

श्री कृष्ण लाल शर्मा :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रूस ने भारत को दो जहाज स्क्रेप के रूप में बेचने की योजना बनाई थी; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एन॰वी॰एन॰ सोमू) : (क) जी, नहीं। रूस से ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

छावनी क्षेत्रों में नागरिक सुविधाएं

775. श्री बची सिंह रावत "बचदा" : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा छावनी क्षेत्रों में पेयजल, स्ट्रीट लाइट, सीवर लाइन आदि जैसी नागरिक सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए कोई विशेष योजना तैयार की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उत्तर प्रदेश में रानीखेत छावनी के लिए ऐसी कोई योजना स्वीकृत की गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एन॰वी॰एन॰ सोमू) : (क) से (घ) छावनी बोर्ड, छावनी अधिनियम, 1924 के उपबंधों के अंतर्गत अधिशासित सांविधानिक निकाय हैं जो सड़कों, नालियों, जल आपूर्ति आदि जैसे विकास कार्य अपने ही संसाधनों के जरिए करते हैं। केन्द्रीय सरकार जहां आवश्यकता हो वहां अनुदान के रूप में केवल वित्तीय सहायता प्रदान करती है। रक्षा संपत्तियों से संबंधित संपत्ति कर के बदले में उन्हें सेवा प्रभारों का भुगतान भी किया जाता है। सरकार ने शुष्क शौचालयों को जलवाहित शौचालयों में बदलने की योजना के लिए रानीखेत छावनी बोर्ड को विशेष सहायता अनुदान के रूप में 1995-96 में 16,83,000/- रुपए और 1996-97 में 20,00,000/- रुपए की धनराशि दी है।

[अनुवाद]

"सिन्धु" पनडुब्बी

776. श्री एल॰ रमना :

श्री सुरेश प्रभु :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सोवियत संघ से खरीदी गई पनडुब्बी "सिन्धु" को अपेक्षित स्तर के अनुरूप नहीं पाया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उसके कार्य निष्पादन में क्या-क्या बड़ी कमियों का पता चला है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाने का विचार है?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एन॰वी॰एन॰ सोमू) : (क) से (ग) जी, नहीं। सिन्धु श्रेणी की कुछ पनडुब्बियां 1986 और 1990 के बीच रूस से खरीदी गई थीं। इन पनडुब्बियों में लॉग रेंज सोनार, उत्तम किस्म का हल डिजाइन, जल के भीतर कुशलता से कार्य करने जैसी उत्कृष्ट डिजाइन विशेषताएं हैं। पनडुब्बियों की कमियां हमारी जलवायु - स्थितियों से संबंधित थीं। इन समस्याओं को भारतीय नौसेना ने पिछले कुछ वर्षों में स्वदेशीकरण/घरेलू प्रयासों से दूर कर दिया है।

राउरकेला के लिए हवाई सेवा

777. कुमारी फ्रिडा तोपनो : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राउरकेला क्षेत्र में निवेश हेतु व्यावसाइयों को आकर्षित करने के लिए वहां हवाई सेवा प्रदान करने का सरकार का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो क्या भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण का राउरकेला में विश्व स्तर का एक विमानपत्तन बनाने का कोई प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो वित्तीय प्रभावों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और धनराशि की व्यवस्था करने से संबंधित कौन-कौन से प्रस्ताव सरकार के पास लंबित हैं;

(घ) क्या इस संबंध में वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए विश्व बैंक से संपर्क स्थापित किए जाने की संभावना है; और

(ङ) यदि हां, तो उसके लिए क्या समय निर्धारित किया गया है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

नागर विमानन मंत्री (श्री सी॰एम॰ इब्राहीम) : (क) नागर विमानन महानिदेशालय द्वारा समय-समय पर अधिसूचित मार्ग वितरण मार्गदर्शी सिद्धांतों का पालन करते हुए विमान कंपनियां देश में कहीं भी अपनी सेवाएं प्रचालित करने के लिए स्वतंत्र हैं।

(ख) और (ग) राउरकेला का हवाई अड्डा भारतीय इस्पात प्राधिकरण का है धावनपथ की लम्बाई-चौड़ाई 6000 फुट × 100 फुट है जो 50 सीटों वाले विमानों के प्रचालनों के लिए उपयुक्त है। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की हवाई अड्डे के स्तरोन्नयन की कोई योजनाएं नहीं हैं।

(घ) और (ङ) ये प्रश्न नहीं उठते।

चेक टैंक सौदा

778. श्री मोहन रावले : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रूसी सरकार पाकिस्तान और अन्य देशों के साथ अपने शस्त्र व्यापार संबंधी रवैये की समीक्षा करने पर विचार करेगी जैसाकि 22 मई, 1997 के "द इंडियन एक्सप्रेस" में समाचार प्रकाशित हुआ है यदि भारत 500 टी-72 एमं आई टैंकों के लिए चेक गणराज्य के साथ सौदे पर हस्ताक्षर करता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एन•वी•एन• सोमू) : (क) इस विषय पर रूसी सरकार की ओर से आधिकारिक तौर पर कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

महत्वपूर्ण रक्षा प्रणाली संबंधी आयात में कटौती

779. श्री सुधीर गिरि : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हमारे देश में महत्वपूर्ण रक्षा प्रणाली संबंधी आयात को कम से कम करने के क्या तरीके अपनाए गए हैं;

(ख) रक्षा प्रणाली में स्वदेशी उत्पादों में वृद्धि करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या डी•आर•डी•ओ• रक्षा सेवाओं, अकादमी अनुसंधान और विकास संस्थापनाओं तथा उद्योग के बीच रक्षा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में विकास के लिए कोई अनुबंध किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एन•वी•एन• सोमू) : (क) रक्षा प्रणालियों के आयात को क्रमशः घटाते हुए इसे सन् 2005 तक वार्षिक रक्षा अर्जनों का 30 प्रतिशत करने के उद्देश्य से रक्षा प्रणालियों में आत्म-निर्भरता बढ़ाने के लिए एक 10 वर्षीय राष्ट्रीय अभियान शुरू किया गया है। इसके लिए, त्रिस्तरीय रणनीति अपनाई गई है जिसके अंतर्गत आयातित प्रणलियों के लिए अतिरिक्त हिस्से-पुर्जों का स्वदेशीकरण, सेनाओं के पास मौजूद रक्षा प्रणालियों का स्तरोन्नयन तथा अपने देश में विकसित रक्षा प्रणालियों तथा उपस्करों को उत्तरोत्तर अधिक संख्या में शामिल करना आता है।

(ख) रक्षा प्रणालियों में उपयोग के लिए विभिन्न प्रकार की सामग्रियां, संघटक और उप प्रणालियां देश में विकसित की गई हैं।

(ग) और (घ) नीति के रूप में, रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन के मुख्य अनुसंधान तथा विकास कार्यक्रम विभिन्न सेक्टरों जिनमें अकादमिक संस्थानों, अनुसंधान तथा विकास स्थापना व निजी और सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग शामिल हैं, में उपलब्ध दक्षता तथा इन्फ्रास्ट्रक्चर का इष्टतम उपयोग करते हुए कार्यान्वित किए जाते हैं। विशिष्ट प्रौद्योगिकियों में अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए वैमानिकी अनुसंधान व विकास परिषद, नौसेना अनुसंधान परिषद तथा शस्त्रास्त्र अनुसंधान परिषद जैसी तीन अनुसंधान परिषदों को धनराशि उपलब्ध कराते हुए मंजूरी दे दी गई है। कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के दौरान प्रयोक्ता सेनाओं के साथ गहन सम्पर्क बनाए रखा जाता है। ये प्रयोक्ता सेनाएं परियोजना पुनरीक्षाओं तथा मानिटरिंग संगठनों व प्रबंधन बोर्डों की बैठकों में भी भाग लेती हैं।

[हिन्दी]

निजी कम्पनियों के माध्यम से रसोई गैस की आपूर्ति

780. श्री दत्ता मेघे : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कितनी निजी कम्पनियां उपभोक्ताओं को रसोई गैस की आपूर्ति कर रही हैं;

(ख) क्या इन कम्पनियों का कार्यकरण संतोषजनक है;

(ग) यदि नहीं, तो कितनी कम्पनियों के विरुद्ध कदाचार की शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(घ) सरकार उनके विरुद्ध क्या कार्रवाई कर रही है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) से (घ) एल.पी.जी. नियंत्रण आदेश, 1993 के प्रावधान के अनुसार उद्यमी अपनी निजी शर्तों पर, बाजार निर्धारित मूल्य पर एल.पी.जी. का आयात एवं विपणन करते हैं। निजी पक्षकारों को इस योजना के तहत क्रियाकलाप आरम्भ करने के लिए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय से कोई लाइसेंस प्राप्त करने की जरूरत नहीं हैं तथापि, उन्हें सुरक्षा, प्रदूषण नियंत्रण इत्यादि से संबंधित संगत, लागू अधिनियमों तथा नियमों के अधीन अनुमोदन/स्वीकृति प्राप्त करने की जरूरत है। निजी पक्षकारों से अब यह भी अपेक्षित है कि वे अनुमोदित श्रेणीकरण एजेंसियों में से किसी एक से अपने आप को श्रेणीकृत करवाएं। अब तक 115 पक्षकारों ने समानांतर विपणन प्रणाली के अधीन ग्राहकों को एल.पी.जी. की आपूर्ति करने के संबंध में श्रेणी प्राप्त कर ली हैं। संचयी रूप से 30 जून, 1997 तक 18 पक्षकारों ने एल.पी.जी. की 236.8 टी एम टी मात्रा का आयात किया है।

समानांतर विपणनकर्ताओं के विरुद्ध डीलरों/डिस्ट्रीब्यूटरों से एकत्रित की गई प्रतिभूति जमा राशि वापस न करने, एल.पी.जी रीफिलों की अनियमित आपूर्ति, प्रचालन बन्दी, इत्यादि से संबंधित कुछ शिकायतें प्राप्त हुई थी। तेल समन्वय समिति के सतर्कता प्रकोष्ठ के माध्यम से इनकी जांच की गई थी तथा शिकायतकर्ताओं से इस मामले को उपभोक्ता परिषदों, एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग/पुलिस इत्यादि के साथ उठाने के लिए कहा गया था। संबंधित समानांतर विपणनकर्ताओं के विरुद्ध कुछ एक मामले राज्य पुलिस विभाग को संगत विधि के अधीन आवश्यक कार्रवाई करने के लिए भी भेजे गए थे।

[अनुवाद]

हिन्दी में प्राप्त अंक

781. श्री विजय कुमार खण्डेलवाल : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षाओं में इस वर्ष अन्य विषयों की तुलना में हिन्दी में प्राप्त किए गए अंकों का प्रतिशत अत्यधिक कम है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस संबंध में क्या सुधारात्मक उपाय उठाए जाने का प्रस्ताव है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुही राम सैकिया) : (क) केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार 1997 में बोर्ड द्वारा संचालित परीक्षाओं में छात्रों द्वारा अन्य विषयों में प्राप्त किए गए अंकों की तुलना में हिन्दी में प्राप्त अंकों में कोई तुलनात्मक ह्रास नहीं है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

हवाई यातायात नियंत्रकों की कमी

782. श्री ई॰ अहमद : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के विभिन्न विमानपत्तनों पर हवाई यातायात नियंत्रकों की कुल संख्या कितनी है;

(ख) क्या देश में हवाई यातायात नियंत्रकों की संख्या काफी कम है; और

(ग) यदि हां, तो इस स्थिति से निपटने के लिए क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है?

नागर विमानन मंत्री (श्री सी॰एम॰ इब्राहीम) : (क) 842

(ख) जी, हां।

(ग) विमान यातायात प्रचालनों की आवश्कताओं को पूरा करने के लिए वर्तमान रिक्तियों को भरने और नये पदों का सृजन के प्रयास किये जा रहे हैं।

कच्चा तेल

783. श्री बलाई चन्द्र राय : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1996-97 के दौरान कच्चे तेल का मांग कितनी थी और इसका कितना उत्पादन हुआ;

(ख) क्या कच्चे तेल के उत्पादन में गिरावट आई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) देश में कच्चे तेल की मांग, शोधन क्षमता पर आधारित है जो वर्ष 1996-97 में 60.5 मिलियन मीट्रिक टन थी। स्वदेशी कच्चे तेल का उत्पादन 32.88 मिलियन मीट्रिक टन था।

(ख) और (ग) वर्ष 1996-97 के दौरान कच्चे तेल के उत्पादन में निम्नांकित कारणों से कमी रही है:

- बी.आर.बी.सी. के प्रमुख क्षेत्रों, विशेषतया बंबई हाई तथा नीलम से अप्रत्याशित रिजर्वायर दशा, जो कि पूर्व घोषणाओं के अनुरूप नहीं थी, के कारण अनुमानित उत्पादन में कमी।
- संयुक्त उद्यम परियोजनाओं से हुआ कम उत्पादन।
- उत्तर पूर्वी क्षेत्र में कानून एवं व्यवस्था की समस्याओं तथा उपद्रव के कारण प्रचालन दशाओं से संबंधित कठिनाइयां।
- नागालैंड में काम बंदी।
- पश्चिमी और पूर्वी क्षेत्र में बारंबार विद्युत बंदी जिससे कृत्रिम लिफ्ट प्रचालन प्रभावित हुई।

[हिन्दी]

विदिशा जिले के लिए हवाई सेवा

784. श्री शिवराज सिंह : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार मध्य प्रदेश के विदिशा जिले को हवाई सेवा से जोड़ने का है; और

(ख) यदि हां, तो यह सेवा कब तक शुरू किये जाने की संभावना है?

नागर विमानन मंत्री (श्री सी॰एम॰ इब्राहीम) : (क) जी, नहीं।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

लेह के लिए ग्रीष्मकालीन उड़ानें

785. श्री पी॰ नामग्याल : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लेह के लिए इंडियन एयरलाइंस के ग्रीष्मकालीन उड़ान के कार्यक्रम की घोषणा में असाधारण विलंब के कारण बहुत से विदेशी पर्यटकों ने अपनी भारत यात्रा रद्द कर दी है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और क्रमशः फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई, 1997 के दौरान कितने विदेशी पर्यटक दलों ने अपनी यात्राएं रद्द की; और

(ग) इसके परिणामस्वरूप देश के राजकोष को कितनी विदेशी मुद्रा की हानि होने का अनुमान है?

नागर विमानन मंत्री (श्री सी॰एम॰ इब्राहीम) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) ये प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

जैसलमेर और बीकानेर के लिए हवाई सेवाएं

786. श्री ताराचन्द भगोरा : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान के जैसलमेर और बीकानेर शहरों को सरकारी क्षेत्र अथवा निजी क्षेत्र की विमान सेवाओं से जोड़ने के लिये कोई योजना केन्द्र सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो इन सेवाओं के कब तक चालू होने की संभावना है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

नागर विमानन मंत्री (श्री सी॰एम॰ इब्राहीम) : (क) से (ग) आधारभूत सुविधाओं की उपलब्धता के अध्यधीन एलायंस एयर की 1997 की शीतकालीन अनुसूची में जैसलमेर को हवाई मार्ग से जोड़ने की योजना है। इस समय, इंडियन एयरलाइंस/एलायंस एयर की बीकानेर को हवाई मार्ग से जोड़ने संबंधी कोई योजना नहीं है। तथापि, उन निजी प्रचालकों, जिनके पास उपयुक्त विमान उपलब्ध हैं, को व्यवहार्यता के अध्यधीन जैसलमेर तथा बीकानेर सहित और अधिक स्टेशनों को अपने नेटवर्क में शामिल करने के प्रति प्रोत्साहित किया जा रहा है।

[अनुवाद]

हिन्दुस्तान ऐरोनाटिक्स लिमिटेड द्वारा विकसित विमान

787. श्री श्याम लाल बंशीलाल : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान ऐरोनाटिक्स लिमिटेड के पास विदेशी सहयोग से पचास सीटों वाला विमान तैयार करने हेतु कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस प्रस्ताव की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ग) इस प्रस्ताव को कब तक अंतिम रूप दिये जाने की संभावना है?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एन॰वी॰एन॰ सोमू) : (क) से (ग) मैसर्स हिन्दुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड ने भारत में हिन्दुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ 50 सीट वाले वायुयान का सह-उत्पादन स्थापित करने में विदेशी वायुयान निर्माताओं की अभिरुचि जानने के लिए उन्हें लिखा है। कुछ प्रारम्भिक उत्तर प्राप्त हुए हैं। पुष्ट एवं पूरे उत्तर होने पर ही कार्यक्रम की बात होगी।

ऐतिहासिक स्मारक

788. डा॰ असीम बाला : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ऐतिहासिक महत्व के स्थानों के विकास, सुरक्षा और प्रसंरक्षण के लिये कोई नयी योजना आरम्भ की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या पुरातत्व संग्रहालय में कोई जीर्णोद्वार परियोजना आरम्भ की गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री एस॰आर॰ बोम्मई) : (क) और (ख) जी, नहीं। हालांकि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अधीन केन्द्र द्वारा संरक्षित स्मारकों का रखरखाव एवं विकास पुरातत्वीय मानकों तथा अलग-अलग स्मारकों की विशिष्ट जरूरतों के अनुसार किया जाता है।

(ग) और (घ) जी नहीं। हालांकि पुरातत्वीय संग्रहालयों में प्रदर्शित किये जाने वाली वस्तुओं की साज-सज्जा में आवधिक सुधार किए जाते हैं।

[हिन्दी]

अंग्रेजी भाषा का शिक्षण

789. श्री ब्रह्मानन्द मंडल : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह निश्चित करने के लिए कि कोई राष्ट्रीय नीति तैयार की गई है कि किस कक्षा से बच्चों को अंग्रेजी भाषा पढ़ाई जाए;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और क्या सभी सम्बद्ध संस्थाओं द्वारा इस नीति का पूर्णतः पालन किया जा रहा है;

(ग) यदि नहीं तो क्या सरकार का विचार इस संबंध में एक राष्ट्रीत नीति बनाने का है;

(घ) क्या सरकार का ध्यान केन्द्रीय विद्यालयों, नवयुग विद्यालयों और अन्य विद्यालयों में द्वितीय कक्षा में "लेट्अस लर्न इंगलिश" (बुक-टू स्पेशल सीरीज) नामक पुस्तक की ओर दिलाया

गया है जबकि इस पुस्तक को तृतीय कक्षा में पढ़ाए जाने की सिफारिश की गई है;

(ङ) यदि हां, तो क्या सरकार ने कभी इस बात पर ध्यान दिया है कि छः वर्ष का बच्चा यह पुस्तक कैसे पढ़ सकता है;

(च) यदि हां, तो प्राथमिक कक्षा से ही अंग्रेजी थोपे जाने के क्या कारण हैं; और

(छ) क्या सरकार द्वारा स्कूली बच्चों पर भार कम करने के लिए कोई उपाय किए जा रहे हैं। और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुही राम सैकिया) : (क) से (ग) भाषाओं के बारे में राष्ट्रीय नीति त्रिभाषा सूत्र में प्रस्तुत की गई है। तथापि, विभिन्न राज्यों में इस नीति के कार्यान्वयन में विभिन्नता है।

(घ) से (च) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(छ) भारत सरकार ने छात्रों पर अकादेमिक भार कम करने हेतु, युक्तियां और साधन सुझाने के लिए प्रोफेसर यशपाल, पूर्व अध्यक्ष, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय सलाहकार समिति गठित की थी। केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की दिनांक 2.3.94 को आयोजित 50वीं बैठक में राज्य सरकारों ने यशपाल समिति की सिफारिशों से व्यापक सहमति व्यक्त की है। जिन विचारों पर सब सहमत थे उनकी पहचान की गई थी और राज्य सरकारों द्वारा अपनाई जाने वाली कार्य-प्रणाली उनको सुझाई गई थी।

[अनुवाद]

भारत पर्यटन विकास निगम के निदेशक मंडल में अ॰जा॰/अ॰ज॰जा॰ के सदस्यों की संख्या

790. **श्री बाजू बन रियान** : क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत पर्यटन विकास निगम लिमिटेड के निदेशक मंडल में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के किसी व्यक्ति की नियुक्ति की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पर्यटन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री श्रीकान्त जेना) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) विद्यमान नियमों में विशेष रूप से, भारत पर्यटन विकास निगम के बोर्ड में निदेशकों की नियुक्ति के मामले में किसी आरक्षण की व्यवस्था नहीं है।

महाराष्ट्र में राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास

791. **श्री राजा भाऊ ठाकरे** : क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने महाराष्ट्र में राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास के लिए विश्व बैंक तथा एशियाई विकास बैंक से वित्तीय सहायता प्राप्त की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री टिंडिवनाम् जी॰ वेंकटरामन): (क) और (ख) महाराष्ट्र में रा.रा.-8 के मनोर बसीन संकरी खाड़ी खंड (58 कि.मी. लम्बाई) में मौजूदा दो लेन को चार लेन का बनाए जाने और उसके सुदृढ़ीकरण कार्य को विश्व बैंक ऋण सहायता के अंतर्गत द्वितीय राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना में शामिल कर लिया गया है। इस परियोजना की अनुमानित लागत लगभग 217 करोड़ रुपए है। महाराष्ट्र में राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास के लिए एशियाई विकास बैंक से कोई वित्तीय सहायता प्राप्त नहीं हुई है।

[हिन्दी]

मध्यम वर्ग के लोगों के लिये होटल

792. **श्री राम टहल चौधरी** : क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार भूमि उपलब्ध नहीं होने के कारण मध्यम वर्ग के लोगों के लिये होटल बनाने में असमर्थ है;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने गत दो वर्षों के दौरान किन-किन स्थानों पर मध्यम वर्ग के लोगों के लिये होटल बनाने का निर्णय लिया है; और

(ग) इन स्थानों पर उपलब्ध भूमि की कीमत क्या थी और सरकार इसे किस कीमत पर खरीदना चाहती थी?

पर्यटन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री श्रीकान्त जेना) : (क) से (ग) होटलों का निर्माण करना मुख्यतया निजी सेक्टर का कार्यकलाप है। इस प्रकार के आवास के निर्माण को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से भारत सरकार ब्याज इमदाद जो एक, दो तथा तीन सितारा श्रेणी के होटलों को विशिष्ट वित्तीय संस्थानों से लिए गए ऋणों पर उपलब्ध है, परियोजना उपकरण/पूंजीगत वस्तुओं और कच्चे माल के आयात पर कम शुल्क आदि जैसे प्रोत्साहन मुहैया करती है। सरकार आयकर अधिनियम के तहत भी छूट की पेशकश करती है।

पेट्रोल पम्प

793. **श्री पुन्नू लाल मोहले** : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में कितने पेट्रोल पम्प लगाये गये है और पेट्रोल पम्प लगाये जाने के कितने मामले लम्बित पड़े हैं;

(ख) क्या राज्य में नए पेट्रोल पम्प लगाये जाने की कोई योजना है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) उनमें से कितने पेट्रोल पम्प अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्ग के लोगों को आवंटित किये गये हैं;

(ङ) क्या उपर्युक्त पेट्रोल पम्प के आबंटन में आरक्षण प्रणाली लागू की गयी है;

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(छ) नये पेट्रोल पम्प लगाने के लिये मंजूरी कब तक मिल जायेगी?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) 1 अप्रैल, 1997 को मध्य प्रदेश में 1006 पेट्रोल/डीजल खुदरा बिक्री केन्द्र प्रचालन में थे। पहले से ही योजनाबद्ध अन्य दूसरी 103 खुदरा बिक्री केन्द्र डीलरशिपें आरम्भ होने के लिए लंबित हैं।

(ख), (ग) और (छ) देश के भिन्न-भिन्न भागों में खुदरा बिक्री केन्द्रों की शुरूआत एक सतत् प्रक्रिया है। इस संबंध में, तेल उद्योग द्वारा स्वतः एवं सरकार के कहने पर भी, नियमित सर्वेक्षण किए जाते हैं। मात्रा दूरी मानकों के अनुसार व्यवहार्य पाए गए स्थान भावी विपणन योजना में सम्मिलित किए जाते हैं। तदनुसार खुदरा बिक्री केन्द्र विपणन योजना 1996-98 के माध्यम से मध्य प्रदेश में अपेक्षाकृत और अधिक खुदरा बिक्री केन्द्र खोले जाएंगे। चयन प्रक्रिया के पुनः सक्रिय हो जाने के पश्चात् डीलरों का चयन किया जाएगा।

(घ) 1 अप्रैल, 1997 को अ०जा०/अ०ज०जा० श्रेणी से संबंधित 84 खुदरा बिक्री केन्द्र थे। चूंकि पिछड़े वर्गों के लिए कोई आरक्षण नहीं है इसलिए उनके खुदरा बिक्री केन्द्रों से संबंधित सूचना का रख-रखाव नहीं किया जाता है।

(ङ) जी, हां।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

पत्तनों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारी

794. डा॰ बलिराम : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के विभिन्न पत्तनों में कार्यरत अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों और अधिकारियों को आरक्षण का लाभ नहीं दिया जा रहा है;

(ख) क्या यह सच है कि मुम्बई पोर्ट ट्रस्ट पर कार्यरत अनुसूचित जातियों/जनजातियों के कर्मचारियों/अधिकारियों द्वारा सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित कराए जाने के बावजूद इस संबंध में कोई कार्यवाही नहीं की जाती है;

(ग) क्या यह भी सच है कि मुम्बई पोर्ट ट्रस्ट में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों की यूनियन द्वारा सरकार का ध्यान आकर्षित कराए जाने के बाद आज तक इस संबंध में कोई कार्यवाही नहीं की गई;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों को न्याय दिलाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री टिंडिवनाम् जी॰ वेंकटरामन): (क) देश के सभी महापत्तनों में तैनात अ.जा.और अ.ज.जा. के कर्मचारियों और अधिकारियों को नियमों के अनुसार आरक्षण के लाभ दिए जा रहे हैं।

(ख) जी नहीं। जब भी सरकार को इस प्रकार के अभ्यावेदन प्राप्त होते हैं, उनकी विधिवत जांच करके उन पर कार्रवाई की जाती है।

(ग) से (ङ) मुम्बई पत्तन न्यास अ.जा./अ.ज.जा. एवं अ.पि.व. कल्याण संघ से अ.जा./अ.ज.जा. कर्मचारियों की कुछेक शिकायतों के बारे में सरकार को अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं, जिनकी जांच कर ली गई है और मुम्बई पत्तन न्यास को सलाह दी गई है वे इस बारे में संगत सरकारी अनुदेश कार्यान्वित करें।

[अनुवाद]

नवोदय विद्यालयो की स्थापना

795. श्री हरिन पाठक :

श्री गोरधनभाई जावीया :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वोत्तर क्षेत्र में बहुत थोड़े नवोदय विद्यालय खोले गये हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) इस क्षेत्र में आज तक खोले गये नवोदय विद्यालयों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) देश में कितने नवोदय विद्यालय कार्यरत हैं और नौवीं पंचवर्षीय योजना में राज्यवार अब तक कुल कितने विद्यालय स्वीकृत किये गये हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुही राम सैकिया) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) पूर्वोत्तर क्षेत्र में खोले गये नवोदय विद्यालयों का राज्यवार ब्यौरा निम्न प्रकार है :-

राज्य	8वीं योजना के आरंभ के समय जिलों की संख्या	उन जिलों की संख्या जहां ज॰न॰ विद्यालय स्वीकृत किये गये हैं	शामिल न किये जिले
अरूणाचल प्रदेश	11	07	04
असम	23	17	06
मेघालय	06	06	-
मणिपुर	08	08	-
मिजोरम	03	03	-
नागालैंड	07	04	03
त्रिपुरा	03	03	7
कुल	61	48	13

(घ) देश के विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में 389 नवोदय विद्यालय संस्वीकृत किये गये हैं। राज्यवार ब्यौरा विवरण के रूप में संलग्न है।

नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान अब तक एक नवोदय विद्यालय जिला मुंगेर, बिहार के लिए संस्वीकृत किया गया है।

विवरण

देशभर में संस्वीकृत ज॰न॰ विद्यालयों की राज्यवार संख्या

क्र॰सं॰	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	स्कूलों की संख्या
1	2	3
1.	अण्डमान व निकोबार द्वीप समूह	2
2.	आन्ध्र प्रदेश	22
3.	अरूणाचल प्रदेश	7
4.	असम	17
5.	बिहार	45
6.	चण्डीगढ़	1
7.	दादर व नगर हवेली	1
8.	दमन व दीव	2
9.	दिल्ली	2
10.	गोवा	2
11.	गुजरात	12
12.	हरियाणा	14
13.	हिमाचल प्रदेश	10
14.	जम्मू और कश्मीर	14
15.	कर्नाटक	20
16.	केरल	12
17.	लक्षद्वीप	1
18.	मध्य प्रदेश	45
19.	महाराष्ट्र	28
20.	मणिपुर	8
21.	मेघालय	6
22.	मिजोरम	3
23.	नागालैण्ड	4
24.	उड़ीसा	16
25.	पाण्डिचेरी	4
26.	पंजाब	11
27.	राजस्थान	28
28.	सिक्किम	3
29.	त्रिपुरा	3
30.	उत्तर प्रदेश	46
		389

पाठयक्रम में अंतर

796. श्री भगवान शंकर रावत :

श्री गोरधनभाई जावीया :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न राज्यों में लागू किए गए पाठयक्रम एक समान नहीं हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने देशभर में एक समान पाठ्यक्रम लागू करने के लिए कोई नीति तैयार की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुही राम सैकिया) : (क) से (ग) राष्ट्रीय शिक्षा नीति में विभिन्न विषयों के लिए एक सामान्य ढांचे वाले एक राष्ट्रीय पाठ्यचर्या कार्य ढांचे पर आधारित एक राष्ट्रीय शैक्षिक पद्धति की परिकल्पना की गई है। दिशा-निर्देशों के कार्य ढांचे के आधार पर और राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद की संशोधित पाठ्य पुस्तकों के आधार पर यह आशा है कि राज्य सरकारें उसे एक चरण-बद्ध रूप में अपने संबंधित स्कूल पद्धति में स्कूल पाठ्यक्रम और पाठ्य पुस्तकों में संशोधन के लिए अपना लेगी या उन्हें अपने अनुकूल बना लेगी।

चूंकि देश में अधिकांश स्कूल राज्य सरकारों के नियंत्रण में हैं और उन्हें सभी स्कूल शिक्षा मामलों और अपने संबंधित क्षेत्राधिकार में पाठ्यचर्या और पाठय पुस्तकों को निर्धारित करने की पूर्ण स्वायत्ता है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

द्रवित प्राकृतिक गैस

797. **श्री अमर पाल सिंह :**

श्री पी॰सी॰ थामस :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को राज्य सरकारों से उनके अपने-अपने राज्य क्षेत्रों में स्थित विभिन्न औद्योगिक उपक्रमों और विद्युत संयंत्रों के लिए द्रवित प्राकृतिक गैस उपलब्ध कराने के संबंध में अनुरोध प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो गत दो वर्षों का तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है और इस पर केन्द्र सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार प्राथमिक क्षेत्र की परियोजनाओं, विशेषरूप से विद्युत संयंत्रों के लिए बिना मिलावटी और किफायती ईंधन उपलब्ध कराने के लिए द्रवित प्राकृतिक गैस का एक विशाल नेटवर्क स्थापित करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) परियोजना की अनुमानित लागत कितनी होगी; और

(च) इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक लिये जाने की संभावना है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) से (घ) केन्द्र सरकार को कुछ राज्य सरकारों से उनके क्षेत्रों में विभिन्न औद्योगिक उपक्रमों और विद्युत संयंत्रों के लिए गैस उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध प्राप्त हुए हैं। तमिलनाडु सरकार ने एल.एन.जी. टर्मिनल की स्थापना करने और विद्युत संयंत्रों के लिए एल.एन.जी. के उपयोग हेतु केन्द्र सरकार की सहमति मांगी है। केरल सरकार ने कोचीन में एल.एन.जी. टर्मिनल की स्थापना करने के लिए केन्द्र सरकार से अनुरोध किया हैं वर्तमान आयात नीति के अनुसार एल.एन.जी. ओ.जी.एल. की सूची में है और किसी भी राज्य एजेंसी अथवा निजी पक्षकार द्वारा इसका आयात किया जा सकता है।

केन्द्र सरकार ने एल.एन.जी. का आयात करने, एल.एन.जी. टर्मिनलों की स्थापना करने और विद्युत संयंत्रों को गैस की आपूर्ति करने के लिए एक संयुक्त उद्यम कंपनी के गठन को अनुमोदित कर दिया है, जिसमें गेल, ओ.एन.जी.सी., आई.ओ.सी. और बी.पी.सी.एल. की इक्विटी प्रतिभागिता 50 प्रतिशत तक होगी। कोचीन, एन्नोर, मंगलौर, हजीरा, डहेज में टर्मिलनों की स्थापना किए जाने की संभावना का पता लगाया जा रहा है। भारत में एल.एन.जी. के आयात के लिए तकनीकी आर्थिक अध्ययन किया जा रहा है।

(ङ) ऐसा अनुमान है कि 2.5 मिलियन टन प्रति वर्ष की साज संभाल की क्षमता वाले प्रत्येक एल.एन.जी. आयात टर्मिनल पर 1500 करोड़ रुपए की लागत आएगी।

(च) विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों से प्राप्त हुए तकनीकी प्रस्तावों का वर्तमान में मूल्यांकन किया जा रहा है और संयुक्त उद्यम कंपनी द्वारा इन पर चर्चा की जा रही है इस प्रक्रिया को अंतिम रूप देने में लगभग 18 महीने लगने का अनुमान है।

मौलाना आजाद उर्दू विश्वविद्यालय की स्थापना

798. **श्री इलियास आजमी** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मौलाना आजाद उर्दू विश्वविद्यालय की स्थापना के संबंध में कोई प्रगति हुई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुही राम सैकिया) : (क) और (ख) मौलाना आजाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति और प्रथम रजिस्ट्रार के पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया पहले से ही चल रही है।

[अनुवाद]

तेल पूल खाता

799. **श्री तरित वरण तोपदार :**

श्री ए॰ सम्पत :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल पूल खाते से निधियों के हस्तांतरण से संबंधित कुछ खामियों के कारण सरकार को प्रतिवर्ष करोड़ों रुपए के कर की हानि हो रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का प्रस्ताव है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

मोटर वाहनों के लिए ईंधन के रूप में तरलीकृत पेट्रोलियम गैस का उपयोग

800. श्री प्रभु दयाल कठेरिया :

श्री विजय पटेल :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने वातावरण के अनुकूल तरलीकृत पेट्रोलियम गैस का मोटर वाहनों के ईंधन के रूप में उपयोग करने की अनुमति देने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या तरलीकृत पेट्रोलियम गैस की कीमत सहित सभी औपचारिकताएं पूरी कर ली गई हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इस प्रस्ताव को कब तक कार्यान्वित किए जाने की संभावना है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) जी हां।

(ख) से (घ) मोटर वाहनों में ईंधन के रूप में एल.पी.जी. का वास्तव में इस्तेमाल संबंधित अधिनियमों/नियमों/नियंत्रण आदेशों में आवश्यक संशोधनों के अधिसूचित हो जाने के बाद आरंभ हो सकता है, जिन पर कार्रवाई जारी है। मोटर वाहन में ईंधन के रूप में इस्तेमाल की जाने वाली एल.पी.जी. का मूल्य सामान्य बाजार निर्धारित मूल्य होगा।

केरल में एल॰एन॰जी॰ योजनाएं

801. श्री पी॰सी॰ थामस : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल को तरलीकृत प्राकृतिक गैस की और अधिक मात्रा प्रदान करने की सरकार की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) केरल में एल॰एन॰जी॰ की वर्तमान योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या केरल सरकार अथवा किसी सार्वजनिक उपक्रम अथवा तेल और प्राकृतिक गैस निगम ने इस संबंध में केन्द्र सरकार को कोई योजना प्रस्तुत की है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या केरल में उन क्षेत्रों का पता लगा लिया गया है जहां एल॰एन॰जी॰ का दोहन किया जा सके; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) से (ग) फिलहाल देश में एल.एन.जी. उपलब्ध नहीं है क्योंकि आयात की कोई सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। सरकार ने एल.एन.जी. के आयात के लिए सुविधाओं के विकास और उपयोग तथा गेल, ओ.एन.जी.सी., आई.ओ.सी. और बी.पी.सी.एल. की ओर से 50 प्रतिशत तक की इक्विटी भागीदारी के साथ एक संयुक्त उद्यम कंपनी के गठन को अनुमोदन दे दिया है संयुक्त उद्यम कंपनी कोचीन में एक एल एन जी टर्मिनल स्थापित करने की संभावना का पता लगा रही है।

(घ) और (ङ) केरल सरकार और विद्युत मंत्रालय ने एल.एन. जी. के आयात के लिए गेल और एन.टी.पी.सी. के साथ विचार- विमर्श किया है। केरल सरकार ने अपेक्षित भूमि उपलब्ध कराने में सहायता की पेशकश की है।

(च) और (छ) एल.एन.जी. बाहरी देशों से आयात की जाती है और यह देश में उपलब्ध नहीं है।

कावेरी जल विवाद

802. श्री पी॰ षण्मुगम : क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि कर्नाटक की कुछ राजनीतिक पार्टियों ने हाल में कावेरी जल विवाद पर केन्द्र द्वारा प्रस्तुत प्रारूप अधिसूचना को लागू करने के विरुद्ध प्रदर्शन किया क्योंकि यह तमिलनाडु के पक्ष में है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

जल संसाधन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शीश राम ओला): (क) और (ख) केन्द्र सरकार ने तमिलनाडु सरकार के जुलाई, 1986 के अनुरोध और सर्वोच्च न्यायालय के मई, 1990 के निदेशों पर अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम, 1956 की धारा 4 के अनुसार पक्षकार राज्यों, अर्थात् कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और पांडिचेरी संघ राज्य क्षेत्र के बीच कावेरी जल विवाद का अधिनिर्णय करने के लिए 2 जून, 1990 को एक अधिकरण का गठन किया। अधिकरण ने सर्वोच्च न्यायालय के निदेशों के अनुसार अंतरिम राहत के लिए तमिलनाडु और पांडिचेरी के आवेदनों पर विचार किया और 25 जून, 1991 को एक आदेश पारित किया। आदेश के अनुसार, अधिकरण ने कर्नाटक राज्य को निदेश दिया कि वह वर्ष में जून से मई तक मासिक

और साप्ताहिक अनुबंध के साथ तमिलनाडु में मेत्तूर जलाशय में 205 टी एम सी जल की उपलब्धता सुनिश्चित करें। तमिलनाडु राज्य द्वारा पांडिचेरी संघ राज्य क्षेत्र के कराइकल क्षेत्र के लिए 6 टी एम सी जल सुव्यवस्थित तरीके से वितरित किया जाना है। कर्नाटक राज्य इस समय कावेरी नदी के जल से 11.2 लाख एकड़ की सिंचाई कर रहा है। वह इससे अधिक भूमि की सिंचाई इसके जल से नहीं करेगा। अधिकरण का आदेश माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा राष्ट्रपतीय निर्देश में दिए गए परामर्श के अनुसार 10.12.1991 को राजपत्र में प्रकाशित किया गया था और अधिकरण का यह आदेश पक्षकार राज्यों पर बाध्यकारी हो गया। तमिलनाडु सरकार कर्नाटक राज्य सरकार द्वारा अधिकरण के आदेश का पालन न किये जाने की शिकायत करती रही है। तमिलनाडु सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय में मूल वाद सं.1 दायर किया है जिसमें अन्य बातों के साथ साथ भारत संघ को आज्ञापक व्यादेश (मैन्डेटरी इंजक्शन) की डिक्री पास करने का निदेश देते हुए अधिकरण के निर्णयों को कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक सभी मामलों के लिए प्रावधान करते हुए एक स्कीम बनाने और राजपत्र में उनकी अधिसूचना जारी करने की प्रार्थना की गई है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ के समक्ष मूल वाद संख्या 1/92 सुनवाई के लिए अप्रैल, 1997 में आई। भारत के अटार्नी जनरल के बयान के आधार पर, सर्वोच्च न्यायालय ने 9.4.1997 को एक आदेश जारी किया कि कावेरी जल विवाद अधिकरण के दिनांक 25.6.1991 के आदेश का प्रभावी कार्यान्वयन करने के लिए अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम की धारा 6 क के अधीन एक स्कीम बनाने पर भारत संघ सहमत थी। इस प्रकार बनाई गई यह स्कीम पक्षकार राज्यों को 8 सप्ताह के भीतर उनकी टिप्पणियों के लिए भेजी जानी थी।

सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुसरण में केन्द्र सरकार द्वारा एक मसौदा स्कीम तैयार की गई और उसे दिनांक 30.5.1997 को सभी पक्षकार राज्यों को भेजा गया हैं तमिलनाडु, कर्नाटक और पांडिचेरी संघ राज्य क्षेत्र की राज्य सरकारों ने मसौदा स्कीम पर अपनी टिप्पणियां भेज दी हैं। केरल सरकार की टिप्पणियां अभी तक प्राप्त नहीं हुई हैं। तमिलनाडु तथा पांडिचेरी संघ राज्य क्षेत्र की सरकारें कुछ परिवर्तनों के साथ मसौदा स्कीम पर सहमत हो गई हैं। तथापि, कर्नाटक सरकार मसौदा स्कीम पर सहमत नहीं हुई हैं कर्नाटक के मुख्य मंत्री के नेतृत्व में वहां के एक सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल ने दिनांक 10.7.1997 को प्रधानमंत्री से भेंट की और "कावेरी जल का बंटवारा तथा प्रस्तावित कावेरी नदी प्राधिकरण" के संबंध में एक ज्ञापन प्रस्तुत किया।

मसौदा स्कीम को सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों के अनुसार तैयार किया गया हैं। मसौदा स्कीम को पिछले विभिन्न विकास क्रियाकलापों को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है। अधिकरण के दिनांक 25.6.1997 के आदेश का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए सभी बेसिन राज्यों की टिप्पणियों की जांच करने के बाद उसके गुण दोषों के आधार पर ही स्कीम को अंतिम रूप दिया जाएगा। इसके बाद संभावित सीमा तक मतभेदों को कम करने के लिए पक्षकार राज्यों की एक बैठक आयोजित की जा सकती है तब अंतिम रूप दिए गए स्कीम को अनुमोदन के लिए मंत्रिमंडल के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा और मंत्रिमंडल का अनुमोदन प्राप्त होने के बाद इसे अधिसूचित किया जायेगा तथा 30 दिन की अवधि के लिए संसद के दोनों सदनों के सभा पटल पर रखा जाएगा। संसद को संशोधन करने का अधिकार होगा जिसमें यह निर्णय शमिल होगा कि ऐसी किसी योजना को शामिल ही न किया जाये और फिर यह योजना केवल संशोधित रूप में ही लागू होगी।

सरकारी विद्यालयों में शिक्षा का स्तर

803. **श्रीमती जयवंती नवीनचन्द्र मेहता :** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस वर्ष, विशेषकर सरकारी विद्यालयों में दसवीं और बारहवीं कक्षाओं के परिणाम निराशाजनक रहे;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में कराई गई जांच का ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकारी विद्यालयों में शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं/किए जाने का प्रस्ताव है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुही राम सैकिया) : (क) से (ग) केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार इस वर्ष कक्षा दसवीं और बारहवीं के परीक्षा परिणामों में कोई ह्रास नहीं हैं तथापि सरकारी स्कूलों की कारगरता में सुधार लाने की प्रर्याप्त गुंजाइश है।

पूर्वी राज्यों में सिंचाई सुविधाएं

804. **डा॰ कृपासिन्धु भोई :** क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वी राज्यों में पर्याप्त सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इन राज्यों में सिंचाई सुविधा के अभाव से उत्पन्न स्थिति का कोई आकलन किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का नौवीं योजना के दौरान इन राज्यों में और अधिक सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने का विचार है; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में तैयार किए गए कार्यक्रम का ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शीश राम ओला): (क) से (ग) बिहार, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के पूर्वी राज्यों के लिए आंकी गई चरम सिंचाई क्षमता कुल मिलाकर 24.4 मिलियन हेक्टेयर है। इसकी तुलना में आठवीं पंचवर्षीय योजना (1992-1997) के अंत तक लगभग 16.4 मिलियन हेक्टेयर सिंचाई क्षमता सृजित हो जाने की आशा है।

(घ) जी हां।

(ङ) नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान सिंचाई क्षमता के सृजन के राज्यवार लक्ष्यों को योजना आयोग द्वारा अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

स्टेडियमों के लिए धनराशि

805. **श्री के॰सी॰ कोंडय्या : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हाल ही में सम्पन्न हुए राष्ट्रीय खेलों के मद्देनजर कर्नाटक राज्य को विभिन्न स्टेडियमों का निर्माण करने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा कितनी धनराशि दी गई है;

(ख) बंगलौर और मैसूर के प्रत्येक स्टेडियम के लिए कितनी-कितनी धनराशि जारी की गई है;

(ग) क्या इंडोर और अन्य स्टेडियमों के मामले में कोई खामी ध्यान में आई है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार ने इन स्टेडियमों के निर्माण की गुणवत्ता और सुरक्षा की जांच के आदेश दिए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में युवा मामलों और खेल विभाग में राज्य मंत्री (श्री आर॰ धनुषकोडी आदित्यन) : (क) और (ख) भारत सरकार ने कर्नाटक राज्य सरकार को बंगलौर एवं मैसूर में हाल ही में सम्पन्न हुए राष्ट्रीय खेलों के संबंध में विभिन्न स्टेडियमों के निर्माण हेतु 8.00 करोड़ रुपये की रकम का भारी अनुदान जारी किया था। इसके अतिरिक्त, बंगलौर एवं मैसूर में सिंथेटिक एथलेटिक ट्रैक, सिंथेटिक हॉकी सतह तथा इंडोर खेलों के लिए फर्श बिछाने हेतु 1.50 करोड़ रुपये का अनुदान भी जारी किया गया था।

(ग) कर्नाटक सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, मुख्य स्टेडियम अभी तक पूरी तरह से तैयार नहीं हुए हैं तथा खेलों के आयोजन के दौरान, इंडोर स्टेडियमों में रिसाव के एक या दो मामले ध्यान में आये थे क्योंकि छतें जलारोधी सामग्री से पूरी तरह से तैयार नहीं की गई थी। राज्य सरकार ने तत्काल इन पर ध्यान दिया था।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

रसोई गैस एजेंसियां

806. **श्रीमती सुभावती देवी : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार में दरभंगा में कितनी रसोई गैस एजेंसियां कार्यरत हैं;

(ख) क्या सामान्यतः लगभग सभी रसोई गैस एजेंसियों के खिलाफ शिकायतें प्राप्त होती हैं परन्तु एजेंसियों और क्षेत्रीय अधिकारी के बीच सांठ-गांठ होने के कारण उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की जाती है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का प्रस्ताव है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) बिहार में दरभंगा में तीन एल.पी.जी. डिस्ट्रीब्यूटरशिप प्रचालनरत है।

(ख) यह रिपोर्ट मिली है कि पिछले एक वर्ष के दौरान संबंधित तेल कंपनियों को इन एल.पी.जी. डिस्ट्रीब्यूटरशिपों के विरुद्ध कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(ग) जैसे और जब भी शिकायतें प्राप्त होती है उनकी जांच संबंधित तेल कंपनियों द्वारा की जाती है। साबित हुए मामलों में संबंधित डिस्ट्रीब्यूटरशिपों के विरुद्ध विपणन अनुशासन दिशानिर्देशों के अनुसार समुचित दण्डात्मक कार्रवाई की जाती है।

[हिन्दी]

बौद्ध स्मारकों/तीर्थ स्थलों का रख-रखाव

807. **श्री सुखलाल कुशवाहा : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार में बौद्ध तीर्थस्थलों और स्मारकों के रखरखाव के लिए क्या कदम उठाये गये हैं;

(ख) ऐसे प्रत्येक स्थान पर कितने कर्मचारी नियुक्त किये गये हैं और इनके पदों के नाम क्या हैं; और

(ग) तीर्थ यात्रियों को बुनियादी सुविधायें और इन तीर्थस्थलों के बारे में जानकारी उपलब्ध कराने के लिए समुचित व्यवस्था कब तक कर दी जायेगी?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री एस॰आर॰ बोम्मई) : (क) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा संरक्षित इन स्मारकों के संबंध में पुरातत्वीय मानकों एवं उनके लिए निधियों की उपलब्धता के अनुसार उनकी संरचनात्मक मरम्मत, रासायनिक परिरक्षण एवं पर्यावरणीय विकास संबंधी कार्य किए जाते हैं।

(ख) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा बिहार, उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश में संरक्षित स्मारकों की देखभाल मंडलों के प्रमुख अधीक्षण पुरातत्वविदों और अभियंताओं, रसायनज्ञों, उद्यानविदों एवं स्मारकों/स्थलों पर तैनात निगरानी स्टाफ द्वारा की जाती है।

(ग) तीर्थ-स्थलों में मूलभूत सुख-सुविधाएं उपलब्ध कराने एवं उनका रखरखाव करने और इन स्थलों से संबंधित जानकारी देने की जिम्मेदारी मुख्यतः पर्यटन मंत्रालय/राज्य पर्यटन विभाग की है। तथापि स्मारकों से लगी भूमि के फैलाव एवं पुरातत्वीय सिद्धांतों के

अनुकूल ही चुनिंदा स्मारकों में पीने के पानी एवं शौचालय जैसी सुविधाएं प्रदान की जाती है।

[अनुवाद]

एयर इंडिया की उड़ानों में कटौती

808. **श्री धीरेन्द्र अग्रवाल :** क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एयर इंडिया ने हज यात्रियों के लिए विमान उपलब्ध कराने हेतु इस वर्ष यूरोप और अन्य गन्तव्य स्थानों के लिए अपनी उड़ानों में कमी की थी;

(ख) यदि हां, तो उड़ानों में कितनी कटौती की गई और कितने विमानों का अपने गन्तव्य स्थानों से अन्यत्र उपयोग किया गया;

(ग) क्या यूरोप के टूर आपरेटरों ने एयर इंडिया द्वारा निर्धारित उड़ानों में किए गए परिवर्तन का विरोध किया था;

(घ) यदि हां, तो क्या पेरिस में तैनात एयर इंडिया के कर्मचारियों ने सचेत किया है कि पेरिस से होकर जाने वाली उड़ानों में की गई कमी के परिणामस्वरूप भारत की छवि प्रभावित हुई है; और

(ङ) सरकार द्वारा यह सुनिश्चित किए जाने के लिए कि उड़ानों में कम से कम कटौती की जाए, क्या कदम उठाए गए हैं?

नागर विमानन मंत्री (श्री सी॰एम॰ इब्राहीम) : (क) जी, हां।

(ख) मार्च से मई, 1997 की अवधि के दौरान, यूरोप को जाने वाली 36 उड़ानों तथा टोरंटो को जाने वाली 35 उड़ानों की कटौती की गई। इसके अतिरिक्त, हांगकांग-ओसाका मार्ग पर बी-747-200 से ए-310 तक की 22 उड़ानों का दर्जा घटाया गया।

(ग) और (घ) जी, हां। तथापि, एअर इंडिया ने पहले ही पुनः मार्ग निर्धारण द्वारा बुक किए गए समूहों/उत्तरवर्ती उड़ानों से बुक किए जाने वाले यात्रियों/उनकों अन्य वाहकों को स्थानांतरित करने में सभी संभव सहायता की थी।

(ङ) सरकार एअर इंडिया को यह सुनिश्चित करने के लिए निदेश जारी कर चुकी है कि तब तक अनुसूचित उड़नें रद्द न की जाएं अथवा किन्हीं मार्गों/सेक्टरों से प्रचालन क्षमता न हटाई जाए जब तक प्रचालन/तकनीकी संबंधी कारण ऐसा करने के लिए विवश न करते हों। ऐसी परिस्थितियों में भी, विमानकंपनी को चाहिए कि वह इस संबंध में समय रहते आम जनता को सूचित करें।

कांडला पत्तन से खनिजों का लदान

809. **श्री पी॰एस॰ गढ़वी :**
श्री विजय पटेल :

क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह बात सरकार के ध्यान में लाई गई है कि गुजरात के कच्छ क्षेत्र में बन्टोनाइटसाल्ट, बॉक्साइट तथा अन्य खनिज पदार्थों का उत्पादन किया जा रहा है;

(ख) क्या इन खनिजों का विदेशी मुद्रा अर्जन हेतु गत 25 वर्षों से निर्यात किया जा रहा है;

(ग) क्या निर्यातकों को कांडला पत्तन से लदान में कठिनाई आती है और हैंडलिंग तथा खराब मौसम आदि के कारण भारी हानि उठानी पड़ती है;

(घ) क्या इस पत्तन से इन खनिजों के लदान हेतु गोदी सुविधा प्रदान कराने के लिए कांडला पत्तन प्राधिकरण से निरंतर मांग की जाती रही है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है अथवा किए जाने का प्रस्ताव है?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री टिंडिवनाम् जी॰ वेंकटरामन): (क) और (ख) जी हां।

(ग) जी नहीं।

(घ) और (ङ) जी हां। हालांकि व्यापारियों ने इन खनिजों के लदान के लिए एक बर्थ अलग से उपलब्ध कराए जाने की मांग की है। उपलब्ध अवसरंचना सुविधाओं के मद्देनजर इन खनिजों के निर्यात के लिए अलग से एक बर्थ उपलब्ध कराना संभव नहीं है क्योंकि अन्य निर्यातपरक वस्तुओं की मांग और भी अधिक है।

केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को अल्पसंख्यक का दर्जा

810. **श्री जी॰एम॰ बनातवाला :**
श्री विजय गोयल :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को "अल्पसंख्यक" का दर्जा देने के संबंध में सरकार की नीति क्या है;

(ख) क्या देश में कोई ऐसे केन्द्रीय विश्वविद्यालय हैं जिन्हें "अल्पसंख्यक" का दर्जा दिया गया है, यदि हां, तो ऐसे विश्वविद्यालयों के नाम क्या हैं;

(ग) क्या जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय में आंदोलन हुआ था, यदि हां, तो आंदोलनकारियों की मांग क्या थी;

(घ) क्या राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग ने भी इन मांगों का समर्थन किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार ने उनकी मांग की जांच कर ली है, यदि हां, तो इस संबंध में सरकार का रुख क्या है; और

(च) जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय परिसर में शांति बहाल करने तथा परीक्षाएं, अध्ययन और प्रवेश फिर से शुरू करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुही राम सैकिया) : (क) से (च) दाखिलों में कुछ आरक्षणों के समाप्त करने के संबंध में दिल्ली उच्च न्यायालय के एक निर्णय के बाद जामिया मिलिया इस्लामिया में एक आंदोलन हुआ। जामिया मिलिया इस्लामिया अधिनियम में कुछ संशोधनों की मांग की गई थी ताकि इसके विशिष्ट ऐतिहासिक स्वरूप को प्रभावशाली बनाया जा सके। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग ने भी इन मांगों का समर्थन किया। विश्वविद्यालयों सहित शैक्षिक संस्थाओं को अल्पसंख्यक स्तर प्रदान करने का प्रश्न सभी उच्चतम न्यायालय के 11 न्यायाधीशों की एक पीठ के पास निर्णयाधीन है, इस समय सरकार द्वारा इन मुद्दों पर कोई निर्णय देना संभव नहीं है।

जामिया मिलिया इस्लामिया के प्राधिकारियों ने पहले ही इन आदेशों के विरुद्ध अपील दायर कर दी है, वह एक अंतरिम दाखिला नीति तैयार कर रहे हैं जिसमें न्यायालय के आदेशों के अनुसार जामिया समुदाय के विशेष हितों का ध्यान रखा जाएगा। कैम्पस में अब सामान्य स्थिति बहाल हो गई है, परीक्षाएं तथा अन्य शैक्षणिक गतिविधियां सामान्य रूप से चल रही हैं।

क्रिकेट के खेल में भ्रष्टाचार

811. **प्रो॰ अजित कुमार मेहता :**
डा॰ वाई॰एस॰ राजशेखर रेड्डी :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान क्रिकेट तथा अन्य खेलों के अंतर्राष्ट्रीय मैच निर्धारित करने में व्याप्त भ्रष्टाचार के संबंध में हाल ही में समाचार पत्रों में प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक कदम उठाये जाने का प्रस्ताव है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में युवा मामलों और खेल विभाग में राज्य मंत्री (श्री आर॰ धनुषकोडी आदित्यन) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) सरकार ने इस मामले पर चिंतापूर्वक विचार किया है और भारत में क्रिकेट के लिए एक शीर्षस्थ निकाय, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने क्रिकेट में शर्त लगाने और मैच निर्धारित करने के संबंध में लगाए गए आरोपों की जांच करने के लिए भारत के भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश माननीय न्यायमूर्ति, श्री वाई॰वी॰ चन्द्रचूड़ की अध्यक्षता में एक सदस्यीय स्वतंत्र समिति का गठन किया है

सेना का अकुशल कार्यकरण

812. **श्री प्रदीप भट्टाचार्य : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा** करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 28 जून, 1997 के "स्टेट्समेन" में "आर्मी फंक्शनिंग इनएफिशियन्ट" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या गत कुछ वर्षों के दौरान कार्यनिष्पादन में सेना मुख्यालय अक्षम हो गए हैं;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार का सेना के कार्यकरण में सुधार लाने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एन॰वी॰एन॰ सोमू) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) एक निजी पिकनिक पार्टी में हुई एक घटना, जिसमें यह दुर्घटना घटी, के आधार पर सेना पर दक्ष न होने का कथित आरोप नहीं लगाया जा सकता है। पूर्वी वायुकमान मुख्यालय द्वारा इस दुर्घटना के संबंध में बिठाई गई जांच अदालत ने यह निर्णय दिया है कि "इस दुर्घटना के लिए किसी व्यक्ति अथवा संगठन को दोषी न ठहराया जाए"।

[हिन्दी]

पर्यटन हेतु निजी कम्पनियों से सहायता

813. **श्रीमती केतकी देवी सिंह : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने** की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए निजी कम्पनियों से सहायता प्राप्त करने से संबंधित कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव की मुख्य विशेषताएं क्या हैं; और

(ग) इस संबंध में कब तक अंतिम निर्णय लिए जाने की संभावना है?

पर्यटन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री श्रीकान्त जेना) : (क) से (ग) पर्यटन विभाग, यात्रा व्यवसाय, विज्ञापन अभिकरणों और जन सम्पर्क अभिकरणों की सहायता से मार्केट की आवश्यकता पर निर्भर करते हुए अपने क्षेत्रीय/विदेश स्थित कार्यालयों के माध्यम से पर्यटन उत्पाद का सवर्धन करता है।

[अनुवाद]

पेट्रो-केमिकल कॉम्पलेक्स

814. डा॰ लक्ष्मी नारायण पांडेय : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड ने तमिलनाडु में एक पेट्रो-केमिकल कॉम्पलेंक्स स्थापित करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरे सहित इसमें शामिल निवेश की राशि क्या है;

(ग) क्या परियोजना की वित्तीय अर्थक्षमता तथा बाजार-उपलब्धता की जांच कर ली गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) से (घ) बी.पी.सी.एल. एक संयुक्त उद्यम कंपनी के माध्यम से तटीय तमिलनाडु में किसी स्थान पर एक पेट्रोरसायन परिसर की स्थापना करने की संभावना का पता लगा रही है। पूंजी निवेश, वाणिज्यिक और वित्तीय व्यवहार्यता आदि के संबंध में ब्यौरा विस्तृत व्यवहार्यता रिपोर्ट को अंतिम रूप दिए जाने के बाद ही प्राप्त होगा।

[हिन्दी]

पेट्रोलियम उत्पादों पर राजसहायता समाप्त करना

815. श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार पेट्रोलियम उत्पादों और प्राकृतिक गैस पर राजसहायता समाप्त करने का है;

(ख) राजसहायता समाप्त करने पर पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी;

(ग) पेट्रोलियम उत्पादों पर राजसहायता प्रदान करने के कारण आज तक कुल बाहरी ऋण कितना है;

(घ) क्या सरकार ने पेट्रोलियम उत्पादों पर राजसहायता के स्थान पर कोई व्यापक कल्याण योजना तैयार की है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) और (ख) तेल पूल खाते में घाटे को नियंत्रित करने और कुछ पेट्रोलियम उत्पादों पर राजसहायता कम करने के लिए सरकार विभिन्न विकल्पों का पता लगा रही है। राजसहायता में कमी की सीमा अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों, शुल्क नीति और मांग आदि विभिन्न घटकों पर निर्भर करेगी।

(ग) से (ङ) 1996-97 के दौरान पेट्रोलियम उत्पादों पर कुल राजसहायता लगभग 18,440 करोड़ रुपये थी और 1997-98 के दौरान इसके लगभग 18,660 करोड़ रुपये होने का अनुमान है। पेट्रोलियम उत्पादों पर राजसहायता तेल पूल खाता प्रक्रम से वहन की जाती है। आई.ओ.सी. देश में कच्चे तेल और पेट्रोलियम उत्पादों के आयात के लिए नियंत्रक एजेंसी हैं तेल आयातों के वित्तपोषण के लिए अल्पावधिक विदेशी मुद्रा ऋण की अधिकतम सीमा फरवरी, 1996 तक 1.53 बिलियन अमरीकी डालर थी जिसे वर्तमान में 3.5 बिलियन अमेरीकी डालर की स्वीकृत सीमा तक प्रगामी रूप से बढ़ा दिया गया है। इसके अलावा इस कार्पोरेशन ने तेल के आयात के लिए 200 मिलियन अमेरीकी डालर का 7 वर्षीय ऋण भी लिया है। तेल के आयात के लिए आई.ओ.सी. के अल्पावधिक विदेशी मुद्रा ऋण का वास्तविक स्तर 31.3.1997 की स्थिति के अनुसार 2.04 बिलियन अमेरीकी डालर था।

[अनुवाद]

सड़क और पत्तन संरचना सुविधाओं का विकास

816. श्री नारायण आठवले : क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उदारीकृत जल-भूतल परिवहन नीति के अंतर्गत सड़क और पत्तन संरचना सुविधाओं के विकास के लिए गैर-सरकारी/विदेशी विशेष निवेश होना शुरू हो गया है;

(ख) यदि हां, तो अब तक राज्य-वार प्राप्त हुआ निवेश तथा स्वीकृति प्राप्त परियोजनाओं सहित तत्सबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) परियोजना-वार वर्तमान परियोजनाओं संबंधी कितनी प्रगति हुई है तथा उनके पूरा होने की निर्धारित तिथि क्या है;

(घ) परियोजनाओं/योजनाओं को कार्यान्वित करने में आने वाली अड़चनों को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ङ) परिवहन क्षेत्र में भागीदारी करने वाले निजी क्षेत्र को प्रोत्साहन देने के लिए क्या कदम उठाये जाएंगे?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री टिंडिवनाम् जी॰ वेंकटरामन): (क) जी हां।

(ख) और (ग) सड़क और पत्तन दोनों क्षेत्रों के ब्यौरे विवरण के रूप में संलग्न हैं।

(घ) सड़क परियोजनाओं के कार्यान्वयन में अभी तक कोई बड़ी बाधा सामने नहीं आई है। बाधाओं, यदि कोई हों, के समाधान हेतु प्रत्येक बी.ओ.टी. सड़क परियोजना के लिए एक संचालन दल है। सड़क और पत्तन दोनों क्षेत्रों में सरल और पारदर्शी दिशानिर्देश पहले ही प्रकाशित कर दिए गए हैं।

(ङ) निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए सतत् प्रक्रिया के एक भाग के तौर पर आवश्यकतानुसार नए उपाय किए जाते हैं।

विवरण

सड़क और पत्तन क्षेत्र की परियोजनाओं में गैर-सरकारी/विदेशी निवेश

सड़क क्षेत्र

क्र सं.	परियोजना	राज्य	प्रगति	पूरा करने की नियत तारीख
1.	थाणे-भिवण्डी बाइपास	महाराष्ट्र	पूरा हो चुका है	-
2.	उदयपुर बाइपास	राजस्थान	26 प्रतिशत	1998
3.	चल्थन सड़कोपरि पुल	गुजरात	40 प्रतिशत	1998
4.	आंध्र प्रदेश में 6 पुल	आंध्र प्रदेश	कार्य अभी शुरू हुआ है	2002

पत्तन क्षेत्र

निजी क्षेत्र की भागीदारी के लिए वित्त वर्ष 1996-97 और 1997-98 के दौरान निम्नलिखित परियोजनाएं अनुमोदित की गई हैं :-

1996-97

क्रम सं. परियोजना का नाम

(i) कांडला में भारतीय तेल निगम द्वारा आभासी जैटी।

(ii) कांडला में एच.पी.सी.एल. द्वारा आभासी जैटी।

(iii) नव मंगलूर पत्तन में एचपीसीएल के माध्यम से एल.पी.जी. सुविधा का सृजन।

(iv) मुरगांव तट पर अपतटीय स्टेकयार्ड और वर्थ (ओ.एस.बी.) का निर्माण।

(v) तूतीकोरिन में मै. स्पिक इलैक्ट्रिक पावर कार्पोरेशन द्वारा आबद्ध जेटी।

(vi) नव मंगलूर में नागार्जुन फर्टीलाइजर्स एंड कैमीकल्स के लिए आबद्ध जैटी।

1997-98 (अब तक)

(i) ज.ला.ने. पत्तन न्यास में कंटेनर टर्मिनल।

(ii) मुरगांव पत्तन में बर्थ 5क/6क का निर्माण।

(iii) मै. ताला इलैक्ट्रिक कंपनी द्वारा मुम्बई पत्तन में कोयला जैटी का निर्माण।

नोट : उपर्युक्त परियोजनाएं प्रगति की विभिन्न अवस्थाओं में हैं।

[हिन्दी]

पत्राचार पाठ्यक्रम में लड़कों को दाखिला

817. श्री रामचन्द्र वीरप्पा : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 21 जून, 1997 के "नवभारत टाइम्स" में "पत्राचार विद्यालय के लिये अलग परिसर का सुझाव" शीर्षक के अंतर्गत प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं और इस पर क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) क्या पत्राचार के माध्यम से 10 + 2 की केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षा में केवल लड़कियों को ही अनुमति दी जाती है तथा लड़कों को अनुमति नहीं दी जाती है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या सरकार 10 + 2 पत्राचार पाठ्यक्रम में लड़कों को भी सीधे दाखिला देने पर विचार कर रही है; और

(च) यदि हां, तो इस संबंध में कब तक स्वीकृति दे दी जाएगी?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुही राम सैकिया) : (क) से (च) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

कर्नाटक में हुबली-धारवाड़ बाई-पास मार्ग का निर्माण

818. श्री शिवानन्द एच॰ कौजलगी : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास कर्नाटक के हुबली-धारवाड़ बाई-पास मार्ग के निर्माण संबंधी कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री टिंडिवनाम् जी॰ वेंकटरामन): (क) जी हां।

(ख) और (ग) हुबली-धारवाड़ बाई-पास, जिसकी लम्बाई 30 कि.मी. है, को निर्माण, प्रचालन और हस्तांतरण आधार पर बनाया जा रहा है।

सरदार सरोवर परियोजना

819. श्री सनत मेहता : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरदार सरोवर परियोजना संबंधी विवाद को न्यायालय से बाहर निपटाने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष अपने विचार रखने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि गुजरात को ब्याज की हानि हो रही है, क्योंकि परियोजना का अधिकांश वित्तपोषण उसके द्वारा किया जाना है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार का सरदार सरोवर परियोजना संबंधी विवाद निपटाने के लिए क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है?

जल संसाधन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शीश राम ओला): (क) सरदार सरोवर जलाशय के कार्यान्वयन पर विचार-विमर्श करने के लिए प्रधानमंत्री ने गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान के मुख्यमंत्रियों की एक बैठक 15.7.96 और 16.7.96 को नई दिल्ली में बुलाई तथा इस बैठक का परिणाम 22.8.96 को उच्चतम न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) परियोजना के पूरे होने में विलम्ब के कारण लागत बढ़ गई है जिससे गुजरात सहित सभी पक्षकार राज्य प्रभावित हुए हैं। चूंकि नर्मदा बचाओं आंदोलन ने भारत के उच्चतम न्यायालय में सरदार सरोवर परियोजना पर एक रिट याचिका (सिविल), 1994 की सं. 319 दायर कर दी है अतः यह मामला न्यायाधीन है।

विमान दुर्घटनाएं

820. श्री सुरेश कलमाडी : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले एक वर्ष के दौरान आज तक और आसमान में कितनी विमान दुर्घटनाएं हुई तथा कितनी बार विमानों को आपातकालीन स्थिति में उतरना पड़ा;

(ख) विमान दुर्घटनाओं के कारण जान-माल को हुई क्षति का ब्यौरा क्या है;

(ग) विमान दुर्घटनाओं के संबंध में कराई गई जांच के क्या परिणाम निकले और जांच आयोग ने उपचारात्मक उपायों के क्या सुझाव दिए हैं; और

(घ) ऐसी दुर्घटनाओं को रोकने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं/उठाने का विचार है;

नागर विमानन मंत्री (श्री सी॰एस॰ इब्राहीम) : (क) पिछले एक वर्ष के दौरान आज तक दिनांक 12.11.96 को चरखी दादरी के निकट सऊदी बी-747 विमान तथा कजाख आई एल-76 विमान के मध्य एक विमान दुर्घटना, 4 मध्य आकाश दुर्घटनाएं हुई जबकि विमानों को चार बार आपातकालीन स्थिति में उतरना पड़ा।

(ख) सऊदी बी-747 विमान तथा कजाख आई एल-76 विमानों के मध्य हवाई दुर्घटना में कुल 349 व्यक्ति हताहत हुए। दोनों ही विमान पूर्णतः नष्ट हो गए।

(ग) और (घ) इस दुर्घटना की जांच, वायुयान नियम, 1937 के नियम 75 के अधीन सरकार द्वारा नियुक्त एक जांच न्यायालय द्वारा की जा चुकी है। जांच न्यायालय की रिपोर्ट की समीक्षा की जा रही है।

विश्व बैंक द्वारा जी॰टी॰ रोड़ का सर्वेक्षण

821. कुमारी सुशीला तिरिया : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक ने 1984 में जी॰टी॰ रोड़ का सर्वेक्षण किया था और इसके लिए वित्तीय अनुदान मंजूर किया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) पिछले बारह वर्ष से इस सड़क का निर्माण न किए जाने के क्या कारण हैं?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री टिंडिवनाम् जी॰ वेंकटरामन): (क) और (ख) विश्व बैंक ने सन् 1985 से ग्रांड ट्रंक रोड के निम्नलिखित खंडों के विकास के लिए ऋण सहायता दी है :

राज्य		परियोजना का नाम	वर्तमान स्थिति
पंजाब	(i)	रा.रा. 1 के सरहिन्द-जालंधर खंड (252-373 कि.मी.) को चार लेन का बनाना और सुदृढ़ करना।	पूरा हो चुका है।
	(ii)	रा.रा. 1 के सरहिन्द-पंजाब/हरियाणा सीमा खंड (212-252 कि.मी.) को चार लेन का बनाना और सुदृढ़ करना।	प्रगति पर है।
हरियाणा	(i)	रा.रा.-1 के मुरथल-करनाल (53.130 कि.मी.) खंड को चार लेन का बनाना और सुदृढ़ करना।	प्रगति पर है।
	(ii)	रा.रा. 1 के करनाल-अम्बाला पंजाब/हरियाणा सीमा (133-212 कि.मी.) खंड को चार लेन का बनाना और सुदृढ़ करना।	प्रगति पर है।
पश्चिम बंगाल	(i)	रा.रा. 2 के दिल्ली-कलकत्ता खंड पर दनकुनी और पालतित के बीच 2 लेन की एक नई सड़क का निर्माण (65 कि.मी.)	प्रगति पर है।
	(ii)	रा.रा. 2 के रानीगंज-पश्चिम बंगाल/बिहार सीमा (438-474 कि.मी.) खंड को चार लेन का बनाना और सुदृढ़ करना।	निविदाएं प्राप्त हुई हैं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

बी॰आर॰पी॰एल॰

822. **श्री अजय मुखोपाध्याय** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान बोंगाइगांव रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्ज़ लिमिटेड (बी॰आर॰पी॰एल॰) द्वारा अर्जित लाभ का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या उक्त अवधि के दौरान समझौता ज्ञापन में कंपनी को सरकार द्वारा उत्कृष्ट कंपनी का दर्जा दिया गया है;

(ग) क्या विनिवेश आयोग ने बी॰आर॰पी॰एल॰ में सरकार की पचास प्रतिशत इक्विटी की तुरंत बिक्री करने तथा छब्बीस प्रतिशत या कम की बाद में बिक्री करने की सिफारिश की है;

(घ) यदि हां, तो क्या बी॰आर॰पी॰एल॰ के बोर्ड तथा मंत्रालय के भी विचार प्राप्त हुये थे;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(च) क्या बी॰आर॰पी॰एल॰ का बेनजीन प्लांट प्रोजेक्ट के साथ-साथ जाइलेन एक्सपेंशन प्रोजेक्ट को चालू करने के लिए कोई विस्तार कार्यक्रम है; और

(छ) यदि हां, तो उसकी स्थिति क्या है तथा उसकी विस्तार योजना पर विनिवेश सिफारिशों का क्या प्रभाव पड़ेगा?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान बी.आर.पी.एल. द्वारा अर्जित लाभ का वर्ष-वार ब्यौरा नीचे दिया गया है:

(करोड़ रुपए)

वर्ष	कर पूर्व लाभ	कर पश्चात् लाभ
1994-95	85.25	61.06
1995-96	120.17	90.15
1996-97	30.54	29.07
योग	235.96	180.28

(ख) जी, हां।

(ग) विनिवेश आयोग ने अप्रैल, 1997 की अपने रिपोर्ट के दूसरे भाग में निम्नानुसार सिफारिश की है।

"आयोग यह सिफारिश करता है कि बी.आर.पी.एल. के 50 प्रतिशत शेयरों की कार्यनीतिक बिक्री भारतीय अथवा विदेशी तेल कंपनियों को उनके अपने बलबूते अथवा एक दूसरे के साथ सहयोग करते हुए, शीघ्र प्रस्तावित की जाएं। चुने गए कार्यनीतिक भागीदार के साथ एक करार किया जा सकता है, जिसके अंतर्गत किसी बाद की तारीख पर भारतीय संख्याओं, छोटे निवेशकों और कर्मचारियों को सार्वजनिक प्रस्ताव के माध्यम से सरकारी इक्विटी में 26 प्रतिशत अथवा इससे कम तक और कमी किए जाने का उल्लेख हो।"

विनिवेश आयोग ने यह सिफारिश भी की है कि कार्यनीतिक विक्रय से पूर्व सरकार को दो वर्षों की अवधि के भीतर सभी पेट्रोलियम उत्पादों के प्रशासित मूल्य निर्धारण व्यवस्था को चरणबद्ध रूप से समाप्त करने के लिए एक नीतिगत विवरण तैयार करना चाहिए।

(घ) और (ङ) बी.आर.पी.एल. और मंत्रालय के अधिकारियों ने विनिवेश आयोग के साथ सावधिक चर्चा की।

(च) और (छ) बी.आर.पी.एल. इन परियोजनाओं की स्थापना करने की व्यवहार्यता की जांच कर रही है इस संबंध में अंतिम निर्णय इन प्रस्तावित परियोजनाओं की आर्थिक व्यवहार्यता पर आधारित होगा।

राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के लिए आवंटन

823. **श्री गोरधनभाई जावीया** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के लिए वर्ष 1996-97 और 1997-98 के दौरान कितनी धनराशि आवंटित की गई;

(ख) सरकार द्वारा आज तक कितनी राशि जारी की गई है; और

(ग) सरकार के पास साक्षरता के प्रसार संबंधी नए प्रस्तावों यदि कोई हों, का ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुही राम सैकिया) : (क) वर्ष 1996-97 और 1997-98 के दौरान राष्ट्रीय साक्षरता मिशन को क्रमशः 224.50 करोड़ और 127 करोड रुपए की राशि आवंटित की गई।

(ख) वर्ष 1996-97 से अब तक 111.56 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई है।

(ग) राष्ट्रीय साक्षरता मिशन का उद्देश्य संपूर्ण तथा उत्तर साक्षरता अभियानों के माध्यम से समूचे देश में संपूर्ण साक्षरता का लक्ष्य हासिल करना है। ये अभियान क्षेत्र विशिष्ट, समयबद्ध, परिणामोंन्मुखी तथा स्वयंसेवक पर आधारित हैं। ये अभियान सामान्य तौर पर जिलाधीशों की अध्यक्षता में जिला साक्षरता समितियों द्वारा कार्यान्वित किए जाते हैं। इन अभियानों को प्रभावी ढंग से कार्यान्वित करने के लिए, राज्य प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय और राज्य संसाधन केन्द्रों को सुदृढ़ किया जा रहा है। राज्य साक्षरता मिशनों को साक्षरता अभियान स्वीकृत करने के लिए अधिकार प्रदान किए जा रहे हैं। साक्षरता अभियानों के अंतर्गत अब प्रमुख हिंदी भाषी राज्यों को लाने के लिए इसका केन्द्र बिन्दु बदल गया है।

[हिन्दी]

मध्य प्रदेश और राजस्थान में सिंचाई परियोजनाएं

824. श्री निहाल चन्द चौहान : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान की कितनी बड़ी/मध्यम सिंचाई परियोजनाएं स्वीकृति के लिए केन्द्र के पास लम्बित हैं;

(ख) इन परियोजनाओं की स्वीकृति में विलम्ब के क्या कारण हैं;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने उनकी स्वीकृति के लिए कोई समयबद्ध कार्यक्रम बनाया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शीश राम ओला): (क) और (ख) राजस्थान की चार वृहद और आठ मध्यम सिंचाई परियोजनाएं मूल्यांकन के विभिन्न चरणों में है। इनमें से दो वृहद परियोजनाएं अर्थात् इंदिरा गांधी नहर चरण-I (विस्तार, नवीकरण और आधुनिकीकरण) और बिसलपुर पेयजल एवं सिंचाई तथा छः मध्यम सिंचाई परियोजनाएं अर्थात् बेथाली, बांदी सेन्द्रा, सुकली, चौली, चाकन और गरारडा कुछ टिप्पणियों के अधीन तकनीकी सलाहकार समिति द्वारा स्वीकार्य पायी गयी। राज्य सरकार को इन टिप्पणियों का अनुपालन करना है। राज्य सरकार ने शेष दो वृहद परियोजनाओं अर्थात् पिपालदा लिफ्ट सिंचाई और यमुना वाट का उपयोग तथा दो मध्यम परियोजनाओं अर्थात् पिपलाड सिंचाई परियोजना और ओलवारा लिफ्ट सिंचाई परियोजना के संबंध में विभिन्न तकनीकी-आर्थिक पहलुओं को हल करना है।

(ग) और (घ) परियोजनाओं की स्वीकृति इस बात पर निर्भर करती है कि राज्य सरकार कितनी तत्परता से तकनीकी सलाहकार समिति और अन्य केन्द्रीय मूल्यांकन अभिकरणों की टिप्पणियों की अनुपालना करती है।

[अनुवाद]

सेवानिवृत्त रक्षा असैनिक कर्मचारियों को पहचान पत्र

825. श्री मंगल राम प्रेमी : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रक्षा सेवा कर्मियों को उनकी सेवानिवृत्ति पर "पहचान पत्र" और सेवा संबंधी प्रमाण पत्र जारी किये जाते हैं लेकिन ऐसी प्रथा का उन असैनिक कर्मचारियों के मामले में अनुपालन नहीं किया जाता है जिनके पास किसी पद पर नौकरी करने तथा कोई अनुभव प्राप्त करने का कोई प्रमाण नहीं होता है;

(ख) यदि हां, तो असैनिक कर्मचारियों को कोई पहचान-पत्र एवं सेवा-संबंधी प्रमाण पत्र जारी न किये जाने के क्या कारण हैं; और

(ग) उनकी सेवानिवृत्ति के पश्चात् असैनिक कर्मचारियों की सहायता करने तथा उनकी अस्मिता को बरकरार रखने के लिए तुरंत ऐसे कार्ड और प्रमाण पत्र जारी करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं/उठाये जाने का विचार हैं?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एन॰वी॰एन॰ सोमू) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) सेवानिवृत्त रक्षा सेवा कार्मिकों के मामले में "पहचान पत्र" और "सेवा प्रमाण-पत्र का रिकार्ड" मुख्य रूप से उन्हें उपलब्ध होने वाली सुविधाओं जैसे कि सिविल क्षेत्र में सेवानिवृत्ति की सामान्य आयु तक सरकार में पुनः नियुक्ति, सैन्य अस्पतालों में डाक्टरी इलाज और कैंटीन स्टोर विभाग की सुविधाओं के लिए होता है। चूंकि सेवानिवृत्त सिविलियन रक्षा कर्मचारी ये सुविधाएं पाने के पात्र नहीं हैं इसलिए उन्हें "पहचान पत्र" अथवा "सेवा प्रमाण-पत्र का रिकार्ड" जारी किया जाना आवश्यक नहीं समझा गया है।

सड़क सुरक्षोपाय

826. श्री लक्ष्मण सिंह : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सड़क संबंधी अध्ययन दल ने नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान देश में फ्रीवेज निर्माण के लिये कोई लक्ष्य निर्धारित किया है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्गों पर पुलों को मजबूत बनाने के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित किया है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) राष्ट्रीय राजमार्गों पर सड़क सुरक्षोपाय में सुधार के लिए क्या कदम उठाए गये हैं?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री टिंडिवनम् जी॰ वेंकटरामन): (क) कार्यदल ने 500 कि.मी. एक्सप्रैस मार्गों के निर्माण का लक्ष्य रखा है।

(ख) 1997-98 में राष्ट्रीय राजमार्गों पर 119 पुलों के पुनर्निर्माण/पुनरूद्धार का प्रस्ताव है।

(ग) राष्ट्रीय राजमार्गों पर सड़क सुरक्षा में सुधार लाने के लिए समय-समय पर अनेक उपाय किए जा रहे हैं, जैसे राष्ट्रीय राजमार्गों को चौड़ा करना, विपदाग्रस्त पुलों का पुनर्निर्माण, फाटकों को रोड ओवर/अन्डर ब्रिज से बदला जाना, बाइपासों का निर्माण, रिट्रो-रिफ्लैक्टिव सड़क संकेत लगाना, थर्मोप्लास्टिक सड़क चिह्नांकन, जंक्शनों का सुधार, पार्किंग के लिए स्थान बनाना, मार्गस्थ सुविधाओं की व्यवस्था और राष्ट्रीय राजमार्गों पर गश्त स्कीम लागू करना।

भूकम्पीय सर्वेक्षण

827. श्री उत्तम सिंह पवार : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मुम्बई हाई में भूकंपीय सर्वेक्षण की

विभितीय सागर तलवर्ती केबल तकनीक के लिए नार्वे की पी॰जी॰एस॰ ओसन बोटम सिस्मिक कंपनी के साथ कोई करार किया है;

(ख) यदि हां, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) परियोजना को कब तक पूरा कर लिए जाने की संभावना है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) और (ख) ओ.एन.जी.सी. ने 49.73 मिलियन अमरीकी डालर के मूल्य पर मुम्बई हाई में त्रिआयामी अर्जन, संसाधन और निर्वचन के लिए मै॰ पीजीएस ओबीएस, नार्वे को 20.6.1997 को ठेका प्रदान कर दिया है।

(ग) परियोजना 31.10.98 तक पूरी की जानी है।

पंजाब में राष्ट्रीय राजमार्गों की स्थिति

828. **श्री सुखबीर सिंह बादल** : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पानी जमा हो जाने और मरम्मत के अभाव में पंजाब के फरीदकोट जिले, विशेषरूप से डबवाली-मलोट खंड पर से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्गों की खराब स्थिति की जानकारी है; और

(ख) यदि हां, तो इन सड़कों की मरम्मत, विस्तार और रख रखाव के लिए तत्काल सहायता उपलब्ध करा कर इस स्थिति में सुधार के लिए सरकार ने क्या कदम उठाये हैं?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री टिंडिवनम् जी॰ वेंकटरामन): (क) और (ख) सरकार को डबवाली से मलोट और भटिंडा से मलोट के बीच राष्ट्रीय राजमार्गों के कतिपय खंडों के धंसने की जानकारी है। उपयुक्त स्थायी उपचारात्मक उपाय करने के लिए धंसने के कारणों की जांच की जा रही है। नियमित रख-रखाव कार्य किया जा रहा है तथा उपलब्ध संसाधनों के अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्गों को यातायात योग्य स्थिति में रखा जा रहा है।

[हिन्दी]

गैस उपयोगिता संबंधी नीति

829. **डा॰ अरविन्द शर्मा** :
श्री नरेन्द्र बुडानिया :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का गैस उपयोगिता संबंधी कोई नीति बनाने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) गैस उपयोग पर सरकार के पास पहले ही एक नीति है।

(ख) विद्यमान नीति विद्युत तथा उर्वरक क्षेत्रों के लिए गैस के आवंटन को वरीयता देते हुए प्राकृतिक गैस के उपयोग के परिकल्पित आर्थिक मूल्य के अनुसार गैस के आबंटन के लिए व्यवस्था करती है। यह, जब कभी संभव हो, प्राकृतिक गैस से सी2/सी3 तथा एल.पी.जी. जैसे अपेक्षाकृत अधिक मूल्य वाले घटकों के निष्कर्षण के लिए भी व्यवस्था करती है।

[अनुवाद]

खिलाड़ियों की समस्याएं

830. **श्री बृज भूषण तिवारी** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जून के पहले सप्ताह में बंगलौर में आयोजित राष्ट्रीय खेलों की पूरी अवधि के दौरान खिलाड़ियों को गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ा था;

(ख) यदि हां, तो उनकी समस्याओं का ब्यौरा क्या है तथा इसके लिए कौन-कौन व्यक्ति जिम्मेवार है;

(ग) क्या जिम्मेवार व्यक्तियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में युवा मामलों और खेल विभाग में राज्य मंत्री (श्री आर॰ धनुषकोडी आदित्यन) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

पर्यटन स्थलों के लिए विदेशी सहायता

831. **डा॰ वाई॰एस॰ राजशेखर रेड्डी** : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आंध्र प्रदेश में उन पर्यटन स्थलों के नाम क्या हैं; जिनके विकास के लिए विदेशी सहायता प्राप्त होती है;

(ख) इन पर्यटन स्थलों को विदेशी सहायता उपलब्ध कराने के लिए क्या मानदंड अपनाये गये हैं; और

(ग) राज्यवार उन पर्यटन स्थलों के नाम क्या हैं जिनके विकास के लिए विदेशी सहायता मिल रही है?

पर्यटन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री श्रीकान्त जैना) : (क) पर्यटन विभाग, भारत सरकार के माध्यम से कोई विदेशी सहायता प्रदान नहीं की गई है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) विदेशी आर्थिक सहयोग कोष, जापान ने उत्तर प्रदेश और बिहार में पहचान किए गए बौद्ध परिपथ में संरचनात्मक विकास के साथ महाराष्ट्र में अजंता और एलोरा के संरक्षण तथा पर्यटन विकास परियोजना के लिए आसान शर्तों पर ऋण सहायता प्रदान की है।

उत्तर प्रदेश में सम्मिलित किए गए स्थानों में सारनाथ, कुशीनगर, पिपरवाह और श्रावस्ती हैं और बिहार में बौद्ध गया, नालन्दा, राजगीर और वैशाली को सम्मिलित किया गया है।

विश्व पर्यटन संगठन और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने अण्डमान में पर्यावरणीय रूप से निरन्तर पर्यटन के लिए एक नीति के विकास हेतु सहायता प्रदान की है।

मंगलौर और कुछ मध्य-पूर्व देशों के बीच सीधी उड़ान

832. **श्री वी॰ धनंजय कुमार** : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मंगलौर और मध्य-पूर्व (मिडिल ईस्ट) के कुछ देशों के बीच सीधी उड़ान सेवा शुरू करने का निर्णय लिया है; और

(ख) ये उड़ाने कब से शुरू होंगी?

नागर विमानन मंत्री (श्री सी॰एम॰ इब्राहीम) : (क) और (ख) मध्य पूर्व देशों हेतु सीधी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिए मंगलौर हवाई अड्डे पर सीमा-शुल्क और आब्रजन सुविधाएं मुहैया कराने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। इस समय इनके वास्तविक प्रचालन आरंभ करने के बारे में कोई निश्चित समय-सीमा बताना संभव नहीं है।

नामक्कल, तमिलनाडु में बाईपास

833. **श्री के॰ कंडासामी** : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिलनाडु सरकार के सहयोग से नामक्कल म्युनिसिपल टाउन में बाईपास बनाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस कार्य के लिए कितने व्यय का अनुमान लगाया गया है;

(घ) क्या इस संबंध में कोई भूमि/इंजीनियरिंग संबंधी सर्वेक्षण किया गया था; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री टिंडिवनाम् जी॰ वेंकटरामन): (क) और (ख) जी हां। इस मंत्रालय की बजटगत कठिनाइयों के कारण नामक्कल बाईपास का निर्माण कार्य शुरू नहीं किया जा सका। तथापि, इसे बी.ओ.टी. (निर्माण, प्रचालन, हस्तांतरण) आधार पर शुरू किया जा रहा है।

(ग) से (ङ) इस प्रयोजनार्थ भूमि अधिग्रहण कार्य पूरा होने वाला है।

एक खिलाड़ी की स्थिति

834. **श्री थामस हंसदा** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार बिहार के जूनियर नेशनल चैम्पियन की स्थिति से परिचित है जिसने दिसंबर, 1996 में तमिलनाडु में जूनियर नेशनल एथेलेटिक्स चैम्पियनशिप में स्वर्ण पदक जीता था;

(ख) यदि हां, तो क्या उन्हें दी जा रही वृत्तिका पिछले छः महीनों से रोक दी गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या केन्द्र सरकार द्वारा उनके उचित भोजन तथा वित्तीय सहायता के लिए कदम उठाने का विचार है जिन्हें आगे आने वाली जूनियर एशियाई एथेलेटिक चैम्पियनशिप हेतु प्रशिक्षण दिया जा रहा है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में युवा मामलों और खेल विभाग में राज्य मंत्री (श्री आर॰ धनुषकोडी आदित्यन) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (ङ) अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

गैस एजेंसी खोलना

835. **डा॰ साहेबराव सुकराम बागूल** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र के जनजातीय क्षेत्र, धुलिया जिले में गैस एजेंसी खोले जाने का सरकार का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) से (ग) महाराष्ट्र के धुलिया जिले में एल.पी.जी. डिस्ट्रीब्यूटरशिप खोलने के मुद्दे को नई एल.पी.जी. विपणन योजना के अंतर्गत उठाया जाएगा, जिसे वर्तमान में तैयार किया जा रहा है।

[हिन्दी]

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केन्द्र

836. जस्टिस गुमान मल लोढा : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केन्द्र का वार्षिक प्रतिवेदन और वार्षिक लेखे सभा पटल पर रखे गये हैं; और

(ख) यदि नहीं, तो सरकार द्वारा इस पर क्या कार्यवाही किये जाने का विचार है?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री एस॰आर॰ बोम्मई) : (क) और (ख) जी, नहीं। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केन्द्र की स्थापना एक स्वायत्त न्यास के रूप में स्वयं न्यासियों द्वारा की गयी, जिन्हें सरकार ने दिनांक 19.3.1987 के अपने संकल्प के द्वारा इसके लिए अधिकृत किया था। न्यास के घोषणा-विलेख में सदन पटल पर वार्षिक रिपोर्ट और वार्षिक लेखे को प्रस्तुत करने का कोई उपबंध नहीं है। तथापि केन्द्र अपनी वार्षिक रिपोर्ट और वार्षिक लेखे सरकार को प्रस्तुत करता है।

[अनुवाद]

आंध्र प्रदेश में सिंचाई विकास संबंधी कार्यक्रम

837. श्रीमती लक्ष्मी पनबाका : क्या **जल संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने आंध्र प्रदेश को सिंचाई विकास संबंधी कार्यक्रमों के लिए 500 करोड़ रुपये का आवंटन किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस केन्द्रीय सहायता के उपयोग के लिए आंध्र प्रदेश सरकार ने कोई ठोस कार्यक्रम तैयार किया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शीश राम ओला): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए रिक्त स्थान

838. श्री एन॰जे॰ राठवा : क्या **संसदीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान आज तक उनके मंत्रालय में पद-वार कितनी नियुक्तियां हुई;

(ख) अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों से पद-वार कितने पद भरे गये;

(ग) क्या उनके मंत्रालय के अधीन अनेक विभागों में कतिपय आरक्षित पद रिक्त पड़े हैं;

(घ) यदि हां, तो पद-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) आरक्षित रिक्त पदों को भरने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं अथवा उठाये जा रहे हैं; और

(च) आरक्षित रिक्त पदों को कब तक भर लिये जाने की संभावना है तथा इस संबंध में विलंब के क्या कारण हैं?

पर्यटन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री श्रीकान्त जेना) : (क) से (च) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

आज की तारीख से पिछले तीन वर्षों (जुलाई 94-जुलाई 97) के दौरान मंत्रालय में की गई पदवार नियुक्तियां निम्न प्रकार से हैं:-

(1)	उप सचिव	1
(2)	अवर सचिव	3
(3)	अनुभाग अधिकारी	4
(4)	हिन्दी अधिकारी	1
(5)	वैयक्तिक सहायक	1
(6)	सहायक	2
(7)	हिन्दी अनुवादक ग्रेड-I	1
(8)	उच्च श्रेणी लिपिक	2
(9)	आशुलिपिक	2
(10)	निम्न श्रेणी लिपिक	8
(11)	स्टाफ कार चालक ग्रेड-I	1
(12)	स्टाफ कार चालक ग्रेड-II	2
(13)	स्टाफ कार चालक	1
(14)	सवार हरकारा	1
(15)	जमादार	1
(16)	चपरासी	7

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों से भरे गए पदों की पद-वार संख्या निम्न प्रकार से है:-

	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति
	1	2
1. अवर सचिव	1	-
2. सहायक	1	-
3. वैयक्तिक सहायक	1	-

	1	2
4. उच्च श्रेणी लिपिक	1	–
5. आशुलिपिक	1	–
6. निम्न श्रेणी लिपिक	2	2
7. चपरासी	2	1
8. स्टाफ कार चालक ग्रेड-II	1	–
9. सवार हरकारा	1	–

संसदीय कार्य मंत्रालय के अधीन कोई विभाग नहीं है। जहां तक इस मंत्रालय का संबंध है, मंत्रालय में कोई आरक्षित पद खाली नहीं है। तथापि, कुछ आरक्षित पद अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के पात्रता प्राप्त उम्मीदवार नहीं मिल पाने की वजह से और आरक्षण में 50 प्रतिशत की सीमा लागू होने के कारण सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों द्वारा भरे गए हैं। जहां तक सीधी भर्ती द्वारा भरी जाने वाली आरक्षित रिक्तियों का संबंध है। वि-आरक्षण करने पर प्रतिबंध है और मंत्रालय को आरक्षित रिक्तियों को वि-आरक्षित करने का अधिकार नहीं हैं। ऐसी आरक्षित रिक्तियां जो भरी नहीं गई हैं उनको पिछली बकाया रिक्तियों के रूप में रख लिया जाता है।

मंत्रालय इस संबंध में भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अनुदेशों का अनुकरण करता है। रिक्तियों की उपलब्धता के अधीन रहते हुए, पीछे से बकाया लाई गई रिक्तियों को जैसे ही अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार पात्रता प्राप्त करते हैं, भर दिया जाएगा।

[अनुवाद]

आन्ध्र प्रदेश में तेल क्षेत्र

839. श्री जी॰ए॰ चरण रेड्डी : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने आंध्र प्रदेश में तेल क्षेत्र में 9700 करोड़ रुपये निवेश करने पर सहमति प्रकट की है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में कोई ठोस प्रस्ताव तैयार करके केन्द्र सरकार को प्रस्तुत किया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) राज्य में नए तेल कुओं की खोज पर अनुमानतः कितनी राशि व्यय किए जाने का प्रस्ताव है;

(ङ) राज्य में स्थापित किए जाने वाले तेल शोधक कारखानों का ब्यौरा क्या है;

(च) क्या हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन के विशाखापटनम तेल शोधक कारखाने की क्षमता बढ़ाए जाने की संभावना है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

(ङ) से (छ) सरकार ने 13.9.95 को 998.26 करोड़ की अनुमानित लागत से विजाग रिफाइनरी की शोधन क्षमता का विस्तार 4.5 एमएमटीपीए से 7.5 एमएमटीपीए तक करने के लिए एच.पी.सी. एल. के प्रस्ताव का अनुमोदन कर दिया है जिसकी संपूर्ति समयानुक्रम सरकारी अनुमोदन की तारीख से 36 महीने है। निजी क्षेत्र में दो रिफाइनरियों (100 प्रतिशत निर्यातमूलक) नामतः मैसर्स ब्लैक गोल्ड (2.5 एमएमटीपीए) और जिंदल फेरो (6.0 एमएमटीपीए) को आशय पत्र भी जारी कर दिए गए हैं।

केन्द्रीय जल आयोग

840. श्री आर॰ साम्बासिवा राव : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश सरकार ने अलमाटी बांध के ऊपर मुख्य कृष्णा नदी पर ऊपरी तुंगा, रामथल लिफ्ट, सात गुप्त बांधों जैसी अवैध परियोजनाओं तथा अन्य अनेक लघु सिंचाई योजनाओं की मंजूरी तथा स्वीकृति दिए जाने के संबंध में केन्द्रीय जल आयोग द्वारा इसकी समीक्षा कराए जाने का अनुरोध केन्द्र सरकार से किया है;

(ख) यदि हां, तो आंध्र प्रदेश सरकार ने कर्नाटक सरकार द्वारा इन अवैध परियोजनाओं के निर्माण संबंधी प्रक्रिया को भी रोके जाने का अनुरोध किया है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने जलायोग को अंतर्राज्यीय दृष्टिकोण से व्यापक संवीक्षा हेतु आंध्र प्रदेश सरकार को विस्तृत परियोजना रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा है; और

(घ) यदि हां, तो केन्द्र सरकार राज्य सरकार को सभी आवश्यक सामग्री कब तक प्रदान करने पर सहमत हुई है?

जल संसाधन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शीश राम ओला): (क) और (ख) आंध्र प्रदेश सरकार ने केन्द्र सरकार से कर्नाटक में कृष्णा बेसिन की परियोजनाओं को दी गई मंजूरी/स्वीकृति की समीक्षा करने और उन्हें उनका निर्माण कार्य आगे बढ़ाने से रोकने का अनुरोध किया है। तथापि, केन्द्र सरकार ने ऐसी किसी परियोजना को निवेश स्वीकृति नहीं दी है।

(ग) और (घ) कृष्णा बेसिन राज्यों की राज्य सरकारें केन्द्रीय जल आयोग से अपने हित की रिपोर्टों की प्रति प्राप्त कर सकती हैं। केन्द्रीय जल आयोग में कृष्णा बेसिन राज्यों की परियोजना रिपोर्टों से संबंधित पुस्तकालय भी है और कोई भी बेसिन राज्य इस पुस्तकालय का उपयोग कर सकता है।

अकादमियों का कार्य-निष्पादन

841. श्री कृष्ण लाल शर्मा : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ललित कला अकादमी, संगीत नाटक अकादमी और साहित्य अकादमी अपने विशिष्ट उद्देश्यों को प्राप्त करने में असफल रही हैं;

(ख) यदि हां, तो इन अकादमियों में कुप्रशासन और वित्तीय अनियमितताएं आदि हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने इन अकादमियों के कार्यकरण का मूल्यांकन किया है; और

(घ) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार इन्हें उचित प्रकार से पुनर्गठित करने का है?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री एस॰आर॰ बोम्मई) : (क) और (ख) साहित्य अकादेमी और संगीत नाटक अकादेमी अपने विनिर्दिष्ट लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु कार्य कर रही है। तथापि, ललित कला अकादेमी के मामले में, पिछले कुछ वर्षों से कुप्रबंधन के कारण यह अपने लक्ष्यों से दूर हट गयी है। कुछ वित्तीय अनियमितताओं की भी सूचना मिली है।

(ग) सरकार अकादेमियों, जो सरकार द्वारा पूर्णतः वित्त पोषित स्वायत्त संगठन हैं, के कार्यकरण का उनकी वार्षिक रिपोर्टों आदि के माध्यम से मूल्यांकन करती है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक इसके लेखे की लेखा-परीक्षा भी करता है।

(घ) अकादेमियों और राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के कार्यकरण की समीक्षा करने के लिए भारत सरकार द्वारा गठित उच्चाधिकार प्राप्त समिति ने एक विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसमें उनके पुनर्गठित करने के संबंध में सुझाव दिए गए थे। साहित्य अकादेमी और संगीत नाटक अकादेमी इन सुझावों से सहमत थी। ललित कला अकादेमी इन परिवर्तनों को स्वीकार नहीं कर रही थी। सरकार ने एक सीमित अवधि के लिए अब अकादेमी का प्रबंधन अपने हाथ में ले लिया है और श्री पी॰एन॰ हकसर के नेतृत्व वाली उच्चाधिकार प्राप्त समिति की सिफारिशों के अनुरूप ललित कला अकादेमी का पुनर्गठन किया जा रहा है।

तकनीकी प्रशिक्षण संस्थाओं की स्थापना

842. श्री सुशील चन्द्र : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मेघालय में तकनीकी प्रशिक्षण संस्थाओं की स्थापना के लिए कोई कदम नहीं उठाए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने इस मामले को कभी राज्य सरकार के साथ उठाया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुही राम सैकिया) : (क) से (घ) शिलांग पालिटेक्निक, शिलांग और तुरा पालिटेक्निक, तुरा पश्चिम गारो हिल्स, मेघालय में अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा अनुमोदित डिप्लोमा स्तर की दो तकनीकी प्रशिक्षण संस्थाएं हैं। परिषद ने वर्ष 1997-98 के दौरान तकनीकी संस्थाएं स्थापित करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से नए प्रस्ताव अपने विचारार्थ आमंत्रित किए थे। मेघालय सरकार से अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद को कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

कालीकट हवाई अड्डे पर हवाई पट्टी का निर्माण कार्य

843. श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 30 जून, 1997 की स्थिति के अनुसार कालीकट हवाई अड्डे पर हवाई पट्टी के निर्माण संबंधी कार्य किस स्तर पर है;

(ख) इस कार्य पर कुल कितनी धनराशि खर्च की गई है;

(ग) इस कार्य के कब तक पूरा हो जाने की संभावना है;

(घ) क्या कालीकट हवाई अड्डे पर कोई अन्य विकासात्मक कार्य भी चल रहा है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्री (श्री सी॰एम॰ इब्राहीम) : (क) कालीकट हवाई अड्डे पर धावनपथ कार्य में 30 जून, 1997 तक 33 प्रतिशत प्रगति हो चुकी है।

(ख) भूमि अर्जन की लागत सहित, 30 जून, 1997 तक खर्च की गई राशि 34.61 करोड़ रुपये थी।

(ग) कार्य के जनवरी, 2000 तक पूरा होने की संभावना है।

(घ) और (ङ) जी, हां। धावनपथ के विस्तार के अतिरिक्त, एप्रन का भी विस्तार किया जा रहा है। आवश्यक सिविल कार्य पूरे कर लिए गए हैं तथा इलेक्ट्रिकल कार्य प्रगति पर हैं।

ब्रह्मपुत्र बोर्ड

844. श्री बादल चौधरी : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) व्यापक जल प्रबंधन और बाढ़ नियंत्रण उपायों हेतु पूर्वोत्तर क्षेत्र के किन-किन राज्यों को ब्रह्मपुत्र बोर्ड में शामिल किया गया है; और

(ख) ब्रह्मपुत्र बोर्ड में शामिल न किए गए राज्यों में जल प्रबंधन और बाढ़ नियंत्रण उपायों के लिए सरकार की क्या योजना है?

जल संसाधन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शीश राम ओला): (क) सात उत्तर-पूर्वी राज्यों में से असम, अरूणाचल प्रदेश और मेघालय पूर्णत: ब्रह्मपुत्र बोर्ड के व्यापक जल प्रबंध और बाढ़ नियंत्रण उपायों के अंतर्गत आते हैं। अन्य राज्य जैसे त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर और नागालैंड आंशिक रूप से ब्रह्मपुत्र बोर्ड के कार्य क्षेत्र में आते हैं। संघ सरकार द्वारा ब्रह्मपुत्र बोर्ड की स्थापना ब्रह्मपुत्र और बराक घाटी में बाढ़ और तट-कटाव नियंत्रण के लिए उपायों की आयोजना करने और उनके एकीकृत कार्यान्वयन करने के लिए की गई थी।

(ख) ब्रह्मपुत्र बोर्ड में शामिल न किए गये राज्यों में जल प्रबंध और बाढ़ नियंत्रण उपायों की आयोजना, उनका अन्वेषण और कार्यान्वयन संबंधित राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है क्योंकि इसकी जिम्मेदारी मुख्यत: राज्य सरकारों की है।

होटल किराये पर व्यय कर

845. श्री भक्त चरण दास : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार विदेशी पर्यटकों को होटल किराये पर व्यय कर से छूट देने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह कर योजना तथा अन्य सभी सेवाओं जैसी व्यय की अन्य मदों पर लगाए जाने का प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो यह निर्णय लिए जाने के क्या कारण हैं और इसका आम आदमी पर क्या प्रभाव पड़ेगा?

पर्यटन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री श्रीकान्त जेना) : (क) विदेशी पर्यटकों द्वारा होटल बिलों का भुगतान करने पर व्यय कर अधिनियम, 1987 के तहत कर लगता है। उपरोक्त अधिनियम के तहत कर का भुगतान करने के लिए विदेशी पर्यटकों का छूट देने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) उन होटलों में जहां पर प्रति दिन एक व्यक्ति का कमरा टेरिफ 1200/- रु. अथवा उससे अधिक है वहां पर कोई भी व्यय करने पर कर लगाया जाता है।

(ग) व्यय कर मुख्यतया उनके लिए प्रारम्भ किया गया था जो उच्च श्रेणी के होटलों का खर्चा वहन कर सकते हैं।

अल्पसंख्यक छात्रों के लिए योजनाएं

846. श्री टी॰ गोविन्दन : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों के कल्याण के लिए चलाई जा रहीं विभिन्न योजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ख) गत दो वर्षों के दौरान इन योजनाओं से अब तक लाभान्वित हुए छात्रों की राज्य-वार संख्या कितनी हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुही राम सैकिया) : (क) अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों के कल्याण के लिए निम्नलिखित योजनाएं चलाई जा रही हैं :-

(i) शैक्षिक रूप से पिछड़े अल्पसंख्यकों के लिए क्षेत्र गहन कार्यक्रम,

(ii) मदरसा शिक्षा के आधुनिकीकरण के लिए वित्तीय सहायता की योजना,

(iii) सामुदायिक पालिटेक्निक की योजना,

(iv) शैक्षिक रूप से पिछड़े अल्पसंख्यक समुदायों में कमजोर वर्गो के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं के वास्ते कोचिंग कक्षाओं की योजना, और

(v) कल्याण मंत्रालय द्वारा चलाई जा रही परीक्षा-पूर्व कोचिंग कक्षाओं की योजना।

ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

सिर्फ अल्पसंख्यको के कल्याण के लिए चलाई जा रही उपर्युक्त योजनाओं के अलावा निम्नलिखित योजनाएं भी अल्पसंख्यकों के शैक्षिक विकास में योगदान कर रही है :-

(i) अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र,

(ii) निरक्षरता उन्मूलन की योजना, टी.एल.सी.,

(iii) मध्याह्न भोजन की योजना,

(iv) जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम, और

(v) आपरेशन ब्लैकबोर्ड की योजना।

(ख) शैक्षिक रूप से पिछड़े अल्पसंख्यक समुदायों में कमजोर वर्ग के लिए कोचिंग कक्षाओं की योजना तथा परीक्षा-पूर्व कोचिंग कक्षा की योजना के तहत गत दो वर्षों के दौरान राज्यवार लाभान्वित छात्रों की कुल संख्या संलग्न विवरण-II में दी गई है। शैक्षिक रूप से पिछड़े अल्पसंख्यकों के लिए क्षेत्र गहन कार्यक्रम और मदरसा शिक्षा के आधुनिकीकरण के लिए वित्तीय सहायता नामक योजनाएं 1993-94 के दौरान आरंभ की गई। अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों पर इन योजनाओं का क्या असर हुआ है इसका आकलन नहीं किया गया है।

विवरण-I

शैक्षिक रूप से पिछड़े अल्पसंख्यकों के लिए क्षेत्र गहन कार्यक्रम की योजना

उद्देश्य

यह केन्द्रीय योजना शैक्षिक रूप से पिछड़े अल्पसंख्यकों की बहुलता वाले ऐसे क्षेत्रों में बुनियादी आधारभूत ढांचा तथा सुविधाएं

उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 1993 में आरंभ की गई जहां प्रारंभिक और माध्यमिक शिक्षा के लिए प्रर्याप्त सुविधाएं न हों।

इस समय यह योजना 13 राज्यों तथा 3 संघ राज्य क्षेत्रों में शैक्षिक रूप से पिछड़े अल्पसंख्यकों की बहुलता वाले 331 ब्लाकों में चल रही है, जिनकी कल्याण मंत्रालय द्वारा इस रूप में पहचान की गई है।

मदरसा (मकतब) का आधुनिकीकरण

इस योजना का उद्देश्य विज्ञान, गणित, सामाजिक अध्ययन, हिन्दी तथा अंग्रेजी को अपनी पाठ्यचर्या में शामिल करने के लिए उन्हें वित्तीय सहायता देकर मदरसों और मकतबों जैसी परम्परागत संस्थाओं को प्रोत्साहित करना है। मदरसों और मकतबों को ऐसे कार्यकलापों के लिए सहायता दी जाती है जिससे इस लक्ष्य को बढ़ावा मिले। इस योजना से इन संस्थाओं के छात्रों को राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली के छात्रों के समतुल्य शिक्षा प्राप्त करने का अवसर उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी। राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के माध्यम से यह योजना लागू की जा रही है।

सामुदायिक पॉलिटेक्निक की योजना

सामुदायिक पॉलिटेक्निक की योजना भारत सरकार के सीधे केन्द्रीय सहायता के तहत वर्ष 1978-79 में संस्थित की गई। शुरू में ग्रामीण समाज के लाभार्थ सामुदायिक पॉलिटेक्निक के कार्यकलापों को निष्पादित करने के लिए मौजूदा 36 पॉलिटेक्निकों को चुना गया। उम्र, लिंग या योग्यता संबंधी किसी भी पूर्व शर्त के बगैर अल्पसंख्यकों तथा समाज के कमजोर वर्गों समेत बेरोजगार/अल्प रोजगार प्राप्त युवाओं/स्कूल/कालेज छोड़ देने वालों की आवश्यकताओं ने अनुरूप कौशल उन्मुख तकनीकी/व्यावसायिक ट्रेडों में अनौपचारिक आवश्यकता आधारित अल्पकालिक प्रशिक्षण के जरिए महिलाओं समेत ग्रामीण लोगों तथा लाभवंचित समूह को तकनीकी शिक्षा प्रदान करने की योजना पर बल दिया जाता है।

शैक्षिक रूप से पिछड़े अल्पसंख्यक समुदायों में कमजोर वर्गों के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं के वास्ते कोचिंग कक्षाओं की योजना

शैक्षिक रूप से पिछड़े अल्पसंख्यक समुदायों में कमजोर वर्गों के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं के वास्ते कोचिंग कक्षाओं की योजना विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा संचालित की जा रही है। 1984 में तैयार की गई इस योजना को 1988 में संशोधित किया गया तथा 1994 में सुदृढ़ किया गया।

आज की तारीख में इस योजना के तहत 59 कालेज तथा 22 विश्वविद्यालय कार्य कर रहे हैं।

परीक्षा-पूर्व कोचिंग की योजना

परीक्षा-पूर्व कोचिंग की योजना 1992-93 से लागू की जा रही है। इस योजना के तहत लक्षित समूह में वैसे अल्पसंख्यक और पिछड़ा वर्ग शामिल हैं जिनकी अधिकतम आय 24,000/- रु. प्रति वर्ष से अधिक न हो। योजना का बुनियादी लक्ष्य अभ्यर्थियों को इस तरह से तैयार करना है कि वे सरकारी नौकरियों के लिए भर्ती परीक्षाओं तथा विकासात्मक पाठ्यक्रमों में दाखिला के लिए प्रवेश परीक्षाओं में अन्यों के साथ समान शर्तों पर प्रतिस्पर्धा कर सकें।

विवरण-II

शैक्षिक रूप से पिछड़े अल्पसंख्यकों में कमजोर वर्गों के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं के वास्ते कोचिंग कक्षाओं की योजना के तहत गत दो वर्षों के दौरान लाभान्वित छात्रों की संख्या

राज्य/संघ क्षेत्र का नाम	1995	1996
आंध्र प्रदेश	*	39
असम	82	15
बिहार	145	110
दिल्ली	111	237
गुजरात	36	5
जम्मू और कश्मीर	*	2
कनाटक	403	268
महाराष्ट्र	*	*
मध्य प्रदेश	85	226
पंजाब	60	64
तामिलनाडु	*	38
उत्तर प्रदेश	1865	1744
पश्चिम बंगाल	101	59
केरल	1389	1835

* सूचना उपलब्ध नहीं

परीक्षा-पूर्व कोचिंग की योजना के तहत गत दो वर्षों के दौरान राज्य-वार लाभांवित छात्रों की संख्या

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	कोचिंग प्राप्त छात्रों की संख्या	
	1995	1996
1	2	3
आंध्र प्रदेश	640	80
बिहार	160	-
कर्नाटक	80	-
मध्य प्रदेश	160	-
महाराष्ट्र	80	-
मणिपुर	40	80
उड़ीसा	200	80

1	2	3
राजस्थान	80	-
तमिलनाडु	40	-
उत्तर प्रदेश	1040	320
दिल्ली	960	80

बी॰ओ॰टी॰ योजना

847. श्री ए॰जी॰एस॰ रामबाबू : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में बिल्ड-ऑपरेट ट्रांसफर योजना के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो कब तक और कहां; और

(ग) इसमें केन्द्र सरकार, राज्यों तथा निजी कम्पनियों के निवेश का कितना-कितना हिस्सा होगा?

नागर विमानन मंत्री (श्री सी॰एम॰ इब्राहीम) : (क) से (ग) एक व्यापक नागर विमानन नीति तैयार की जा रही है जिससे हवाई अड्डे के विकास के लिए बी॰ओ॰ओ॰, बी॰ओ॰टी॰, बीओओटी, बीओएलटी, इत्यादि सहित विभिन्न मॉडलों को अपनाने संबंधी निश्चित मार्गदर्शी-सिद्धांत दिए जा सकेंगे।

राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास में निजी क्षेत्र की भागीदारी हेतु समिति

848. श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास में निजी क्षेत्र की भागीदारी हेतु मानक बी.ओ.टी. शर्तें निर्धारित करने के लिए एक उच्च शक्ति प्राप्त समिति का गठन किया है;

(ख) यदि हां, तो समिति के मुख्य कार्य, इसके सदस्य और विचारार्थ विषय क्या हैं;

(ग) क्या उनके मंत्रालय ने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को बी.ओ.टी. के अंतर्गत परियोजनाओं का प्रस्ताव देने के लिए निर्देश दिया है;

(घ) यदि हां, तो भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा इस योजना के अंतर्गत कितनी परियोजनाओं का प्रस्ताव दिया गया है; और

(ङ) इन परियोजनाओं पर कब तक कार्य शुरू किए जाने की संभावना है तथा इनका स्थल-वार ब्यौरा क्या है?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री टिंडिवनाम् जी॰ वेंकटरामन): (क) जी हां।

(ख) सरकार द्वारा गठित उच्च अधिकार प्राप्त समिति में शामिल हैं :-

(i) सचिव (जल-भूतल परिवहन मंत्रालय) - अध्यक्ष
(ii) सचिव (व्यय), वित्त मंत्रालय
(iii) सचिव (डी.ई.ए.), वित्त मंत्रालय
(iv) सचिव (विधि कार्य)
(v) सलाहकार (परिवहन), योजना आयोग
(vi) महानिदेशक (सड़क विकास) एवं अपर सचिव
(vii) अध्यक्ष, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
(viii) सदस्य, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (श्री आर॰एल॰ कौल) सदस्य सचिव

समिति निम्नलिखित के लिए जिम्मेदार होगी :-

(i) मानक बी.ओ.टी. शर्तें तैयार करना जिसमें प्रतिभागियों के बीच जोखिमों का उचित और समान आबंटन करना और बी.ओ.टी. परियोजनाओं के लिए विस्तृत नियामक ढांचा बनाना शामिल है, तथा

(ii) बी.ओ.टी. परियोजनाओं के कार्यान्वयन के दौरान उठने वाले मुद्दों पर ध्यान देना और उनको सुलझाना।

(ग) भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को अन्य बातों के साथ-साथ राष्ट्रीय राजमार्गों पर बी.ओ.टी. परियोजनाओं को कार्यान्वित करने की जिम्मेदारी भी सौंपी गई है।

(घ) और (ङ) भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण कई राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं के लिए व्यवहार्यता अध्ययन कर रहा है जिनके परिणामों के आधार पर कुछ परियोजनाओं को बी.ओ.टी. आधार पर शुरू किया जा सकता है।

योग को बढ़ावा देना

849. श्री संदीपान थोरात : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में योग को बढावा देने के लिए केन्द्रीय योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान इन योजनाओं के अंतर्गत महाराष्ट्र में गैर-सरकारी संगठनों को गैर-सरकारी संगठनवार कितनी सहायता उपलब्ध करायी गई;

(ग) क्या गैर-सरकारी संगठनों द्वारा बड़े पैमाने पर अनुदानों का दुरूपयोग/वित्तीय अनियमितताएं की गई हैं;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार को महाराष्ट्र में योग संस्थानों द्वारा अनियमितताएं और कुप्रशासन के बारे में शिकायतें प्राप्त हुई हैं तथा इसका ब्यौरा क्या है और दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध की गई कार्यवाही की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ङ) गैर-सरकारी संगठनों द्वारा धनराशि के समुचित उपयोग के बारे में निगरानी तंत्र को सुदृढ़ करने के लिए उठाए गए/प्रस्तावित कदमों का ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुही राम सैकिया) : (क) और (ख) स्कूलों में योग को बढ़ावा देने के लिए एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना 1989-90 में आरंभ की गई। इस योजना के तहत योग में शिक्षकों को प्रशिक्षित करने के लिए तथा इस प्रयोजनार्थ आधारभूत ढांचा तैयार करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों तथा ख्याति प्राप्त योग संस्थानों को वित्तीय सहायता दी जाती है। इसमें शिक्षक प्रशिक्षणार्थियों के लिए छात्रावासों का निर्माण/विस्तार शामिल हैं। इस योजना के तहत गत तीन वर्षों के दौरान महाराष्ट्र में विभिन्न गैर-सरकारी संगठनों को उपलब्ध कराई गई वित्तीय सहायता के संबंध में ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। 1996-97 के दौरान योजना के लिए बजटीय आवंटन योजनागत के तहत 60.00 लाख रु. तथा योजनेतर के तहत 30.00 लाख रु. था।

(ग) और (घ) कैवल्यधाम एस.एम.वाई.एम. समिति, लोनावला, पुणे के संबंध में कुछेक शिकायतें संस्थान के कार्यकरण की जांच करने के लिए प्राप्त हुई थीं। केन्द्र और महाराष्ट्र सरकारों के एक संयुक्त मूल्यांकन दल ने 26-27 अप्रैल, 1996 को संस्थान का दौरा किया। ध्यान में आई प्रशासनिक/प्रक्रियात्मक खामियों को समयबद्ध ढंग से दूर करने के लिए संस्थान की जानकारी में लाया गया।

(ङ) संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन की सिफारिशों के साथ गैर सरकारी संगठनों से प्राप्त प्रस्तावों पर सहायता अनुदान समिति द्वारा विचार किया जाता है तथा संगठनों द्वारा भेजी गई प्रगति रिपोर्ट तथा उपयोग प्रमाण-पत्र के आधार पर उन्हें किस्तों में अनुदान जारी किया जाता है।

विवरण

(रु. लाख में)

(योजनागत)

क्र.सं.	संस्था का नाम	1994-95	1995-96	1996-97
1	2	3	4	5
1.	योग संस्थान, सांता क्रुज, मुंबई	-	-	2.36
2.	श्री हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल, अमरावती	3.70	-	-
3.	आरोग्य सेवा मंडल, मुखेड नानडेड	0.98	-	-
4.	योग विद्याधाम, धूले	3.70	2.50	-
5.	कैवल्यधाम एस.एम.वाई.एम.	5.00	-	-
	समिति, लोनावला (पुणे)	32.67 (योजनेतर)	20.00 (योजनेतर)	30.00 (योजनेतर)

राष्ट्रीय संग्रहालय की स्थिति

850. **श्री के.पी. नायडू** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पल्लव वंश कालीन पत्थरों पर तराशी गई मूर्तियां राष्ट्रीय संग्रहालय के बगीचे में मलबे में पड़ी हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो इस उपेक्षा के क्या कारण हैं; और

(ग) संग्रहालय के कुप्रबंधन के लिए दोषी पाए गए व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री एस॰आर॰ बोम्मई) : (क) जी, नहीं। इन मूर्तियों को ईंटों से बने आधार पर बगीचे में पुनर्स्थापित किया जा रहा है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा आबंटन

851. **वैद्य दाऊ दयाल जोशी** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा राजस्थान, पंजाब, दिल्ली और महाराष्ट्र के विभिन्न विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों के लिए कुल कितनी धनराशि आवंटित की गई;

(ख) क्या अनुदान की राशि में लगातार गिरावट आ रही है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(घ) उच्च शिक्षा के स्तर को बढ़ाने के लिए क्या-क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का विचार है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुही राम सैकिया) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

शिक्षा के स्तर में सुधार

852. **श्री आई॰डी॰ स्वामी : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अध्यापक स्कूल और कालेजों में विद्यार्थियों को शिक्षा देने की बजाय राजनीतिक गतिविधियों में अधिक सक्रिय हो रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो सरकार का विचार स्कूल, कालेजों और विश्वविद्यालयों में शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए और उनकी इस प्रवृत्ति को रोकने के लिए क्या कदम उठाने का है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुही राम सैकिया) : (क) ऐसा कोई अनुभव जन्य साक्ष्य नहीं है कि शिक्षक राजनीतिक गतिविधियों में अधिकाधिक शामिल हो रहे हैं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

उड़ीसा में पेट्रोल और डीजल बिक्री केन्द्र

853. **श्री सौम्य रंजन : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में इस समय पेट्रोल और डीजल के कितने खुदरा बिक्री केन्द्र कार्य कर रहे हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार वर्ष 1997-98 के दौरान उड़ीसा में पेट्रोल और डीजल के कुछ और खुदरा बिक्री केन्द्र मंजूर करने का है; और

(ग) यदि हां, तो ये किन-किन स्थानों पर खोले जाएंगे?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) 1.4.1997 को स्थिति के अनुसार उड़ीसा में 354 खुदरा बिक्री केन्द्र प्रचालन में थे।

(ख) और (ग) जी हां। नए खुदरा बिक्री केन्द्रों के लिए उद्योग की विपणन योजना सरकार के विचाराधीन है।

नई नौवहन नीति

854. **श्री बी॰एल॰ शंकर : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 4 जुलाई, 1997 के "दि टाइम्स ऑफ इंडिया" में "न्यू शिपिंग पालिसी एक्सपेक्टेड इन ए मन्थ" तथा "शिपिंग इंडस्ट्री फेसेज चॉपी टाइम्स" शीर्षकों के अंतर्गत प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) नीति की मुख्य विशेषतायें क्या हैं तथा इसकी घोषणा कब तक कर दी जाएगी तथा इसे कब लागू कर दिया जायेगा; और

(घ) इससे देश की नौवहन उद्योग संबंधी समस्यायें कहां तक दूर हो पायेंगी?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री टिंडिवनाम् जी॰ वेंकटरामन): (क) से (घ) जी हां। नौवहन उद्योग द्वारा उठाए गए मुद्दों पर सरकार को एक राष्ट्रीय नौवहन नीति की सिफारिश करने के लिए सरकार ने नौवहन महानिदेशक की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है। समिति द्वारा अपनी रिपोर्ट जुलाई, 1997 के अंत तक प्रस्तुत किए जाने की संभावना है।

पारादीप पत्तन पर बड़े पोतों का रुकना

855. **श्री रनजीब बिसवाल : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पारादीप पत्तन पर बड़े पोतों को रोकने के लिए उसे गहरा बनाने संबंधी प्रारूप प्रस्ताव लंबे समय से लंबित है;

(ख) यदि हां, तो लंबित होने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या इस कार्य में किसी अन्तर्राष्ट्रीय कंपनी ने कोई रुचि दिखाई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री टिंडिवनाम् जी॰ वेंकटरामन): (क) जी नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

बाढ़ नियंत्रण एवं विद्युत परियोजनाएं

856. **डा॰ अरुण कुमार शर्मा : क्या जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ब्रह्मपुत्र बोर्ड के गठन के समय से लेकर अब तक तैयार की गई बाढ़ नियंत्रण एवं विद्युत परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है तथा इन परियोजनाओं को तैयार करने में कितना व्यय हुआ;

(ख) सुबान सीरी, देहांग, दिवांग और तिपाईमुख सहित इन परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) इनमें से प्रत्येक परियोजना के परियोजना-वार कार्यान्वित न होने के क्या कारण हैं तथा वर्तमान में उनकी अनुमानित लागत कितनी है;

(घ) क्या अरूणाचल प्रदेश सरकार ने साटी बांध परियोजना के संबंध में एक बड़े बांध के स्थान पर तीन छोटे बांधों का सुझाव दिया है;

(ङ) यदि हां, तो क्या नई स्थलों पर छोटे आकार के बांधों के लिए कोई सर्वेक्षण कार्य आरम्भ किया गया है;

(च) कब तक सर्वेक्षण ओर परियोजना संबंधी कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा: और

(छ) इससे क्या लाभ प्राप्त होने की संभावना है?

जल संसाधन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शीश राम ओला): (क) वर्ष 1981 में अपने गठन के बाद से ब्रह्मपुत्र बोर्ड ने (i) असम में पगलादिया बांध परियोजना और (ii) असम, मणिपुर और मिजोरम सीमा में तिपाईमुख बांध परियोजना (iii) अरूणाचल प्रदेश में सुबनसिरी बांध परियोजना और दिहंग बांध परियोजना की विस्तृत परियोजना रिपोर्टें तैयार की हैं। ब्रह्मपुत्र बोर्ड द्वारा उपर्युक्त स्कीमों के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्टों का अन्वेषण करने और इन्हें तैयार करने के लिए मार्च 1997 तक लगभग 32 करोड़ रुपए व्यय किए गए हैं।

(ख) और (ग) उपर्युक्त परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति इस प्रकार है :-

(i) 480 करोड़ रुपए के अनुमान की पगलादिया बांध परियोजना को तकनीकी, आर्थिक और पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान की गई है। विधि मंत्रालय से विधिक स्पष्टीकरण प्राप्त हो गया है और उनकी राय है कि बोर्ड निर्माण कार्य, प्रचालन और अनुरक्षण का कार्य एक साथ कर सकता है।

(ii) 2899 करोड़ रुपए की लागत की तिपाईमुख बांध परियोजना को कुछ शर्तों पर तकनीकी स्वीकृति प्रदान की गई थी। असम, मिजोरम और मणिपुर राज्यों के बीच समझौता न होने के कारण परियोजना रूक गई है।

(iii) ब्रह्मपुत्र बोर्ड द्वारा सुबनसिरी और दिहंग बांध परियोजनाओं के लिए तीन वैकल्पिक स्थानों पर अन्वेषण किए गए हैं।

(iv) बोर्ड ने दिहंग बांध परियोजना का सर्वेक्षण और अन्वेषण कार्य शुरू कर दिया है।

(घ) जी, हां।

(ङ) से (छ) जी हां। सुबनसिरी और दिहंग बांध परियोजनाओं के विस्तृत अन्वेषण तीन वर्ष की अवधि में पूरे हो जाने की संभावना है। परियोजनाओं के पूरे हो जाने के बाद बाढ़ आनी कम हो जाएगी, विद्युत उत्पन्न होगी तथा खेती के लिए सिंचाई जल की सुनिश्चित आपूर्ति होगी।

[हिन्दी]

विद्यालयों के भवनों का निर्माण

857. श्री मणीभाई रामजी भाई चौधरी : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली सहित देश के अनेक भागों में ऐसे अनेक सरकारी विद्यालय हैं जिनके अपने भवन नहीं हैं और जो तम्बुओं में चल रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो गुजरात में ऐसे कितने विद्यालय हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार विद्यालय भवनों के निर्माण हेतु राज्य सरकारों को धनराशि प्रदान करने का है; और

(घ) यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुही राम सैकिया) : (क) से (घ) मुख्य तौर पर स्कूल शिक्षा का संबंध संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से है। इस समय स्कूल भवनों के निर्माण के लिए राज्य सरकारों को राशि प्रदान करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। जिन स्कूलों के पास अपने भवन नहीं है और वे टैंटो में चल रहे हैं, उनके आंकडे इस विभाग में नहीं रखे जाते हैं।

[अनुवाद]

आवास आबंटन

858. श्री चमन लाल गुप्त : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रक्षा सेवाओं के कर्मियों के लिए बने रिहाइशी आवास, रक्षा प्रतिष्ठानों के क्षेत्रों में स्थित केन्द्रीय विद्यालयों के कर्मचारियों को दिये जाते हैं; और

(ख) यदि हां, तो इन आबंटितियों को आवास आबंटन हेतु क्या मानदण्ड अपनाए जाते हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुही राम सैकिया) : (क) जी, हां।

(ख) केन्द्रीय विद्यालय संगठन के आवास का आवंटन, आवास आवंटन (केन्द्रीय विद्यालय संगठन) नियम, 1976 के अनुसार किया जाता है।

अन्तर्राज्यीय जल विवाद

859. श्री गिरिधर गमांग : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्यवार कौन-कौन से अंतर्राज्यीय जल विवाद हैं;

(ख) ये विवाद कब से लम्बित हैं; और

(ग) इन जल विवादों का समाधान करने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं?

जल संसाधन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शीश राम ओला): (क) फिलहाल, अधिकरणों द्वारा दो अंतर्राज्यीय जल विवाद

न्यायाधीन हैं, अर्थात् :-

(i) तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और संघ राज्य क्षेत्र पांडिचेरी राज्यों से संबद्ध कावेरी जल विवाद; और

(ii) हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, जम्मू और कश्मीर राज्यों तथा दिल्ली से संबद्ध रावी-व्यास जल विवाद।

(ख) और (ग) कावेरी के मामले में, अधिकरण का गठन करने के लिए तमिलनाडु राज्य से जुलाई, 1986 में अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम, 1956 की धारा 3 के अंतर्गत एक औपचारिक अनुरोध प्राप्त हुआ था। विवाद पर निर्णय देने के लिए केन्द्र सरकार ने जून, 1990 में कावेरी जल विवाद अधिकरण की स्थापना की। अधिकरण की 24.7.97 तक 116 बैठकें हुई हैं।

राजीव-लोंगोवाल समझौते के अनुसरण में रावी-व्यास जल विवाद अधिकरण का गठन अप्रैल, 1986 में किया गया था। अधिकरण के एक सदस्य द्वारा वर्ष 1989 में त्यागपत्र देने के कारण अधिकरण की बैठक बुलाना संभव नहीं था। हाल ही में, अन्य न्यायाधीश को इसके सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है।

नेहरू युवक केन्द्रों को निधियों का आवंटन

860. श्री एन॰एन॰ कृष्णादास : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान नेहरू युवक केन्द्रों को राज्यवार आवंटित की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(ख) स्वयंसेवी संगठनों द्वारा नेहरू युवक केन्द्रों के माध्यम से आवंटित धनराशि के उपयोग का ब्यौरा क्या है; और

(ग) 1996-97 के लिए नेहरू युवक केन्द्रों को राज्यवार कितनी राशि आवंटित की गई है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में युवा मामलों और खेल विभाग में राज्य मंत्री (श्री आर॰ धनुषकोडी आदित्यन) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

केरल में नए राष्ट्रीय राजमार्ग

861. श्री एस॰ अजय कुमार : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की केरल के लिए नए राष्ट्रीय राजमार्ग के घोषित करने की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार को केरल सरकार से नए राष्ट्रीय राजमार्गों हेतु कोई प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री टिंडिवनाम् जी॰ वेंकटरामन): (क) से (घ) नए राष्ट्रीय राजमार्गों की घोषणा के लिए केरल राज्य सरकार द्वारा भेजे गए प्रस्ताव आठवीं योजना में संसाधनों की कमी के कारण माने नहीं जा सके। नौवीं योजना के लिए सरकार ने सभी राज्य सरकारों से नए सिरे से प्रस्ताव आमंत्रित किए हैं और इस पर अंतिम रूप से विचार निधियों की पर्याप्त उपलब्धता और उनकी पारस्परिक अग्रता के अध्यधीन किया जाएगा।

[हिन्दी]

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा अनुदान

862. श्री जय सिंह चौहान : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने मात्र कागज पर चलने वाले जाली महाविद्यालयों को अनुदान आवंटित किया है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे महाविद्यालयों का राज्यवार ब्यौरा क्या है तथा अनुदान के रूप में उन्हे कितनी राशि दी गई है;

(ग) ऐसे विश्वविद्यालयों को अनुदान आवंटित करने के लिए कौन-कौन व्यक्ति जिम्मेवार होते हैं;

(घ) क्या इसमें संलिप्त पाये गये अधिकारियों तथा अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही की गई है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुही राम सैकिया) : (क) से (च) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

ढाका-कलकत्ता बस सेवा

863. श्री बीर सिंह महतो : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ढाका से कलकत्ता तक एक्सप्रेस बस सेवा शुरू करने की इच्छुक है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री टिंडिवनाम् जी॰ वेंकटरामन): (क) जी हां।

(ख) विस्तृत रूप-रेखा अंतिम रूप से तैयार नहीं की गई है।

निर्यातोन्मुख तेल शोधक कारखानों की स्थापना

864. श्री ईश्वर प्रसन्ना हजारिका : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार निर्यातोन्मुख तेल शोधक कारखानों की स्थापना के लिए अनुमति देने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या ऐसे कारखानों को अंतर्राष्ट्रीय निविदाओं या अन्य माध्यमों के द्वारा घरेलू बाजार में बिक्री के मद्देनजर संभावित निर्यात लाभों के मिलने की संभावना हैं;

(ग) क्या घरेलू बिक्री को सीमा शुल्क से मुक्त रखा जायेगा;

(घ) क्या एच.एच.सी. की धारा 80 और आयकर अधिनियम के न्यूनतम वैकल्पिक कर के उपबंध ऐसे तेल शोधक कारखानों द्वारा अर्जित किये गये लाभ पर भी लागू होंगे;

(ङ) क्या उक्त प्रस्तावित निर्यातोन्मुख तेल शोधक कारखानों को अप्रत्यक्ष राजसहायता तथा छूट दिये जाने से घरेलू तेल शोधक कारखानों पर उसे आवंटित प्रतिस्पर्धात्मक लाभ प्राप्त नहीं होगा; और

(च) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) से (च) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

अंग्रेजी माध्यम में शिक्षा

865. श्री दादा बाबूराव परांजपे : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश सरकार का विचार सरकारी स्कूलों में गरीब और पिछड़े वर्गों से संबंधित विद्यार्थियों को अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा प्रदान करने का है; और

(ख) यदि हां, तो केन्द्र सरकार का इस संबंध में क्या दृष्टिकोण है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुही राम सैकिया) : (क) और (ख) सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

गैस और तेल की खोज

866. श्री महबूब जहेदी :
डा॰ असीम बाला :
श्री अजय मुखोपाध्याय :
श्री तरित बरण तोपदार :
श्री रूपचंद पाल :
श्री अनिल बसु :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि पश्चिम बंगाल के सुन्दरवन क्षेत्र के विभिन्न भागों में नलकूपों से गैस और तेल निकल रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच करने के लिये तेल और प्राकृतिक गैस निगम के विशेषज्ञों को वहां भेजने पर विचार कर रही है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) जी नहीं।

(ख) से (घ) उपरोक्त (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठते।

विमानों की खरीद

867. श्री चर्चिल अलेमाओं : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान इंडियन एअरलाइन्स द्वारा विमानों के कलपुर्जों की खरीद पर कितना धन व्यय किया गया और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) विमान के टायर संबंधी किन-किन मदों का आयात किया जा रहा है और टायरों की मियाद समाप्त होने के पश्चात् विमान से उतारे गए टायरों का निपटान किस प्रकार से किया जा रहा है;

(ग) क्या ऐसे टायरों की मरम्मत की जा सकती है और उन्हें पुनः प्रयोग में लाया जा सकता है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्री (श्री सी॰एम॰ इब्राहीम) : (क) इंडियन एयरलाइन्स द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान विमानों, अतिरिक्त पुर्जों की खरीद पर किया गया व्यय निम्न प्रकार है :-

वर्ष	(करोड़ रुपयों में)
1994-95	174
1995-96	227
1996-97	310

(ख) से (घ) विमानों से जब टायर निकाले जाते हैं तब यह पता लगाने के लिए उनकी जांच की जाती है कि क्या इन टायरों को रिट्रैड किया जा सकता है अथवा नहीं। यदि वे रिट्रैडिंग के लिए उपयुक्त होते हैं तो विमानों के इन टायरों को रिट्रेडिंग हेतु विदेश भेजा जाता है और तब उनको पुनः प्रयुक्त किया जाता है। यदि उन्हें और रिट्रेडिंग के लिए उपयुक्त नहीं पाया जाता तब इन्हें रद्दी में डाल दिया जाता है और उनको भारत में कबाड़ के रूप में बेच दिया जाता है।

[हिन्दी]

गुजरात की सिंचाई परियोजनाएं

868. **श्री छीतुभाई गामीत :** क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात में विदेशी सहायता से कार्यान्वित की गई सिंचाई परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) इन परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) ये परियोजनाएं कब शुरू की गई थी और उन पर आज तक कितना व्यय किया गया है;

(घ) क्या ऐसी कोई परियोजना है जिसे कार्यान्वित नहीं किया जा रहा है अथवा जिसका कार्य अवरुद्ध हो गया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और कार्य अवरुद्ध होने के क्या कारण हैं?

जल संसाधन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शीश राम ओला): (क) से (ग) गुजरात में विदेशी सहायता से कार्यान्वित की जा रही सिंचाई परियोजनाओं का ब्यौरा नीचे दिए गए अनुसार है :-

(राशि लाखों में दाता की मुद्रा में)

क्र. सं.	परियोजना का नाम	सहायता देने वाली एजेंसी	सहायता की राशि	समझौते की तिथि	31.3.97 तक किया गया उपयोग
1	2	3	4	5	6
1.	जल विज्ञान परियोजना	विश्व बैंक (बहुराज्यीय)	यू.एस. डालर 142.0	9.6.95	यू.एस. डालर 4.367
2.	जल संसाधन विकास एवं प्रबंध	नीदरलैंड	ड्यूश मार्क 6.40	17.2.95	तकनीकी सहायता के रूप में सहयोग
3.	गुजरात में चार बांधों पर हाइड्रोप्लस	फ्रांस	फ्रेंक 17.86	26.4.96	हाल ही में अनुदेश पत्र जारी किया गया

टिप्पणी : 1 यू.एस. डालर 35.70 रु.
1 ड्यूश मार्क 17.46 रु.
1 फ्रेंक 5.83 रु.

(घ) ऐसा कोई मामला जानकारी में नहीं है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

तेल का आयात

869. **श्री माधव राव सिंधिया :**
श्री सिद्दया कोटा :
श्री सत्यजीत सिंह दलीप सिंह गायकवाड़ :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 10 जून, 1997 को "इंडियन एक्सप्रेस" में "फारेक्स लॉसेज माउण्ट विद् आर्केड्क ऑयल इम्पोर्ट नार्म्स" शीर्षक के अंतर्गत प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया है;

(ख) यदि हां, तो उसमें प्रकाशित सामग्री के तथ्य क्या हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में अपनाई गई अधिप्राप्ति संबंधी प्रक्रिया को अद्यतन बनाने तथा उसमें संशोधन करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का प्रस्ताव है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) जी हां।

(ख) आई.ओ.सी. जोकि एक मात्र नियंत्रक एजेंसी है, कच्चे तेल और पेट्रोलियम उत्पादों के आयातों की व्यवस्था सरकार द्वारा अनुमोदित तेल अर्थ बजट के अनुसार करती है।

आई.ओ.सी., कच्चे तेल के आयात का प्रबन्ध निर्यात योग्य अधिशेष वाले तेल उत्पादक देशों की राष्ट्रीय तेल कंपनियों के साथ आवधिक संविदाओं के माध्यम से करती है। यह खरीद, लदाई के महीने हेतु प्रचलित सरकारी बिक्री मूल्य पर की जाती हैं। शेष आवश्यक मात्राओं की खरीद आर्थिक/वाणिज्यिक सोच-विचार के आधार पर आई.ओ.सी. के पास पंजीकृत पक्षकारों से अन्तरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्द्धात्मक निविदाओं के माध्यम से की जाती है।

पेट्रोलियम उत्पादों का आयात अंशतः निर्यात योग्य अधिशेष वाले तेल उत्पादक देशों की राष्ट्रीय तेल कंपनियों के साथ आवधिक संविदाओं और अंशतः पंजीकृत पक्षकारों से अन्तरराष्ट्रीय निविदाओं के माध्यम से किया जाता है। ऐसी आवधिक निविदाओं के माध्यम से अधिकतम आवश्यक मात्राएं जुटाने के लिए सदैव प्रयास किए जाते हैं। शेष आवश्यकताएं पंजीकृत पक्षकारों से आवधिक निविदाओं/मासिक निविदाओं के माध्यम से पूरी की जाती हैं।

निविदाओं के माध्यम से खरीद, शक्ति प्रदत्त स्थायी समिति के अनुमोदन से और ई.एस.सी. द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार की जाती हैं।

(ग) अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेल व्यापारों की जटिलताओं और परिवर्तनशील पद्धति के मद्देनजर एक विख्यात अन्तरराष्ट्रीय परामर्शदाता के माध्यम से मौजूदा क्रय पद्धति की पुनरीक्षा करने का निर्णय लिया गया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि आई.ओ.सी. द्वारा अन्तरराष्ट्रीय बाजार में अनुपालन की जा रही सर्वोत्तम क्रय पद्धतियों को अपनाया जाए। मौजूदा क्रय पद्धति आदि की पुनरीक्षा करने और तेल उद्योग में सामान्यतया अपनाई गई पद्धति पर आधारित सिफारिशें करने के लिए आई.ओ.सी. द्वारा इस प्रयोजन के लिए मैसर्स आर्थ एण्डर्सन को परामर्शदाता नियुक्त किया गया है ताकि इस पद्धति का उन्नयन अन्तरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप किया जा सकें।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय राजमार्गों का रख-रखाव

870. प्रो॰ प्रेम सिंह चन्दूमाजरा :
श्री पंकज चौधरी :
श्रीमती केतकी देवी सिंह :
जस्टिस गुमान मल लोढा :

क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उचित रख-रखाव के अभाव में देश में राष्ट्रीय राजमार्ग जीर्ण-शीर्ण अवस्था में हैं;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या राय है और रख-रखाव संबंधी उचित व्यवस्था न होने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्गों को अच्छी स्थिति में रखने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर कोई कार्ययोजना तैयार की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री टिंडिवनाम् जी॰ वेंकटरामन): (क) से (ङ) राष्ट्रीय राजमार्गों के रख-रखाव और मरम्मत के लिए निधियों की समग्र उपलब्धता अनुमोदित मानकों के अनुसार आवश्यकता का 50 प्रतिशत होती है। तथापि, राष्ट्रीय राजमार्गों को उपलब्ध निधियों के भीतर पूरे वर्ष यातायात-योग्य स्थिति में रखे जाने के प्रयास किए जा रहे हैं।

मुजफ्फरपुर-रक्सौल राष्ट्रीय राजमार्ग की मरम्मत

871. श्री राधा मोहन सिंह : क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेपाल को जाने वाली मुख्य सड़क मुजफ्फरपुर रक्सौल राष्ट्रीय राजमार्ग खस्ता हालत में है जिसके कारण इस पर दुर्घटनाएं होती रहती हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस राष्ट्रीय राजमार्ग की मरम्मत के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये अथवा उठाये जाने का प्रस्ताव है?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री टिंडिवनाम् जी॰ वेंकटरामन): (क) जी नहीं। तथापि, पिछले पखवाड़े से लगातार वर्षा के कारण कुछ गढ्ढे हो गए हैं जिनकी मरम्मत की जा रही है और यातायात जारी है।

(ख) राष्ट्रीय राजमार्गों को उपलब्ध संसाधनों के अंतर्गत यातायात योग्य स्थिति में रखा जा रहा है।

भारत और अमरीका के बीच समझौता

872. श्री महेन्द्र सिंह भाटी : क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में परिवहन के क्षेत्र में भारत और अमरीका के बीच किसी समझौते पर हस्ताक्षर किये गये हैं;

(ख) यदि हां, तो इस समझौते की शर्तें क्या-क्या हैं; और

(ग) इस समझौते के किस तिथि से प्रभावी होने की संभावना है?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री टिंडिवनाम् जी॰ वेंकटरामन): (क) से (ग) भारत सरकार और परिवहन विभाग, अमरीका ने दोनों देशों के बीच परिवहन विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग के बारे में एक संभावित करार के उद्देश्यों का पता लगाने के लिए आशय ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।

निजी क्षेत्र के लिए आय कर में छूट

873. श्री पंकज चौधरी : क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए सड़क निर्माण क्षेत्र में निवेश पर आय कर में छूट देने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त निर्णय कब से लागू होगा?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री टिंडिवनाम् जी॰ वेंकटरामन): (क) जी हां।

(ख) आयकर अधिनियम की धारा 80(1) (क) में अवसंरचना संबंधी सुविधाओं का संचालन करने वाले उद्यमी जिनमें सडकें शामिल हैं; दिए गए हैं :-

(i) पांच वर्षों के लिए लाभ पर 100 प्रतिशत आयकर छूट।

(ii) तत्पश्चात् अगले पांच वर्षों के लिए लाभ पर 30 प्रतिशत आयकर छूट।

(iii) सुविधा के चालू होने के पश्चात् निर्धारिती को इच्छा पर 12 वित्त वर्षों में से 10 वर्ष की निरन्तर अवधि के लिए ऐसी छूट जारी रहेगी।

(iv) सड़क सहित परिभाषित अवसंरचना क्षेत्र के लिए दीर्घकालीन वित्त उपलब्ध करवाने वाली वित्तीय संस्थाओं के लिए उक्त अधिनियम की धारा 36 (1) (viii) के तहत अवसंरचना से प्राप्त लाभ पर 40 प्रतिशत छूट।

(ग) ये पहले ही लागू कर दिए गए हैं।

[अनुवाद]

कर्नाटक स्थित रायचूर में हवाई अड्डा

874. श्री राजा रंगप्पा नायक : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने हाल में कर्नाटक के रायचूर में हवाई अड्डा खोलने के संबंध में सर्वेक्षण किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं?

नागर विमानन मंत्री (श्री सी॰एम॰ इब्राहीम) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) दल द्वारा किये गये व्यवहार्यता अध्ययन से ज्ञात हुआ कि 50 सीटों वाले विमानों के लिए 4500 फुट × 150 फुट की लम्बाई-चौड़ाई वाले धावनपथ का निर्माण किया जा सकता है। यह हवाई अड्डा कर्नाटक सरकार का है और इसलिए हवाई अड्डे के स्तरोन्नयन का कार्य भी राज्य सरकार द्वारा ही किया जाना है।

[हिन्दी]

अपील खारिज किया जाना

875. श्री शान्ति लाल पुरुषोत्तम दास पटेल :

श्री राधा मोहन सिंह :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 17 अप्रैल, 1997 के 'जनसत्ता' में "केन्द्रीय विद्यालयों में विवेकाधीन कोटे से दाखिले की अपील खारिज" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है और सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुही राम सैकिया) : (क) जी, हां।

(ख) माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय ने केन्द्रीय विद्यालय संगठन कर्मचारी संघ द्वारा दायर की गई एक रिट याचिका को अंतिम रूप देने तक विशेष विवेकाधीन आधार पर दाखिला देने की केन्द्रीय विद्यालय संगठन के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया है।

भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों में मंत्रियों को दिये गए सभी विवेकाधीन कोटे को समाप्त करने के सरकार के आदेशों को ध्यान में रखते हुए इस रिट याचिका को निष्फल के रूप में निपटा दिया गया। सरकार माननीय न्यायालय के निर्देशों का पालन कर रही है।

उड़ान संख्या 411 का रख-रखाव

876. श्री शत्रुघ्न प्रसाद सिंह : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली से सायं 5.15 बजे दिल्ली-लखनऊ-पटना जाने वाली उड़ान संख्या 411 में खराब रखरखाव, निम्नस्तरीय खानपान सेवा तथा टूटी-फूटी कुर्सियां होने के क्या कारण हैं;

(ख) क्या इस संबंध में संसद सदस्यों तथा अन्य यात्रियों द्वारा की गयी शिकायतों की ओर ध्यान नहीं दिया जाता; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

नागर विमानन मंत्री (श्री सी॰एम॰ इब्राहीम) : (क) एलायंस एयर अपनी उड़ानों में ख्याति प्राप्त खान-पान प्रबंधकों से ही खाद्य पदार्थों की व्यवस्था कर रही है। इन खान-पान प्रबंधकों से प्राप्त पूर्तियों की नियमित रूप से मानीटरिंग की जाती है ताकि यात्रियों को मुहैया की जा रही सेवा की गुणवता सुनिश्चित की जा सके। विमानों की आन्तरिक व्यवस्था की भी नियमित जांच की जाती है और उन्हें साफ-सुथरा एवं सुव्यवस्थित रखा जाता है।

(ख) और (ग) प्राप्त शिकायतों को तुरंत मान लिया जाता है और उन पर इंडियन एयरलाइंस/एलायंस एयर द्वारा पूर्णतया जांच पड़ताल की जाती है। जहां कहीं अपेक्षित हो, यात्रियों की सेवा में सुधार हेतु सुधारात्मक कार्रवाई की जाती है।

भूकम्प से क्षतिग्रस्त सिंचाई परियोजना

877. श्री थावरचन्द गेहलोत : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1995-96 और 1996-97 के दौरान और इस वर्ष

अब तक राज्यवार भूकम्प से कितनी सिंचाई और बहुद्देशीय परियोजनाएं क्षतिग्रस्त हुई;

(ख) उक्त अवधि के दौरान भूकम्प के कारण कुल कितना नुकसान हुआ;

(ग) क्या सरकार ने भूकम्प के कारण क्षतिग्रस्त हुए बांधों और परियोजनाओं की मरम्मत के लिए कोई व्यापक कार्य योजना तैयार की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शीश राम ओला): (क) वर्ष 1995-96 और 1996-97 के दौरान आए भूकम्प से सिंचाई एवं बहुउद्देशीय परियोजनाओं को किसी प्रकार की क्षति होने की कोई सूचना नहीं मिली है। चालू वर्ष अर्थात् 1997-98 में दिनांक 22.5.1997 को प्रातः मध्य प्रदेश में जबलपुर शहर से लगभग 20 कि. मी. उत्तर-पूर्व में भूकंप आया। रिक्टर पैमाने पर जिसकी तीव्रता 6 थी। उपरोक्त भूकंप के कारण बांधों को किसी बड़ी क्षति पहुंचने की सूचना नहीं मिली है। तथापि, मध्य प्रदेश में 43 जल संसाधन संरचनाओं को मामूली क्षति पहुंचने की सूचना मिली है।

(ख) मध्य प्रदेश सरकार द्वारा क्षतिग्रस्त जल संसाधन संरचनाओं के मरम्मत कार्य की कुल लागत 304.46 लाख रुपए आंकी गई है।

(ग) और (घ) जी, हां। मध्य प्रदेश राज्य सरकार 47 लाख रुपए की लागत वाले अल्पकालीन उपायों का कार्यान्वयन राज्य निधियों में से पहले ही शुरू कर चुकी है। दीर्घ-कालीन उपाय मानसून सत्र के बाद शुरू किए जाने की योजना है।

[अनुवाद]

भारतीय वायुसेना की प्रशिक्षण प्रणाली में कमियां

878. श्री रामबहादुर सिंह :

प्रो॰ अजित कुमार मेहता :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार ऐसे समय में भारतीय वायुसेना को अनेक भूमिकाओं वाले लड़ाकू विमान एस॰यू॰-30 से सुसज्जित करने का है जबकि भारतीय वायुसेना की प्रशिक्षण प्रणाली में अत्यधिक खामियां हैं; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा उन्नत प्रशिक्षण प्रणाली में इन कमियों को किस प्रकार दूर किए जाने का प्रस्ताव है?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एन॰वी॰एन॰ सोमू) : (क) और (ख) भारतीय वायुसेना के कम्बैट बल स्तर को बनाए रखने के उद्देश्य से पुराने होते जा रहे कम्बैट वायुयानों को सेवा से हटाने के लिए वायुसेना में बहु-भूमिका वाले एस यू - 30 अत्याधुनिक वायुयान शामिल किए गए हैं। तथापि, भारतीय वायुसेना की प्रशिक्षण प्रणाली में कोई खतरनाक खामी नहीं है। भारतीय वायुसेना के पर्याप्त कार्मिकों ने रूस में एस यू - 30 वायुयान पर प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया है। भारतीय वायुसेना द्वारा और अधिक कार्मिकों के प्रशिक्षण के लिए प्रशिक्षण सुविधाएं स्थापित की जा रही हैं। संक्रियात्मक/अनुरक्षण संबंधी प्रशिक्षण की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इस सुविधा के वास्ते अपेक्षित आधारभूत व्यवस्था की आवश्यकता होगी।

फरक्का में फीडर लेवल

879. श्री चित्त बसु : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फरक्का (पश्चिम बंगाल) के फीडर लेवल से जल बहाव में सतत् उतार-चढ़ाव के कारण फीडर कैनाल क्षतिग्रस्त हो सकती है;

(ख) क्या यह स्थिति बंगलादेश के साथ हुए जल बंटवारे के समझौते के कारण उत्पन्न हुई है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार इस मामले को बंगलादेश के साथ उठाना आवश्यक समझती है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शीश राम ओला): (क) और (ख) जी, हां। बंगलादेश के साथ हुए जल बंटवारा समझौते के अनुसार दस-दस दिन के अंतरालों पर बारी-बारी से चढ़ाव और उतार करना अनिवार्य है। निश्चित सीमा के बाद एकाएक उतार-चढ़ाव के कारण फीडर कैनाल को क्षति हो सकती है क्योंकि फीडर कैनाल एक कच्ची नहर है।

(ग) और (घ) भारत सरकार द्वारा कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई है तथा सरकार ने बंटवारा व्यवस्थाओं में समायोजन के लिए बंगलादेश के साथ विचार-विमर्श किये हैं ताकि फीडर नहर को क्षति होने से बचाया जा सके। दोनों पक्ष उपर्युक्त मुद्दों को दोनों सरकारों के उपयुक्त स्तर पर उठाने के लिए राजी हो गए हैं।

मुंबई के निकट समुद्र में जहाज का डूबना

880. श्री चिन्तामन वानगा :

श्री महेश कुमार एम॰ कनोडिया :

क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में मुंबई के निकट "एम.वी. आर्कीमीडिया प्राइड" नामक जहाज समुद्र में डूब गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) जहाज डूबने से कुल कितने व्यक्तियों की मृत्यु हुई तथा कुल कितने मूल्य की संपत्ति का नुकसान हुआ;

(घ) क्या इस संबंध में कोई जांच की गयी है; और

(ङ) यदि हां, तो जांच के क्या परिणाम रहे?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री टिंडिवनम् जी॰ वेंकटरामन): (क) से (ङ) जी हां। 19 जुलाई को लगभग पूर्वाह्न 9.40 बजे एम.बी. "आर्केडिया प्राइड" ने लंगर खीचना शुरू किया और जब वह पुनः लंगर डालने की कोशिश कर रहा था, वह एक तरफ झुक गया और उलट कर डूब गया। पोत में 33 नाविक दल सदस्यों में से 9 व्यक्ति बचा लिए गए थे, 5 मृतकों को निकाल लिया गया था और शेष 19 व्यक्तियों के बारे में अनुमान है कि उनकी मौत हो चुकी है। प्रधान अधिकारी, मर्केंटाइल मैरीन विभाग, मुम्बई इस दुर्घटना की प्रारंभिक जांच कर रहे हैं। जांच रिपोर्ट से संपत्ति के नुकसान का पता लगने की संभावना है।

प्रतिभा पलायन

881. प्रो॰ पी॰जे॰ कुरियन : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास प्रतिभा पलायन के कारण देश को हुए नुकसान का कोई हिसाब है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुही राम सैकिया) : (क) और (ख) कुछ भारतीय वैज्ञानिक, इंजीनियर और डाक्टर रोजगार और उच्च अध्ययन के लिए अन्य देशों में जाकर बस जाते हैं किन्तु ऐसे प्रवासियों का कोई रिकार्ड नहीं रखा गया है।

सेना का पुनर्गठन

882. श्री शिवाजी विट्ठल राव काम्बले : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 26 जून, 1997 के "स्टेट्समैन" में "आर्मी रिस्ट्रक्चरिंग" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सेना का अविलंबनीय रूप से पुनर्गठन किए जाने की आवश्यकता है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सेना के कार्यक्रम में प्रस्तावित परिवर्तनों का ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एन॰वी॰एन॰ सोमू) : (क) से (घ) सशस्त्र सेनाओं का संगठनात्मक ढांचा हमारी आवश्यकताओं के अनुसार निर्धारित किया गया है। हमारी सुरक्षा पर प्रभाव डालने वाली सभी गतिविधियों पर लगातार नज़र रखी जाती है और उनका मुल्यांकन किया जाता है तथा जब भी आवश्यक समझा जाता है सेनाओं में पुनर्गठन किया जाता है। यह एक सतत् प्रक्रिया है। सशस्त्र सेनाओं को आधुनिक भी बनाया जा रहा है ताकि उन्हें अत्याधुनिक हथियारों और उपस्करों से सज्जित किया जा सके। इस संबंध में और अधिक ब्यौरे प्रकट करना राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में नहीं होगा।

कैंटीन स्टोर्स डिपार्टमेंट में शुरू की गई वस्तुएं

883. श्री जय प्रकाश (हरदोई) : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत 12 महीनों के दौरान कैंटीन स्टोर्स डिपार्टमेंट में जिन नई वस्तुओं की बिक्री शुरू की गई है उनके नाम क्या हैं;

(ख) किन-किन आधारों पर यूनिट द्वारा चलाई जा रही कैंटीनें किस आधार पर वस्तुओं की मांग करती हैं;

(ग) उपरोक्त अवधि के दौरान कैंटीन स्टोर्स डिपार्टमेंट में किन-किन वस्तुओं के नाम वहां की मालसूची से हटाए गए;

(घ) इसके क्या कारण हैं;

(ङ) सी॰एस॰डी॰ के पास भुगतान के लिए कितने बिल लंबित हैं तथा ये कब से लंबित हैं;

(च) भुगतान में विलंब के क्या कारण हैं; और

(छ) यह निर्णय किस आधार पर लिया जाता है कि किसी आपूर्तिकर्ता/विनिर्माता को सी॰एस॰डी॰ को कितनी छूट देनी चाहिए, इस संबंध में विनिर्माताःवार ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एन॰वी॰एन॰ सोमू) : (क) से (घ) पिछले 12 माह के दौरान कैंटीन स्टोर विभाग की मालसूची श्रृंखला में कुल 344 उपभोक्ता और घरेलू मदें शामिल की गईं और 222 मदें सूची से हटाई गईं। कैंटीन स्टोर विभाग में उत्पादन शामिल किया जाना व हटाया जाना एक सतत् कार्रवाई है ताकि इसकी उत्पाद श्रृंखला को सैनिकों की मांग के अनुरूप रखा जा सके। मदें शामिल किए/हटाए जाने की कार्रवाई बाइसाइकिल, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों, शेविंग उत्पादों, कार्नफ्लेक्स, माचिस, कार, सनग्लास, वाटर फिल्टर, बैटरी और टार्च, बालों का तेल, बेड कवर, घड़ियां, नहाने का साबुन, छत का पंखा, सिलाई मशीन, बिस्किट, कटलरी, मोमबत्तियां, जूते, काफी, डीआडोरेंट, कापियां, च्यवनप्राश, कास्मेटिक, तौलिए, वेस्ट, सूटकेस, टुथपेस्ट व सिगरेट आदि जैसी मदों के मामले में की गई है।

यूनिट चालित कैंटीनें उन्हीं मदों की मांग करती हैं जिनकी बिक्री की संभावना सैनिकों में होती है।

(ङ) और (च) कैंटीन स्टोर विभाग की मौजूदा शर्तों और निबंधनों के अनुसार सामान के एरिया डिपुओं पर प्राप्त होने और चार्ज

में लिए जाने के 30 दिन पश्चात् बिल अदायगी के लिए देय हो जाता है। आपूर्तिकर्ताओं को देय तारीख तक बिलों की अदायगी शीघ्रतापूर्वक कर दी जाती है। बिना किसी विसंगति के कोई भी बिल देय तारीख के बाद बकाया नहीं रखा जाता है।

(छ) निर्माताओं/आपूर्तिकर्ताओं से प्राप्त की जाने वाली छूट लेने के लिए कैंटीन स्टोर विभाग के लिए आधार निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है:

(i) निर्माता द्वारा प्रथम बिंदु पर बिक्री और व्यापार को उसकी छूट,

(ii) सुपुर्दगी की शर्त अर्थात् रेल पर्यन्त निःशुल्क गन्तव्य स्थल अथवा मुम्बई में मदर डिपो पर आपूर्ति,

(iii) सिविल बाजार में उत्पाद का खुदरा मूल्य,

(iv) कैंटीन स्टोर विभाग में विद्यमान कार्यात्मक समतुल्यों का मूल्य और छूट ढांचा।

[हिन्दी]

केन्द्रीय जल आयोग के अधिकारियों को समाचार पत्र उपलब्ध कराना

884. श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार भारत सरकार के सभी राजपत्रित अधिकारियों को उपलब्ध कराए जा रहे समाचार-पत्रों पर होने वाले व्यय को वहन करती है;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय जल आयोग के समूह "ख" के अधिकारियों को आयोग के अध्यक्ष द्वारा इस सुविधा से वंचित रखा गया है; और

(ग) सरकारी नियमों के पालन न किए जाने को रोकने और दोषी अधिकारियों को दंडित करने के लिए क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

जल संसाधन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शीश राम ओला): (क) जी, नहीं। भारत सरकार के राजपत्रित अधिकारियों को उपलब्ध कराए जाने वाले समाचार पत्रों की लागत की अदायगी के लिए सरकार को शासकीय दिशा-निर्देश हैं।

(ख) ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

भूमिगत जल का स्तर

885. श्री जय प्रकाश अग्रवाल : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उच्चतम न्यायालय ने देश में भूमिगत जल के स्तर में तेजी से कमी आने पर अपनी चिंता प्रकट की है तथा भूमिजल के अत्यधिक उपयोग को रोकने हेतु एक सेंट्रल अंडरग्राउंड वाटर बोर्ड की समिति का गठन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है या किए जाने का विचार है?

जल संसाधन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शीश राम ओला): (क) और (ख) देश के विभिन्न भागों में भू-जल के स्तर में कमी को ध्यान में रखते हुए भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 10 दिसम्बर, 1996 को एक आदेश पारित किया। जिसमें केन्द्र सरकार को भूजल के प्रबंधन और विकास के नियमन और नियंत्रण के प्रयोजन के उद्देश्य से पर्यावरण (सुधार) अधिनियम, 1986 के अधीन अधिकरण के रूप में केन्द्रीय भूजल बोर्ड गठित करने का निदेश दिया।

(ग) माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निदेशों का अनुपालन करते हुए केन्द्र सरकार (पर्यावरण एवं वन) ने 14 जनवरी, 1997 को एक अधिसूचना जारी करके केन्द्रीय भूजल बोर्ड का एक अधिकरण के रूप में गठन किया है।

सड़कों पर भारी यातायात

886. श्री पवन दीवान : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में सड़क यातायात के कुल प्रतिशत की तुलना में राष्ट्रीय राजमार्गों पर सड़क यातायात का प्रतिशत कितना है;

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि राज्य तथा राष्ट्रीय राजमार्गों के 1,62,000 कि.मी. का एक बड़ा भाग अर्थात् 64 प्रतिशत एक लेन वाला है जबकि 2 प्रतिशत का छोटा भाग चार लेन वाला तथा शेष भाग दो लेन वाला है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा देश में सड़कों पर भारी यातायात की समस्या से निपटने हेतु क्या कदम उठाए जाने का विचार है?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री टी.जी. वेंकटरामन): (क) राष्ट्रीय राजमार्ग देश में कुल यातायात का लगभग 40 प्रतिशत वहन करते हैं।

(ख) केन्द्र सरकार का मुख्यतः केवल राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास से ही संबंध है। अन्य सड़कों का विकास संबंधित राज्य सरकारों के कार्यक्षेत्र में आता है। राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लम्बाई 34,608 कि.मी. है जिसमें 78 प्रतिशत दो लेन खंड हैं, 20 प्रतिशत एक-लेन खंड है और 2 प्रतिशत 4-लेन खंड हैं।

(ग) अधिक यातायात की समस्या से निपटने के लिए राष्ट्रीय राजमार्गों को निधियों की उपलब्धता के अध्यधीन विभिन्न चरणों में चौड़ा किया जा रहा है।

[अनुवाद]

कलाकृतियों की वापसी

887. **श्री टी॰ गोपाल कृष्ण :**

श्री धीरेन्द्र अग्रवाल :

श्री सनत कुमार मंडल :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार ने देश पर अंग्रेजों के शासन काल के दौरान उनके द्वारा कोहिनूर सहित भारत से ले जायी गयी अनेक कलाकृतियों की वापसी के लिए कोई प्रयास किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर ब्रिटेन की क्या प्रतिक्रिया है?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री एस॰आर॰ बोम्मई) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

पश्चिम बंगाल की संकोश नदी परियोजना

888. श्री शिबु सोरेन : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल की संकोश नदी परियोजना को नौवीं पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस परियोजना में कौन-कौन से चाय बागान क्षेत्र, वन और कृषि भूमि क्षेत्र सम्मिलित हैं; और

(घ) **इस हेतु** अधिगृहीत की जाने वाली प्रस्तावित भूमि का **ब्यौरा क्या है और संकोश** परियोजना से कुल कितने लोगों के **विस्थापित होने की संभावना है?**

जल संसाधन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शीश राम ओला): (क) और (ख) जैसे ही नौवीं योजना को अंतिम रूप दे दिया जाता है, संकोश बहुउद्देशीय परियोजना का कार्यान्वयन शुरू कर दिया जाएगा।

(ग) और (घ) हाल ही में जल और विद्युत परामर्शी सेवाएं मर्यादित (वाप्कोस) द्वारा किए गए पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन **अध्ययनों के अनुसार,** भारत में संकोश परियोजना के नहर वाले भाग **के लिए कुल** 2574 हेक्टेयर भूमि को अधिगृहीत करने की आवश्यकता होगी। अधिगृहीत की जाने वाली भूमि के ब्यौरे निम्नलिखित हैं :

(i)	चाय बागान (हेक्टयर)	936.18
(ii)	वन (हेक्टेयर)	1145.16
(iii)	कृषि (हेक्टेयर)	342.52
(iv)	परती भूमि और खेती के लिए अनुपलब्ध भूमि (हेक्टेयर)	150.17
	कुल	2574.03

पश्चिम बंगाल में प्रभावित कुल व्यक्तियों की संख्या लगभग 21500 है।

उप-क्षेत्रीय विमान कम्पनी की स्थापना करना

889. श्री चन्द्रभूषण सिंह : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार थाईलैंड, श्रीलंका और बंगला देश के साथ संयुक्त रूप से चलाने के लिए एक उप-क्षेत्रीय विमान कंपनी स्थापित करने पर सहमत हो गई है; और

(ख) यदि हां, तो उक्त प्रस्तावित विमान कंपनी को चलाने के लिए सदस्य देशों के बीच किस कार्य-प्रणाली पर विचार-विमर्श किया गया है?

नागर विमानन मंत्री (श्री सी॰एम॰ इब्राहीम) : (क) और (ख) थाई सरकार द्वारा बंगला देश, भारत, श्रीलंका और थाईलैण्ड द्वारा संयुक्त रूप से एक एयरलाइन की स्थापना किये जाने का प्रस्ताव रखा गया है। अभी तक कोई ब्यौरे तैयार नहीं किये गये हैं।

बंगलौर-पुणे राष्ट्रीय राजमार्ग को बंगलौर-चेन्नई राष्ट्रीय राजमार्ग से जोड़ना

890. श्री के॰एच॰ मुनियप्पा : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बंगलौर-पुणे राष्ट्रीय राजमार्ग को बंगलौर-चेन्नई राष्ट्रीय राजमार्ग से जोड़ा जा रहा है;

(ख) क्या कर्नाटक ने केन्द्र सरकार से सहायता का अनुरोध किया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री टिंडिवनाम् जी॰ वेंकटरामन): (क) और (ख) जी हां।

(ग) 11.60 करोड़ रु. और 14.40 करोड़ रु. राशि के दो प्राक्कलनों को अनुमोदन दिया गया है जिसमें केन्द्र और राज्य सरकार

का बराबर-बराबर का हिस्सा होगा अर्थात् क्रमशः रा.रा.-4 पर डोबेस्पेट से रा.रा.-7 पर देवनहल्ली तक और रा.रा.-4 पर बरास्ता होसकोटे रा.रा.-7 पर अट्टीबेला तक मौजूदा एक लेन राज्य सड़क को दो-लेन का बनाकर सुधार करना।

बिना बारी के गैस कनेक्शनों का आवंटन

891. **श्री विनय कटियार : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गत छः महीनों के दौरान बिना बारी के रसोई गैस कनेक्शन आवंटित किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) ये कनेक्शन किस आधार पर आवंटित किए गए थे?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) से (ग) जी हां। पिछले छः महीनों के दौरान बिना बारी के आधार पर 755 एल.पी.जी. कनेक्शन जारी किए गए थे। ये कनेक्शन तत्काल और पात्र मामलों में सरकार के विवेकाधिकार से नेत्रहीन व्यक्तियों के विभिन्न संघों/संगठनों की सिफारिश पर नेत्रहीनों को, व्यक्ति विशेषों का उनके आवेदन करने पर तथा अति महत्वपूर्ण व्यक्तियों और संसद सदस्यों और भूतपूर्व संसद सदस्यों सहित जनप्रतिनिधियों की सिफारिश पर स्वीकृत किए गए हैं।

[अनुवाद]

मिट्टी का तेल

892. **श्री जार्ज फर्नान्डीज : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि मुम्बई में कुछ पेट्रोल पम्पों के माध्यम से मिट्टी तेल की बिक्री हेतु भारी मात्रा में इसका आवंटन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या मिलावट के उद्देश्य से दिए गए इस मिट्टी के तेल से प्राप्त मुनाफा इस कार्य में शामिल लोगों के बीच बांटा जाता है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) से (घ) सरकार के पास ऐसी कोई सूचना नहीं है और सरकार के पास विभिन्न लोगों के बीच ऐसे विपथित मिट्टी के तेल के लाभों का बंटवारा करने के संबंध में कोई जानकारी नहीं है।

तथापि एक परामर्शदात्री एजेंसी द्वारा करीब तीन वर्ष पहले किए गए अध्ययन में मिलावट और कालाबाजारी के लिए विभिन्न जगहों पर, विशेष रूप से थोक विक्रेताओं के माध्यम से मिट्टी के तेल के विपथन का संकेत दिया गया था। केन्द्र सरकार ने विपथन और मिलावट को रोकने के लिए कई उपाय किए हैं और चूंकि थोक विक्रेताओं द्वारा खुदरा वितरण, जहां अधिकतर विपथन होता है, राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है, इसलिए उन्हें वितरण की प्रणाली को युक्तिसंगत बनाने और कमियों को दूर करने का भी निदेश दिया गया है, ताकि विपथन और मिलावट को रोका जा सके।

राजस्थान में साक्षरता प्रतिशत

893. **कर्नल सोनाराम चौधरी : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम राजस्थान के बाड़मेर, जैसलमेर तथा जालौर जिलों में पुरूषों और महिलाओं की साक्षरता प्रतिशतता देश में सबसे कम है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने निरक्षरता के उन्मूलन हेतु राजस्थान सरकार को अत्यधिक धनराशि प्रदान की है;

(घ) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान कितनी धनराशि का आवंटन किया गया है;

(ङ) क्या सरकार ने इसके लिए कोई कार्यक्रम तैयार किया है तथा कोई समय सीमा निर्धारित की है जिसके अंतर्गत 100 प्रतिशत टी॰एल॰सी॰ प्राप्त कर लिया जाएगा; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुही राम सैकिया) : (क) और (ख) जी हां। वर्ष 1991 की जनगणना के अनुसार देश में सबसे कम साक्षरता दर वाले जिलों में बाड़मेर, जैसलमेर तथा जालौर जिले हैं।

इनके विवरण निम्नवत् हैं :-

जिला	साक्षरता दर		
	कुल	पुरूष	महिला
बाड़मेर	22.98	36.56	7.68
जैसलमेर	30.05	44.99	11.28
जालौर	23.76	38.97	7.75

इन क्षेत्रों में कम साक्षरता दर के अन्य कारणों के साथ-साथ क्षेत्र की कठिन भौगोलिक स्थितियां, भौतिक संसाधनों की कमी बिखरी हुई जनसंख्या के कारण स्कूलों का उपलब्ध न होना, साक्षरता परम्परा/अभियानों की कमी, महिलाओं के प्रति स्त्री-पुरूष संबंधी पूर्वाग्रहों का अधिक होना, निरक्षरता उन्मूलन के लिए सामाजिक/राजनैतिक प्रतिबद्धता का कम होना, तरह-तरह के सामाजिक, आर्थिक कारण आदि इसके लिए उत्तरदायी हो सकते हैं।

(ग) और (घ) राष्ट्रीय साक्षरता मिशन ने सम्पूर्ण राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय साक्षरता अभियान आरंभ किया है। पिछले तीन वर्षों के दौरान जिन परियोजनाओं को केन्द्रीय अनुदान दिया गया था उनका विवरण निम्नवत् है :-

वर्ष	राशि (लाख रु.)
1994-95	1745.00
1995-96	1631.76
1996-97	1304.62

(ङ) और (च) राष्ट्रीय साक्षरता मिशन का उद्देश्य वर्ष 1998-99 तक 15-35 वर्ष की आयु वर्ग में 100 मिलियन अशिक्षित व्यक्तियों को कार्यात्मक रूप से साक्षर बनाना तथा वर्ष 2005 ई॰ तक सम्पूर्ण साक्षरता के लक्ष्य को हासिल करना है। सम्पूर्ण साक्षरता अभियानों के अन्तर्गत निरक्षरता उन्मूलन के लिए राष्ट्रीय साक्षरता मिशन प्रमुख कार्य नीति बन गया है। अब तक सम्पूर्ण देश में 430 जिलों को इसमें शामिल कर लिया गया है।

[हिन्दी]

नदी जल का उपयोग

894. श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नदी जल के समुचित उपयोग के लिए सरकार द्वारा क्या प्रयास किये गये हैं;

(ख) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या उपलब्धियां प्राप्त की गई हैं;

(ग) क्या केन्द्र सरकार नदी जल का उपयोग करने में असफल रही है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

जल संसाधन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शीश राम ओला): (क) से (घ) पहली पंचवर्षीय योजना के शुरू होने के बाद से सिंचाई और अन्य प्रयोजनों के लिए नदी के जल का उपयोग करने के वास्ते बहुत-सी सिंचाई और बहुउद्देशीय परियोजनाएं शुरू की गई हैं। इसके परिणामस्वरूप देश की जो सिंचाई क्षमता योजना-पूर्व अवधि में लगभग 22.6 मिलियन हेक्टेयर थी, वह वर्ष 1995-96 के अन्त तक बढ़कर लगभग 89.0 मिलियन हेक्टेयर हो गई है।

राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण जल संसाधन विकास के लिए राष्ट्रीय परिपेक्ष्य योजना पर अध्ययन कर रहा है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ नदियों को आपस में जोड़कर जल के अधिशेष वाले क्षेत्र से जल को जल की कमी वाले बेसिनों में हस्तांतरित करने और नदी के जल का अधिकतम उपयोग करने के लिए संभावित स्थलों पर जलाशयों के निर्माण की परिकल्पना की गई है। तथापि, स्थलाकृतिक और पर्यावरणीय बाधाओं आदि जैसे विभिन्न कारणों की वजह से नदी जल का पूर्ण उपयोग संभव नहीं है।

[अनुवाद]

पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए सुविधाएं

895. श्री येल्लैया नंदी :
डा॰ टी॰ सुब्बारामी रेड्डी :
श्री रमेश चेन्नितला :
श्री भक्त चरण दास :
श्रीमती लक्ष्मी पनबाका :

क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ने इस शताब्दी के अन्त तक 50 लाख पर्यटकों का लक्ष्य निर्धारित किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या ऐसी योजना बनाने पर जोर दिया गया है जिससे विदेशी मुद्रा अर्जित की जा सके;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु विभिन्न प्रकार के कार्यकलापों जैसे सम्मेलन, शॉपिंग, आमोद-प्रमोद, साहसिक कार्य और सांस्कृतिक पर्यटन को प्राथमिकता के आधार पर प्रोत्साहन देने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए उन्हें विश्व स्तरीय आवास प्रदान करने पर ध्यान दिया गया है; और

(च) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

पर्यटन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री श्रीकान्त जेना) : (क) पर्यटन के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना, 1992 में पांच मिलियन विदेशी पर्यटक आगमनों का लक्ष्य निर्धारित किया गया था जिसको शताब्दी के अन्त तक प्राप्त करने का प्रस्ताव है। तथापि, नौवीं पंचवर्षीय योजना के लिए कार्यकारी दल ने लक्ष्य का पुनरीक्षण किया और नौवीं पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान पर्यटक आगमनों में 8 प्रतिशत की वृद्धि की संभावना समझी गई।

(ख) से (घ) पर्यटन का विकास एक सतत् प्रक्रिया है और इसमें आधारभूत सुविधाओं में सुधार करना, प्रचार और संवर्धन तथा मानव संसाधनों का विकास शामिल है। सम्मेलन और समागम, शॉपिंग, अवकाश, साहसिक और सांस्कृतिक पर्यटन को शामिल करते हुए भारत के उत्पाद का विविधीकरण करने के भी प्रयास किए जा रहे हैं।

(ङ) और (च) होटल और पर्यटन से संबंधित उद्योगों को विदेशी निवेश हेतु प्राथमिकता सेक्टर के रूप में घोषित कर दिया गया

है और विश्व स्तरीय आवास एककों का निर्माण करने में निजी निवेश को आकर्षित करने के लिए प्रोत्साहन उपलब्ध कराए गए हैं।

[हिन्दी]

प्राथमिक शिक्षा का विकास

896. श्री डी॰पी॰ यादव :

श्री मोहन रावले :

डा॰ कृपासिंधु भोई :

श्री माणिक राव होडल्या मावीत :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 6 जून, 1997 के "द हिन्दुस्तान टाइम्स" में "नो प्राईमरी एजूकशन फार 32 एम इन इण्डिया : डब्ल्यू॰बी॰" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) स्थिति में सुधार लाने के लिए क्या उपाय किये गये हैं/किये जाने का विचार है;

(घ) प्राथमिक शिक्षा के विकास की चुनौतियों का सामना करने के लिए केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या विश्व बैंक प्राथमिक शिक्षा के विकास के लिए सरकार की सहायता कर रहा है; और

(च) यदि हां, तो कब से तथा अब तक कितनी सहायता प्रदान की गई तथा राज्य-वार और परियोजना-वार उसका कितना उपयोग किया गया?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुही राम सैकिया) : (क) जी हां। यह समाचार मार्च, 1997 में "भारत में प्राथमिक शिक्षा" विषयक पर विश्व बैंक द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट के संबंध में था।

(ख) यह रिपोर्ट, विश्व बैंक के स्टाफ के अध्ययन तथा प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में समय-समय पर किए गए विभिन्न अनुसंधान अध्ययनों पर आधारित है। इस रिपोर्ट में लिए गए निर्णयों में भारत सरकार का विचार परिलक्षित नहीं होता।

(ग) और (घ) प्राथमिक शिक्षा की प्रोन्नति की जिम्मेदारी मुख्यतः राज्य सरकार की होती है। केन्द्र सरकार, आप्रेशन ब्लेकबोर्ड, शिक्षक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम, प्राथमिक शिक्षा के राष्ट्रीय पोषाहार सहायता कार्यक्रम जिसे मुख्यतः मध्याह्न भोजन योजना के नाम से जाना जाता है, तथा जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम आदि विभिन्न केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत वित्तीय सहायता प्रदान करके प्राथमिक शिक्षा के सर्वसुलभीकरण के लिए राज्य सरकारों की मदद करती है। राज्य की विशेष समस्याओं पर विचार करने के लिए विभिन्न राज्यों में विदेशों से सहायता प्राप्त कुछेक परियोजनाएं भी कार्यान्वित की जा रही हैं। इन परियोजनाओं में निम्नलिखित शामिल हैं :-

(1) उत्तर प्रदेश बुनियादी शिक्षा परियोजना (विश्व बैंक द्वारा सहायता प्राप्त)

(2) बिहार शिक्षा परियोजना (यूनीसेफ द्वारा सहायता प्राप्त)

(3) राजस्थान शिक्षा कर्मी परियोजना/लोक जुम्बिश परियोजना (स्वीडीश अन्तर्राष्ट्रीय विकास प्राधिकरण द्वारा सहायता प्राप्त)

(4) महिला समाख्या परियोजना (डच सरकार द्वारा सहायता प्राप्त)

(5) आंध्र प्रदेश प्राथमिक शिक्षा परियोजना (ब्रिटिश ओवरसीज डिवल्पमेंट एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा सहायता प्राप्त)

(ङ) जी हां।

(च) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परियोजना तथा जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के लिए विश्व बैंक द्वारा प्रदान की गई सहायता राशि को दर्शाने वाला विवरण :

(रु. करोड़ों में)

परियोजना का नाम	सहायता राशि	अवधि
उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परियोजना	575.00	1993-2000
जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम चरण-I	806.00	1994-2002
जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम चरण-II	1480.00	1996-2002

जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम तथा उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परियोजना के अंतर्गत 31.03.1997 तक किया गया राज्यवार व्यय/प्रतिपूर्ति विश्व बैंक द्वारा प्राप्त किया गया।

क्र॰सं.	राज्य	31.03.1997 तक कुल व्यय	विश्व बैंक द्वारा प्राप्त प्रतिपूर्ति
1	2	3	4
1.	असम	27.07	24.20
2.	हरियाणा	27.45	24.60

1	2	3	4
3.	कर्नाटक	34.26	30.53
4.	केरल	22.40	20.35
5.	महाराष्ट्र	47.05	41.92
6.	तमिलनाडु	24.70	22.23
7.	उत्तर प्रदेश	352.20	305.00

जाति आधारित रेजीमेंटों को समाप्त करने संबंधी प्रस्ताव

897. श्री राम कृपाल यादव : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार स्वतंत्रता से पूर्व स्थापित जाति आधारित रेजीमेंटों को समाप्त करने का है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एन॰वी॰एन॰ सोमू) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) स्वतंत्रता के पश्चात् सरकार की समुदाय, वर्ग, धर्म अथवा क्षेत्र के आधार पर नई रेजीमेंट खड़ी करने की नीति नहीं है। तथापि, स्वतंत्रता पूर्व की समुदाय/वर्ग/धर्म/क्षेत्र के नाम पर बनी मौजूदा रेजीमेंटों को मनोबल, प्रेरणा तथा ऐतिहासिक कारणों के कारण बनाए रखा जा रहा है।

किसानों को मुआवजा

898. श्री जगत वीर सिंह द्रोण : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कानपुर और नये शहर में गंगा बैराज के निर्माण हेतु जिन 8 लाख किसानों की भूमि का अधिग्रहण कर लिया गया था, वे अपनी जमीन के लिए बाजार भाव से मुआवजे के लिए आन्दोलन कर रहे हैं क्योंकि वे बेरोजगारी के कारण भुखमरी का सामना कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और क्या प्रशासन निधि होने के बावजूद मुआवजा राशि का भुगतान नहीं कर रहा है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या केन्द्र सरकार का इस समस्या का समाधान करने के उद्देश्य से इस मामले में हस्तक्षेप करने का विचार है; और

(ङ) किसानों को मुआवजा राशि का भुगतान कब तक कर दिए जाने की संभावना है?

जल संसाधन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शीश राम ओला): (क) और (ख) उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कानपुर में गंगा बैराज के निर्माण के लिए अब तक 38 किसानों की 21.975 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण किया गया है और इस भूमि के एवज में अप्रैल-मई, 1997 में मुआवजा दे दिया गया है। नए कानपुर शहर के लिए अभी कोई भूमि अधिग्रहीत नहीं की गई है।

(ग) से (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय को कागज की आपूर्ति

899. श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय को कतिपय कागज की आपूर्ति कराने का ठेका प्रदान करने के संबंध में कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार उन कारखानों का ठेका रद्द करने का है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुही राम सैकिया) : (क) से (घ) ई.गा.रा.मु.वि.वि. द्वारा प्राप्त किये जाने वाले सरफेस साईज आफॅसेट मुद्रण कागज के सप्लाई आर्डर के भिजवाने में अनियमितताओं की शिकायतों से सम्बन्धित दिनांक 10 मार्च, 1997 का पत्र संसद सदस्य श्री ओमपाल सिंह "निडर" से प्राप्त हुआ।

शिकायतों का सार तथा ई.गा.रा.मु.वि.वि. द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण निम्नवत् हैं :-

क्र. सं.	श्री ओमपाल सिंह "निडर" द्वारा आरोपित अनियमितताओं का संक्षिप्त विवरण	विश्वविद्यालय का स्पष्टीकरण
1	2	3
1.	कुछ टेंडर भरने वालों को सरफेस साईज आफसेट मुद्रण कागज को समुचित निर्माण करने की क्षमता न होने के	निर्माता कम्पनियों से विशेष रूप से निवेदित भाव आमंत्रित किए गए। विश्वविद्यालय चयनित टेंडरर की निर्माण

1	2	3
	बावजूद टेंडर में भाग लेने की अनुमति दी गई।	क्षमता से पूर्णतः संतुष्ट थे क्योंकि पिछले वर्ष इस कम्पनी ने बिना किसी बाधा के सरफेस साईज आर्फसेट मुद्रण कागज की आवश्यक मात्रा सप्लाई कर दी थी।
2.	हिन्दुस्तान पेपर कार्पोरेशन लिमिटेड (एच.पी.सी.एल.) के सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठान होने के कारण सप्लाई आर्डर प्रदान करने में वरीयता प्रदान की जानी चाहिए।	सफल टेंडर द्वारा निवेदित भाव 22,712/- रु. प्रति मीट्रिक टन की निम्नतम मूल्य की तुलना में एच.पी.सी.एल. द्वारा निवेदित भाव 30,555/- प्रति मीट्रिक टन था। सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठानों को भाग लेने वाली ईकाइयों द्वारा निवेदित भाव पर 10 प्रतिशत मूल्य वरीयता प्रदान की जाती है, जो एच.पी.सी. एल. को भी प्रदान की गई। एच.पी.सी.एल. ने ई.गा.रा.- मु.वि.वि. की कागज क्रय समिति के साथ बातचीत की परन्तु 10 प्रतिशत की उस भाव पर वृद्धि भी निम्नतम निवेदित भाव से मेल नहीं कर सकी। अतः एच.पी.सी.एल. का टेंडर मूल्य ई.गा.रा.मु.वि.वि. द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया।
3.	सप्लायर, ई.गा.रा.मु.वि.वि. के टेंडर आमंत्रित करने के नोटिस द्वारा निर्धारित कागज की गुणवत्ता के मानदण्डो को पूरा नहीं करता।	ई.गा.रा.मु.वि.वि. ने सफल टेंडरर द्वारा सप्लाई किए गए पेपर का नमूना प्रयोगशाला में जांच करने के लिए सेंट्रल पल्प एवं पेपर रिसर्च संस्थान, सहारनपुर को भेजे। संस्थान ने यह प्रमाणित कर दिया है कि नमूना कागज निर्धारित मानदण्डों को पूर्ण करते हैं।
4.	ई.गा.रा.मु.वि.वि. द्वारा सफलतम टेंडरर के साथ सप्लाई कांट्रेक्ट देने में रिश्वत ली गई।	विश्वविद्यालय ने सफल टेंडरर को न्यूनतम निवेदित भाव देने तथा पिछले वर्ष की सरफेस साईज आर्फसेट मुद्रण कागज सप्लाई करने वाले टेंडरर की योग्यता को देखते हुए सप्लाई आर्डर प्रदान किया गया।

विश्वविद्यालय द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण के आधार पर सरकार द्वारा आरोपों की जांच की जा रही है तथा इस संबंध में और सूचना मांगी गई है।

विश्वविद्यालय एक स्वायत्त निकाय होने के नाते उसे किसी भी ठेके अथवा करार को करने/निरस्त करने पर स्वतंत्र रूप से निर्णय लेने का एक अलग से कानूनी अधिकार है। तदनुसार ठेके आदि को निरस्त करने का अधिकार विश्वविद्यालयों को ही है।

[हिन्दी]

इंडियन एयरलाइन्स को ईंधन

900. श्री आनंद रत्न मौर्य :

डा॰ रामकृष्ण कुसमरिया :

क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन एयरलाइन्स को अंतर्राष्ट्रीय बाजार मूल्य पर ईंधन उपलब्ध कराने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव की मुख्य विशेषताएं क्या हैं; और

(ग) इसके परिणामस्वरूप इंडियन एयरलाइन्स को वार्षिक रूप से कितनी धनराशि का व्यय करना पड़ेगा?

नागर विमानन मंत्री (श्री सी॰एम॰ इब्राहीम) : (क) से (ग) प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है।

[अनुवाद]

रूस द्वारा पाकिस्तान को एम–17 हेलीकाप्टरों और टी–80 युद्धक टैंकों की आपूर्ति

901. डा॰ एम॰ जगन्नाथ : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रूस द्वारा भारत को यह आश्वासन दिए जाने के बावजूद कि पाकिस्तान को युद्ध संबंधी उपकरणों की आपूर्ति नहीं की जाएगी, पाकिस्तान को रूसी एम–17 हेलीकाप्टर और टी–80 युद्धक टैंकों की आपूर्ति की गई है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस मामले को रूस के साथ उठाया है; और

(ग) यदि हां, तो इस पर रूस की क्या प्रतिक्रिया है?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एन॰वी॰एन॰ सोमू) : (क) से (ग) हमारी सूचना के अनुसार रूस ने 1996 में पाकिस्तान को कुछ एम आई–17 सिविलियन परिवहन हेलिकाप्टरों की आपूर्ति की है। रूस ने पाकिस्तान को टी–80 युद्धक टैंक अथवा अन्य शस्त्रों की आपूर्ति नहीं की है। रूसी प्राधिकारियों ने कई अवसरों पर उच्च स्तर पर स्पष्ट आश्वासन दिए हैं कि रूस पाकिस्तान को शस्त्रों की आपूर्ति न किए जाने के लिए वचनबद्ध था।

नए ए॰टी॰सी॰ टावर की ऊंचाई

902. श्री प्रमोद महाजन : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मुम्बई और चेन्नई हवाई अड्डों पर नए ए॰टी॰सी॰ टावरों की ऊंचाई कितनी है;

(ख) क्या यह सुरक्षा मानदंडों के अनुसार अनुमत्य है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है?

नागर विमानन मंत्री (श्री सी॰एम॰ इब्राहीम) : (क) से (घ) मामलों की एक विशेषज्ञ समिति द्वारा जांच की जा रही है।

[हिन्दी]

वाराणसी से दिल्ली के लिए प्रातः कालीन हवाई सेवा

903. श्री विद्यासागर सोनकर : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वाराणसी से दिल्ली के लिए प्रातः कालीन हवाई सेवा उपलब्ध है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो सरकार द्वारा वाराणसी से लगे हुए जिले जैसे जौनपुर, गाजीपुर, मिर्जापुर आदि जिलों के यात्रियों के हित में वाराणसी से दिल्ली के लिए प्रातः कालीन हवाई सेवा शुरू करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है?

नागर विमानन मंत्री (श्री सी॰एम॰ इब्राहीम) : (क) जी, नहीं।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

(ग) इस समय, इंडियन एयरलाइन्स की वाराणसी से दिल्ली के लिए प्रातः कालीन सेवा प्रचालित करने की कोई योजना नहीं है। उन निजी प्रचालकों, जिनके पास उपयुक्त विमान उपलब्ध हैं, को व्यवहार्यता के अध्यधीन वाराणसी सहित और अधिक स्टेशनों को अपने नेटवर्क में शामिल करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है।

[अनुवाद]

तेल शोधन क्षमता

904. प्रो॰ जितेन्द्र नाथ दास : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1996-97 के दौरान भारतीय तेल शोधक कारखानों की कुल तेल शोधन क्षमता कितनी रही;

(ख) इन तेल शोधक कारखानों द्वारा पेट्रोलियम उत्पादों की घरेलू आवश्यकताओं को किस हद तक पूरा किया जा रहा है;

(ग) क्या तेल शोधन क्षमताओं का पूरा उपयोग किया जा रहा है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र): (क) 1 अप्रैल, 1997 को कुल शोधन क्षमता 61.55 मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष थी।

(ख) वर्ष 1996-97 के संबंध में घरेलू आवश्यकताओं की तुलना में पेट्रोलियम उत्पादों का उत्पादन नीचे दिया गया है :-

(आंकड़े मिलियन मीट्रिक टन में)

उत्पादन	मांग	कमी
59.24	79.16	19.92

(ग) और (घ) वर्ष 1996-97 के लिए रिफाइनरियों की समग्र शोधन क्षमता का उपयोग 104 प्रतिशत था।

मध्याह्न 12.00 बजे

सभा पटल पर रखे गये पत्र

मिश्र धातु निगम लिमिटेड और रक्षा उत्पादन और पूर्ति विभाग के बीच वर्ष 1997-98 के लिए समझौता ज्ञापन

[हिन्दी]

रक्षा मंत्री (श्री मुलायम सिंह यादव) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं मिश्र धातु निगम लिमिटेड और रक्षा उत्पादन और पूर्ति विभाग, रक्षा मंत्रालय के बीच 1997-98 के लिए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल॰टी॰ 2186/97]

31 मार्च, 1996 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन आदि

[अनुवाद]

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री टिंडिवनाम् जी॰ वेंकटरामन): महोदय, मैं श्री मुरासोली मारान की ओर से निम्नलिखित पत्र सभापटल पर रखता हूं :-

(1) संविधान के अनुच्छेद 151(1) के अंतर्गत निम्नलिखित प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-

(एक) 31 मार्च, 1996 को समाप्त हुए वर्ष के लिए

भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन (लेखाओं की समीक्षा) - संघ सरकार (1997 का संख्यांक 1) - (वाणिज्यिक)

[ग्रंथालय में रखी गयी। *देखिए* संख्या एल॰टी॰ 2187/97]

(दो) 31 मार्च, 1996 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन (लेखाओं पर टिप्पणियां) - संघ सरकार (1997 का संख्यांक 2) - (वाणिज्यिक)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। *देखिए* संख्या एल॰टी॰ 2188/97]

(तीन) 31 मार्च, 1996 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन (लेखापरीक्षा संप्रेक्षण) - संघ सरकार (1997 का संख्यांक 3) - (वाणिज्यिक)

[ग्रंथालय में रखी गयी। *देखिए* संख्या एल॰टी॰ 2189/97]

जल भूतल परिवहन मंत्रालय (सड़क स्कंध) केन्द्रीय इंजीनियरी सेवा (सड़क) ग्रुप "क" संबंधी अधिसूचना आदि

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री टिंडिवनाम् जी॰ वेंकटरामन): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभापटल पर रखता हूं :-

(1) संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक के अंतर्गत जारी की गई निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-

(एक) जल-भूतल परिवहन मंत्रालय (सड़क स्कंध) केन्द्रीय इंजीनियरी सेवा (सड़क) ग्रुप "क" (संशोधन) नियम, 1997 जो 31 मार्च, 1997 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 182(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) जल-भूतल परिवहन मंत्रालय (सड़क स्कंध) केन्द्रीय इंजीनियरी पूल ग्रुप "क" (संशोधन) नियम, 1997 जो 31 मार्च, 1997 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 183(अ) में प्रकाशित हुये थे।

[ग्रंथालय में रखी गयी। *देखिए* संख्या एल॰टी॰ 2190/97]

भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली का वर्ष 1995-96 के वार्षिक प्रतिवेदन तथा उसके कार्यकरण की समीक्षा आदि।

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री एस॰आर॰ बोम्मई) : महोदय, मैं श्री मुही राम सैकिया की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :-

(1) (एक) भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 1995-96 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 1995-96 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। *देखिए* संख्या एल॰टी॰ 2191/97]

(3) (एक) भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 1995-96 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखा परीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 1995-96 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। *देखिए* संख्या एल॰टी॰ 2192/97]

(5) (एक) भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान, शिमला के वर्ष 1995-96 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान, शिमला के वर्ष 1995-96 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। *देखिए* संख्या एल॰टी॰ 2193/97]

(7) (एक) प्रशिक्षुता प्रशिक्षण बोर्ड (पश्चिम क्षेत्र), मुम्बई के वर्ष 1995-96 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) प्रशिक्षुता प्रशिक्षण बोर्ड (पश्चिम क्षेत्र), मुम्बई के वर्ष 1995-96 के कार्यकरण की सरकार

द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल॰टी॰ 2194/97]

(9) (एक) क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कालेज, कुरूक्षेत्र के वर्ष 1995-96 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कालेज, कुरूक्षेत्र के वर्ष 1995-96 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(10) उपर्युक्त (9) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल॰टी॰ 2195/97]

भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड और रक्षा उत्पादन और पूर्ति विभाग, रक्षा मंत्रालय के बीच वर्ष 1997-98 के लिए समझौता ज्ञापन

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एन॰वी॰एन॰ सोमू) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :-

भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड और रक्षा उत्पादन और पूर्ति विभाग, रक्षा मंत्रालय के बीच वर्ष 1997-98 के लिए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल॰टी॰ 2196/97]

12.02 बजे

वित्त संबंधी स्थायी समिति

विवरण

[हिन्दी]

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी (दमदम) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित प्रतिवेदनों में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही दर्शाने वाले विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं :-

(एक) वित्त संबंधी स्थायी समिति (दसवीं लोक सभा) का सरकारी क्षेत्र के बैंकों के कार्यकरण संबंधी चौथे प्रतिवेदन (दसवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही संबंधी नौवां प्रतिवेदन।

(दो) वित्त संबंधी स्थायी समिति (दसवीं लोक सभा) का वित्त मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (1994-95) संबंधी पांचवें प्रतिवेदन (दसवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही संबंधी ग्यारहवां प्रतिवदेन।

अपराह्न $12.02^1/_4$ बजे

वाणिज्य संबंधी स्थायी समिति

इकत्तीसवां प्रतिवेदन

[हिन्दी]

श्री वी॰ धनन्जय कुमार (मंगलौर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं वाणिज्य संबंधी स्थायी समिति का काफी (संशोधन) विधेयक, 1997 संबंधी इकत्तीसवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

अपराह्न $12.02^1/_2$ बजे

समितियों के लिये निर्वाचन

(एक) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद

[अनुवाद]

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री एस॰आर॰ बोम्मई) : महोदय मैं प्रस्ताव करता हूं :-

"कि अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद अधिनियम, 1987 की धारा 3(4) (ञ) के अनुसरण में इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों के अध्यधीन, तीन वर्ष की अवधि के लिए अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से एक सदस्य निर्वाचित करें।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद अधिनियम, 1987 की धारा 3(4) (ञ) के अनुसरण में इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों के अध्यधीन, तीन वर्ष की

अवधि के लिए अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से एक सदस्य निर्वाचित करें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 12.02$^{3}/_{4}$ बजे

[अनुवाद]

(दो) राष्ट्रीय पोत परिवहन बोर्ड

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री टी॰जी॰ वेंकटरामन्): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :-

"कि राष्ट्रीय पोत परिवहन बोर्ड नियम, 1960 के नियम 4(1) के साथ पठित वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 की धारा 4(2) (क) के अनुसरण में इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों के अध्यधीन, 10.4.1999 तक की अवधि के लिए राष्ट्रीय पोत परिवहन बोर्ड के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से चार सदस्यों को निर्वाचित करें।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि राष्ट्रीय पोत परिवहन बोर्ड नियम, 1960 के नियम 4(1) के साथ पठित वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 की धारा 4(2) (क) के अनुसरण में इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों के अध्यधीन, 10.4.1999 तक की अवधि के लिए राष्ट्रीय पोत परिवहन बोर्ड के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से चार सदस्यों को निर्वाचित करें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 12.03 बजे

जम्मू और कश्मीर में दिए गए प्रधान मंत्री के वक्तव्य पर स्पष्टीकरण

[हिन्दी]

श्री जसवन्त सिंह (चित्तौड़गढ़) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से गहरी चिंता भी व्यक्त करना चाहूंगा और आपत्ति भी और केवल मेरी निजी आपत्ति नहीं है बल्कि दल की आपत्ति भी में व्यक्त करना चाहूंगा। माननीय प्रधान मंत्री जी के चंद ही महीनों के कार्यकाल में बात कहकर उससे मुकर जाना, उसका अनुभव हम कर चुके हैं। कई बातों पर हम अनुभव कर चुके हैं, परंतु जब माननीय प्रधान मंत्री जी राष्ट्रीय हितों की मूल बातों पर बयान दें और संसद के चलते हुए नीतिगत बयान दें तथा वे बयान इतने आपत्तिजनक हों और फिर उनसे मुकर जाया जाए तो उस पर टिप्पणी किए बिना या आपत्ति प्रकट किए बिना नहीं रहा जा सकता। मुझे स्पष्ट रूप से दो बातों का उल्लेख करना है। माननीय प्रधान मंत्री जी ने अभी हाल के कश्मीर घाटी के दौरे के वक्त जहां रेलगाड़ी का नाम नहीं है, लेकिन पत्थर जरूर डाल दिए गए हैं। अभी हाल में वहां कश्मीर घाटी के दौरे के दौरान माननीय प्रधान मंत्री जी ने एक दिन बयान दिया कि हम बिना किसी शर्त के बात करने को तैयार हैं। दूसरे दिन इसके विपरीत अखबारों में खबर छप रही है। यह बयान अपने-आप में इतना महत्वपूर्ण है। संसद का एक निर्विवाद प्रस्ताव है बिना शर्त बात किससे करनी है क्या वहां जो अफगान पहुंचे हुए हैं उनसे करनी हैं या सुडान से जो आए हैं, उनसे करनी हैं या जो विदेशी ताकतें आई हुई हैं, उनसे करनी हैं? दूसरे दिन पहले बयान से मुकर जाते हैं और अखबारों में कुछ और छपता है। इसी संदर्भ में मैं यह बताना अपना फर्ज समझता हूं कि हमारी पार्टी देश में शांति चाहती है, सब प्रदेशों में शांति रहे, उसका विरोध नहीं करती है, लेकिन नागालैंड को लेकर विचित्र बातें आ रही हैं। देश की शांति का निर्णय युनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में हो, वहां किसी की पहल से हो, तो हम उसको मंजूर नहीं कर सकते हैं। यह महत्वपूर्ण बात हैं, जिसका उल्लेख करना संसद में प्रधान मंत्री जी आवश्यक नहीं समझते हों, लेकिन इस किस्म के बयान आ रहे हैं। बाकी सांसद इस बात से सहमत हों या न हों, लेकिन हम चाहते हैं कि आप इन दोनों मसलों के बारे में आदेश दें कि प्रधान मंत्री जी आकर स्पष्टीकरण कर दें।

मैं एक निवेदन और करना चाहूंगा, चूंकि प्रधान मंत्री जी कांग्रेस के बल पर टिके हुए हैं, विशेषकर कश्मीर और नागालैंड के प्रश्न पर प्रधान मंत्री जी ने कुछ किया या नहीं किया या जो बयान दिए गए हैं, हम इस बात को कहने में अपना कर्तव्य समझते हैं कि कांग्रेस पार्टी भी स्पष्टीकरण दे कि क्या वे प्रधान मंत्री जी से इस नीतिगत ब्यान से सहमत है या नहीं? यहीं दो बातें आपसे निवेदन करनी थी।

श्री चन्द्रशेखर (बलिया) : उपाध्यक्ष महोदय, जो कुछ भी जसवंत सिंह जी ने कहा है, अपने देश में और बाहर से भी, वे बहुत आपत्तिजनक हैं और देश के भविष्य के लिए एक खतरनाक संकेत देते हैं। मैं उसके विस्तार में नहीं जाना चाहता हूं। लेकिन बाहर से खबरें आई हैं कि कोई विदेशी राज्य या सत्ता हमें इंगित करती है कि कौन सी दिशा अपनाई जानी चाहिए और हमारी सरकार उस पर मौन रह जाए, इससे बड़ी अशोभनीय बात कोई और नहीं होगी। मैं याद करूं, पुराने समय में जब आर्थिक नीतियां अपनाई जा रही थी, तब मैंने कहा था कि अगर आर्थिक नीतियों में हम हस्तक्षेप सहन करेंगे, तो राजनीतिक हस्तक्षेप सहन करने के लिए हमें तैयार रहना चाहिए। लेकिन मैंने यह नहीं सोचा था कि इतने भौंडे ढंग से यह राजनीतिक हस्तक्षेप इस देश में होगा। एक विशिष्ट देश के दूत को निरन्तर छूट दी गई कि वह कश्मीर में जाए और वहां जाकर न केवल लोगों से बात करें, बल्कि उस देश के विदेश विभाग ने लगातार खबर दी है कि

हम भारत सरकार को यह सलाह दे रहे है कि कश्मीर के मसले पर वह किस तरह से कदम बढ़ाए – इससे बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति कोई और नहीं हो सकती है। प्रधान मंत्री हमारे मित्र है।

प्रधान मंत्री जी एक वक्तव्य एक दिन दें और दूसरे दिन उसको बदल दें, वह भी तब जब सदन चल रहा हो, तो इससे अशोभनीय बात कोई और नहीं हो सकती है।

मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं, जसवंत सिंह या उनकी ही पार्टी नहीं, मैं समझता हूं कि देश का सारा प्रबुद्ध वर्ग इससे चिंतित है। मुझे विश्वास है, सोमनाथ जी को मुझसे ज्यादा ही कुछ चिंता होनी चाहिए।

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : मुझे उनकी टिप्पणियों का उत्तर देना है। निःसंदेह, मेरी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो इस पूरे मामले में अथवा प्रत्येक मामले में विवेक से काम लेती है। हमने यह दिखा दिया है कि आज की स्थिति में किस प्रकार ईमानदारी और नैतिकता से कार्य किया जाना चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक हमारा संबंध है, हम कश्मीर में सामान्य स्थिति की बहाली चाहते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि कश्मीर भारत का एक अभिन्न अंग है। इस मुद्दे पर किसी प्रकार का कोई समझौता करने का प्रश्न ही नहीं है। हमने देखा है कि वहां स्थिति को सामान्य बनाने के लिये केवल पिछले और वर्तमान प्रधान मंत्री ने ही कुछ कदम उठाये हैं। वहां लम्बे समय से विवादों और संकट की स्थिति रही है। मैं इस मामले पर चर्चा नहीं करना चाहता। हम प्रधान मंत्री के वहां स्थिति को सामान्य बनाने और कुछ गुमराह लोगों को राष्ट्रीय मुख्यधारा में वापस लाने के किसी भी प्रस्ताव का स्वागत करते हैं। लेकिन, चूंकि चन्द्रशेखर और जसवंत सिंह जी जैसे वरिष्ठ नेताओं ने इस संबंध में बहुत प्रश्न किये हैं। इसलिए मैं सोचता हूं कि माननीय प्रधान मंत्री जी के लिये यह उचित होगा कि वे इस सभा में आयें और यह स्पष्ट करें कि वे क्या कहना चाहते थे इस बारे में उनकी क्या नीति है और उन्होंने वहां क्या कहा था।

अतः मैं, माननीय प्रधान मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वे यहां आयें और इस संबंध में सभा में स्पष्टीकरण दें। मुझे पूरा यकीन है कि जहां तक भारत और इस देश के उस भाग तथा अन्य भागों के साथ संबंधों का प्रश्न है वे इस बारे में कभी कोई समझौता नहीं करेंगे। वहां स्थिति को सामान्य बनाने के सभी प्रयासों का स्वागत किया जाना चाहिये। लेकिन प्रधान मंत्री जी कहें, 'जी हां, पहले दिन कुछ और बात कहीं गई थी और आज कुछ और बात कही गयी है।' हम सदैव ही समाचार पत्रों की रिपोर्टों के आधार पर प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं कर सकते। अतः, यह बेहतर होगा कि माननीय प्रधान मंत्री यहां आयें और स्थिति स्पष्ट करें।

श्री शरद पवार (बारामती) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपने माननीय साथी, श्री सोमनाथ चटर्जी के विचारों से सहमत हूं। कुल मिलाकर इस मुद्दे पर दो राय नहीं हैं। इस माननीय सदन में अनेक अवसरों पर इस मुद्दे पर अधिकांश राजनैतिक दलों में एक ही राय रही है। पाकिस्तान के साथ संबंधों को सामान्य बनाने के किसी भी प्रयास का स्वागत है। जम्मू और कश्मीर से स्थिति में सुधार के प्रयास का भी स्वागत है। लेकिन, कुछ दिनों में समाचार पत्रों में अनेक वक्तव्य प्रकाशित हुए हैं। मैं नहीं जानता कि वे कहां तक सत्य है और सही स्थिति क्या है। ऐसे अनेक अवसर आये हैं जब देश के कुछ विशिष्ट प्रतिनिधियों ने उस क्षेत्र का दौरा किया है और वहां के अनेक लोगों के साथ बातचीत करके कुछ सुझाव दिये हैं। मेरे पास इस बारे में कोई आंकड़े नहीं हैं। अतः, मैं सोचता हूं कि संसद का सत्र चल रहा है और यदि इस समय प्रधान मंत्री जी संसद में आकर वक्तव्य दें तो यह निश्चित रूप से बेहतर होगा। देश को इन तमाम बातों का पता होना चाहिये।

[हिन्दी]

श्री चमन लाल गुप्त (ऊधमपुर) : महोदय,...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : आपकी तरफ से तो जसवंत सिंह जी बोल चुके हैं, कोई खास बात रह गई हो तो बताइए।

श्री चमन लाल गुप्त : माननीय उपाध्यक्ष जी, प्रधान मंत्री जी ने वहां पर मुख्य चार फंक्शंस अटेंड किए। उन्होंने तीन में यही स्टेटमेंट दोहराया कि मैं अनकंडीशनल बातचीत करना चाहता हूं और चौथे में आकर यह बात कही गई कि जब तक वे आर्म्स नहीं छोड़ेंगे तब तक बातचीत का कोई मतलब नहीं होगा। जहां तक शरद जी ने या चटर्जी जी ने जिस बात को कहा कि कश्मीर के हालात नार्मल होने चाहिए, इसमें हर पार्टी प्रधानमंत्री जी का सहयोग देना चाहती है। परन्तु एक बात को ध्यान रखिए कि वहां पर एक इलैक्टेड गवर्नमेंट है, आपने वहां पर एक गवर्नमेंट चुनी है। मैंने वहां पर कुछ मिनिस्टर्स के साथ बातचीत की है उन सब का कहना है कि हमारी प्रसेप्शन, उनकी प्रसेप्शन और सेंट्रल गवर्नमेंट की प्रसेप्शन में जमीन-आसमान का अंतर है। वे उन अल्ट्रास के साथ एक तरीके से डील करना चाहते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट दूसरे तरीके से डील कर रही है। इसी कंफ्यूजन से हमारी कश्मीर प्रोब्लम आगे बढ़ती चली जा रही है। इसलिए मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि प्रधान मंत्री जी आ गए हैं वह कम से कम हाउस को कांफीडेंस में लें, क्लियर करें कि दोनों गवर्नमेंट्स एक ट्यून पर काम करें। वहां की जो मिलीटेंसी है, जिस तरह से वहां पर उन्होंने खुद अपनी आंखों से देखा कि आर्म्ड फोर्सेस और सिक्युरिटी फोर्सेस ने अपना कितना खून बहा कर सिचुएशन के अंदर आज थोड़ी सी नार्मलसी लाई है तो उसको हम एक बार फिर से बढ़ावा न दे दें, यह मैं इनसे प्रार्थना करना चाहता हूं।...*(व्यवधान)*

श्री विजय गोयल (सदर-दिल्ली) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं भी कुछ कहना चाहता हूं।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए। मुझे कुछ कहने दीजिए।

...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : देखिए, एस्टेब्लीश कंवेंशन है, पार्लियामेंट का सत्र चल रहा हो, कोई पालिसी स्टेटमेंट पार्लियामेंट के बाहर नहीं होना चाहिए। प्रधानमंत्री जी क्लेरीफाई करें कि उन्होंने क्या कहा है।

श्री मंगत राम शर्मा (जम्मू) : आप मुझे भी बोलने का समय दीजिए।

उपाध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइए, मैं प्रधानमंत्री जी को बुला चुका हूं।

श्री मंगत राम शर्मा : मैंने पहले भी आपसे निवेदन किया था।

उपाध्यक्ष महोदय : आप कह लीजिए क्या कहना है। गुजराल साहब, इनको जरा कह लेने दीजिए।

[अनुवाद]

श्री मधुकर सरपोतदार (मुम्बई उत्तर-पश्चिम) : महोदय इस विषय पर मैं प्रारंभ से ही अपना हाथ उठा रहा हूं।

[हिन्दी]

श्री मोहन रावले (मुम्बई दक्षिण-मध्य) : उपाध्यक्ष महोदय, हमारी पार्टी की तरफ से भी कोइ भी नहीं बोला।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं मानता हूं कि आपकी पार्टी की तरफ से भी नहीं बोला।

श्री मंगत राम शर्मा (जम्मू) : जनाब, सबसे पहले कांग्रेस सरकार के प्रधान मंत्री ने और उसके बाद जो दो सरकारें हमारी सपोर्ट से आई, उन्होंने जम्मू-कश्मीर में इनीशियेटिव लिया। उन्होंने वहां के लिए इकोनामिक पैकेज दिया। वहां हालात नॉर्मल करने के लिए जो दिलचस्पी ली जा रही है, उसकी मैं सराहना करता हूं। इन्होंने बहुत अच्छा काम किया। इसकी सराहना होनी चाहिए।

मेरा दूसरा प्वाइंट यह है कि प्रधान मंत्री जी ने लास्ट में जो बयान दिया, उसे वह क्लेरिफाई करें। उन्होंने कहा कि जो लोकल मिलिटेंट्स हथियार छोड़कर बातचीत के लिए आगे बढ़ते हैं और मेनस्ट्रीम में आते हैं तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट गवर्नमेंट उनसे बातचीत के लिए तैयार है। मैं ऐसा समझता हूं कि यह बात सराहना के काबिल है। जो अपनी स्टेट के लोग हैं, उनसे जरूर बातचीत होनी चाहिए और हालात को नॉर्मल करना चाहिए।

मैं दूसरी बात यह कहना चाहता हूं कि इस बात को मानना पड़ेगा कि मिलिटेंसी जो तीन जिले हैं...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : आप उस बात को छोड़ दीजिए। प्रधान मंत्री खुद क्लैरिफाई करेंगे।

श्री मंगत राम शर्मा : मैं प्वाइंट रखूंगा तो वह क्लैरिफाई करेंगे। अगर मैं प्वाइंट्स ही नहीं रखूंगा तो वह उनको कैसे क्लैरिफाई करेंगे? मुझे दो बातें कहने दीजिए।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रधान मंत्री की स्टेटमैंट पर चर्चा हो रही है।

श्री मंगत राम शर्मा : मुझे पहले अपनी बात कहने दीजिए। इससे मेरी बात का जवाब आ जाएगा। तीन जिले, पुंछ, राजौरी और कारगिल से मिलिटेंसी ज्यादा बढ़ी है। देवेगौड़ा जी ने पैकेज प्रोग्राम की जो घोषणा की थी, उनमें से जम्मू की आईटम्स पर अमल नहीं हो रहा।

उपाध्यक्ष महोदय : ठीक है, बात हो गई है।

श्री मंगत राम शर्मा : जम्मू में पैकेज प्रोग्राम की आईटम्स पर क्या अमल हो रहा है?

उपाध्यक्ष महोदय : ठीक है। बात हो गई है। अब आप बैठ जाइये।

[अनुवाद]

श्री मधुकर सरपोतदार : महोदय, श्री जसवंत सिंह ने इस सभा में जो वक्तव्य दिया है, मैं उसका पूर्ण रूप से समर्थन करता हूं। दूसरे, पिछले $1^1/_2$ वर्ष से हमारा यह अनुभव रहा है कि हम बहुधा जम्मू और कश्मीर के मुद्दे पर चर्चा करते आऐं हैं। यह अच्छा संकेत हैं कि हम बातचीत करने का प्रयास कर रहे हैं। और देश के इस भाग में अर्थात् जम्मू और कश्मीर में शांति स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं। इसके साथ ही जब हम कुछ शर्तें रखें और इन्हीं शर्तों के अंतर्गत हम वहां के लोगों के साथ बातचीत करें, तो मैं उसे समझ सकता हूं।

परन्तु वे लोग हमारी भूमि और सम्पत्ति का अतिक्रमण कर रहे हैं और गोली-बारी करके लोगों को मार रहे हैं। भारत सरकार को अपनी नीति स्पष्ट करनी चाहिए कि वह किसके साथ वार्ता करने जा रही है और अंततोगत्वा भारत सरकार क्या कार्यवाही करने जा रही है। इतना ही नहीं, इस नीति में इन सभी अपराधियों, उग्रवादियों और जम्मू कश्मीर में अनावश्यक रूप से कठिनाइयों का सामना करने वाले लोगों को भारत सरकार का संदेश भी स्पष्ट कर दिया जाना चाहिए। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है और यह संदेश स्पष्ट होना चाहिए। इस मामले में मेरा माननीय प्रधान मंत्री जी से विनम्र निवेदन है कि वे अपनी नीति स्पष्ट करें।

[हिन्दी]

श्री इलियास आजमी (शाहबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं जसवंत सिंह जी, श्री सोमनाथ चटर्जी, श्री चन्द्रशेखर और शरद पवार जी की बातों पर सहमति प्रकट करते हुए यह कहना चाहता हूं कि मुझे खुद इस बात का अफसोस है कि खास तौर से माननीय प्रधान मंत्री जी सिर्फ इस मामले में नहीं, दूसरे मामलों में भी सुबह एक बयान देते हैं और शाम को दूसरा बयान देते हैं। इससे भ्रम की स्थिति पैदा होती है।

प्रधान मंत्री (श्री इन्द्र कुमार गुजराल) : आप क्या बात कर रहे हैं? मैंने ऐसा कौन से कार्य में किया है?

श्री इलियास आजमी : मैं उनसे जानना चाहूंगा कि जब कश्मीर में उन्होंने बयान दिया कि हम बिना शर्त उग्रवादियों से बातचीत के

लिए तैयार हैं तो क्या किसी उग्रवादी संगठन ने उनसे बिना शर्त बातचीत करने की पेशकश की थी? उन्होंने अपनी तरफ से एक बात कही लेकिन दिल्ली में आकर उलट गए। वह इसको भी क्लैरिफाई करें।

[अनुवाद]

श्री इन्द्र कुमार गुजराल : महोदय, इस मुद्दे पर बोलने से पहले मैं अपने मित्र द्वारा की गई इस टिप्पणी का प्रबल विरोध करता हूं कि मैंने सुबह कुछ बयान दिया और शाम को कुछ और बयान दिया। मैं प्रत्येक मुद्दे के संबंध में दिए गए अपने वक्तव्य पर हमेशा दृढ़ रहा हूं और सदैव ही दृढ़ रहूंगा। और अब हम इस मुद्दे पर आते हैं।

मैं दो दिन के लिए कश्मीर गया था। इस दौरे के दौरान मुझे न केवल उस नयी रेल लाइन की आधारशिला रखने का अवसर प्राप्त हुआ था जिसे हम स्वयं ही घाटी में काजीकुंड से बारामूला तक रेल लाइन बिछाने जा रहे हैं। हमारा विचार यह था कि एक दिशा में ऊधमपुर से होकर जाने वाली रेल लाइन स्वाभाविक रूप से दूसरे क्षेत्र से निकलेगी और इसमें अधिक समय लग रहा है। इसी बीच हमने महसूस किया कि यदि हम साथ ही साथ घाटी में भी रेल लाइन बिछाएं तो रेल लाइन बिछाने के कार्य में और तेजी आएगी और यह उपयोगी रहेगा। बाद में इसे सुरंग के माध्यम से जोड़ा जा सकेगा।

रेल लाइन बिछाकर वहां अधिक रोजगार उपलब्ध कराने का प्रयास भी किया जाएगा। अतः इस वर्ष हमने घाटी में निर्माण कार्य हेतु लगभग 75 करोड़ रुपये की राशि निर्धारित की है।

इन दो कार्यों के अतिरिक्त, मुझे सेना के जवानों, उनके लीडरों, सीमा सुरक्षा बल के जवानों और उनके लीडरों को सम्बोधित करने का अवसर भी प्राप्त हुआ था। मैंने ये चार कार्य किए थे। कश्मीर में क्या स्थिति है? आज कश्मीर में जो स्थिति हैं हमने उसमें सुधार ला दिया है। ऐसा नहीं है कि विद्रोह समाप्त हो गया है परन्तु कुल मिलाकर मैं समझता हूं कि जम्मू-कश्मीर सरकार और केन्द्रीय सरकार दोनों ही सरकारें इस विद्रोह पर काबू पाने में सफल हो सकी है। इसी तरह सीमा पार से विद्रोह जारी है और भारी संख्या में हथियार पकड़े गए हैं। मैंने उन हथियारों के दो संग्रह देखे हैं जो बहुत ही बड़े और अत्याधुनिक हैं। मैंने समय-समय पर हुई अनेक झड़पों के आंकड़े भी देखें हैं। मैं इसका श्रेय अपने सशस्त्र बलों और साथ ही सीमा सुरक्षा बल और अन्य अर्द्धसैनिक बलों को देता हूं जो बहुत ही दृढ़ता और दक्षता के साथ हमारी सुरक्षा कर सके हैं। इसके साथ हमने पिछले तीन-चार महीनों में देखा है कि सीमा-पार से लगातार गोलीबारी हो रही है और मेरे मित्र रक्षा मंत्री जी, हमें इस बारे में और अधिक जानकारी देंगे। इस गोलीबारी का दृढ़तापूर्वक विरोध किया जा रहा है।

हमारी नीति का दूसरा आयाम भी है। न केवल यह सरकार बल्कि पूर्व सरकार भी मार्ग से विचलित हुए युवकों को सही मार्ग पर लाने का प्रयास करती रही है। मेरा विश्वास है कि ये युवक भारत के विरुद्ध झूठा प्रचार होने से पथभ्रष्ट हो गए हैं। उनमें से कुछ वापस आ गए हैं और उनमें से कुछ को विभिन्न सेवाओं में भी खपा लिया गया है। जो बात मैं कह रहा था उसे वस्तुतः स्पष्ट कर दिया गया है और विमान में साक्षात्कार के दौरान जो स्पष्टीकरण मांगा गया था, वह मैंने हिन्दुस्तान टाइम्स को भेज दिया है। मुख्य बात यह है कि हम सदैव उन युवकों से बात करने के इच्छुक रहे हैं जो हमारे अपने बच्चे है और हमारे अपने लड़के हैं और जो पथभ्रष्ट हो गए हैं। निःसंदेह इसका यह अर्थ है कि उन्हें हथियारों का त्याग करके वापस अपने घर की ओर आना चाहिए। मैं सही शब्द का प्रयोग करूंगा। जब मैं युवा बच्चों से पिता की तरह बात कर रहा था तो मेरे मित्र उस समय वहां उपस्थित थे, यदि किसी परिवार में लड़के पथभ्रष्ट हो जाते हैं अथवा मार्ग से विचलित हो जाते हैं तो परिवार का मुखिया होने के नाते मेरा यह कर्तव्य है कि मैं उन्हें वापस बुला लूं, उनकी शंकाओं को दूर करने का प्रयास करूं। मैं उस पर कायम हूं। मैंने अपने दोनों भाषणों में यही कहा है इसे सौभाग्य कहा जाए अथवा दुर्भाग्य मैं विशेष रूप से काजीकुंड में उर्दू में बोल रहा था। मुझे उर्दू की अच्छी जानकारी है। अतः मै शुद्ध उर्दू में बोल रहा था। संभवतः मेरे बहुत से मित्र उर्दू नहीं जानते हैं। अतः जब मैं उन लड़कों के बारे में बात कर रहा था तो उन्होंने सोचा कि मैं सीमा-पार के आतंकवादियों के बारे में बात कर रहा था अथवा उन लोगों के बारे में बात कर रहा था जिन्हें पाकिस्तान का समर्थन प्राप्त है। नहीं, बिल्कुल नहीं।

मेरे दिमाग में दो बातें पूर्णतया स्पष्ट हैं। पहले दिन और जब कभी भी मैंने सदन में भाषण दिया तो मैंने एक बात स्पष्ट कर दी थी। भारत का सर्वधर्म सम्भाव और साथ ही भारत की अखंडता के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा। जम्मू और कश्मीर भारत का अंग है। सम्पूर्ण जम्मू और कश्मीर राज्य भारत का अंग है और सदैव ही भारत का अंग बना रहेगा। इस मामले में कोई समझौता नहीं किया जाएगा। इसलिए इसका कोई कारण नहीं है कि मैं उसके बारे में कहूं और मुझे आश्चर्य हुआ था कि मेरे मित्र श्री अटल बिहारी वाजपेयी जो इतने सुलझे हुए राजनयिक हैं उन्हें तथ्यों की पुष्टि किए बिना ही जल्दबाजी में मेरी आलोचना नहीं करनी चाहिए थी जिसका मुझे बहुत ही खेद है क्योंकि मैं उनकी वरिष्ठता का बहुत ही सम्मान करता हूं। परन्तु मैं केवल यही कहूंगा और सभा को पुनः आश्वस्त करता हूं कि कोई भी नीति संबंधी वक्तव्य नहीं दिया गया है। यह भारत सरकार की नीति रही हैं सिर्फ मेरी सरकार की नहीं, बल्कि इससे पहले की सरकारों की भी यही नीति रही है। यहां तक कि जब श्री अटल बिहारी वाजपेयी 13 दिन के लिए सत्ता में आए थे तो उसी नीति का अनुसरण किया गया था। अतः मैं इसी बात को दोहराऊंगा कि भारत ...*(व्यवधान)*

श्री सोमनाथ चटर्जी : उनकी कोई नीति नहीं थी।

श्री इन्द्र कुमार गुजराल : मैं इस पर अपनी राय नहीं दूंगा। परन्तु मैं केवल यह बात कहूंगा। इस सभा में मुझे यह कहने दिया जाए कि जब मैं यह कहता हूं कि भारत में सरकार है, जम्मू और कश्मीर में सरकार है, तो मैं महसूस करता हूं कि मैं इस सदन का प्रतिनिधित्व करता हूं। दोनों की सरकारें यह चाहती हैं कि मार्ग से विचलित युवक वापस आएं। हम चाहते हैं कि हमारे समाज में वे अपना स्थान तलाश

[श्री इन्द्र कुमार गुजराल]

करें। हमारी प्रबल अभिलाषा है कि उनके राज्य में शताब्दियों से चले आ रहे अंतर-साम्प्रदायिक संबंध उसी रूप में कायम रहें। हम चाहते हैं कि कश्मीर का जीवन जिस पर वह गर्व किया करता था, उसी रूप में वापस आए। हम यही कहने का प्रयास कर रहे हैं। जहां तक इन युवकों की चर्चा का संबंध है, उनके बारे में हर समय चर्चा की जा रही है, और यही कारण है कि इनमें से कुछ युवक वापस आ गए हैं।

श्री सोमनाथ चटर्जी : आप साधारण उर्दू में बोलें। यदि आप ठेठ उर्दू में बोलेंगे तो वे आपकी बात नहीं समझेंगे।...*(व्यवधान)*

श्री सत्य पाल जैन (चण्डीगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, प्रधान मंत्री जी ने जो बात कही है और आपका जो टेलीविजन पर स्टेटमेंट आया है और जो बात आपने हाउस में कहीं, दोनों कंट्राडिक्ट्री हैं। टेलीविजन पर साढ़े आठ के बुलेटिन में था कि प्रधान मंत्री जी ने यह कहा है कि उग्रवादियों के साथ बिना शर्त बात करने को तैयार हैं और उसी बुलेटिन में बाद में जो न्यूज पढ़ रहा था, उसने कहा कि अभी-अभी प्राप्त समाचार के अनुसार प्रधान मंत्री ने बाद में यह बात कही है कि जब तक वे हथियार नहीं डालेंगे, तब तक हम बात नहीं करेंगे। दोनों से कौन सी बात सही है?

श्री इन्द्र कुमार गुजराल : देखिये, आप एक मिनट मेरी बात सुन लीजिएं। अगर आप बहस के लिए बहस करना चाहते हैं, तो मैं भी कर सकता हूं। लेकिन एक बात का ध्यान रखिये कि हिंदुस्तान की सिक्युरिटी, हिंदुस्तान का डिफेंस किसी भी सरकार की सबसे पहली जिम्मेदारी है और मैं उसके ऊपर कंसीड भी नहीं कर सकता और न कोई कंप्रोमाइज कर सकता हूं न ही कोई सरकार कर सकती है। अगर कोई अखबार वाला या अखबार पढ़ने वाला...*(व्यवधान)*

श्री सत्य पाल जैन : टी॰वी॰ में ऐसा ही था।

श्री इन्द्र कुमार गुजराल : टी॰वी॰ पर मेरी मोनोपोली नहीं है। मैं खबरें खुद नहीं पढ़ता।...*(व्यवधान)* यह कोई बात है करने की?

श्री सत्य पाल जैन : आप उसकी जांच करा लीजिए। ...*(व्यवधान)* सारा हिंदुस्तान सुनता है, आप उस दिन के बुलेटिन को निकालकर देखिये।...*(व्यवधान)*

श्री इन्द्र कुमार गुजराल : मैं बिल्कुल यह कह रहा हूं और पूरी शक्ति से कह रहा हूं कि हिंदुस्तान में एकता रहेगी। कोई धर्म के नाम पर इसको तोड़ने की कोशिश करे तो भी तोड़ने नहीं देंगे।

श्री प्रमोद महाजन (मुम्बई - उत्तर पूर्व) : देखिये आपके लोग पढ़ते हैं, उसका क्या अर्थ है, मुझे समझ में नहीं आता। आजकल दूरदर्शन पर प्रधान मंत्री इतनी बार आते हैं कि वह खुद न्यूज रीडर लगने लगे हैं।

श्री इन्द्र कुमार गुजराल : मैं इनसे यह कहने लगा हूं कि ये जो लोग धर्म के नाम पर देश को तोड़ना चाहते हैं...*(व्यवधान)*

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (लखनऊ) : उपाध्यक्ष महोदय, प्रधान मंत्री अकारण, अनावश्यक उत्तेजित हो रहे हैं। उनके बयान जिस तरह से छपे और जिस तरह से टेलीविजन में रिपोर्ट हुए, आखिर आपके बारे में जो बयान आते हैं तो हम यह मानकर चलते हैं कि बयान ठीक होंगे।

श्री इन्द्र कुमार गुजराल : आपको आखिरी बयान भी पढ़ना चाहिए जो ऑन रिकार्ड है, अगर पढ़ लेते तो आप उसे समझ भी लेते ...*(व्यवधान)*

श्री सत्य पाल जैन : दूरदर्शन में आपका कभी कुछ बयान आता है और कभी कुछ आता है, यही हमारा आरोप है।...*(व्यवधान)*

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अगर पहले बयान में और आखिरी बयान में अंतर है तो लोगों के मन में भ्रम पैदा होना स्वाभाविक है।...*(व्यवधान)*

श्री इन्द्र कुमार गुजराल : लोगों के मन में होने दो लेकिन आप जैसे लोगों के मन में नहीं होना चाहिए, आप समझदार आदमी है। ...*(व्यवधान)*

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रधान मंत्री का आभारी हूं, वह कह रहे हैं कि मेरे मन में भ्रम नहीं होना चाहिए। लेकिन ऐसी बात होनी ही नहीं चाहिए जो किसी के मन में भ्रम पैदा करे।

श्री इन्द्र कुमार गुजराल : इसीलिए आपको बयान देते वक्त इस बात का पूरा ध्यान रखना चाहिए।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अब अगर सारा ध्यान हमको ही रखना है तो फिर प्रधान मंत्री क्या करेंगे

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : अब, मेरा सुझाव है कि इस मामले को समाप्त समझा जाए।

[हिन्दी]

श्री इन्द्र कुमार गुजराल : जनाब, आप यह देशभक्ति मुझे मत सिखाइये, मुझे देशभक्ति का पूरा ज्ञान है।...*(व्यवधान)*

श्री चन्द्रशेखर : उपाध्यक्ष जी, मैं प्रधान मंत्री जी से बहुत विनम्र निवेदन करूंगा कि जरा गुस्सा कम करें। क्योंकि यह उनके लिए शोभा नहीं देता। पहली बात मैं कहूं, मैं इस बात में पड़ना नहीं चाहता था। बड़ा गुस्सा आता है, यह धर्म के नाम पर तोड़ना चाहते हैं, उसमें हम भी उनके कम विरोधी नहीं हैं। लेकिन धर्म के नाम पर यह देश नहीं टूटेगा। लेकिन देश को तोड़ने के लिए बाहर से जो बयान आते हैं, उस पर प्रधान मंत्री जी आपका एक दिन भी गुस्सा मैंने नहीं देखा। पिछले दो महीनों में कितने बयान आये हैं। क्या भारत सरकार की यह जिम्मेदारी नहीं थी कि उन बयानों का खंडन करें। गुस्सा यहां अटल बिहारी जी पर करने के पहले श्रीमान प्रधान मंत्री जी थोड़ा अपने पर गुस्सा करना सीखिये कि बाहर की ताकतें भारत के बारे में अनाप-शनाप बयान देती हैं और आपकी सरकार मौन रह जाती हैं,

तो देश में ही नहीं दुनिया में आपके बारे में भ्रम पैदा होता है। इस गुस्से से भ्रम नहीं मिटने वाला है।...*(व्यवधान)*

श्री इन्द्र कुमार गुजराल : उपाध्यक्ष महोदय, मैं चन्द्र शेखर जी का बहुत आदर करता हूं। वे मेरे पुराने मित्र भी है। बाहर से ऐसे कौन से बयान आए हैं जिनका जवाब नहीं दिया गया है। कोई भी एक बयान बताइए, जिसका जवाब नहीं दिया गया हो।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : रूडी जी आप बैठिए।

श्री इन्द्र कुमार गुजराल : चाहे कोई भी हो, जो देश को तोड़ने की बात करेगा, वह चाहे देश के अंदर से हो चाहे बाहर से हो, उसका पूरे जोर से जवाब देंगे।...*(व्यवधान)*

प्रो॰ रासा सिंह रावत (अजमेर) : कोई भी हो, लेकिन बी॰जे॰पी॰ तोड़ने वाली नहीं होगी।...*(व्यवधान)*

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : उपाध्यक्ष महोदय, प्रधान मंत्री को यह स्वीकार करना चाहिए कि जम्मू कश्मीर में उनके अलग-अलग तरह के बयानों से भ्रम पैदा हुआ है और अगर यह मामला सदन में उठाया जा रहा है, तो यह उन्हें अवसर देता है कि वे स्थिति का स्पष्टीकरण करें। आप,स्पष्टीकरण देने के बजाय, हम पर आरोप लगा रहे हैं। हम पर आप धर्म के नाम पर देश को तोड़ने का आरोप लगा रहे हैं। यह आरोप निराधार है, शरारतपूर्ण है।...*(व्यवधान)*

श्री इन्द्र कुमार गुजराल : क्या बाबरी मस्जिद ऐसे ही टूट गई? ...*(व्यवधान)*

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : उपाध्यक्ष महोदय, अभी प्रधान मंत्री देश को तोड़ने की बात कर रहे थे।...*(व्यवधान)*

श्री इन्द्र कुमार गुजराल : बाबरी मस्जिद को तोड़ने की बात कह रहा था।...*(व्यवधान)*

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : उपाध्यक्ष महोदय, अब प्रधान मंत्री बाबरी मस्जिद को तोड़ने पर आ गए।...*(व्यवधान)*

श्री इन्द्र कुमार गुजराल : बाबरी मस्जिद को तोड़ना इस बात का चिह्न था कि देश को तोड़ना चाहते हैं।...*(व्यवधान)*

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : उपाध्यक्ष महोदय, अब यदि यह बहस और आगे चलेगी, तो मुझे लगता है कि प्रधान मंत्री सारा संयम छोड़कर ऐसी बातें कह देंगे जो उनके मुंह से शोभा नहीं देती हैं। अगर आपको बाबरी मस्जिद पर बहस करवानी है, तो हम तैयार हैं।

श्री इन्द्र कुमार गुजराल : हो जाए।...*(व्यवधान)*

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : उपाध्यक्ष महोदय, आखिर जम्मू कश्मीर के बारे में इस सदन में एक प्रस्ताव पास किया गया और प्रधान मंत्रीजी ने भी माना कि वे उससे बंधे हुए हैं। हर सरकार उससे बंधी हुई है। उनका पहला, जैसा बयान आया, बिना शर्त बात को तैयार हैं, अब स्वाभाविक है,...*(व्यवधान)*

अब बैठे रहिए, ज्यादा टोकिए मत। क्योंकि अगर आप इस तरह से टोकेंगे, तो फिर हम भी टोकेंगे और इस तरह से सदन नहीं चलेगा। आपको सुनने का भी धैर्य होना चाहिए।...*(व्यवधान)*

रक्षा मंत्री (श्री मुलायम सिंह यादव) : आपको भी गुस्सा नहीं आना चाहिए।...*(व्यवधान)*

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : उपाध्यक्ष महोदय, अब अगर समाचार समितियां या टेलीविजन, प्रधान मंत्री के दो अलग-अलग बयानों को रिपोर्ट करते हैं, सारे देशवासी सुनते हैं, तो क्या मन में यह प्रश्न उठना स्वाभाविक नहीं है कि आखिर प्रधान मंत्री ने क्या कहा है। आपका जो बाद का बयान आया, वह ठीक आया। लेकिन इससे बात साबित हो गई कि जो पहले का बयान था वह गलत था और आपका बाद का जो बयान आया वह ठीक था। आखिर बिना शर्त उन लोगों के साथ कैसे वार्ता हो सकती है जो हथियार के बल पर अपनी बात मनवाना चाहते हैं, जो कश्मीर को भारत से बाहर लाना चाहते हैं, जो विदेशों के साथ हाथ मिला रहे हैं, उनके साथ तो बिना शर्त बातचीत का प्रश्न ही पैदा नहीं होना चाहिए। अगर प्रधान मंत्री इतनी ही बात कहते और इधर उधर की गुफ्तगू न करते, तो इतनी गर्मी पैदा नहीं होती। अब देखते है कि आप कितने ठंडे हुए हैं। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : मैं सभा से अनुरोध करता हूं कि इस मामले को स्पष्ट कर दिया गया है और इसे समाप्त समझा जाए।

[हिन्दी]

श्री इन्द्र कुमार गुजराल : लेकिन अब ठीक हो गया है।

[अनुवाद]

मैं अपनी बात संक्षेप में कहूंगा। मुझे प्रसन्नता हैं कि हम एक दूसरे से अच्छे माहौल में बात कर रहे हैं। मुख्य बात यह है कि मैं प्रसन्न हूं और विपक्ष के माननीय नेता के प्रति आभारी हूं जोकि एक अच्छे मित्र भी हैं और उन्होंने संसद के संकल्प की ओर मेरा ध्यान आकृष्ट किया है। संसद का संकल्प हम सभी के लिए बाध्यकारी है और सदैव ही बाध्यकारी रहेगा क्योंकि हम सभी उसके प्रति प्रतिबद्ध है। यही बात मैंने प्रारम्भ में कही है और मैं पुनः उसे दोहराता हूं भारत के सर्वधर्म संभाव और साथ ही भारत की अखंडता के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा। जब मैं कहता हूं 'अखंडता', तो मैं उसमें 1947 से पूर्व के सम्पूर्ण जम्मू-कश्मीर राज्य को शामिल करता हूं। मैं यही बात स्पष्ट करना चाहता है।

जहां तक हमारी पथभ्रष्ट युवकों, हमारे अपने बच्चें का संबंध हैं यदि वे वापस आना चाहते हैं और बिना किसी पूर्व शर्त के बात करना चाहते हैं तो मैं उनसे बात करने के लिए तैयार हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री अनंत कुमार

...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए। मैं पहले ही श्री अनंत कुमार को बुला चुका हूं।

श्री अनंत कुमार (बंगलौर दक्षिण) : महोदय, मैं कल हुई घातक दुर्घटना का मामला उठाना चाहता हूं।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइये।

[हिन्दी]

मैंने श्री अनंत कुमार को बुलाया है।

...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : रेलवे एक्सीडेंट के बारे में ही उनका नाम है।

[अनुवाद]

श्री अनंत कुमार : मैं सभा का ध्यान कर्नाटक एक्सप्रेस की घातक दुर्घटना की ओर दिलाना चाहता हूं जिसकी टक्कर हिमसागर एक्सप्रेस से हो गई थी और जिसके कारण लोग हताहत हुए और उन्हें नुकसान हुआ। कर्नाटक एक्सप्रेस के कम से कम चार डिब्बे, वातानुकूलित प्रथम श्रेणी और अन्य डिब्बे पूर्णतः नष्ट हो गए जिसके कारण काफी लोग मारे गए। मेरी सूचना के अनुसार पहले दो घंटे के दौरान कोई राहत कार्य नहीं हुआ।...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : मैं एक-एक करके सबको टाइम दूंगा।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : मैं आप सबको अवसर दूंगा। कृपया शांत रहें।

...*(व्यवधान)*

श्री पी॰सी॰ चाक्को (मुकुन्दपुरम) : हम माननीय मंत्री जी से वक्तव्य चाहते हैं। दुर्घटना प्रातः 2 बजे हुई। सरकार द्वारा वक्तव्य देने के वायदे के बावजूद सरकार की ओर से कोई सूचना नहीं मिल रही है।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : मैं श्री अनंत कुमार को पहले ही बुला चुका हूं।

श्री अनंत कुमार : मैं सभा का और माननीय रेल मंत्री श्री राम विलास पासवान का ध्यान उस भीषण दुर्घटना की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं जो कि कल हुई है। रेलवे में बहुत ही निष्ठुरता और लापरवाही बरती जा रही है...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : आप सब एक साथ नहीं बोल सकते। मैंने एक व्यक्ति को बुलाया है। मैं एक-एक करके सभी को अवसर दूंगा।

...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : आप चिल्लाते रहिए।

...*(व्यवधान)*

श्री अनंत कुमार : हमने मांग की थी कि माननीय रेल मंत्री जी सभा में स्वयं उपस्थित हों और वह पूरी दुर्घटना का तथा किए गए राहत उपायों का पूरा ब्यौरा दें। माननीय संसदीय कार्य मंत्री श्री श्रीकांत जेना ने हमें आश्वासन दिया है कि शून्य काल के दौरान श्री राम विलास पासवान सभा में आयेंगे और दुर्घटना के बारे में विस्तृत वक्तव्य देंगे।...*(व्यवधान)* । फरीदाबाद दिल्ली से बहुत दूर नहीं है। वह दिल्ली पहुंच चुके हैं। अतः वह सभा में क्यों नहीं आ रहे हैं? ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि मैं चिल्लाने वाले सदस्य को बोलने की अनुमति नहीं दूंगा अब संसदीय कार्य मंत्री को बोलने दीजिए।

...*(व्यवधान)*

पर्यटन मंत्री और संसदीय कार्य मंत्री (श्री श्रीकांत जेना) : मैं केवल यही कहना चाहूंगा कि रेल मंत्री जी आपको पहले ही लिखित में बता गए है कि वे फरीदाबाद जा रहे हैं। अब, वह वापस आ रहे हैं।...*(व्यवधान)* वह वापस आ रहे हैं। वह वक्तव्य देंगे। वह आज ही वक्तव्य देंगे। वह आपको पहले ही लिखकर दे गए हैं। वह दुर्घटना स्थल पर हैं।...*(व्यवधान)* वह दुर्घटना स्थल से वापस आ रहे हैं और वक्तव्य देंगे।...*(व्यवधान)*

श्री रमेश चेन्नितला (कोट्टायम) : परस्पर विरोधी खबरें हैं कि 50 लोग मर गये। हमारे पास देश के विभिन्न भागों से अनेक टेलीफोन आ रहे हैं। फरीदाबाद दिल्ली से बहुत अधिक दूर नहीं हैं। ...*(व्यवधान)*

श्री रमेश चेन्नितला : महोदय, परस्पर विरोधी समाचार है कि 12 लोगों की मृत्यु हुई है, 15 लोगों की मृत्यु हुई है, 20 लोगों की मृत्यु हुई है। हमारे पास देश के विभिन्न भागों से टेलीफोन आ रहे हैं।...*(व्यवधान)*

श्री श्रीकान्त जेना : सरकार की ओर से इस विषय पर 3 बजे वक्तव्य दिया जायेगा।

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : महोदय, फरीदाबाद इस स्थान से बहुत दूर नहीं है।...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : मेरे पास बहुत नाम है।

...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : आपकी बात कोई सुनने का तैयार नहीं है।

...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने आपको कहा है कि आप सुन तो लें। बैठ जाएं। माननीय मंत्री ने कहा है कि तीन बजे रेल मंत्री जी बयान

देंगे। उसके पहले रेल एक्सीडेंट के बारे में न कहे तो अच्छा है। मेरे पास काफी नाम हैं। मैं एक-एक को बुलाऊंगा।

...*(व्यवधान)*

श्री रमेश चेन्नितला : इनके पास कोई सूचना नहीं है। ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : रेल एक्सीडेंट को छोड़कर मैं बाकी इश्यू अलाऊ करूंगा। रेल का इश्यू तीन बजे आएगा।

[अनुवाद]

श्री अनंत कुमार : महोदय, जब मंत्री जी अपना वक्तव्य दें तो आप हमें यह मामला उठाने की अनुमति दें।

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : वह तीन बजे देंगे। आप अपनी बात नहीं कहना चाहते तो मैं क्या करूं?

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : मैं गृह मंत्रालय से संबंधित एक बात उठा रहा हूं। पृथक उत्तरांचल बनाने का प्रश्न बहुत दिनों से पड़ा हुआ है। उत्तर प्रदेश विधान सभा तीन बार प्रस्ताव पास कर चुकी है। इस सदन में जब मामला उठाया गया तो सरकार की ओर से कहा गया, गृह मंत्री महोदय की ओर से कहा गया कि विधेयक तैयार हो रहा है। उसको जल्दी ही सदन के सामने लाया जाएगा। इस पर उत्तर प्रदेश की सरकार की भी राय लेना शायद जरूरी होगा। यह मामला कितने सालों तक लटकेगा? इसमें देर क्यों हो रही है? बात कहां तक पहुंची है? आखिर जो पहाड़ के लोग हैं, जिन्हें भरोसा है अब पृथक राज्य बनेगा, अपना धैर्य खो रहे हैं। मैं चाहता हूं गृह मंत्री इस संबंध में स्थिति को स्पष्ट करें और सदन को विश्वास में लें।

[अनुवाद]

श्रीमती गीता मुखर्जी (पंसकुरा) : महोदय, मैं एक "रोड ब्लॉक" से आ रही हूं जिसे विभिन्न महिला संगठनों ने आयोजित किया था। वे महिला आरक्षण विधेयक को तत्काल पारित करने की मांग कर रही है। आधे घंटे के लिए पूरा रोड-ब्लाक रहा। हमने इसे खोल दिया जिससे कि लोगों को परेशानी न हो। परन्तु मैं सभा को बता रही हूं कि अध्यक्ष महोदय द्वारा दिये गये आश्वासन के अनुसार विधेयक को चर्चा के लिए सभा में 29 तारीख को लाया जाय।

श्री राजेश पायलट (दौसा) : महोदय, मैं श्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा व्यक्त किए गए विचारों से सहमत हूं। सरकार ने अलग उत्तराखंड राज्य बनाने के लिए सार्वजनिक रूप से कई बार आश्वासन दिया है। लोगों को पता होना चाहिए कि यह राज्य बनेगा या नहीं।

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : गुप्त जी, आप इस पर कुछ कहना चाहेंगे।

गृह मंत्री (श्री इन्द्रजीत गुप्त) : मुझे अच्छी तरह से मालूम है कि पहाड़ के लोगों में बहुत परेशानी है। इस कारण से जो वाजपेयी जी ने यहां जिक्र किया कि उत्तराखंड राज्य का नीतिगत फैसला हो चुका है, उसको अमल में लाने के लिए इतनी देर क्यों हो रही है। यह बात सही है कि उत्तर प्रदेश विधान सभा में प्रस्ताव जरूर पास किया, एक बार नहीं, तीन बार किया। लेकिन वे जानते हैं कि संविधान के अनुसार केवल रिजोल्यूशन वहां से पास करने से ही काम पूरा नहीं होगा।

वह जो दो भाग अब हो जाएंगे, एक हिस्सा उत्तर प्रदेश का अलग हो जाएगा। एक हिस्सा अलग होकर एक अलग सूबा बन जाएगा। उसके लिए और भी कई चीजों को कानूनी शक्ल देनी पड़ेगी। कैसे वह व्यवस्था होगी? कैसे उसका इंतजाम होगा? उसका क्या स्ट्रक्चर होगा? धनराशि का बंटवारा कैसे होगा? बाकी जो लोग काम करते हैं, जो मुलाजिम हैं, जो अफसर हैं, दूसरे लोग हैं, उनका बंटवारा दो हिस्सों के अंदर कैसे किया जाएगा, उसकी पद्धति संविधान के अंदर लिखित है, उसके अनुसार वह बिल जिसके बारे में यहां कहा जा रहा है, वह बिल तैयार करके उत्तर प्रदेश सरकार के पास उसके मंतव्य के बारे में भेजना पड़ेगा कि उनकी क्या राय है, उनकी क्या आपत्ति है या उनके क्या सुझाव है या वह कोई नया संशोधन लाना चाहती है या नहीं, ये सब बातें जानने के बाद उस बिल की फाइनल शेप हम हाउस के सामने ला सकते हैं। यह बात सही है कि उसमें कुछ देर हो रही है। देर होने के कारण और कोई खास नहीं हैं। केबिनेट को पूरा-पूरा एप्रूव करना पड़ेगा क्योंकि यह नया कदम उठाया जा रहा है। एक नया सूबा बनाया जा रहा है, उत्तर प्रदेश के एक हिस्से को अलग किया जा रहा है, इसलिए इसके ऊपर काफी गौर से कैबिनैट को सूझ-बूझकर तैयारी करनी पड़ेगी। मैं आशा करता हूं कि ज्यादा देर नहीं होगी। लेकिन मैं कोई निश्चित तारीख या समय नहीं बता सकता। लेकिन मैं आशा करता हूं कि जितनी जल्दी हो सकेगा, वह हो जाएगा।...*(व्यवधान)*

श्री बची सिंह रावत 'बचदा' (अल्मोड़ा) : उपाध्यक्ष जी, उत्तरांचल इतना संवेदनशील मसला है कि...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : उन्होंने जवाब दे दिया है।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री प्रमथेस मुखर्जी (बरहामपुर) (प.बं.) : महोदय, मुझे बोलने का अवसर देने के लिए धन्यवाद।...*(व्यवधान)* । महोदय, जब भी आप मुझे बुलाते हैं, कोई न कोई खड़ा हो जाता है...*(व्यवधान)* । मैं क्या कर सकता हूं? आप मुझे पहले ही बुला चुके हैं...*(व्यवधान)* महोदय, मैं आपके आदेशों का पूरी तरह से पालन करता हूं। मैं शुरू करता हूं।

महोदय, आपने मुझे आई.डी.पी.एल. को अर्थक्षम बनाने और स्वदेशी औषध तथा भेषज उद्योग के संबंध में आवश्यक लोक महत्व के मामले को उठाने की अनुमति दी है इसके लिए मैं आपके प्रति

[श्री प्रमथेस मुखर्जी]

आभार प्रकट करता हूं। आज आई.डी.पी.एल. भारतीय स्वदेशी औषध और भेषज उद्योग के क्षेत्र में एक प्रतिष्ठित संगठन है। आई.डी.पी.एल. संभवतः सर्वाधिक अर्थक्षम कम्पनी है। परन्तु आज वह भारत सरकार द्वारा स्थिति से ठीक से न निपटे जाने के कारण रुग्ण है। आई.डी.पी.एल. के हजारों कर्मचारी तथा भारतीय औषध और भेषज उद्योग में कार्यरत हजारों कर्मचारी अपनी मांगों के संबंध में प्रदर्शन करने और अपनी समस्याओं के बारे में बताने के लिए दिल्ली में एकत्र हुए हैं।

मैं यह प्रस्ताव पेश करता हूं कि सरकार आई.डी.पी.एल. कर्मचारियों की एस.ओ.एस. मांगों के संबंध में तत्काल ध्यान दें। इसके साथ ही पूरी भारतीय औषध और भेषज उद्योग निजीकरण और विश्वव्यापीकरण नीति के आरम्भ होने के बाद इन स्वदेशी संस्थाओं पर बहुराष्ट्रीय निगमों के हमले से खतरे में पड़ गया है। मैं संबंधित मंत्रालय से और सरकार से तत्काल हस्तक्षेप करने का और बी.आई. एफ.आर. की सिफारिशों पर विचार करने का अनुरोध करता हूं। विभाग की स्थायी समिति आई.डी.पी.एल. को अर्थक्षम बनाने और भारतीय औषध और भेषज उद्योग का स्तर ऊंचा करने के लिए एक प्रोत्साहन योजना बनाने की सिफारिश पहले ही कर चुकी है। मुझे यही कहना है...*(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, कृपया मुझ एक मिनट की अनुमति दें।...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : जब तक मैं नहीं बुलाऊंगा, मुझे खेद है। मेरे पास नाम हैं। एक-एक करके बुलाऊंगा।

...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने आपसे कहा कि मैं एक-एक करके सबको बुलाऊंगा।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया आप बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : वह उसी पर बोलना चाहते हैं, उनको बोलने दीजिए।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, भारत सरकार ने एक समिति का गठन किया था। समिति ने भी इसको अर्थक्षम बनाने के लिए काफी समय पहले, कम से कम 3-4 महीने पहले, अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था।

लेकिन सरकार को सरकारी क्षेत्र के एक ऐसी महत्वपूर्ण औषध निर्माता उपक्रम के बारे में अभी निर्णय लेना बाकी है। यह केवल एक ऐसी कम्पनी नहीं है जिसमें हजारों कर्मचारी कार्यरत हैं बल्कि यह एक ऐसी कम्पनी है जो पहले से ही आवश्यक और जीवन रक्षक औषधियों के निर्माण में लगी थी। चूंकि महीनों से उत्पादन नहीं हो रहा है, अतः कुछ बहुराष्ट्रीय कम्पनियां आई और उन्होंने उत्पादन शुरू कर दिया। वे औषधियों को अत्यधिक ऊंचे मूल्य पर बेच रहे हैं। अब हमारे देश के गरीब लोग आवश्यक औषधियों को अधिक मूल्य पर खरीदने के लिए बाध्य हैं क्योंकि आई.डी.पी.एल. में उत्पादन बन्द हो चुका है।

महोदय, मैं मांग करता हूं कि सरकार आई.डी.पी.एल. के अर्थक्षम बनाने के संबंध में तत्काल निर्णय ले। सरकार समिति द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन पर विचार करें और इस आवश्यक औषधि बनाने वाले सरकारी क्षेत्र के इस महत्वपूर्ण उपक्रम को अर्थक्षम बनाने के लिए तत्काल निर्णय ले।

[हिन्दी]

श्री शत्रुघ्न प्रसाद सिंह (बलिया) (बिहार) : आई.डी.पी.एल. के कर्मचारी भूखों मर रहे हैं। सरकार क्यों नहीं फैसला करती है?

[अनुवाद]

श्री प्रमथेस मुखर्जी : महोदय, सरकार को इस प्रश्न पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करनी चाहिए।

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : सदस्य बहुत उत्तेजित हैं और यदि मैं ऐसा कहता हूं तो उचित ही है क्योंकि यह जो मामला उठाया जा रहा है वह दिन-प्रतिदिन के रुग्ण उपक्रमों का मामला नहीं है। आई.डी.पी.एल. एक ऐसा उपक्रम है जो इस देश के लोगों के स्वास्थ्य से संबंध रखता है। औषधियों के मूल्य सामान्य लोगों की पहुंच से दूर होते जा रहे हैं। यह एक ऐसी कम्पनी है जो बहुत अच्छा काम कर रही थी और जिसे अभी भी पुनः चालू किया जा सकता है और देश के लोगों को बचाया जा सकता है। वास्तविकता यह है कि यह रुग्ण हो गई है और इसे रुग्ण ही रखा जा रहा है। इसका अर्थ यह है कि आज फार्मास्युटिकल (भेषज) उद्योग और औषध उद्योग का बहुराष्ट्रीय कम्पनियों द्वारा अधिग्रहण किया जा रहा है। यह एक बहुत महत्वपूर्ण उपक्रम है, जिसके लिए हम गर्व कर सकते हैं। इसे काफी लम्बे समय से रुग्ण रखा जा रहा है। मैं समझता हूं कि सभा के सभी सदस्य इस बात पर हमारे साथ होंगे कि यह एक ऐसा मामला है जिसे उच्च्य प्राथमिकता दी जानी चाहिए और सरकार को अर्थक्षम बनाने के लिए हर संभव प्रयास करने चाहिए। यदि इसके लिए कोई कदम उठाने में कोई समस्या आती है, तो सरकार को हमारे साथ चर्चा करनी चाहिए। हम पिछले प्रधान मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री तथा अन्य कई लोगों से बात कर चुके हैं। यह एक ऐसा मामला है जिसे टाला नहीं जा सकता। अतः मैं समझता हूं कि यह सभा की एक सर्वसम्मत मांग है कि इसके संबंध में तत्काल कार्यवाही की जानी चाहिए और इस

महत्वपूर्ण उद्योग को जो कि देश का भविष्य है, बिना किसी विलंब के चालू किया जाना चाहिए।...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : आप एक मिनट बैठिए। मुझे तो अपनी बात कहने दीजिए।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री प्रमथेस मुखर्जी : सरकार को इस मामले पर जवाब देना चाहिए। यह आई.डी.पी.एल के कर्मचारियों से संबंधित मामला है। ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया पहले आप अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

...*(व्यवधान)*

श्री प्रमथेस मुखर्जी : मैं हाथ जोड़कर आपके माध्यम से अपील करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : आप पहले ही अपनी बात कह चुके हैं। कृपया बैठ जाइये।

यह बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। मैं सरकार से इस मामले पर तत्काल कार्यवाही करने का निवेदन करूंगा। समूची सभा इस संबंध में चिंतित है।

[हिन्दी]

एक वक्त में सब बोलेंगे, तो कैसे रिकार्ड में आएगा। मैं बोलने के लिए मौका दे रहा हूं।

...*(व्यवधान)*

श्रीमती सुमित्रा महाजन (इंदौर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण मसला उठा रही हूं, जिसका संबंध सम्पूर्ण हिन्दुस्तान की जनता से है। यह घटना पहले भी एक बार हो चुकी है, जब हमने पी.एल. 480 गेहूं मंगाया था, तब उसके साथ गाजर-घास भी हिन्दुस्तान में आई थी। वही स्थिति फिर से दोहराई जा रही है। आस्ट्रेलिया से जो हमने एक लाख टन गेहूं मंगाया है, उस गेहूं के साथ "लोलियम-रिजीडियम" घास आई है। इस घास के आने के बाद यह हो सकता है कि जैसे-जैसे यह गेहूं सारे देश में वितरित किया जाएगा, उसके साथ वैसे-वैसे यह घास पूरे हिन्दुस्तान में फैलेगी। लेकिन सरकार ने इस बारे में कोई एक्शन नहीं लिया है। हमारे कुछ वैज्ञानिकों ने कहा है कि गेहूं को बांटने से पहले ग्रैवीटी सैपरेट्स मशीन से अलग करना चाहिए। मैं यह पूछना चाहती हूं, इस प्रश्न को हमने आस्ट्रेलिया सरकार के समक्ष क्यों नहीं उठाया?

उन्होंने यह गेहूं बेचते समय इस प्रकार के कोई प्रिकोशंस नहीं लिए हैं कि यह वीड हिन्दुस्तान में नहीं आना चाहिए। जब राज्य सभा में यह प्रश्न उठाया गया था तो उसके उत्तर में यह कहा गया कि हम मामले को देख रहे हैं और यह भी कहा गया कि गेहूं के जो नॉन उत्पादक क्षेत्र हैं वहां पर हम गेहूं बंटवाएंगे ताकि बाकी गेहूं में यह वीड़ मिकसप नहीं हो जाए। लेकिन यह एक प्रकार से हास्यास्पद स्टेटमेंट है, क्योंकि इस प्रकार से हम यह रोक नहीं सकते और वह वीड यहां के मौसम से अभ्यस्त हो जाएगा और यहां अगर यह घास फैलता है तो वह यहां के वातावरण को ग्रास कर सकती है।

महोदय, मेरा इतना ही कहना है कि सरकार ने इस संबंध में क्या कदम उठाया है, जो आस्ट्रेलियन शिपमेंट था वह वापस क्यों नहीं भेजा गया और क्या सरकार इस प्रकार के हानिकारक घास को हिन्दुस्तान पर थोपने का जो प्रयास हो रहा है, उससे एक प्रकार से हिन्दुस्तान को डम्पिंग ग्राउंड बना दिया गया है, क्या सरकार इसको इस प्रकार से स्वीकारने के मूड में है या फिर आस्ट्रेलियन गवर्नमेंट के साथ कुछ बात करेगी। यह गेहूं बांटने से रोक लिया जाए। मैं चाहूंगी कि इस पर सरकार कुछ बयान दे, क्योंकि यह हिन्दुस्तान के लोगों के स्वास्थ्य पर असर करेगा। यह घास फैलती है तो हमारे गेहूं के उत्पादन पर असर होना है, गाजर घास ने किस प्रकार से असर किया, उसको हम लोग भूले नहीं हैं। इसलिए मैं चाहूंगी कि बहुत ही सीरियस होकर इस मामले पर सरकार सोचे।

प्रो॰ रीता वर्मा (धनबाद) : इस पर मंत्री जी का बयान आना चाहिए।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

डा॰ के॰पी॰ रामलिंगम (तिरूचेंगोडे) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं हाल ही में हिन्द महासागर में श्रीलंका वायु सेना द्वारा भारतीय मछुआरों की हाल ही में की गई हत्या की ओर सभा का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। श्रीलंका की वायु सेना के हेलीकॉप्टर ने 17 जुलाई को भारतीय मछुआरों की नौकाओं पर गोलियां चलाई और उससे पहले 14 जुलाई को भी उन्होंने भारतीय मछुआरों पर गोलियां चलाई। 1983 से 1997 तक श्रीलंका के थल सेना, जल सेना और वायु सेना ने लगभग 250 भारतीय मछुआरों की हत्या की। अरब सागर में, गुजरात तट पर यहां तक कि पाकिस्तान सरकार ने हमारे मछुआरों पर इस तरह के अत्याचार नहीं किये और वहां हमारे मछुआरों की इस तरह हत्या नहीं की गयी। श्रीलंका की जल-सेना हिन्द महासागर में हमारे मछुआरों की निरन्तर हत्या कर रही है। कल श्रीलंका की सरकार ने भारतीय मछुआरों पर गोली चलाने की 6 ऐसी घटनाओं से इंकार किया है। किन्तु यह सच नहीं है।

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने इस मुद्दे पर पहले ही प्रधान मंत्री को एक पत्र लिखा है और व्यक्तिगत रूप से इस बात पर जोर दिया है कि इस मामले में तुरंत कार्यवाही की जानी चाहिये। केन्द्र सरकार को भी कई अभ्यावेदन दिये गये हैं, किन्तु केन्द्र सरकार इस मामले में कोई कार्यवाही नहीं कर रही है। सरकार को इस मामले को गंभीरता से लेना चाहिये क्योंकि ऐसी दुर्घटनाओं में बहुत से मछुआरे मारे गये हैं। गृहमंत्री को इस मामले में उत्तर देना चाहिये कि इस मामले में केन्द्र सरकार क्या कर रही है। मैं यह भी अनुरोध करता हूं कि भारत

[डा॰ के॰पी॰ रामलिंगम]

सरकार को श्रीलंका सरकार के साथ अपने संबंध विच्छेद कर लेने चाहियें।...*(व्यवधान)*

श्री तिरूची शिवा (पुडुक्कोट्टई) : उपाध्यक्ष महोदय, यह बहुत गंभीर मामला है और इस पर अब सरकार को कार्यवाही करनी चाहिये।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अब अपना स्थान ग्रहण कीजिए

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री जय प्रकाश (हिसार) : हम लोक सभा में अपनी बात को नहीं उठाएंगे तो कहां उठाएंगे। हरियाणा प्रदेश में पिछले तीन महीने में 78 कत्ल हो चुके हैं।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में शामिल नहीं किया जायेगा।

...*(व्यवधान)**

श्री पुन्नु लाल मोहले (बिलासपुर) : माननीय उपाध्यक्ष जी, मध्य प्रदेश राज्य एवं अन्य सभी राज्यों में रसायनिक खाद की कमी के कारण बाजार मूल्य से अधिक कीमत में खाद बेचने के कारण उत्पन्न स्थिति की ओर, कालाबाजारी को रोकने की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।...*(व्यवधान)*

श्री विनय कटियार (फैजाबाद) : आप मंत्री जी को जवाब देने दीजिए।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने मंत्री जी को जवाब देने से कब रोका है। वह जीरो ऑवर में जवाब देना चाहें तो दे दें, नहीं तो जीरो ऑवर में जवाब देना कोई जरूरी नहीं होता। वह जवाब देना चाहें तो मैं उनको नहीं रोक रहा हूं।

अपराह्न 1.00 बजे

वह अगर कुछ कहना चाहें तो मैं उन्हें नहीं रोकूंगा।

श्रीमती सुमित्रा महाजन : उपाध्यक्ष महोदय, वह बोलना चाहते हैं...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया उन्हें जवाब देने दीजिए।

[हिन्दी]

खाद्य और उपभोक्ता मामले मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रघुवंश प्रसाद सिंह) : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्या ने आस्ट्रेलिया से गेहूं आयात करने की बात कही। आस्ट्रेलिया से करीब दस लाख टन गेहूं आयात करने की स्टेट ट्रेडिंग कारपोरेशन ने सहमति तैयार की है लेकिन वह अभी आया नहीं है। कृषि विभाग की तरफ से विशेषज्ञों के दल ने उसकी जांच की है। उसने पाया कि उसमें एक प्रकार की वीड जो गेहूं के साथ घास होता है, वह आ जाने से यहां नुकसान हो सकता है। वह एग्जॉटिक किस्म का बीज है जिससे नुकसान हो सकता है। फिर भी विशेषज्ञों के दल ने तीन प्रकार का सुझाव दिया कि वीड सहित गेहूं हिन्दुस्तान में आए तो उसको तुरन्त आटे में बदल कर वितरित किया जाए अथवा उस वीड युक्त गेहूं को उस क्षेत्र में वितरित किया जाए जिस क्षेत्र में गेहूं का उत्पादन नहीं होता। ऑफ सीजन में जिस समय गेहूं लगाने का समय नहीं होता, उस समय उसका वितरण करने से घास आने की संभावना नहीं रहेगी। उसे खाने में कोई हर्ज नहीं है। जिस मुल्क में बड़े पैमाने में गेहूं होता है, वहां वीड को हटाना मुश्किल काम है लेकिन वीड रहने से कोई हर्ज नहीं है। इसलिए कृषि विभाग के विशेषज्ञों के दल ने जो सुझाव दिया है, उसको मान कर उसे लाने की स्वीकृति दी गई है। उससे कोई नुकसान नहीं होगा।...*(व्यवधान)*

* कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया श्री मोहले को बोलने की अनुमति दीजिए।

...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा मध्याह्न भोजन के लिए अपराह्न 2.00 बजे तक के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 1.02 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए अपराह्न 2.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अपराह्न 2.08 बजे

मध्याह्न भोजन के पश्चात् लोक सभा अपराह्न 2.08 बजे पुनः समवेत हुई।

[उपाध्यक्ष महोदय *पीठासीन हुए।***]**

उपाध्यक्ष महोदय : श्री राम नाईक अब कार्य-सूची में उल्लिखित मद संख्या 7 और 8 सभा के पटल पर रख सकते हैं।

अपराह्न 2.09 बजे

नियम समिति

(एक) तीसरा प्रतिवेदन

श्री राम नाईक (मुम्बई उत्तर) : महोदय, मैं आपकी अनुमति से लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 331 के उप-नियम (1) के अंतर्गत नियम समिति का तीसरा प्रतिवेदन (हिन्दी और अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

(दो) कार्यवाही सारांश

श्री राम नाईक : महोदय, मैं आपकी अनुमति से नियम समिति की 8 मई, 1997 को हुई बैठक का कार्यवाही सारांश (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

अपराह्न 2.10 बजे

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) भारत-पाक सीमा पर जिन किसानों की भूमि कांटेदार तार लगाने के लिए ली गई है उन्हें मुआवजा दिए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री निहाल चन्द चौहान (श्रीगंगानगर) : उपाध्यक्ष महोदय, भारत पाक सीमा पर तत्कालीन सरकार ने कंटीली तार लगाई थी। तारबन्दी में आई जमीन का किसानों को अभी भी मुआवजा नहीं दिया गया। जमीन में जाने व आने में किसानों को काफी कठिनाई होती है। आसानी से किसान जमीन में सिंचाई नहीं कर सकते, फसलें बो नहीं सकते व आसानी से फसलें काट नहीं सकते।

अतः मेरा केन्द्र सरकार से निवेदन है कि जिन किसानों की भूमि तारबन्दी में आई है, उसके एवज में किसानों को भूमि दे या फिर मुआवजा दे, ताकि किसानों को राहत मिल सके।

(दो) लम्बी दूरी की रेलगाड़ियों को गुजरात में जामनगर, द्वारका और ओखा तक बढ़ाए जाने की आवश्यकता

श्री चन्द्रेश पटेल (जामनगर) : उपाध्यक्ष महोदय, द्वारकाधीश मंदिर, जगविख्यात मंदिर है, जहां भगवान श्रीकृष्ण ने राज्य किया। जहां श्रीकृष्ण सखा सुदामा जी ने भगवान श्रीकृष्ण से भेंट कर चावल श्रद्धा से भेंट किया था। जहां जगदगुरू शंकराचार्य की पीठ है। जिस जामनगर जिले में भारत सरकार के डिफेंस संरक्षण की तीनों विंग हैं। जहां देश-विदेश के गणमान्य व्यक्ति एवं लाखों लोग हर वर्ष इस यात्रा में दर्शनार्थ आते हैं, लेकिन गुजरात के द्वारका, जामनगर और ओखा तक लम्बी दूरी की ट्रेन नहीं आती।

पुरी, भोपाल, त्रिवेंद्रम वगैरह सब अन्य दूरी की ट्रेनें या तो अहमदाबाद या राजकोट में समाप्त की जाती हैं। उनको जामनगर, द्वारका, ओखा तक बढ़ाने की मांग कई वर्षों से वहां की जनता, विभिन्न संस्थाओं, विधान सभा एवं संसद सदस्यों एवं गुजरात सरकार द्वारा की जाने के बाद भी अभी तक ये लम्बी दूरी की रेलगाड़ियां वहां तक नहीं गई, जिससे लाखों लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

अतः केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि लम्बी दूरी की गाड़ियों को जामनगर, द्वारका तथा ओखा तक बढ़ाया जाये।

(तीन) ढेंकानाल-कामाख्यानगर, कामाख्यानगर - कलियाहाटा बरास्ता कामकादाबाद, नुदूरपुड़ा-नारायणपुर और नारायणपुर-क्योंझर मार्गों को राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में विकसित किये जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री के॰पी॰ सिंह देव (ढेंकानाल) : राष्ट्रीय राजमार्ग-42 पर स्थित ढेंकानाल के जिला मुख्यालय के बीच एक समरेखन विद्यमान है, जो कि कलकत्ता मद्रास राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-5 से केवल 35 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और राष्ट्रीय राजमार्ग 6, जो कि उड़ीसा में कलकत्ता-बम्बई राजमार्ग है, पर स्थित क्योंझर का जिला मुख्यालय शहर क्योंझर केवल 135 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है।

राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 42 पर स्थित ढेंकानाल-अंगुल तालचेर नेशनल एल्मिनियम कंपनी, स्मेल्टर एंड कैप्टिव पावर प्लांट, फर्टिलाइजर प्लांट तथा एन.टी.पी.सी. सुपर थर्मल पावर प्लांट की स्थापना के कारण, यह क्षेत्र और चण्दीपाडा का क्षेत्र भी तीव्र गति से विकसित होता जा रहा है। इसी प्रकार से क्योंझर जहां पर आयरन और बायोक्साइड तथा डोलोमाइट डिपाजिट भरे पड़े हैं, भी चार्ज क्रोम प्लांट तथा प्रस्तावित दूसरे स्टील प्लांट के कारण धीरे-धीरे विकसित होता जा रहा है। ढेंकानाल औद्योगिक क्षेत्र तथा क्योंझर औद्योगिक क्षेत्र के बीच की दूरी लगभग 100 किलोमीटर कम होने के अलावा इससे क्रोमाइट तथा आयरन ओर युक्त समृद्ध खनिज क्षेत्र का रास्ता खुलेगा। इससे पूरे जनजातीय क्षेत्र में विकास तथा आर्थिक गतिविधियां बढ़ेगी वे जनजातियां, जो अवसंरचनात्मक जैसी संचार सुविधाओं की कमी और अभी तक रेल-लाइन न होने के कारण आठवीं पंचवर्षीय योजना के बाद भी विकास नहीं कर पाई, उन्हें उड़ीसा के दो राष्ट्रीय राजमार्गों पर स्थित, इन दो जिला मुख्यालयों को जोड़ने से अत्यधिक लाभ पहुंचेगा। केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि ढेंकानाल-कामाख्यानगर एम.डी.आर. 28 किलोमीटर कामाख्यानगर-कलियाहाटा वाया कामकादाबाद-सी.वी.आर.-30 किलोमीटर, कलियाहाटा-नुदुरपुडा सी.वी.आर.-48 किलोमीटर, नुदुरपुडा-नारायणपुर एम.डी.आर.-12 किलोमीटर, नारायणपुर-क्योंझर एस.एच.-5 किलोमीटर मार्गों को अविलंब राष्ट्रीय राजमार्ग में विकसित किया जाये।

(चार) बिहार के औरंगाबाद जिले के चहुंमुखी विकास के लिए वहां भारतीय खाद्य निगम का गोदाम, कृषि विज्ञान केन्द्र और कृभको तथा इफ्को का बिक्री केन्द्र खोले जाने कीं आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह (औरंगाबाद) : महोदय, बिहार राज्य में औरंगाबाद जिला उग्रवाद प्रभावित एवं पिछड़ा जिला है। उग्रवादी गतिविधियों में आये दिन बढ़ोतरी हो रही है। जिले में किसानों एव मजदूरों को ध्यान में रखकर विकास कार्य करने की आवश्यकता है।

औरंगाबाद जिला एवं आसपास के जिलों में एक भी एफ.सी.आई. का गोदाम, कृषि विज्ञान केन्द्र तथा कृभको एवं इफको का बिक्री केन्द्र नहीं है, जिसकी महती आवश्यकता है।

अतः केन्द्र सरकार से विनम्र आग्रह है कि औरंगाबाद जिले के चतुर्मुखी विकास हेतु उक्त संस्थानों को शीघ्र खोला जाये।

(पांच) महाराष्ट्र की लंबित सिंचाई परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान किए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री सुरेश आर॰ जाधव (परभनी) : इस समय, भारत सरकार के पास महाराष्ट्र की एक बड़ी और पांच छोटी (राज्य क्षेत्र) सिंचाई परियोजनाएं अर्थात् नीरा देवगढ़ पुरकाबोडी, नन्हीं, दहेगांव गोंदी, रोथा–। और हीरपुर स्वीकृति हेतु लंबित पड़ी हैं।

सिंचाई परियोजना निर्माण कार्य राज्यों के समग्र विकास कार्यक्रम का अत्यंत महत्वपूर्ण घटक होता है। इन परियोजना निर्माण कार्यों की स्वीकृति प्रदान करने में अत्यधिक देरी लगने से विकास की गति अवरूद्ध होती है। सिंचाई परियोजना निर्माण कार्यों को वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के कार्यक्षेत्र से बाहर रखना बेहतर होगा।

मैं, केन्द्र सरकार से यह अनुरोध करता हूं कि महाराष्ट्र की सिंचाई परियोजनाओं को शीघ्र स्वीकृति प्रदान करें।

(छः) असम और नागालैंड के बीच सीमा विवाद को सुलझाने हेतु आवश्यक कदम उठाए जाने की आवश्यकता

श्री केशव महन्त (कलियाबोर) : महोदय, असम और नागालैंड के सीमा क्षेत्र में तनाव बढ़ता जा रहा है। ऐसी तनावपूर्ण स्थिति में असम के लोग अत्यंत असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। यद्यपि, असम सरकार ने सीमावर्ती गांवों में सुरक्षा प्रबंध बढ़ा दिये हैं, फिर भी वहां पर भय की स्थिति बनी हुई है। असम सरकार ने नागालैंड सरकार को विवादास्पद मुद्दों का बातचीत के माध्यम से मैत्रीपूर्ण ढंग से हल करने हेतु अनुरोध किया है। विवादास्पद मुद्दों को हल करने के लिए दोनों राज्यों के अधिकारियों का एक दल सीमावर्ती गांवों का दौरा करे, ताकि स्थिति नियंत्रण से बाहर न हो। अतः, मैं केन्द्र सरकार से आग्रह करता हूं कि वह असम और नागालैंड के बीच सीमा विवादों का मैत्रीपूर्ण ढंग से हल करने के लिए आवश्यक कदम उठाए।

(सात) असम के सोनितपुर जिले में विश्वनाथ चराली में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान जैसा एक आधुनिक अस्पताल स्थापित किए जाने की आवश्यकता

श्री ईश्वर प्रसन्ना हजारिका (तेजपुर) : असम के उत्तरी छोर और समीपस्थ अरूणाचल प्रदेश में एक भी उचित, आधुनिक तथा विश्वसनीय अस्पताल नहीं है। जिला अस्पतालों में आवश्यक सुविधाओं और उपकरणों की भारी कमी है। परिणामस्वरूप, इस क्षेत्र के अधिकांश गंभीर रोगियों को गुवाहाटी और दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान या अपोलो अस्पताल अथवा सुदूर तमिलनाडु में वेल्लौर अस्पतालों में जाना पड़ता है, जिस पर उन्हें भारी खर्च करना पड़ता है और कठिनाई भी उठानी पड़ती है।

चूंकि इस राज्य में उत्तरोत्तर सरकार ने लम्बे समय से परेशान हो रहे लोगों की इस अत्यावश्यकता की ओर कोई ध्यान नहीं दिया है और क्योंकि अरूणाचल प्रदेश के लोग भी इस प्रस्ताव में उतनी ही रुचि रखते हैं, अतः इस सभा में और अन्यत्र भी केन्द्रीय संस्थान के रूप में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के विस्तार केन्द्र जैसा एक मेडिकल कालेज और अस्पताल स्थापित करने की मांग की गई है। लेकिन इस संबंध में अभी तक कोई ठोस कार्यवाही नहीं की गई है।

सोनितपुर जिले में विश्वनाथ चराली न केवल उत्तरी छोर के बीच में पड़ता है बल्कि अरूणाचल प्रदेश से भी दो घंटे के भीतर पहुंचा जा सकता है। ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे स्थित विश्वनाथ तेजपुर हवाई अड्डे से केवल एक घंटे का रास्ता है तथा वहां काफी सरकारी भूमि खाली पड़ी हुई है, जोकि ऐसे अस्पताल की स्थापना के लिए उपयुक्त है। जहां तक अंतर्राज्यीय स्वरूप की परियोजना के ढांचे का संबंध है, विचारार्थ निम्नलिखित विकल्प उपलब्ध हैं :–

(एक) केन्द्रीय सरकार के अधीन और पूर्णतया उसी द्वारा वित्त पोषित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के विस्तार केन्द्र के रूप में एक मेडिकल कालेज और अस्पताल।

(दो) केन्द्र सरकार के अधीन एक मेडिकल कालेज सहित अथवा उसके बिना एक अस्पताल, लेकिन इसका वित्त पोषण भारत सरकार, पूर्वोत्तर परिषद और असम सरकार द्वारा संयुक्त रूप से किया हो।

(तीन) केन्द्रीय विश्वविद्यालय, तेजपुर के अधीन विशेषताओं वाला एक मेडिकल कालेज

मैं केन्द्रीय सरकार से यह पुरजोर अनुरोध करता हूं कि असम के सोनितपुर जिले में विश्वनाथ चराली में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान जैसा एक आधुनिक अस्पताल स्थापित करने के लिए प्रस्ताव पेश करें।

(आठ) जौनपुर और औरिहार जंक्शन के बीच छोटी रेल लाइन को बड़ी लाइन में परिवर्तित किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री विद्यासागर सोनकर (सैदपुर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र सैदपुर उत्तर प्रदेश के अंतर्गत जौनपुर जं., से औरिहार रेलवे स्टेशन के बीच छोटी लाईन है। इस छोटी लाइन को बड़ी लाईन

में परिवर्तित करने के लिए पिछले कई वर्षों से मांग चल रही है जो कि जनहित में है। उस लाईन पर चलने वाली पैसेंजर ट्रेन को बंद कर दिया गया। अब इस पैसेंजर ट्रेन के स्थान पर एक रेल बस चलायी जा रही है। इस रेल बस से आने-जाने वाले यात्रियों तथा व्यापारियों के माल की ढुलाई नहीं हो पा रही है जिससे यात्रियों तथा व्यापारियों को काफी असुविधा हो रही है तथा जनता पर अनावश्यक ट्रांसपोर्ट का खर्च भी बढ़ रहा है। इस मार्ग पर गाजीपुर जनपद की सबसे बड़ी तहसील सैदपुर तथा जौनपुर जनपद की सबसे बड़ी तहसील केशकत का पूरा क्षेत्र आता है। इस 60 कि.मी. रेल लाईन को बड़ी लाईन में परिवर्तित कर देने से जौनपुर का गाजीपुर तक, बलिया, गोरखपुर, आजमगढ़ इत्यादि जिलों से सीधा संबंध हो जाएगा तथा इन जिलों से यात्रियों की आने-जाने में सुविधा के साथ-साथ समय भी बचेगा तथा व्यापारियों को माल की ढुलाई में समय एवं धन की बचत होगी तथा जनता को इसका लाभ होगा। इस रेल लाईन को छोड़कर इस क्षेत्र की सभी छोटी लाईनों को बड़ी लाईनों में परिवर्तित किया जा चुका है जैसे वाराणसी, औरिहार, शाहगंज से औरिहार, शाहगंज से आजमगढ़, मऊ इत्यादि।

अतः माननीय रेल मंत्री जी से मेरा सादर अनुरोध है कि जौनपुर जं., से औरिहार जं, छोटी रेलवे लाईन को जो कि मात्र 60 कि.मी. लम्बी है, बड़ी लाईन में परिवर्तित करने की कृपा करें ताकि जनपद जौनपुर एवं गाजीपुर की जनता को आवागमन को सुविधा हो सके तथा जन सामान्य को इसका लाभ मिल सके।

अपराह्न 2.22 बजे

बिहार में हाल ही की घटनाओं से उत्पन्न गंभीर स्थिति के बारे में प्रस्ताव

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : सभा अब श्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रस्ताव पर आगे चर्चा शुरू करेगी। मैं श्री राजेश रंजन जी से अनुरोध करता हूं कि अपनी बात जारी रखें।

श्री सत्य पाल जैन (चंडीगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

[हिन्दी]

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (लखनऊ) : महोदय, मुझे एक संशोधन प्रस्ताव रखना है।

श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव (पूर्णिया) : माननीय उपाध्यक्ष जी, मेरा...*(व्यवधान)*

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : उपाध्यक्ष जी, मेरा एक संशोधन है। मेरा प्रस्ताव है और उसमें मैं एक संशोधन पेश करने की इजाजत चाहता हूं। आपको स्मरण होगा कि मैंने प्रस्ताव काम रोको प्रस्ताव के रूप में दिया था। बाद में सदन ने उसको 184 के अंतर्गत स्वीकार किया। लेकिन जो शब्दावली है, जो भाषा है, उसमें थोड़े संशोधन की आवश्यकता है और मैं उसका नोटिस दे चुका हूं और वह सरकुलेट भी हो चुका है। वह इस प्रकार है :-

[अनुवाद]

> मैं प्रस्ताव करता हूं :-
>
> कि प्रस्ताव में "गंभीर स्थिति" के स्थान पर "कि यह सभा गंभीर स्थिति पर चिंता व्यक्त करती है" प्रतिस्थापित किया जाए।

[हिन्दी]

मुझे विश्वास है कि सदन को आपत्ति नहीं होगी।

श्री राम कृपाल यादव (पटना) : जब किसी मुद्दे पर बहस चालू हो तो बार-बार उसमें क्या संशोधन किया जा सकता है?

उपाध्यक्ष महोदय : यह नियम 184 में हुआ है।

श्री राम कृपाल यादव : 184 में बहस शुरू हो गई। कल बहस भी हुई थी।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : यह अमेंडमेंट अब नहीं होती तो वोटिंग के टाइम पर होती। यह अमेंडमेंट तो जरूरी है।

...*(व्यवधान)*

श्री राम कृपाल यादव : वह कैसे?

उपाध्यक्ष महोदय : 184 में आना जरूरी है।

श्री राम कृपाल यादव : 184 में बहस शुरू हो गई थी। ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : हां हो गई थी। 184 में लाने के लिए फॉर्मल मोशन मूव नहीं हुआ।

...*(व्यवधान)*

श्री राम कृपाल यादव : वह तो बहस ही शुरू नहीं होनी चाहिए थी।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : बहस पहले हो चुकी है।

...*(व्यवधान)*

श्री राम कृपाल यादव : यह बताइए प्रस्ताव के बाद फिर संशोधन किस रूल से किया जा सकता है?

[अनुवाद]

श्री मधुकर सरपोतदार (मुम्बई-उत्तर पश्चिम) : मुझे यह पता नहीं है कि जब इसे सभा की सहमति से अंतिम रूप दिया गया था तो भी तब वह उपस्थित थे यदि उन्हें विदित नहीं है तो उन्हें इसका पता लगाने की कोशिश करनी चाहिए।

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार (बाढ़) : उसमें बहस के लिए इस तरह का अमेंडमेंट टैक्नीकली बहुत जरूरी है।

श्री राम कृपाल यादव : टैक्नीकली जरूरी है तो उस वक्त क्यों नहीं हुआ?

उपाध्यक्ष महोदय : हाउस ने उस समय एग्री कर लिया था। हाउस ने एडॉप्ट कर लिया था।

...*(व्यवधान)*

श्री सत्य पाल जैन : मुझे आपत्ति यह है कि बिहार...*(व्यवधान)*

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : मुझे यह लगता है कि यह किसी गलतफहमी के कारण विरोध हो रहा है। जो संशोधन है, वह शाब्दिक है, उससे मूल प्रस्ताव में कोई बुनियादी अंतर नहीं पड़ रहा है। मैं मूल प्रस्ताव को पढ़कर सुना दूं :

[अनुवाद]

"बिहार में हाल की घटनाओं पर केन्द्रीय सरकार के उदासीन रवैये से उत्पन्न गंभीर स्थिति।"

[हिन्दी]

काम रोको प्रस्ताव की भाषा थी। बाद में सदन ने तय किया कि काम-रोको प्रस्ताव को नियम 184 के अंतर्गत एक प्रस्ताव का रूप दे दिया जाए और वह प्रस्ताव ठीक हो। संवैधानिक कोई कठिनाई न हो और हमारे नियमों के अनुसार भी ठीक हो। इसीलिए हम सिर्फ इतना जोड़ रहे हैं, सिरियस सिचुएशन की जगह कह रहे हैं 'कि यह सभा गंभीर स्थिति पर चिंता व्यक्त करती है।' नियम 184 के अंतर्गत इस तरह की चिंता प्रकट करना जरूरी है और बाकी का मोशन वैसे का वैसा बना हुआ है। इसमें आपको आपत्ति क्यों होनी चाहिए? ...*(व्यवधान)*

श्री राम कृपाल यादव : महोदय, हम एक ही बात जानना चाहते हैं। यह आपको देखना है, हमको नहीं मालूम, नियम 184 के अंतर्गत प्रस्ताव आया है या नहीं। इसके बाद बहस प्रारम्भ कर दिया। बहस के बाद फिर बीच में संशोधन क्यों? तकनीकी बात है, इसको रख सकते हैं या नहीं रख सकते हैं- यही हम नियम के मुताल्लिक जानना चाहते हैं?

उपाध्यक्ष महोदय : नियम 184 के कन्वर्जन के बाद यह अमेंडमेंट करना जरूरी था, कर लिया।

श्री राम कृपाल यादव : मान लिया, महोदय। इसमें कोई आपत्ति नहीं है और नियम 184 के अंतर्गत बहस शुरू हो गई। ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : सदन ने चाहा और बहस हो गई।

श्री राम कृपल यादव : बहस के बाद जो लाया जा रहा है, वह कर सकते हैं या नहीं ला सकते हैं और यदि कर सकते हैं, तो कौन से नियम के अंतर्गत कर सकते हैं-यह जानकारी हमें चाहिए थी? ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : इसमें किसी नियम की जरूरत नहीं है।

श्री राम कृपाल यादव : बिना नियम के चलेगा...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइए।

श्री राम कृपाल यादव : महोदय, हमें कन्विन्स तो कर दीजिए। ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : हाउस ने एडाप्ट कर लिया।

श्री राम कृपाल यादव : महोदय, हम व्यवस्था का प्रश्न उठाए हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : सदन ने एडाप्ट कर लिया। हाउस इज सुप्रीम।

श्री राम कृपाल यादव : तो हम उसका विरोध करते हैं। ...*(व्यवधान)*

श्री नीतीश कुमार : चेयर से आर्ग्यु नहीं किया जाता है, यह रूल है।...*(व्यवधान)*

श्री राम कृपाल यादव : नियम नहीं है, अपना क्षेत्र है सदन। बिना नियम के ही सही।...*(व्यवधान)*

श्री सत्य पाल जैन : महोदय, मेरा प्रश्न है कि यह प्रस्ताव गृह मंत्रालय से जुड़ा हुआ है, न तो सदन में गृह मंत्री हैं और न ही प्रधान मंत्री उपस्थित हैं। इस बात को सुबह भी कहा गया था।

उपाध्यक्ष महोदय : कोई मिनिस्टर बैठे हुए, ठीक है।

श्री सत्य पाल जैन : प्रधान मंत्री जी का होना बहुत जरूरी है। इस मामले को इतना लाइटली न लिया जाए।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : ज्वाइंट रिसपांसिबिलिटी है। कोई तो बैठा है।

श्री राम कृपाल यादव : महोदय, हमारे रूल को रूल-आउट कर दिया।

उपाध्यक्ष महोदय : रूल-आउट कर दिया, क्योंकि उसमें कुछ नहीं है। आप बैठ जाइए।

श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव : उपाध्यक्ष महोदय, इस मोशन पर चर्चा दो दिन पहले शुरू हुई थी, लेकिन समय हो जाने के कारण आपके आदेश से हमें अपना भाषण बीच में ही रोक देना पड़ा। मैंने अपना भाषण दो-तीन सवालों से शुरू किया था कि बिहार में किन परिस्थितियों के रहते कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका में टकराव की स्थिति है। इस पर मैंने पूरे रूप से विश्लेषण किया था। उस दिन जो मैंने कहा था, मैं उससे पीछे नहीं जाना चाहता हूं। लेकिन इस दौरान एक नई शुरूआत हुई है और उसी संदर्भ में मैं अपनी बात कहना चाहता हूं।

हम आजादी के 50 वर्षों की स्वर्ण जयन्ती मनाने जा रहे हैं। मैं सदन को बताना चाहता हूं कि यदि स्वर्ण जयन्ती कहीं देखनी हैं, तो बिहार में जाकर देखिए। पचास वर्ष की जयन्ती का नमूना कहीं देखना है, तो बिहार में जाकर देखिए। बिहार की न्यायपालिका, बिहार की कार्यपालिका और बिहार की विधायिका को अलग रखकर देखा जाए, तो पता चलेगा कि हम पचास वर्षों से कहीं पीछे हैं और इस बारे में बिहार की जनता को पता हैं, जिन परिस्थितियों में, जिन हालात में काम रोको प्रस्ताव और फिर जो प्रस्ताव बदला गया है।

उपाध्यक्ष महोदय : कार्यपालिका और विधायिका के साथ न्यायपालिका को मत जोड़िए।

श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव : मैंने टकराव की स्थिति के बारे में बताया।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने कह दिया है।

श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव : यही बात टी.वी. पर आई कि वहां के सदन में क्या हुआ। इसी सदन में एक माननीय सदस्य ने मामले को उठाया और बताया कि धोती खींच ली गई, दांत काट लिया गया, उंगली खा ली गई। यह भी बिहार का एक हिस्सा है। हमारे कई सदस्यों ने इस बात को उठाया था। अभी एक कांग्रेस के सदस्य इस सवाल पर बोल रहे थे, हम उस ओर जाना चाहते हैं। यह जिक्र बार-बार होता है, हम ही नहीं, कई साथी इस बात का जिक्र करते हैं जिस बिन्दु के मुद्दे पर यह बहस छिड़ी है उसको बार-बार यह कह कर टाला जाता है कि इसमें हमने जांच करवाई। इसमें मेरा हाथ नहीं है, ऑफिसर कहते हैं कि इसमें मेरा हाथ नहीं है और तीसरे पक्ष के लोग कहते हैं कि इसमें मेरा हाथ नहीं है। बिहार में आज यह स्थिति हैं, मैं सारे मामले में नहीं जाना चाहता। कोर्ट ने कईयों पर सीबीआई की जांच लगाई है, वहां सिर्फ एक मामला नहीं है, एडमिशन का एक मामला है उसको कोर्ट ने सीबीआई के सुपुर्द किया है। एक केबिनेट मिनिस्टर पीडब्ल्यूडी के हैं उन पर सीबीआई की जांच चल रही है। वहां एक नहीं, अनेक ऐसे मंत्री हैं जिन पर सीबीआई की जांच चल रही है। बार-बार बातें उठती है कि कैसे जांच की है। वहां जो 1990 में केबिनेट मिनिस्टर थे उन्होंने मुख्य मंत्री जी को एक पत्र लिखा था कि यहां इतने घोटाले हैं। इन मामलों को सीबीआई को जांच के लिए दिया जाए। मुख्य मंत्री जी बार-बार कहते हैं कि हमने 1993-94 में इस मामले को देखा और जाना, जब कि उसका पूरा प्रमाण है। उनके ही केबिनेट मिनिस्टर की चिट्ठी है कि हमने 1990 में अपने मंत्री जी से आग्रह किया था कि पशुपालन के मामले की जांच करवाई जाए लेकिन वह मामला दब गया, उनसे पशुपालन विभाग लेकर किसी दूसरे को दे दिया गया।...*(व्यवधान)* यह 1990 की शुरूआत है। जब सरकार बनी तो फिर इसके बाद यह मामला मंत्री जी को दे दिया गया, जिसको मंत्री बनाया गया, भोला राम तूफानी, आपने एक इंटरव्यू टी.वी. में देखा होगा। जब वह दूसरी बार केबिनेट मिनिस्टर बने थे तो उन्होंने कहा था कि मैं यह पद नहीं लेना चाहता था, यह बात उनकी टी.वी. पर इंटरव्यू में थी। मुझ से कहा गया कि आप लीजिए। जब पशुपालन के मामले का जिक्र किया तो यह कहा गया कि इस मामले को हम देखेंगे।...*(व्यवधान)*

श्री राम कृपाल यादव : दूसरे सदन के सदस्य की चर्चा इस सदन में की जा सकती है, क्या नाम लिया जा सकता है?...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : आप अगर नाम न लें तो अच्छा होगा। ऑफिसर कह दीजिए लेकिन नाम न लीजिए।

...*(व्यवधान)*

श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव : मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस व्यक्ति पर या जिस पदाधिकारी पर मुकदमा दिया गया था उसको परमोशन दे दी गई। इसके जो प्रमुख अभियुक्त थे उनको राज्य मंत्री का दर्जा दिया गया, जब कि राम जीवन सिंह ने उस पर भी पत्र लिखा।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : आपने फिर नाम ले लिया।

श्री राम नाईक (मुम्बई उत्तर) : महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। मेरा यह कहना है कि सदस्यों के नाम तो लिए जा सकते हैं लेकिन उन पर एलीगेशन नहीं किया जा सकता।...*(व्यवधान)* नहीं तो यह चर्चा ही नहीं हो पाएगी। इसलिए नाम तो लिए जा सकते हैं, एलीगेशन नहीं लगाए जा सकते हैं।

श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव : मैं कह रहा था कि यह मुख्य अभियुक्त कश्यप साहब थे, उनको राज्य मंत्री का दर्जा दिया गया। जो इसके मुख्य संरक्षक डाक्टर राणा थे, उनको उसी दल से विधायक का टिकट दिया गया। जब विपक्ष की ओर से इस केस को सी.बी.आई. को देने की बात कही गई तो माननीय मुख्यमंत्री ने उसकी सी.बी.आई. से जांच कराने से ईंकार कर दिया। ऐसे में मामला कोर्ट में ले जाने की नौबत आई। बार-बार यह बात कही जाती है कि कोर्ट हर मामले में क्यों इंटरवीन करती है। जब विपक्षी दलों की बात नहीं मानी जाएगी...*(व्यवधान)*

श्रीमती भगवती देवी (गया) : महोदय, इनके मन में जो आएगा, यह बोलते रहेंगे। यह मामला न्यायालय के अधीन है और कोर्ट में केस चल रहा है...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : आप इन्हें बोलने दीजिए।

...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : जब आपकी टर्न आएगी तो बोलना।

श्रीमती भगवती देवी : महोदय, यह कोर्ट में मैटर है। ...*(व्यवधान)* मैं आज नहीं बैठूंगी।

श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव : बिहार में मुख्य अभियुक्त ने बयान दिया कि...*(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइए।

श्रीमती भगवती देवी : क्या यह जगह ऐसी बात बोलने की है? ...*(व्यवधान)* नियम 59 के अधीन मेरा व्यवस्था का प्रश्न देखा जाए ...*(व्यवधान)*

---

* अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृत्तांत से निकाल दिया गया।

उपाध्यक्ष महोदय : आप इसे पढ़ कर सुना दीजिए।

श्री राम कृपाल यादव : क्या वह पढ़ना जरूरी है?

उपाध्यक्ष महोदय : हां, जरूरी है।

श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव : मैं कह रहा था कि 1992-93 में मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री के द्वारा बिहार में सभी विभागों पर रोक लगा दी गई लेकिन क्या कारण था कि पशु पालन विभाग पर रोक नहीं लगायी गई। आज उन बातों को दर्शाया जाता है तो यह उसे सुन नहीं पाते।

झारखंड राज्य बनाने की बात बार-बार आती है। आज पूरी दुनिया और देश के सामने घोटाले का सवाल है। यह घोटाला उसी गरीब और शेडयूल्ड कास्ट एरिया से उजागर हुआ जहां पर आई.आर.डी.पी., जे.आर.वाई. और दूसरे पैसे को रोक कर घोटाला हुआ। झारखंड एरिया में न कोई रोड बन सकी, न कारखाने लग सके और न कोई डैवलपमैंट का काम हो सका। उस पैसे को डाइवर्ट कर पशु पालन विभाग में देने का काम मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री के द्वारा किया गया। क्या यह भ्रष्टाचार और घोटाले का प्रमाण नहीं है?

आप सबको याद होगा कि कहा गया था कि मेरी लाश पर झारखंड राज्य बनेगा। कौन सी परिस्थिति आई और कौन से ऐसे कारण आए कि एक दिन में झारखंड राज्य बनाने का विधान सभा में प्रस्ताव पास हो गया। आपको तो याद होगा कि इस सदन में कांग्रेस और झारखंड पार्टी के बीच सौदेबाजी हुई थी। यह सवाल दुनिया के देशों के सामने आया था। झारखंड राज्य के सवाल पर बोलने वाला व्यक्ति सिर्फ बिहार में एक ही व्यक्ति बात को नहीं बदलता, बिहार में सभी लोग बात को बदलते हैं।

दो दिन पहले तक झारखंड पार्टी के उपाध्यक्ष ने कहा कि बिहार के मुख्य मंत्री एक बार नहीं, हजार बार नमन करेंगे फिर भी कोई समझौता नहीं हो सकता। रात तक कहा, लेकिन जिस दिन विश्वास मत था, उस दिन एक तरफ बिहार संवैधानिक संकट से नहीं, आर्थिक संकट से गुजर रहा था और दूसरी तरफ उप मुख्य मंत्री बनाने का दौर चल रहा था। कहा गया कि झारखंड मुक्ति मोर्चा हमें स्पोर्ट करे तो उनके व्यक्ति को उप मुख्य मंत्री बना देंगे। एक सदस्य को कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिला और नोटिफिकेशन कर दिया गया। यह सब सवाल एक तरफ हैं और बार बार मुख्य मंत्री जी द्वारा यही कहना कि नैतिकता कहां आती है। नैतिकता की बात संविधान में...*(व्यवधान)* बिहार के मुख्य मंत्री जैसे लोग भी इस हिन्दुस्तान में हो सकते हैं। नैतिकता की बात, परंपरा का पालन करने की बात बार-बार आती है। मैंने आपको उस दिन कहा था कि मंत्रियों द्वारा तलवार कैसे राजभवन के आगे बांधी गई थी, प्रधान मंत्री को किस प्रकार गालियां दी गई थीं और इसी सदन में प्रधान मंत्री ने विच हंटिंग की बात कही थी। प्रधान मंत्री ने कहा कि हम भ्रष्टाचार के साथ कोई कंप्रोमाइज नहीं करेंगे, लेकिन कंप्रोमाइज का नमूना मैं बताना चाहता हूं कि जिस दिन कोर्ट द्वारा साढ़े बारह बजे वारंट इश्यू कर दिये गए तो कौन सा कारण था कि सीबीआई साढ़े तीन बजे तक सुप्रीम कोर्ट का इंतजार करती रही और उनको गिरफ्तार नहीं किया गया? कौन व्यक्ति है इसके पीछे? जब कोर्ट ने वारंट इश्यू कर दिये फिर साढ़े तीन बजे कोर्ट में कैसे कहा गया कि साढ़े तीन बजे तक हमारे मुवक्किल को गिरफ्तार कर लिया जाएगा? यह बात आई और कोर्ट में मुवक्किल के वकील द्वारा कहा गया। यह लीकेज कहां से की गई? यह सवाल यदि सिर्फ बिहार तक ही सीमित होता तो हम चुप रहते पर यह सवाल केन्द्र में बैठे प्रधान मंत्री तक जाता है। एक तरफ प्रधान मंत्री से आकर बीच में बैठकर बात करने की बात आती है। बिहार के मुख्य मंत्री कहते हैं कि प्रधान मंत्री ने मुझको वोट डाला है। यह राज्य के करोड़ों लोगों में कन्फ्यूजन करने की बात है। संयुक्त मोर्चा के सारे दल यहां बैठे हैं। संयुक्त मोर्चे पर प्रश्न चिह्न लगता चला जा रहा है और हम भ्रष्टाचार की बात करते हैं। प्रधान मंत्री नैतिकता पर बार-बार कहते हैं और वह बार-बार कहते हैं कि नैतिकता किसी डिक्शनरी में नहीं है।

उपाध्यक्ष जी, बिहार में मुख्य मंत्री ने रिजाइन किया है और दूसरे मुख्य मंत्री को कुर्सी पर बैठाया गया है, उस पर मुझे कुछ नहीं कहना है, लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि यह कहां की परंपरा थी? क्या राजनीति में न होना, अनपढ़ होना...*(व्यवधान)* (कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया)

बिहार में मुख्य मंत्री को क्वालिफिकेशन होती है...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : नाम मत लीजिए। नाम रिकार्ड से निकाल दिया जाए।

...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : मैं पहले ही घंटी बजा चुका हूं। आप कन्क्लूड कीजिए।

श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव : बिहार में 136 एम.एल.ए. थे।...*(व्यवधान)* लेकिन एक साजिश के तहत सीबीआई ने उनको गिरफ्तार नहीं किया। सीबीआई को प्रभावित करने वाले कौन लोग हैं? सीबीआई को प्रभावित कैसे किया जा सकता है?...*(व्यवधान)* वहां जंगल राज चल रहा है। उन्होंने कहा कि हम जेल से राज चलाएंगे।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : पंद्रह मिनट हो गए हैं। आप बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने अगले सदस्य का नाम बोल दिया है।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अब बैठ जाइये। कोई भी बात कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं की जायेगी। अब बैठ जाइये, कुछ रिकार्ड में नहीं जा रहा है।

...*(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : अब रिकार्ड में कुछ नहीं आ रहा है।

...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : कुछ नहीं लिखें। रिकार्ड में कुछ नहीं आ रहा है, अब बैठिये। मि. यादव बैठिये।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया ध्यान दीजिये कि रिकार्ड में कुछ नहीं आ रहा है।

...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : आप बैठिये, मैं कितनी बार कहूंगा।

...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अब बैठ जाइये।

...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : आप बैठिये। मैं बार-बार कह चुका हूं। कृपया बैठ जाइये।

...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : बैठिये, जब मैं खड़ा हूं तो आपको बैठ जाना चाहिए। प्लीज बैठ जाइये।

...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया सीमा से बाहर न जाइये।

...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : आग्रह भी हो गया, दिल्ली भी हो गया, बैठ जाइये।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : अब बैठिये। कृपया अब बैठ जाइये। आप अपनी छवि स्वयं खराब कर रहे हैं।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री सुख लाल कुशवाहा (सतना) : आदरणीय उपाध्यक्ष जी, आपका मैं धन्यवाद ज्ञापित करूंगा कि परसों से...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : मेरे बजाय पप्पू यादव का धन्यवाद कीजिए, उन्होंने टाइम दे दिया।

श्री सुख लाल कुशवाहा : बिहार के मामले में चल रही चर्चा पर हमें भी बोलने का अवसर आपने दिया है। इस सदन में हमारे जो माननीय सदस्य हैं, जिन पर हमको भ्रम नहीं, हमारे देश के तमाम नागरिकों को नाज होता है, उन लोगों ने लम्बे समय से अपने अनुभव से, अपने विचारों से इस देश को एक अच्छा संदेश दिया है और संसदीय गरिमा का ध्यान रखकर उन्होंने हमेशा इस सदन में आचरण किया है। ऐसे माननीय सदस्यों में माननीय प्रतिपक्ष के नेता अटल जी ने अपनी बात रखी, माननीय सोमनाथ चटर्जी जी ने अपनी बात रखी और भाई रूडी जी ने भी अपनी बात रखी हैं, उनका संदेश आ रहा है, इसलिए उसी विषय में उसको भी मैं इस बात में जोडूंगा। लेकिन सदन में लम्बी चर्चा हो गई है और उसी बात को मैं दोहराना उचित नहीं मानता हूं। दो बातें जरूर मैं अपनी पार्टी की तरफ से रखना चाहूंगा। इधर हमारे माननीय सदस्यों ने, वरिष्ठ सदस्यों ने, जिनका हमारे लोगों के मन में बड़ा सम्मान है, आदर है। इस देश का सौभाग्य है, हमारे लोगों का भी सौभाग्य है कि हम लोग पहली बार इस सदन में चुनकर आये, उस मौके पर चुनकर आये, जब हमारा देश आजादी की 50वीं वर्षगांठ स्वर्ण जयन्ती के रूप में मना रहा है। कई बार इस सदन में खड़े होकर हम लोगों ने राष्ट्रगान को सुना। आज एक ऐसा दौर आया कि भारत में एक ऐतिहासिक परिवर्तन हुआ। भारत के प्रथम नागरिक का चुनाव भी हम लोगों ने किया। उनके शपथ ग्रहण समारोह में भी शामिल होकर हम राष्ट्रगान और राष्ट्रीय गीत सुनकर आहलादित और प्रफुल्लित हुए। हमारा रोम-रोम पुलकित हो उठा। जब हम भारत माता अमर रहे का नारा लगाते हैं तो हमारा भी फर्ज बनता है। हम भी इसकी गोद में पलकर बड़े हुए हैं।

आज इस देश के सर्वोच्च सदन में आने का अवसर मुझे मिला और इस विषय पर चर्चा करने का अवसर आपने दिया। निश्चित तौर पर यह क्षोभ का विषय है। यह जो चर्चा का विषय बना और ऐसे प्रसंगों को लेकर इस सदन में अगर इतनी लम्बी बहस हो और इतना समय जाया हो तो अपने आप में अफसोस की बात है। जहां-जहां नैतिकता की बात आती है, उस पर मैं जरूर चिंता व्यक्त करूंगा। जहां नैतिकता की बात आती है, नैतिकता का संबंध अपने आप से नहीं संस्कारों से है। जब हमारे संस्कार अच्छे होंगे तो हमारा आचरण भी अच्छा होगा। कहते हैं :-

"सत् संगति कथम कि न करोति"

मैं याद दिलाना चाहूंगा और अपने माननीय सदस्यों का इस विषय की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि इस देश में हमारे कुछ संस्कार गलत डाले जाते हैं। कहते हैं चाहे राजनैतिक प्रगति हो, आर्थिक या सामाजिक प्रगति हो, उसका आधार शिक्षा है। इस देश में जब हम विद्यालय में पढ़ने जाते हैं तो जहां प्राथमिक संस्कार का हमारे ऊपर प्रभाव डाला जाता है, हमें संस्कारित किया जाता है, वहीं यह बात हमें पढ़ाई जाती है और कथनी और करनी का फर्क हमें हर पहलू पर सोचने को विवश कर देता है। वहां यह भी कहा गया है "आपत्तिकाले मर्यादानाशिनः विभुक्षित् किम न करोति पापम्।" यह

* कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[श्री सुख लाल कुशवाहा]

बात हमारे सामने रखी गई और हमारे संस्कार में डाली गई है। एक तरफ हमें यह बात कही गई है, पढ़ाया गया, लेकिन हम दूसरी तरफ उसको अमल में नहीं लाते, ऐसा भी हमने देखा है। यह सच्चाई है, इस पर पर्दा डाला जा सकता है, सच्चाई को छुपाया जा सकता है, लेकिन नकारा नहीं जा सकता। इस देश में हमारे संस्कार में डाला गया, हमें पढ़ाया गया और वह हमारे आचरण से जुड़ जाए तो कोई बुरी बात नहीं है। हमें पढ़ाया जाता है – राजपत्नी, गुरूपत्नी, मित्रपत्नी तथेव च पत्नी माता स्वमाता एतानि पंचमातरम्—लेकिन आचरण में नहीं आया। यह हमारे लिए दुर्भाग्य का विषय है, चिंतनीय विषय है इसलिए मैं इस बात को कहूंगा कि लगता है हम संस्कारविहीन हो गए हैं। हमारे संस्कार में गलत बातें डाली जाती हैं, उससे ऐसी बातें उभरकर आती हैं जिनसे हमारे संस्कार अप्रासंगिक हो जाते हैं।

कांग्रेस की तरफ से श्री तारिक अनवर ने बहस में भाग लिया। उन्होंने भी भ्रष्टाचार को कोसा था। उच्च मूल्यों के मुताबिक आचरण करने की दृढ़शक्ति को उन्होंने व्यक्त किया था। लेकिन उन्होंने अपनी बात में सम्पूर्ण क्रांति से उपजे बिहार के मुख्य मंत्री की तरफ इशारा किया था कि वह अच्छा काम करेंगे। हमें भी वहां जाने का मौका मिला तो देखा कि सम्पूर्ण क्या थोड़ी क्रांति भी नहीं हुई है। सम्पूर्ण तो दरकिनार कर दीजिए, एक अंश भी क्रांति का वहां नजर नहीं आया। पता नहीं वे किस क्रांति की अपेक्षा करते हैं। कांग्रेस ने तो लम्बे समय तक इस देश में शासन किया है।

इस मामले में मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि यहां न्यायपालिका की चर्चा हमारे साथियों ने की। स्वाभाविक है जब व्यवस्थापिका अप्रासंगिक हो जाती है, उसका पतन होने लगता है तो न्यायपालिका की तरफ लोग निगाहें लगाकर देखते हैं। कार्यपालिका, न्यायपालिका और व्यवस्थापिका तीनों सरकार के अंग हैं और एक दूसरे से सम्बद्ध हैं। एक दूसरे की तीनों में निर्भरता है। व्यवस्थापिका के आचरण का प्रभाव कार्यपालिका पर पड़ेगा, कार्यपालिका के आचरण का प्रभाव न्यायपालिका पर पड़ेगा और न्यायपालिका के आचरण का प्रभाव व्यवस्थापिका पर पड़ना स्वाभाविक है। इस मामले में निश्चित तौर से एक बात मैं और कहना चाहूंगा। यहां सी.बी.आई. की तरफ इशारा हुआ कि प्रधान मंत्री के अधिकार क्षेत्र में वह काम करती है। लेकिन इस बात को कहने में मैं संकोच नहीं करूंगा कि एक दिन जब ग्रीष्मकालीन सत्र में चर्चा हो रही थी, उस समय माननीय अटल जी के पीछे प्रमोद महाजन जी बैठे हुए थे। वह कुछ ऐसी बात कर गए थे कि जो वैधानिक नहीं थी। वाजपेयी जी ने उनकी तरफ मुड़कर आंख फेरकर उन्हें चुप करा दिया था। वह बात एक शंका की सुई जरूर बन गई थी। हमारे सदन में बैठे हुए किन्हीं भी सदस्यों ने उस पर चर्चा नहीं की थी। लेकिन महाजन जी ने कह दिया था कि अगर वह ऐसा काम नहीं करते तो क्या वह इस पद पर रहते? मैं इस को कहूंगा कि आज बिहार बहस का मुद्दा रहा है, उसमें कुआचरण और नैतिकता के संबंध में सारे लोगों को सोचने की जरूरत है। जहां तक लोकमत की बात है, तो निश्चित तौर पर यह बात सही है कि आज बिहार में जो जनमत मिला है, वह लालू यादव जी के साथ है। अभी बहस के दौरान यहां पर तमाम मुद्दे उठे हैं, लेकिन अभी जहां विश्वास मत का प्रस्ताव आया तो बिहार के सदन में उन्होंने विश्वास हासिल किया। उन्होंने अपना जनमत सिद्ध करके अपना बहुमत सिद्ध कर दिया है। यह बात सोचनीय अवश्य है। जनमत लालू यादव जी के साथ है। फिर उन्होंने जब यहां की चर्चा सुनकर रिजाइन किया है तो यह अच्छी बात है। उन्होंने अगर इसका आदर किया है और बाद में जो उन्होंने एक महिला को मुख्य मंत्री बनाया है तो मुझे ऐसा लगा कि उन्होंने उत्तर प्रदेश से संदेश लिया है। निश्चित तौर से वह संदेश लेकर उसी रास्ते पर चलकर उन्होंने देश को एक प्रेरणा देने का काम किया है।...*(व्यवधान)* लेकिन महिला हैं। महिला सुश्री हों या श्रीमती हों।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : आप कंक्लूड कीजिए। केवल तीन मिनट आपका टाइम था।

श्री सुख लाल कुशवाहा : हमें भी आपका थोड़ा संरक्षण चाहिए। हम लोग तो इस सदन में बोल ही नहीं पाते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : अब अपनी बात कहिए। उसमें बहुत समय मत लगाइए।

श्री सुख लाल कुशवाहा : हम लोग तो दिन रात पिसते रहते हैं। आज थोड़ा समय मिला है तो मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि जहां नैतिकता और उच्च आदर्शों की बातें की जाती है, लेकिन जब कोई एजेंसी जांच करती है तो मुझे जांच करने वाली कार्यपालिका के कार्यों पर शंका हो जाती है। मुझे याद है हमारे भारत देश में एक दिन ऐसा आया था कि पत्थर की मूर्तियां इतनी भूखी हो गई थी कि उन्होंने सारे देश का दूध पी लिया था। कहीं लालू यादव जी अगर भूखे हो गए और चारा चर गए हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है, इसलिए इन सारी बातों को ध्यान में रखकर हम सब लोगों को चिंतन करना चाहिए।

श्री नीतीश कुमार : उपाध्यक्ष जी, यह बहस जब से शुरू हुई है, तब से आज तक न सिर्फ प्रस्ताव के स्वरूप में परिवर्तन आया है बल्कि...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री रमेश चेन्नितला (कोट्टायम) : उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने यह वायदा किया था कि माननीय रेल मंत्री गत रात्रि फरीदाबाद में हुई रेल दुर्घटना के संबंध में 3.00 बजे वक्तव्य देंगे। मैं यह जानना चाहता हूं कि सरकार की ओर से वक्तव्य दिया जायेगा अथवा नहीं...*(व्यवधान)*

श्री नीतीश कुमार : चेन्नितला जी, क्या आप यह नहीं जानते हैं कि सरकार वायदे तोड़ने के लिये ही करती है?

श्री रमेश चेन्नितला : यह एक बहुत ही गंभीर मामला है। ...*(व्यवधान)* सुबह संसदीय कार्य मंत्री ने कहा था कि 12.00 बजे वक्तव्य दिया जायेगा...*(व्यवधान)*

श्री अनंत कुमार (बंगलौर दक्षिण) : सरकार ने अब तक कोई वक्तव्य नहीं दिया है...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अध्यक्षपीठ को सम्बोधित कीजिये।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : गुप्त जी, क्या आप कुछ कहेंगे? तीन बज गए हैं। रेल मंत्री जी ने कुछ कहा था। वह पार्लियामेंटरी अफेयर्स मिनिस्टर आ गए हैं।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

पर्यटन मंत्री और संसदीय कार्य मंत्री (श्री श्रीकान्त जेना) : महोदय, मंत्री जी आ रहे हैं। वह अगले 15 मिनट अथवा आधे घंटे में अपना वक्तव्य देंगे।

उपाध्यक्ष महोदय : ठीक है। हो सकता है कि वह रास्ते में ही हों।

...*(व्यवधान)*

अपराह्न 3.00 बजे

...*(व्यवधान)*

श्री नीतीश कुमार : सरकार के चलने का यही तरीका है। इसी तरह से सरकार चलती है। संसदीय कार्य मंत्री एल (एइज़ल) से ही अपनी बात बोल डालते हैं। सीट पर भी नहीं आते हैं। ऐसे ही सरकार चलती है।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : हो सकता है कि वह रास्ते में ही हों।

अपराह्न 3.01 बजे

[श्री चित्त बसु *पीठासीन हुए*]

...*(व्यवधान)*

प्रो० पी०जे० कुरियन (मवेलीकारा) : क्या दुर्घटना के बारे में कोई जानकारी मिली है। कितने लोगों की मृत्यु हुई है? कितने लोग जख्मी हुए हैं?

[हिन्दी]

प्रो० रासा सिंह रावत (अजमेर) : फरीदाबाद में जो घटना हो गई और सरकार गंभीरता का परिचय दे रही है। सुबह माननीय मंत्री जी ने आश्वस्त किया था कि रेल मंत्री जी तीन बजे स्टेटमेंट दे देंगे। तीन बज चुके हैं, लेकिन स्टेटमेंट नहीं आया है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री अनंत कुमार : महोदय, लोग भारी तनाव में हैं। उन्हें यह पता नहीं है कि कितने लोग मारे गये हैं और कितने जख्मी हुए हैं ...*(व्यवधान)* सरकार विगत 14 घंटों से कोई वक्तव्य नहीं दे रही है। ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री श्रीकान्त जेना : मंत्री जी आ रहे हैं। वे एस्कार्ट में थे। 15-20 मिनट के अंदर वे आ जायेंगे।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री अनंत कुमार : मंत्री जी 11.00 बजे से यह कह रहे थे कि रेल मंत्री शून्य काल के दौरान वक्तव्य देंगे। शून्यकाल के दौरान उन्होंने कहा था कि रेल मंत्री 3.00 बजे वक्तव्य देंगे...*(व्यवधान)*

प्रो० पी०जे० कुरियन : महोदय, रेल मंत्री के लिये यह अनिवार्य नहीं है कि यहां आकर वह कल फरीदाबाद में हुई रेल दुर्घटना के संबंध में कोई जानकारी दें अथवा कुछ कहें...*(व्यवधान)* इस दुर्घटना में 50 से भी अधिक व्यक्ति मारे गये हैं...*(व्यवधान)*

श्री अनंत कुमार : महोदय, वह यात्रियों के संबंधियों के दिमागी तनाव को दूर करने के लिये इस मुद्दे पर वक्तव्य देने के लिये किसी अन्य मंत्री को तैनात कर सकते हैं...*(व्यवधान)*

श्री रमेश चेन्नितला : रेल मंत्री को त्यागपत्र दे देना चाहिये था ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : संसदीय कार्य मंत्री ने कहा है कि रेल मंत्री वक्तव्य देने के लिये सभा में शीघ्र ही पधार रहे हैं।

...*(व्यवधान)*

श्री श्रीकान्त जेना : मेरी रेल मंत्री से बात हुई थी। वह एस्कोर्ट अस्पताल में हैं जहां पर कुछ दुर्घटनाग्रस्त लोगों को दाखिल कराया गया है। वह सीधे यहां आयेंगे। वक्तव्य तैयार है। वह आधे घंटे में यहां होंगे।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : आप मंत्री जी की बात पर भरोसा रखें। इसमें क्या हानि है?

...*(व्यवधान)*

श्री अनंत कुमार : जो कुछ मंत्री जी बता रहे हैं, हम उसे समझते हैं लेकिन कोई अन्य व्यक्ति सरकार का प्रतिनिधित्व कर सकता है।

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार : महोदय, रेल आधा घंटा विलंब से आए, तो भी माना जाता है कि रेल समय पर है, मंत्री जी का जवाब है। ...*(व्यवधान)* तो भी माना जाता है कि रेल समय पर है।

महोदय, हम इस प्रस्ताव पर चर्चा कर रहे हैं। जब से चर्चा शुरू हुई है, तब से न सिर्फ प्रस्ताव के स्वरूप में परिवर्तन हुआ है, न सिर्फ उसकी भाषा में परिवर्तन हुआ है, बल्कि राजनीतिक परिस्थितियों में भी परिवर्तन हुआ है। यह परिवर्तन अगर बेहतरी के लिए होता, तो

[श्री नीतीश कुमार]

हम लोग खुशी मनाते, लेकिन परिवर्तन बेहतरी के लिए नहीं हुआ है, बल्कि परिवर्तन बदतरी के लिए हुआ है। जहां से हमने शुरू किया था, वहां तो बद-से बदतर हालात हो गए हैं। करेले का तीतापन हम लोगों को पच नहीं रहा था। हम लोग बहस शुरू कर रहे थे। अब तो करेले पर नीम चढ़ गया है। यह स्थिति हो गई है। अब जो स्थिति हो रही है, उससे लगता है मजाक चल रहा है। लोकतंत्र के साथ मजाक चल रहा है। यह संसदीय लोकतंत्र रहेगा, तो यहां संसद में बैठने वाले लोग रहेंगे। हम लोग बार-बार कहते हैं कि यह जो दबा-कुचला तबका है, उसमें उभार आ रहा है और वह संसदीय लोकतंत्र में आगे बढ़ रहा है। बालिग मताधिकार के जरिए संसदीय लोकतंत्र से जो सामाजिक न्याय की बात कहते हैं, उन लोगों को लाभ हो रहा है। लेकिन सामाजिक न्याय की दुहाई देने वाले संसदीय लोकतंत्र को समाप्त करने पर तुले हुए हैं और एक मजाक हो रहा है। अभी पहले ही दिन वाजपेयी जी के तुरन्त बाद प्रधान मंत्री जी तुरन्त उठकर जवाब देने लगे। विपक्ष के नेता ने प्रस्ताव रखा था और उसके तुरन्त बाद उठ कर कहा कि मैं तुरन्त जवाब दूंगा। वह इंटरवीन कर रहे थे, जवाब तो माननीय विपक्ष के नेता को ही देना है। मैंने इतना ही कहा था कि सब का सुन कर बोलें तो मुझ पर बरस पड़े। वह किस तरह से बरसे यह हर कोई जानता है, पूरे सदन ने उसको देखा होगा और बगल से भी कुछ लोगों ने आवाज लगाई कि आप बार-बार प्रधानमंत्री जी को बोलने नहीं देते। मैं प्रधानमंत्री जी को बोलने से नहीं रोक सकता हूं। मैं कौन होता हूं कि बोलने से रोक दूं।

मेरी यह मान्यता नहीं है कि किसी को बोलने से रोकूं। पहले दिन प्रधानमंत्री जी उठ रहे थे तो मैंने कहा कि आप तो हैल्पलैस हैं, मैंने तो इतना ही कहा था और वह वहीं बैठ गए तो मैं क्या करूं। उनके कलेजे में तीर लग गया। उन्होंने खुद कहा है कि हम हेल्पलैस हैं। व्यक्ति हेल्पलैस हो सकता है, श्री इन्द्र कुमार गुजराल जी हेल्पलैस हो सकते हैं लेकिन जब प्रधानमंत्री जी की कुर्सी पर बैठे हुए हैं अगर वह कहते हैं कि हम हेल्पलैस हैं तो श्री इन्द्र कुमार गुजराल जी हों या कोई भी हों, उनको प्रधान मंत्री की गद्दी पर बैठने का अधिकार एक मिनट भी नहीं है। प्रधान मंत्री का पद इस देश का सबसे बड़ा राजनैतिक पद है। प्रधान मंत्री की कुर्सी पर बैठ कर मजाक नहीं चल सकता। जब हम लोगों ने कहा कि आप लोगों की बात सुनते नहीं हैं, आप लोगों की बात सुन कर जवाब दीजिए तो बड़े गुस्सा हो गए, हम पर आगबबूला हो गए, उस समय जो कुछ भी कहा, बड़ा अनचेरेटेबल रिमार्क पास किया। मैंने भी उसी समय उनको जवाब दे दिया। अगर बहस आगे बढ़ती तो उनका नुकसान था, मेरा नहीं था। मैं एक-एक बात खोल कर रख देता। यहां पर लोग बहुत नैतिकता की बात करते हैं, उन सबका जवाब देने का काम हो सकता था लेकिन उन्होंने अपनी बात वहीं पर समाप्त कर दी। यह क्या हो रहा है? अगर सब लोगों की बात सुनते और उसके बाद वह जवाब देते तो कोई एक नतीजे पर हम लोग निकलते लेकिन यहां पर यह बात नहीं हो रही है। प्रधानमंत्री जी न सदन के अंदर सुनना चाहते हैं और न सदन के बाहर सुनना चाहते हैं। गुजराल जी किस पार्टी के हैं, यह रहस्यमय विषय है कि गुजराल जी किस पार्टी के हैं।...*(व्यवधान)* हम लोगों ने जैसे सुना कि जनता दल के विधायक तीन दिन दिल्ली में डेरा डाले रहे लेकिन प्रधान मंत्री उनसे नहीं मिले। हम लोग राष्ट्रपति जी से मिलने जार्ज जी के नेतृत्व में गए थे। राष्ट्रपति जी ने हम लोगों से कहा था कि प्रधान मंत्री जी से मिलिए। उनके परामर्श पर प्रधान मंत्री जी से मिलने के लिए समय मांगा। जार्ज जी तीन दिन तक उनके दफ्तर में फोन करते रहे लेकिन प्रधान मंत्री जी को मिलने का वक्त नहीं था, यानी जो किसी व्यक्ति के खिलाफ बोल सकता है उससे वह सदन के बाहर मिलना पसन्द नहीं करते हैं और सदन के अंदर दूसरों की बात सुनना पसन्द नहीं करते हैं। यह कौन से प्रधान मंत्री हैं।...*(व्यवधान)* आज भी उसका दृश्य दिखाई पड़ा। ...*(व्यवधान)*

श्री राम कृपाल यादव : महोदय यह क्या बोल रहे हैं। ...*(व्यवधान)*

श्री नीतीश कुमार : महोदय, केन्द्र की निष्क्रियता पर ही बहस चल रही है और केन्द्र का मतलब प्रधानमंत्री होते हैं।

श्री राम कृपाल यादव : महोदय, यह पार्टी पर चर्चा हो रही है। ...*(व्यवधान)*

श्री नीतीश कुमार : महोदय, रामकृपाल जी हमारे मित्र हैं। हमें उनसे सहानुभूति है, अब कोई वैकेंसी नहीं है अजित कुमार मेहता, जिसको आजकल लोग प्रोफेसर-प्रोफेसर चिल्लाते हैं, बिहार में सब लेक्चरर प्रोफेसर कहलाता है इसलिए बिहार की स्थिति विचित्र है। मेरी सब लोगों से सहानुभूति है। इस सदन के बाहर ज्यादातर लोग हमसे सहमत रहते हैं लेकिन सदन के अंदर राजनैतिक जवाबदेही है, उनकी मजबूरी है।...*(व्यवधान)*

श्री जसवंत सिंह (चित्तौड़गढ़) : महोदय, मैं आपकी अनुमति से स्पष्टीकरण चाहता हूं। नीतीश जी ने बहुत गंभीर मसले पर अपनी उंगली रखी है। माननीय प्रधानमंत्री जी की ओर से ऐसा बयान आया है जो हमें पढ़ने को मिला है या तो नीतीश जी उसका स्पष्टीकरण कर दें या प्रधानमंत्री जी आकर स्पष्टीकरण कर दें कि बिहार में जो कुछ हो रहा है वह एक पारिवारिक मामला है। और मैं परिवार की घटनाओं पर टिप्पणी नहीं करूंगा। हम बिहार के बारे में और सरकार की निष्क्रियता के बारे में चर्चा जरूर कर रहे हैं। प्रधान मंत्री जी कहते हैं कि यह एक पारिवारिक घटना है और मैं परिवार की घटनाओं पर टिप्पणी नहीं करता। इस समय सदन में पारिवारिक घटना पर टिप्पणी और चर्चा नहीं हो रही है। इस पर नीतीश जी प्रकाश डालें या प्रधान मंत्री जी प्रकाश डालें तो यह चर्चा सार्थक हो सकती है।

श्री नीतीश कुमार : माननीय जसवंत सिंह जी, माननीय प्रधान मंत्री जी की कही बात पर हम क्या प्रकाश डाल सकते हैं? मुझको लगता है कि प्रधान मंत्री जी जानबूझ कर सदन से अनुपस्थित हैं। उन्होंने सदन की अवमानना की है। पहले इंटरवीन करने का कोई मतलब नहीं होता। यह मतलब नहीं होता कि सदन में बहस चलेगी

तो बाद में उपस्थित नहीं रहेंगे। वह जान बूझ कर अनुपस्थित हैं। प्रधान मंत्री जी किसी बात का जवाब देने की स्थिति में नहीं हैं। जसवंत सिंह जी ने जो अभी सवाल उठाया, मैंने इसी बात को लेकर अपनी बात शुरू की कि बिहार में क्या परिवर्तन हुआ है? बिहार में चारों तरफ से घिर जाने के बाद एक व्यक्ति मजबूर होकर इस्तीफा देता है। वह व्यक्ति जो कहता था कि हम फांसी पर चढ़ जाएंगे लेकिन इस्तीफा नहीं देंगे। उसे बगैर फांसी पर चढ़े इस्तीफा देना पड़ा। ...*(व्यवधान)* लोकतंत्र की यह भाषा नहीं होती है कि फांसी पर चढ़ जाने पर भी इस्तीफा नहीं देंगे। पप्पू यादव ने जो कहा, उनकी भाषा पर मुझे कुछ नहीं कहना। सब लोग उनकी भाषा को जानते हैं। कहा गया कि झारखंड मेरी लाश पर बनेगा। वह विचित्र व्यक्ति हैं। जब जनता दल में अध्यक्ष पद जाने लगा तो जनता दल को तोड़ दिया। जब बिहार के मुख्यमंत्री को कुर्सी खतरे में पड़ गई तो वो कहते थे कि झारखंड मेरी लाश पर बनेगा। उसे भूल गए और बिहार को तोड़ने का प्रस्ताव पास कर दिया।...*(व्यवधान)* मैं झारखंड राज्य का पक्षधर हूं।

श्री राम कृपाल यादव : आपने तो पार्टी तोड़ने की कोशिश की थी।

श्री नीतीश कुमार : हमने पार्टी से विद्रोह किया था। पार्टी को तोड़ा तो उसके लिए पूरे देश में और बिहार में घूम-घूम कर अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी। हमने जिस आधार से पार्टी से बगावत की थी, आज वह बात साबित हो गई है। आप देवेन्द्र यादव जी, शरद यादव जी और राम विलास पासवान जी से पूछिए। मैं गुजराल जी से पूछने के लिए नहीं कहूंगा।

श्री रमेन्द्र कुमार (बेगूराराय) : आप पार्टी में पुनः शामिल होने जा रहे हैं।

श्री नीतीश कुमार : आप पहले बिहार में पार्टी बचाइए। ...*(व्यवधान)*

श्री रमेन्द्र कुमार : जिस कारण से आप पार्टी तोड़ कर आए, अब लालू वहां से हट गए हैं, अब पार्टी में शामिल हो जाइए। ...*(व्यवधान)*

श्री नीतीश कुमार : यह सब बात हम बाद में कर लेंगे लेकिन जो स्थिति है कि अगर जनता दल का अध्यक्ष पद न मिले तो जनता दल तोड़ दो। बिहार की मुख्यमंत्री की कुर्सी खतरे में हो तो बिहार तोड़ने पर समझौता कर लो। यह इस देश का सौभाग्य है कि बिहार में भारतीय जनता पार्टी और समता पार्टी ने मिल कर चुनाव लड़ा। अगर हम मिलकर चुनाव नहीं लड़ते तो वे 35-40 जीत कर आते, देश के प्रधान मंत्री बनते और आज देश को तोड़ने के लिए कोई समझौता कर लेते। यह हम लोगों ने रोक दिया कि वह बिहार तक ही सीमित रहे। वह जब चारों तरफ से घिर गए तो इस्तीफा देने को मजबूर होना पड़ा। यह लोकतंत्र की विजय है और जनमत की विजय है कि उन्हें इस्तीफा देने के लिए मजबूर होना पड़ा। लेकिन "विनाश काले विपरीत बुद्धि"। आदमी अपनी गलती कबूल कर लेता है, जनमत के सामने झुक जाता है, अपने को बेगुनाह साबित करने के लिए अदालत में जाता है तो उसमें किसी को कोई एतराज नहीं है। वे अपनी बेगुनाही का सबूत अदालत में पेश करते तो अच्छा होता। मैं उन बातों की यहां चर्चा नहीं करना चाहता। बहुत सारे मामले अदालत में पड़े हैं और उनकी जांच हो रही है। ठीक कहा कि हम एक बार नहीं अनेक बार इसकी चर्चा कर चुके हैं। मैं उन चीजों की चर्चा करके वक्त बर्बाद नहीं करना चाहता लेकिन इतना कहना चाहता हूं कि अगर वे अपनी बेगुनाही का सबूत अदालत में पेश करते और बेगुनाह साबित होते तो इस देश में और ज्यादा शोहरत पाने से उन्हें कोई रोक नहीं सकता था लेकिन कहा कि हम नहीं छोड़ेंगे। उन्हें मजबूर होकर छोड़ना पड़ा। छोड़ने के बाद जब चारों तरफ से घिर गए, यह सारी बात अखबार में छपी है। जब रैपिड एक्शन फोर्स तैनात हो गई तो इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा आने के बाद रोना-धोना हुआ। राजनिवास में रोना-धोना हुआ। जहां बिहार के राजा रहते थे, वहां रोना-धोना होता है। रोने-धोने के बाद कुछ लोग द्रवित हो गए और जिन्दाबाद के नारे लगाने लगे। "राजा नहीं तो रानी सही" जिन्दाबाद लगना शुरू हुआ। और वहीं से निकलकर फिर मुख्य मंत्री निवास पर कब्जा रह गया। यह प्रौक्सी रूल हैं यानी अप्रत्यक्ष रूप से शासन पर नियंत्रण रहेगा। ठीक है, उन्होंने कहा था कि हम फांसी पर चढ़ जाएंगे मगर इस्तीफा नहीं देंगे, यह बात वह पूरी नहीं कर सके, लेकिन उन्होंने कहा था कि हम जेल से राज चलाएंगे। एक हद तक लगता है कि वह उसमें कामयाब हुए। मैं नहीं जानता कि वह जेल जाएंगे या नहीं। यह जाने कचहरी, यह जाने न्यायालय, यह जाने की आरोप कितने संगीन हैं। मैं उस विवाद में नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन उन्होंने खुद कहा था कि जेल से राज करेंगे। अब पता नहीं कि गुनाह इतने संगीन हैं कि जेल जाना पड़े। वैसी स्थिति में लगता है कि वह बात उनकी जरूर सही साबित होगी कि जेल से राज करेंगे। लेकिन इसके लिए कौन जवाबदेह है? मैं उस व्यक्ति को जवाबदेह कम मानता हूं जिसका नाम लालू प्रसाद यादव है। मैं उस व्यक्ति को ज्यादा जवाबदेह मानता हूं जिसका नाम इंद्र कुमार गुजराल है और देश के प्रधान मंत्री की कुर्सी पर बैठा हुआ है। इंद्र कुमार गुजराल सब चीज करने के लिए समय देते हैं, वक्त देते हैं। पूरे बिहार में जिस तरह का नाटक होता है, इसमें वह सब कुछ करने की छूट देते हैं। किसी व्यक्ति को क्या इतनी छूट दी जाती है? किस बात के लिए धारा 356 बनी है? सदन में इस सवाल को लेकर बहस चली है। मैं उन लोगों में से हूं जो धारा 356 के दुरूपयोग के विरोधी हैं, लेकिन धारा 356 इस देश के संविधान में जरूर रहनी चाहिए। अगर धारा 356 नहीं रहेगी और किसी राज्य के विद्रोह करने की नौबत आएगी तो कौन सी धारा का इस्तेमाल आप करेंगे? आप उस पर चैक कीजिए, पाबंदी लगाइए, उसको सीमित करिये कि राजनैतिक कारणों से धारा 356 नहीं लगेगी, लेकिन एकबारगी धारा 356 हटा दें यह ठीक नहीं है।

आज देश की राजनैतिक स्थिति क्या है कि जो रीजनल पार्टियां हैं, वह सामने आ रही हैं, क्षेत्रीय दल सामने आ रहे हैं। यह विफलता

[श्री नीतीश कुमार]

है कांग्रेस पार्टी की जिसके चलते क्षेत्रीय दल सामने आ रहे हैं। ये लोग मुख्य मंत्री ऐसे बदलते थे जिस तरह से प्रतिदिन कपड़े बदलते हैं। उसी तरह से जब मुख्य मंत्री को बदलना इन्होंने शुरू किया तो क्षेत्रीय पार्टियों का उभार हुआ और आज क्षेत्रीय पार्टियां राज कर रही हैं। आज यह स्थिति आ गई कांग्रेस पार्टी के लिए कि क्षेत्रीय पार्टियां सरकार चला रही हैं। कुछ उसमें कहने के लिए नामधारी राष्ट्रीय पार्टियां हैं और आप बाहर से समर्थन देने के लिए मजबूर हैं। इस स्थिति के लिए आप जवाबदेह हैं। लेकिन हम इसके विवाद में नहीं जाना चाहते। आप बताइए कि अगर धारा 356 नहीं रहेगी और कोई सीमावर्ती राज्य कहेगा कि हम इस देश में नहीं रहेंगे, हम भारतीय गणतंत्र का हिस्सा नहीं रहेंगे, विधान सभा में बहुमत से प्रस्ताव पारित हो जाता है तो आप कौन सी धारा का इस्तेमाल करेंगे? इसलिए धारा 356 रहनी चाहिए। अयोध्या में बाबरी मस्जिद गिराई गई, तो वह हमारे देश के लिए शर्मनाक घटना है, वह काला दिन है हमारे देश के इतिहास का, लेकिन जब बाबरी मस्जिद ढहती है तो उत्तर प्रदेश की सरकार का कुसूर था। धारा 356 के तहत वह सरकार बरखास्त की जाती है तो बात समझ में आती है लेकिन उसके साथ-साथ हिमाचल प्रदेश की सरकार बरखास्त होती है, मध्य प्रदेश की सरकार बरखास्त होती है।...*(व्यवधान)*

रक्षा मंत्री (श्री मुलायम सिंह यादव) : मैं टोकना नहीं चाहता था। धारा 356 के बारे में भारतीय जनता पार्टी की राय क्या है?

श्री नीतीश कुमार : भारतीय जनता पार्टी की राय क्या है, वह आप बेहतर जानते होंगे रक्षा मंत्री जी। मैं भारतीय जनता पार्टी का सदस्य नहीं हूं।...*(व्यवधान)* जहां तक मैं जानता हूं भारतीय जनता पार्टी धारा 356 को खत्म करने के पक्ष में शायद नहीं है। ...*(व्यवधान)*

श्री मुलायम सिंह यादव : गृह मंत्री जी बैठे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधियों ने धारा 356 के खिलाफ बोला है और माननीय गृह मंत्री जी उपस्थित हैं। मैं भी बोला हूं। मैं आपकी राय से सहमत हूं।

सभापति महोदय : नीतीश जी, आपको कितना समय चाहिए?

श्री नीतीश कुमार : जितना समय आप कहेंगे, हम बोलेंगे। जब बैठने को कहेंगे तो बैठ जाएंगे।

सभापति महोदय : बिहार के मामले पर आपका कहना उचित भी है। हम आपको रोकना नहीं चाहते हैं लेकिन आप अपने को नियंत्रित करिये।

श्री नीतीश कुमार : हम अगर अनियंत्रित हों तो नियंत्रित करना आपका काम है। धारा 356 इस संविधान के अंतर्गत है। उसका इस्तेमाल कब होता है? बाबरी मस्जिद गिराई गई और उसमें जिस पार्टी के लोग शामिल थे, उस पार्टी की सरकारें उत्तर प्रदेश के अलावा किसी दूसरे राज्य में भी नहीं रहेंगी, इस आधार पर तीन अन्य राज्यों में भी धारा 356 का इस्तेमाल किया गया। क्या भ्रष्टाचार के मामले पर समझौता किया जाएगा? भ्रष्टाचार के जिस मामले पर राज्यपाल अनुमति देंगे, जो ऐप्वाइंट करने वाले अधिकारी हैं, जो मुख्य मंत्री को ऐप्वाइंट करते हैं, यदि वे अनुमति देते हैं, उसके बाद भी वहां पर सरकार वैसे ही चलेगी, यह कहा जाएगा कि हम धारा 356 इस्तेमाल नहीं करेंगे, कहा जाएगा कि जब गिरफ्तारी हो जाएगी तब सोचेंगे और गिरफ्तारी रोकने के लिए सारा प्रयत्न किया जाएगा। दुनिया जानती है, जिस ढंग से दिल्ली से चाबी ऐंठी गई है। उसके हिसाब से अब तक यहां से जो कुछ भी मदद हुई है, प्रधानमंत्री जी ने खुद कहा है। सी.बी.आई. ने जो अच्छा काम किया है, उसका क्रेडिट उन्होंने लिया है तो सी.बी.आई. ने जो कुछ भी किया है, उसके लिए आप जवाबदेह हैं। सभापति महोदय, मैं प्रधानमंत्री जी से जानना चाहता हूं, ऐसा कोई मुकदमा है जिसमें सी.बी.आई. जांच कर रही हो और 3-3 बार हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ किसी मुकदमे में एस.एल.पी. में सी.बी.आई. आई हो। जहां तक हमको जानकारी है, उसके हिसाब से चारा घोटाला का मामला एकमात्र है जिसमें सी.बी.आई. तीन बार हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ एस.एल.पी. में आती है। इसके लिए कौन जवाबदेह है? उनके पूर्वी क्षेत्र की कमान जिनके हाथ में है, वह कोई काम करते हैं तो उसके खिलाफ दिल्ली से रूकावट डाली जाती है। इसके लिए श्री गुजराल जी, कौन जवाबदेह है? अगर बेल का विरोध डैजिगनेटेड कोर्ट और हाई कोर्ट में किया जा रहा है, इसका क्रैडिट श्री गुजराल लेते हैं तो पटना के हाई कोर्ट में जो कुछ होता है या डा. यू.एन. विश्वास कुछ जांच करते हैं और उसके खिलाफ यदि सी.बी.आई. के केन्द्रीय स्तर से लोग एस.एल.पी. में जाते हैं तो उसके लिए किसकी जवाबदेही है। उसके लिए भी तो इंद्र कुमार गुजराल जी की जवाबदेही होगी, उसके लिए भी तो केन्द्र सरकार की जवाबदेही होगी। इसका मतलब है कि जानबूझकर जांच में एक नहीं अनेक बार केन्द्र की तरफ से अड़चनें डाली गई। नतीजा यह है कि जिस जांच को 6-8 महीने पहले खत्म होना चाहिए था, आज वह जांच उलझती चली जाती है। जब भी कोई मसला आता है, उसमें कहीं न कहीं रोक लगाई जाती है। ऐसी स्थिति में ये प्रधानमंत्री क्या चाहते हैं। ये प्रधानमंत्री किस तरह से इस देश में हुकूमत चलाना चाहते हैं। क्या बिहार शिवजी के त्रिशूल की तरह उस पर स्थापित रहेगा, एक अलग किस्म का रहेगा या इस देश का हिस्सा रहेगा? आज क्या मजाक हो रहा है।...*(व्यवधान)* सारे देश और दुनिया में आज बिहार की बदनामी हो रही है। आज बिहार का नाम किस बात के लिए लिया जा रहा है। आज बिहार का नाम चारा घोटाले के कारण लिया जा रहा है और दूसरा सत्ता हस्तांतरण के चलते लिया जा रहा है। किस तरह का सत्ता हस्तांतरण हुआ है। मजाक है। अब कांग्रेस पार्टी के लोगों की क्या प्रतिक्रिया है, मैं नहीं जानना चाहता। मैं किसी पर आक्षेप नहीं करना चाहता लेकिन इस बात को बहुत भारी मन से रखना चाहता हूं कि यदि इस प्रकार का उदाहरण हमारे बीच आता रहेगा तो यह लोकतंत्र नहीं बचेगा।...*(व्यवधान)* राम कृपाल जी, विधायकों की कितनी संख्या थी यह हमसे बोलने की तो जरूरत नहीं है। विधायक कितने थे, यह आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : नीतीश कुमार जी, उनको जवाब देना आपका काम नहीं है।

श्री नीतीश कुमार : कभी-कभी जवाब दिया जा सकता है। विधायकों की संख्या 25 से कम थी।...*(व्यवधान)* उनके विधान मंडल दल में तथाकथित 136 सदस्य थे और उस समय विधायकों की संख्या 25 से भी कम थी।...*(व्यवधान)* सब समाचार पत्र लिख रहे हैं, हम क्या करे। आप लोग खंडन देते रहिए।...*(व्यवधान)* मैं कुछ नहीं कह रहा हूं। सभापति महोदय, मैं राम कृपाल जी से कहना चाहता हूं, विधान मंडल किसी के प्रति विश्वास प्रकट करने के लिए या अविश्वास प्रकट करने के लिए स्वतंत्र है। कोई भी दल स्वतंत्र है जिसे चाहे उसे नेता चुने, जिस तरह चाहे उस तरह से चुने। मैं तो संसदीय लोकतंत्र की बात कर रहा हूं। कहां जाएंगे हम लोग। जिस ढंग से सारी परम्पराओं को, सारे मूल्यों को तोड़ा जा रहा है, ठीक है, किसी व्यक्ति को बनाया जा सकता है, इसमें कोई रोक नहीं है, संविधान कहीं कोई रूकावट नहीं डालता। इसका क्या मतलब है, आजादी के पचासवें साल में हम इस मुकाम पर पहुंच गए हैं। सामाजिक न्याय का आंदोलन किस बात के खिलाफ चला। यही वंश परम्परा, यही परिवारवाद, यही छुआछुत, यही अन्याय, इन्हीं सब चीजों के खिलाफ तो चला था। उस सामाजिक न्याय का क्या होगा। सामाजिक न्याय के लम्बरदार लोग अपने बैडरूम में विकल्प तलाशेंगे। क्या यही सामाजिक न्याय का स्वच्छ चेहरा है? यह सामाजिक न्याय का विकृत चेहरा है।...*(व्यवधान)*

श्री राम कृपाल यादव : क्या यह संसदीय मर्यादा की बात बोल रहे हैं?...*(व्यवधान)* ये संसदीय मर्यादा की बात बोल रहे हैं क्या? ये संसदीय बात बोल रहे हैं क्या?...*(व्यवधान)*

श्री नीतीश कुमार : बैडरूम अगर असंसदीय है तो शयनकक्ष कह दीजिए, शयनागार कह लीजिए, जो चाहे कह लीजिए। ...*(व्यवधान)* हम तो किसी को नहीं कह रहे। मैं किसी पर आक्षेप नहीं लगा रहा हूं। मैं तो कह रहा हूं कि सामाजिक न्याय का चेहरा हम स्वस्थ और सुन्दर लोगों के सामने रखना चाहते हैं या सामाजिक न्याय के चेहरे पर कालिख पोतकर लोगों के सामने रखना चाहते हैं, हम तो बस यही चाहते हैं।

आज कहा गया कि कुछ लोगों से बातचीत हो गई, हम तो वहीं गुजराल साहब से जानना चाहते हैं, जो जसवंत सिंह जी ने कहा। गुजराल साहब ने प्रतिक्रिया व्यक्त की है, कहा है कि यह परिवार का मामला है। यह देश का मामला है, एक प्रदेश का मामला है। इससे लोक सभा का कन्सर्न है, पार्लियामेंट का कन्सर्न है, देश का कन्सर्न है, देशवासियों का कन्सर्न है। यह देश कोई प्राइवेट लिमिटेड कम्पनी नहीं है। यह देश सबों का है। यह देश एक परिवार का नहीं हैं परिवारवाद का जमाना बीत गया। जो लोग परिवारवाद के खिलाफ नारा लगाते हुए थकते नहीं थे, वे आज परिवार के दायरे में सिमट गये हैं। केसरी जी से बातचीत की गई। कांग्रेस अध्यक्ष से, माफ कीजिएगा, केसरी जी का नाम मैं कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में ले रहा हूं। यह भी अखबारों में आ गया कि उनसे भी बातचीत हो गई। मैं नहीं जानता हूं कि केसरी जी के क्या विचार हैं! संभव है, केसरी जी खुश होते होंगे। यही हैं न, जो लोग कि नेहरू का परिवारवाद, इंदिरा का परिवार ...*(व्यवधान)* मैं कन्क्लूड करने जा रहा हूं। यही चिल्लाते थे कि नेहरू का परिवारवाद, इंदिरा का परिवारवाद, संजयवाद और राजीववाद और अब एक विदेशी महिला को पार्टी में लाकर खुशी मनाने की बात, यह सब होता था। तो बहुत से लोग संतुष्ट होते होंगे कि चलो, हमारी जाति में और लोग भी शामिल हो रहे हैं। ये सामाजिक न्याय पर चलने वाले लोग भी परिवारवाद के नारे लगाने वाले लोग भी शामिल हैं। उस तरह पथभ्रष्ट करने की नीयत से भी कई व्यक्ति समर्थन कर रहे हों, लेकिन जो भी चाहे, जो कुछ भी करें, जिस नीयत से भी करें, लेकिन प्रधान मंत्री जवाब दें। प्रधान मंत्री बतायें कि बिहार में जो कुछ भी हुआ, इसमें उनकी क्या भूमिका है। प्रधान मंत्री को बताना होगा और प्रधान मंत्री को यह भी बताना होगा, यह सदन से विश्वास प्राप्त करके सरकार चलती है और सरकार के कम्पोजीशन पर भी यहां पर चर्चा होती हैं कौन सी पार्टी में प्रधान मंत्री हैं? संयुक्त मोर्चा तो हम लोग सुन चुके। देखा कि संयुक्त मोर्चा एक दल है, आर.जे.डी. का क्या नाम है, राम कृपाल जी जवाब देंगे। आर से उनका क्या मतलब है, आर से वे पूरा देश और दुनिया जानती है, जो कुछ भी कहे।

श्री राम कृपाल यादव : राष्ट्रीय जनता दल।

श्री नीतीश कुमार : अब आर का मतलब दूसरा है।

सभापति महोदय : आप खुद ही जानते हैं।

श्री नीतीश कुमार : सभापति महोदय, मैं बहुत आदर करता हूं, आर का जो अर्थ अब पूरे देश में जाना जायेगा, मैं उस महिला की बहुत इज्जत करता हूं। वे मेरी भाभी के समान हैं, मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूं। राम कृपाल जी, बेहतर हो कि आर का अर्थ बतायें। इनको जरूर बताना पड़ेगा, लेकिन हम गुजराल साहब से पूछना चाहते हैं, वे किस पार्टी में हैं? ये गुजराल साहब किस पार्टी में हैं? गुजराल साहब किस सरकार के मुखिया हैं? हम लोगों ने तो सुना था कि यूनाइटिड फ्रंट की सरकार है, जिसको कांग्रेस बाहर से समर्थन दे रही है और यूनाइटिड फ्रंट के अंदर रहकर सी.पी.आई.(एम.), आर.एस.पी. और फारवर्ड ब्लाक बाहर से समर्थन कर रही हैं। हमने तो यह सुना था। एक यूनाइटिड फ्रंट बना है, नकारात्मक गठजोड़, किसी को सत्ता से बाहर रखने के लिए यूनाइटिड फ्रंट को समर्थन दिया जा रहा है, किसी को सत्ता से बाहर रखने के लिए, कांग्रेस के द्वारा, उसमें सी.पी.आई.(एम.), फारवर्ड ब्लाक और आर.एस.पी. को छोड़कर बाकी लोग शामिल हैं, हम लोग तो यही जानते थे! अब एक नया एलीमेंट इसमें जुड़ गया। अब एक और पार्टी बन गई है, उस पार्टी को राष्ट्रीय मोर्चा में जगह नहीं है, अब वह कहां है, लोग सरकार में मंत्री हैं। अब वह कौन सी पार्टी है, क्या यूनाइटिड फ्रंट की सरकार है या यूनाइटिड फ्रंट आर.जे.डी. कोएलीशन गवर्नमेंट है। कोएलीशन

[श्री नीतीश कुमार]

गवर्नमेंट तो पहले ही से है। संयुक्त मोर्चा एक गठबंधन है। क्या संयुक्त मोर्चा गठबंधन में आर.जे.डी. गठबंधन शामिल हो गया, एक नया गठबंधन पैदा हो गया? गुजराल साहब जरा देश को बतायें।

यह कोई फैमिली एफेयर नहीं है। बिहार के मामले को जिस ढंग से इन्होंने पारिवारिक मामला नहीं है, यह गुजराल साहब का पारिवारिक मामला नहीं है, यह मुल्क का मामला है। आप लोग मुल्क पर शासन कर रहे हैं। आप बताइये, आप कौन सी पार्टी में हैं, देश जानना चाहता है। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : कन्क्लूड तो कीजिए।

श्री नीतीश कुमार : कॉमन मिनिमम प्रोग्राम को आप बाइबिल, गीता की तरह से सुनाते हैं।

श्री राम कृपाल यादव : इनको और कितना समय देंगे?

श्री नीतीश कुमार : अभी तो 26-27 मिनट समाप्त हुए हैं। ...*(व्यवधान)*

श्री राम कृपाल यादव : नीतीश कुमार जी, आप चार हैं।

श्री नीतीश कुमार : आप घबराइये नहीं, चार से चालीस होने वाले हैं। आप यही करते चले जाइये।...*(व्यवधान)* सभापति महोदय, हम लोगों को कोई एतराज नहीं है। ये ऐसे ही नादानियां करते रहेंगे ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री राम नाईक (मुम्बई उत्तर) : मेरा एक व्यवस्था संबंधी प्रश्न है।

सभापति महोदय : जी हां, इनका व्यवस्था संबंधी प्रश्न है।

श्री राम नाईक : जो लोग अवरोध पैदा कर रहे हैं उन्हें ऐसा करने से रोका जाये।

हम चर्चा के प्रारम्भ से ही यह देख रहे हैं कि वे हर समय खड़े हो जाते है और वक्ता को परेशान करते हैं। हमारा समय बर्बाद हो जाता है।

सभापति महोदय : इसीलिये उन्हें अनुमति दी जा रही है।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री राम कृपाल यादव : ये हमारी पार्टी के बारे में आब्जेक्शन कर रहे हैं।

सभापति महोदय : कृपया व्यवधान मत डालिये।

श्री नीतीश कुमार : सभापति महोदय, आप इनको कंट्रोल करने की कोशिश न करें, क्योंकि जो ये कर रहे हैं उससे पता चलता है कि क्या कर रहे हैं। ये इन्द्र कुमार गुजराल जी की रिजर्व फोर्स हैं। ...*(व्यवधान)* ये मुस्कराती हुई आ रही हैं, इनका चांस खत्म हो गया।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री प्रमथेस मुखर्जी (बरहामपुर) (प॰बं॰) : सभा के कुछ माननीय सदस्यों को प्रधान मंत्री की रिजर्व फोर्स कहा जा रहा है। यह बहुत ही आपत्तिजनक बात है।...*(व्यवधान)*

श्री नीतीश कुमार : मैं आपको रिजर्व फोर्स नहीं कह रहा हूं। परन्तु तथाकथित आर.जे.डी. के सदस्य निश्चित रूप से श्री इन्द्र कुमार गुजराल की रिजर्व फोर्स के सदस्य हैं।

सभापति महोदय : ठीक है, हम जांच करेंगे और देखेंगे कि क्या ऐसा कहना असंसदीय है, इस टिप्पणी को कार्यवाही वृत्तांत से निकाल दिया जायेगा।

...*(व्यवधान)*

श्री प्रमथेस मुखर्जी : वे यहां विधि अनुसार बैठे हुए हैं। वे यहां किसी की दया के आधार पर नहीं बैठे हैं।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : नीतीश कुमार जी, आप कृपया अपनी बात जारी रखिए। हम इसकी जांच करेंगे।

श्री बसुदेब आचार्य (बांकुरा) : क्या सभा के कुछ माननीय सदस्यों को रिजर्व फोर्स कहा जा सकता है?...*(व्यवधान)*

श्री नीतीश कुमार : ठीक है, मैं इसमें संशोधन करके इसे श्री इन्द्र कुमार गुजराल की रिजर्व संसदीय फोर्स कर देता हूं। यह आर.पी.एफ. है, रिजर्व पार्लियामेंटरी फोर्स। यहां भी 'आर' है।...*(व्यवधान)*

श्री प्रमथेस मुखर्जी : यह निश्चित रूप से सदस्यों का अपमान है। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप माननीय सदस्य को अपनी टिप्पणियां वापस लेने के लिए कहें और इसे कार्यवाही वृत्तांत से निकाल दें।

सभापति महोदय : हम इसकी जांच करेंगे और तत्पश्चात् इसे निकालेंगे।

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार : जो सौभाग्य से इस देश के प्रधानमंत्री हैं। ...*(व्यवधान)*

श्री राम कृपाल यादव : हमारी पार्टी पर आब्जेक्शन कर रहे हैं।

[अनुवाद]

श्री नीतीश कुमार : मैं इसके स्थान पर एक बेहतर शब्द को प्रयोग कर सकता हूं...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : कोई बात नहीं, मैं आपका तात्पर्य समझ गया हूं। हम इसकी जांच करेंगे और तत्पश्चात् निर्णय लेंगे।

श्री नीतीश कुमार : महोदय, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। वे अपने व्यवहार से ही यह सिद्ध कर रहे हैं कि वे क्या हैं...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

सभापति महोदय : आप बैठिए। हर पाइंट पर आप खड़े होते रहते हैं, यह ठीक नहीं है। नीतीश जी, आपको समाप्त करना ही चाहिए। मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि केवल एक मिनट का समय आपके लिए है। आप इतना समय बोले और इन्होंने भी डिस्टर्ब किया।

श्री नीतीश कुमार : एक मिनट की भी जरूरत नहीं है। यह प्रधान मंत्री देश पर बोझ के समान है। बिहार की समस्या को उलझाकर रख दिया है, कल देश को उलझाकर रख देंगे। जितनी जल्दी जाएं देश का भला है। मैं यही दरख्वास्त करना चाहता हूं।

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह : सभापति जी, कई दिनों से इंतजार करने के बाद आज मौका मिला। अन्याय तो तमाम तरफ हो रहे हैं। यह सर्वोच्च स्थान है। यहां भी हम देखते हैं कि अन्याय हो ही जाता है। सी.पी.आई. के हम दस सदस्य हैं। हमें पहले मौका मिलना चाहिए था, वह आपने नहीं दिया। हमारे से कम सदस्यों वाले दलों को आपने पहले बोलने का मौका दिया। फिर भी इस संबंध में मैं कुछ विचार आपके सामने रखना चाहता हूं। यह काम रोको प्रस्ताव बिहार की स्थिति पर आया है, जिसे बाद में नियम 184 में बदल दिया गया। मैं इस प्रस्ताव को लाने वाले को धन्यवाद देता हूं। ऐसे मौके पर बहस हो रही है, यह एक अच्छी चीज है। बिहार भारत से अलग नहीं है। बिहार प्रदेश भारत से अलग नहीं है। जितने लोग यहां पर बैठे हुए हैं, उनके दिमाग में यह होना चाहिए कि बिहार भारत का अंग है। लेकिन वे लोग अलग ढंग से सोचते हैं।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री अनंत कुमार : सभापति महोदय, अब 3.30 हुए हैं। हम फरीदाबाद में हुई ट्रेन दुर्घटना, जिसमें 50 से अधिक लोग मारे गये हैं, के संबंध में सुबह से ही रेल मंत्री के वक्तव्य की प्रतीक्षा कर रहे हैं। 11 बजे से हम एक ही बात पर जोर दे रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह : कांग्रेस का यही काम है कि बोलने न दिया जाए। जो बात कोई आदमी दस मिनट में कर सकता है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : इस प्रकार वाद विवाद में व्यवधान मत डालिए।

श्री अनंत कुमार : हम वाद-विवाद में व्यवधान नहीं डाल रहे हैं। हमने यह मुद्दा सुबह 11 बजे उठाया था और उस समय यह कहा गया था कि रेल मंत्री यहां आकर वक्तव्य देंगे।

[हिन्दी]

श्रीमती सुषमा स्वराज (दक्षिण दिल्ली) : आपने मेम्बर को कहा कि डू नॉट डिस्टर्ब दि डिबेट। सवाल डिबेट को डिस्टर्ब करने का नहीं है। सवाल हमारे राइट्स का है। वैसे तो कायदे से यह था कि सरकार को पता था कि ग्यारह बजे संसद शुरू होती है। कल का हुआ हादसा आज जरूर हाउस में उठेगा। मेम्बर्स उत्तेजित होंगे। कायदे की बात थी कि ग्यारह बजे सरकार स्वयं वक्तव्य लेकर आती। मेम्बर के द्वारा यह मुद्दा उठाने पर स्वयं संसदीय कार्य मंत्री ने यहां सदन को विश्वास दिलाया कि तीन बजे रेल मंत्री आएंगे। तीन बजे नहीं आए तो कहा कि साढ़े तीन बजे आएंगे। मेम्बर को पूरा हक है कि चेयर से साढ़े तीन बजे यह पूछें कि संसदीय कार्य मंत्री ने अपना आश्वासन क्यों नहीं पूरा किया? पहले मंत्रियों से पूछिये।...*(व्यवधान)* बिल्कुल बोलने नहीं दिया जाएगा।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : हम पहले ही मंत्री को सूचित कर चुके हैं और मैं सोचता हूं कि वह आयेंगे और उत्तर देंगे।

[हिन्दी]

श्रीमती सुषमा स्वराज : सरकार से पूछिये। साढ़े तीन बजे का समय दिया गया था। साढ़े तीन बजे की डैड लाइन समाप्त हो गई। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : मैं यह जानता हूं। संसदीय कार्य मंत्री ने कुछ मिनट पहले ही बताया है कि रेल मंत्री थोड़ी देर में यहां आ रहे हैं। अब, हम संसदीय कार्य मंत्री को पहले ही सूचित कर चुके हैं।

श्रीमती सुषमा स्वराज : महोदय, यह सूचित करने का प्रश्न नहीं है। आप एक असहाय सभापति नहीं हैं। उन्हें सभा में सूचना देने के लिए कहिए।

सभापति महोदय : अन्यथा।

श्रीमती सुषमा स्वराज : अन्यथा सभा को स्थगित कर दीजिए।

सभापति महोदय : कृपया वाद विवाद को जारी रहने दीजिए। हम मंत्री जी को पुनः सूचित कर देंगे।

...*(व्यवधान)*

श्रीमती सुषमा स्वराज : महोदय, रेल मंत्री सभा में आना नहीं चाह रहे हैं।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : वह अपनी बात करने के लिए खड़े हुए हैं। उन्हें बोलने दीजिए।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : मैं और क्या कर सकता हूं?

श्रीमती सुषमा स्वराज : आप सरकार को फटकार लगाइए। आप सदस्य को फटकार लगा रहे हैं कि वह वाद-विवाद में व्यवधान डाल रहे हैं। आप उन्हें फटकार लगाइए।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : रेल मंत्री आ गये हैं।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : रामाश्रय प्रसाद सिंह जी, अपनी बात जारी रखिये।

...*(व्यवधान)*

श्री कोडीकुनील सुरेश (अडूर) : सभापति महोदय, रेल मंत्री को अपना वक्तव्य अभी देना चाहिए। यह एक बहुत ही गंभीर दुर्घटना है जिसमें 50 लोग मारे गये हैं।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : नहीं, यह उचित नहीं है।

...*(व्यवधान)*

श्री कोडीकुनील सुरेश : महोदय, अब आप सदस्य को बोलने की अनुमति कैसे दे सकते हैं?...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : माननीय सदस्यगण, आप को भी प्रक्रिया को समझना चाहिए।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : मैं उनसे कह रहा हूं।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव : पहले माननीय सदस्यों को बोलने दीजिए।...*(व्यवधान)* पहले इनको बोलने दिया जाए। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

रेल मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : उन्हें बोलने दीजिए।

सभापति महोदय : मंत्री महोदय, क्या आप वक्तव्य बाद में देंगे?

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान : स्टेटमेंट रेडी है। अगर माननीय सदस्य अपना भाषण कम्पलीट करना चाहते हैं, तो कर लें। उनके बाद मैं बोल लूंगा।

[अनुवाद]

श्री अनंत कुमार : महोदय, उनको इस त्रासदी को समझना चाहिए।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : कृपया मेरी बात को समझिए। माननीय सदस्य खड़े हैं। उन्हें अपनी बात को पूरा कर लेने दीजिए। माननीय रेल मंत्री भी अपने वक्तव्य के साथ तैयार हैं। मैं समझता हूं कि यदि वे अपना वक्तव्य 10 मिनट के बाद भी देते हैं तो इसमें कुछ हानि नहीं है। कृपया माननीय सदस्य को अपना भाषण पूरा करने दीजिए।

प्रो॰ पी॰जे॰ कुरियन : महोदय, मैं एक निवेदन करना चाहता हूं।

सभापति महोदय : नहीं। कृपया श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह को अपना भाषण जारी रखने दीजिए।

[हिन्दी]

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह : सभापति जी, मैं कह रहा था कि जो प्रस्ताव लाया गया है, वह ठीक समय पर और बिहार के हित के लिए लाया गया है। यह दुनिया की पहली घटना है, जब एक आरोपित मुख्यमंत्री सरकार चला रहे थे और अब उनकी जगह पर उनकी पत्नी चला रही है।

मैं एक चीज और आपके सामने रखना चाहता हूं। यह संघीय देश है। इसका ढांचा अगर मजबूत करना है, तो यह देखिए कि बिहार की इस घटना से यह देश टूटता है या नहीं। हम यह नहीं कहते हैं कि भ्रष्टाचार आज से है, भ्रष्टाचार बहुत पहले से है। भ्रष्टाचार में हमारे भूतपूर्व मंत्री, जिन पर कि यह प्रस्ताव आया है, वे भ्रष्टाचार करने वाले अपराधियों को पकड़ने में सफल नहीं हुए हैं, बल्कि उस काम में स्वयं लग गए। उनका सबसे बड़ा काम अपराधियों को पकड़ने का था। एक कहावत है, घास की रक्षा करने के लिए जो कांटे लगाए गए थे, वे कांटे ही घास खाने लग गए। इस तरह से देश की क्या हालत होगी – यह हम जानना चाहते हैं...*(व्यवधान)* मैं पूछना चाहता हूं, क्या इसके लिए केन्द्रीय सरकार जवाबदेह है या नहीं? मुख्य मंत्री ने पहले कहा, लेकिन विरोध पक्ष के नेता का भी ध्यान इस ओर नहीं गया। सदन का कोई माननीय सदस्य नहीं सोच सका। जब हाईकोर्ट में दरख्वास्त हुई थी, तो उन्होंने कहा था कि केन्द्र की पुलिस कांग्रेस की पुलिस है। उस वक्त राव साहब की सरकार थी। कहा कि उस पुलिस पर हमको विश्वास नहीं है। क्या संघीय ढांचा इस बात से नहीं टूटता है? क्या यह अपराध संघीय नहीं माना जाएगा? यह देशद्रोह काम है या नहीं? किसी पूर्व मुख्य मंत्री को इस तरह की बात कहनी चाहिए? क्या केन्द्र की पुलिस और बिहार की पुलिस अलग है? लेकिन विरोधी दल के नेता ने इस पर गौर नहीं किया है। यह राष्ट्र द्रोह की आवाज है या नहीं? सवाल यह नहीं है कि चारा घोटाला हो या कोई अन्य घोटाला हो आवाज क्यों न उठे? हम एक चीज आपको याद दिलाना चाहते हैं। मार्क्स ने कहा था – जब राष्ट्रीय पार्टियां कमजोर होगी, भ्रष्टाचार में डूब जाएगी, तो क्षेत्रीय पार्टियों का जन्म होगा और जब क्षेत्रीय पार्टियों का जन्म होगा, तो राष्ट्रीयता नाम की चीज मिट जाएगी। अब हर राज्य में अलग पार्टी का राज है। जब बिहार में इस प्रकार की आवाज उठेगी, तो और राज्यों में भी आवाज उठेगी। अगर संविधान में 356 नहीं होता तो हम समझते हैं कि सोवियत की तरह यहां भी होता, लेकिन 356 है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री पिनाकी मिश्र : मैं पूरी सभा की जानकारी के लिए माननीय सदस्य से एक स्पष्टीकरण चाहता हूं। क्या मैं जान सकता हूं कि कार्ल मार्क्स ने कौन सी पुस्तक में यह बात कही है?...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह : अब हम इस पर भी बात करेंगे।

सभापति महोदय : चर्चा को जारी रहने दीजिए।

...*(व्यवधान)*

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह : हम यह कहते हैं कि भ्रष्टाचार क्यों होता है? वहां का मुख्य मंत्री जब भ्रष्टाचार में लिप्त हो गया, होगा। जब कांग्रेस की सरकार अल्पमत में थी तो कांग्रेस की सरकार ने बहुमत लेने के लिए कौन सा कदम उठाया था, दौलत देकर हमारे जैसे आदमी को खरीदा था और खरीद कर अपना बहुमत बनाया था। अगर लालू ने भी देश की दौलत को बर्बाद किया तो वह भी इन्हीं के रास्ते पर चला, कोई दूसरा रास्ता नहीं है। यह कांग्रेस का दावा गलत होता है कि हम सान्प्रदायिकता से लड़ेंगे, ये खुद ही साम्प्रदायिक हैं, ये देश को कहां ले गए हैं। आज देश रो रहा है। अगर कांग्रेस जिंदा भी रहेगी तो हम समझते हैं कि देश बर्बाद होकर रहेगा, देश बचेगा नहीं। ...*(व्यवधान)*

महोदय, यह काम रोको प्रस्ताव लाया तो अछूत था और इधर लोगों को चिंता हो रही है कि अछूत लाया है तो उस पर विरोधाभास होने लगा। विधिवेत्ता बड़े-बड़े उदाहरण, किताब और ग्रंथ दिखाने लगे। यह किसी ने नहीं सोचा कि अगर वह लाया है तो गलत लाया है या सही लाया है। क्या सचमुच बिहार में घटना हुई है या नहीं? अगर कोई भी पार्टी हो, चाहे वह साम्प्रदायिक हो लेकिन अगर वह बिहार को बचाने की बात करता है तो उसका क्या दोष है, हम यह पूछना चाहते हैं। कांग्रेस ने क्या किया।...*(व्यवधान)* हम बीजेपी में जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं, इसको छोड़िए। हम क्या हैं इसको सब जानते हैं। बीजेपी जो हौवा है, अगर बीजेपी पावर में आ जाएगी, इस कुर्सी पर आ जाएगी तो आप कहां जाएंगे। जनता में शक्ति है वह जिसको ले आए।...*(व्यवधान)* केन्द्र में जो बैठे हुए हैं वह दोषी हैं या नहीं हैं इसको आप सुन लीजिए। भ्रष्टाचार के दानव का उल्लेख करते हुए महात्मा गांधी जी ने कहा था कि ऐसे मामलों में उदासीनता बरतना अपराध है। भ्रष्टाचार का दानव जब बिहार में छाया, ...*(व्यवधान)* सवाल यह है कि जब भ्रष्टाचार के दानव वहां मौजूद हो गया था तो केन्द्र को क्या करना चाहिए था। अगर उसको तरजीह दिया तो वह अपराध था या नहीं, जो अभी तक कुछ नहीं कर सके। बिहार की जो हालत है उसको सब ने देखा है।

महोदय, आज बिहार में क्या हो रहा है? वहां महत्वाकांक्षी योजना है, जो गरीबों के लिए बनी है। साक्षरता आंदोलन, जो सब को शिक्षा देने के लिए बना है लेकिन ये लोग शिक्षा देने के लिए नहीं हैं। बिहार में अनपढ़ ज्यादा हैं इसलिए लोग बर्दाश्त कर रहे हैं। इतना घिनौने से घिनौना काम वहां के एम.एल.एज. बर्दाश्त कर रहे हैं। बिहार में यह स्थिति पैदा हो गई है। हम एक चीज बता रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि महिलाओं को पद देना बड़ा गौरवशाली है लेकिन महिलाएं बेचारी बोलती जरूर हैं, बिना समझे ही बोलती हैं जैसे भगवती देवी है, उसको अगर दिया जाता तो क्या होता। हम आपकी तारीफ कर रहे हैं। राजनीति का स्तर बहुत नीचे गिर गया है। ...*(व्यवधान)* मैं इस सदन में कई वर्षों से हूं; मैं एम.एल.ए. भी रहा हूं। मैंने इस चीज को देखा है। परिवारवाद की बहुत बातें होती थीं। नेहरू परिवारवाद को लेकर बहुत बातें होती थीं। मैं जानता हूं कि उनकी कोई जात नहीं है। इसको लेकर लड़ाई मुझसे होती थी। नेहरू क्रिश्चयन में भी है, ब्राह्मण में भी हैं, नेहरू पंजाबी में भी है। वह हर जगह जागृत है। नेहरू परिवारवाद को लेकर बहुत बातें होती थीं। परिवारवाद खत्म करने के लिए यह इस कुर्सी पर आए। अब यह परिवारवाद की मदद कर रहे हैं। यही सामाजिक न्याय दे रहे हैं। इस सवाल का कौन जवाब देगा? अगर वहां के मुख्यमंत्री ने देशद्रोह का काम किया है तो उन्हें सजा मिलनी चाहिए। हाई कोर्ट ने कहा है कि यह लूट किसी घर की नहीं है, यह राजद्रोह का मामला है। हम समझते हैं कि ऐसा काम करने वाले चाहे हम हों या ये हों, जो इस देश को देश नहीं मान कर अपनी कुर्सी बचाने के लिए बुरे काम करते हैं, पैसे से सब कुछ खरीदते हैं, उनको सजा मिलनी चाहिए। आज उसी का एक जीता जागता उदाहरण आपको मिल रहा है।

कहा गया कि प्रधानमंत्री वाजपेयी जी हुए थे तो एक भी एम.एल.ए. नहीं बिका और भारतीय जनता पार्टी की तरफ नहीं गया। खरीदने वाला ही कोई नहीं था तो जाएगा कैसे?...*(व्यवधान)* इसके दोनों अर्थ हो सकते हैं। गया भी नहीं लेकिन खरीदने वाला ही नहीं था तो जाएगा क्या?...*(व्यवधान)*

आज यह समाचार है कि सभी एम.एल.ए. को सुमो गाड़ी मिली। आप बिहार चलिए। ये सब सुनने को मिल जाएगा। क्या बिहार बचेगा? सत्ता को बचाने के लिए ये सब काम हुआ। झारखंड जिसने चार करोड़ लेकर कांग्रेस को बचाया था, वह आज भी अपना रवैया जारी रखे हुए हैं क्योंकि वह निर्लज्ज हैं।...*(व्यवधान)* हम गलत बात नहीं बोल रहे हैं। हम नहीं कह रहे हैं कि चारा घोटाला, फलां घोटाला। सवाल आपके सामने यह ला रहे हैं कि देशद्रोह का काम करने वालों पर देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए। अगर वह नहीं चलता है तो वह भारत के टुकड़े कर देगा। जब तक इतनी दौलत जमा नहीं होगी वे चुनाव कैसे जीतेंगे?

मैंने प्रत्यक्ष तो नहीं देखा लेकिन आपकी बतलाना चाहता हूं कि 1971 के लोक सभा चुनाव में महेन्द्रा कम्पनी की हजारों गाड़ियां कांग्रेस के उम्मीदवार के लिए दी गई थीं। मैं जहानाबाद में था। मेरा वहां से उम्मीदवार लड़ रहा था।...*(व्यवधान)* हम मिल कर लड़े या न लड़े लेकिन आपके साथ कांग्रेस थी और आप कांग्रेस से मिले तो भी हम नुकसान में रहे। अगर जनता दल के साथ मिले तो भी नुकसान उठाया। हम बराबर नुकसान में रहे। कितना गलत आप लोगों ने किया हैं हम बता रहे हैं कि महिन्द्रा की गाड़ियां गई। हजारों गाड़ियां महिन्द्रा की आई तो किसलिए आई?...*(व्यवधान)* आप मेरी बात सुन लीजिए। अगर देश को बचाना है तो तकलीफ में मत रहिए। देश को बचाने का सवाल महत्वपूर्ण है। देश बहुत ही नाजुक स्थिति में है और

[श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह]

अंत में देश के लिए आप नहीं सोचेंगे तो देश बरबाद हो जाएगा। आने वाली पीढ़ी आप पर थूकेगी और धारा 356 अगर नहीं रहेगी तो राज्य की मनमानी रहेगी और राज्य किसी दिन भी कह देगा कि हम तुम्हारे साथ नहीं हैं। यही कहकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

श्री जी-एम- बनातवाला (पोन्नानी) : मेरा एक व्यवस्था संबंधी प्रश्न है। अभी-अभी दिए गए भाषण में अनेकों आरोप लगाए गए हैं। कृपया इस बात की जांच करें कि क्या उन्हें कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित किया जा सकता है। मैं यही कहना चाहता हूं।

सभापति महोदय : ठीक है।

अपराह्न 3.56 बजे

मंत्री द्वारा वक्तव्य

27 जुलाई, 1997 को फरीदाबाद में कर्नाटक एक्सप्रेस और हिमसागर एक्सप्रेस रेलगाड़ियों के बीच हुई टक्कर

रेल मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : सभापति जी, मुझे इस बात का दुख है कि वक्तव्य देने में कुछ विलंब हुआ। आप जानते हैं कि प्रोसीजर ही कुछ ऐसा है। मैं तो आ गया था और दो बजे भी स्टेटमेंट दे सकता था लेकिन चूंकि उसको बनाना है, फिर अंग्रेजो का हेन्दी अनुवाद करना होता है। इन सब फॉर्मेलिटीज में विलंब हो गया। इसके लिए मैं खेद प्रकट करता हूं।

मैं अत्यंत दुख के साथ सदन को एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना की सूचना दे रहा हूं जिसमें 27 जुलाई, 1997 को 23.03 बजे मध्य रेल के झांसी मण्डल के फरीदाबाद स्टेशन पर 6317 हिमसागर एक्सप्रेस के पिछले भाग से 2627 कर्नाटक एक्सप्रेस टकरा गई।

यह दुर्घटना तब हुई, जब कन्याकुमारी से जम्मू तवी जाने वाली 6317 हिमसागर एक्सप्रेस फरीदाबाद स्टेशन पर अपने दो मिनट के निर्धारित ठहराव के बाद अभी चली ही थी कि उसी समय 2627 कर्नाटक एक्सप्रेस, जिसे फरीदाबाद स्टेशन के बाहर रुकना था, खतरे के निशान वाले होम सिगनल को पार कर गई और हिमसागर एक्सप्रेस के पिछले भाग से जा टकराई। फरीदाबाद के होम सिगनल का स्थान सीध में था और जो साफ देखा जा सकता था। कर्नाटक एक्सप्रेस लगभग 12 घंटे विलंब से चल रही थी क्योंकि खण्डवा और इटारसी खण्ड भारी वर्षा के कारण प्रभावित हो गया था और मार्ग परिवर्तन करना पड़ गया था।

इस टक्कर से कर्नाटक एक्सप्रेस के आगे के सात सवारी डिब्बों और दो रेल इंजनों सहित हिमसागर एक्सप्रेस के पिछले तीन सवारी डिब्बे पटरी से उतर गए। इस खण्ड पर फिलहाल थ्रू यातायात रूका हुआ है और इसके जल्दी ही चालू हो जाने की आशा है।

नवीनतम रिपोर्टों के अनुसार, इस दुर्घटना में हिमसागर एक्सप्रेस के गार्ड सहित 12 व्यक्तियों की जानें गई, 25 व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हुए हैं और 43 व्यक्तियों को मामूली चोटें आई। चिकित्सा उपस्करों और डाक्टरों के दलों सहित दिल्ली, आगरा और झांसी से राहत गाड़ियां तत्काल रवाना कर दी गई थी। इसके अलावा, फरीदाबाद के निकटवर्ती अस्पतालों के स्थानीय डाक्टर ऐम्बुलेन्स वाहनों के साथ तत्काल दुर्घटना स्थल पर पहुंच गए और उन्होंने घायलों को चिकित्सा सहायता प्रदान की। घायल व्यक्तियों को सरकारी अस्पताल, ऐस्काट्र्स और सनफ्लैग अस्पतालों में दाखिल करा दिया गया है जहां उनकी हालत में सुधार हो रहा है।

दुर्घटना की सूचना मिलते ही स्वयं मैंने, अध्यक्ष रेलवे बोर्ड और सदस्य यातायात तथा रेलवे के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ दुर्घटना स्थल का दौरा किया। महाप्रबंधक, मध्य रेल अपने विभागाध्यक्षों और डाक्टरों के दल के साथ चिकित्सा राहत की व्यवस्था कराने और यातायात बहाल करने संबंधी कार्यों के लिए पहले ही वहां पहुंच चुके थे। मैंने घटनास्थल के साथ-साथ तीनों अस्पतालों का भी निरीक्षण किया जहां घायल लोग चिकित्सा हेतु भर्ती हैं।

मैंने मृतकों के निकट संबंधियों को 20,000 रुपये, गंभीर रूप से घायलों को 10,000 रुपये और मामूली रूप से घायल व्यक्तियों को 2000 रुपये की अनुग्रह राशि का भुगतान करने का आदेश दिया है। यह उस राशि के अलावा है, जो उन्हें रेल दावा अधिकरण के निर्णय के आधार पर क्षतिपूर्ति के रूप में दी जाएगी। क्षतिपूर्ति की राशि मामूली चोटों के लिए 16,000 रुपये से लेकर मृत्यु के मामलों में दो लाख रुपये तक होती है।

फरीदाबाद के जिला प्रशासन ने विभिन्न सामाजिक संगठनों के सहयोग से प्रभावित यात्रियों को राहत प्रदान करने के काम में सराहनीय योगदान दिया है। इसके लिए मैं उनका आभारी हूं। फंसे हुए यात्रियों को दुर्घटना स्थल से विशेष बसों द्वारा 4.30 बजे सड़क के रास्ते रवाना कर दिया गया था।

पहली नजर में, दुर्घटना का कारण कर्नाटक एक्सप्रेस के ड्राइवर द्वारा फरीदाबाद के होम सिगनल की अनदेखी कर जाना प्रतीत होता है। रेल संरक्षा आयुक्त, मध्य सर्कल, मुम्बई को इस दुर्घटना के कारणों की जांच करने के लिए आदेश दे दिये गए हैं। मैंने एक सप्ताह के भीतर अंतरिम रिपोर्ट, तथा 28 अगस्त, 1997 तक अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत करने के आदेश दे दिये हैं। मैंने कर्नाटक एक्सप्रेस के ड्राइवर को निलंबित करने के आदेश भी दे दिये हैं।

मैं रेलों तथा अपनी ओर से शोकाकुल परिवारों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना और घायलों के साथ गहरी सहानुभूति व्यक्त करता हूं।

मुझे विश्वास है कि शोक संतप्त परिवारों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना व्यक्त करने में सदन भी मेरा साथ देगा। मैं सदन को यह विश्वास दिलाता हूं कि दोषी पाए जाने वाले व्यक्तियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

अपराह्न 4.00 बजे

[अनुवाद]

श्री रमेश चेन्नितला (कोट्टायम) : सभापति महोदय, मैं माननीय रेल मंत्री से जानना चाहूंगा कि क्या उस क्षेत्र में कोई नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है...*(व्यवधान)* हम स्पष्टीकरण चाहते हैं।

श्री एन॰एन॰ कृष्णादास (पालाकाड) : महोदय यह बहुत ही गंभीर मामला है और हमें इस संबंध में कुछ स्पष्टीकरण मांगने की अनुमति दी जानी चाहिये।

सभापति महोदय : स्पष्टीकरण मांगने के लिये कोई नियम नहीं होता।

अब श्री डी॰पी॰ यादव, चर्चा के अधीन प्रस्ताव पर अपना भाषण आरंभ करें।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्रीमती सुषमा स्वराज (दक्षिण दिल्ली) : सुबह जिस समय उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन थे और उस समय यह प्रश्न उठा था तो उन्होंने वादा किया था कि जब पासवान जी वक्तव्य देंगे तो वे बंगलौर, कर्नाटक और फरीदाबाद के लोगों को बोलने का मौका देंगे। इसलिए उपाध्यक्ष जी द्वारा दिए गए आश्वासन को आप पूरा कीजिए। यह बहस बाद में चलेगी।...*(व्यवधान)* उपाध्यक्ष जी ने यह कहा था कि मुझे इसपर बहुत नोटिस मिले हैं लेकिन अभी क्योंकि जेना जी यह कह रहे हैं कि पासवान जी तीन बजे वक्तव्य देंगे तो मैं उनको बाद में बोलने का मौका दूंगा।

सभापति महोदय : ठीक है।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : कृपया मुझे बोलने की अनुमति दीजिए।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : कृपया मेरी बात सुनिए।

...*(व्यवधान)*

कई माननीय सदस्य : हम स्पष्टीकरण चाहते हैं।

सभापति महोदय : जी हां, मैंने माननीय उपाध्यक्ष महोदय, से पता लगाया है। उन्होंने कहा था कि कुछ माननीय सदस्य माननीय रेल मंत्री के वक्तव्य के तुरंत बाद, भाषण दिये बिना कुछ स्पष्टीकरण मांग सकते हैं। मेरे विचार से प्रत्येक दल के एक प्रतिनिधि को एक स्पष्टीकरण मांगना चाहिये।

श्रीमती सुषमा स्वराज : भारतीय जनता पार्टी से दो सदस्यों को अनुमति दी जाये।

सभापति महोदय : यह संभव नहीं है।

मेरे विचार से, माननीय मंत्री मांगे गये स्पष्टीकरणों का उत्तर देंगे।

[हिन्दी]

चौधरी रामचन्द्र बैंदा (फरीदाबाद) : मैं फरीदाबाद क्षेत्र से संबंध रखता हूं। कल 11 बजे से लेकर आज पौने तीन बजे तक मैं वहीं था। पौने तीन बजे वहां से चला हूं। कर्नाटक एक्सप्रेस का जो ड्राइवर था, वह मालगाड़ी का ड्राइवर था। मालगाड़ी का ड्राइवर उस गाड़ी को चला रहा था। राम विलास जी के सामने अधिकारियों ने बताया है और रेलवे के चेयरमेन ने माना है कि कर्नाटक एक्सप्रेस का ड्राइवर कल उस गाड़ी में नहीं था, मालगाड़ी का ड्राइवर गाड़ी हैंडल कर रहा था। कितनी बड़ी विडंबना है कि मालगाड़ी का ड्राइवर कर्नाटक एक्सप्रेस चलाकर ला रहा था।

मंत्री महोदय, दो मिनट मेरी बात सुन लीजिए। उस गाड़ी का ड्राइवर...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : आपने प्रोमिस किया था कि आप संक्षिप्त रूप से प्रश्न रखेंगे।

चौधरी रामचन्द्र बैंदा : वह ड्राइवर नहीं है और गाड़ी चलाई जा रही है, इसलिए एक्सीडेंट हुआ है। यह बहुत बड़ी नेग्लीजेंस है। रेलवे के चेयरमैन और रामविलास जी पासवान वहां मौके पर उपस्थित थे, इनके सामने सारी बातें हुई हैं। मैंने ज्यूडीशियल इन्क्वायरी की मांग की है। ये कहते हैं कि रेलवे के आफिसरों से इन्क्वायरी कराएंगे। रेलवे के आफिसरों से इन्क्वायरी कराना हमें मंजूर नहीं है। इसकी ज्यूडीशियल इन्क्वायरी होनी चाहिए। मैंने मौके पर मंत्री जी से मांग की थी कि इसमें ज्यूडीशियल इन्क्वायरी होनी चाहिए। वहां रेलवे के किसी कर्मचारी ने बिल्ला लगाकर काम नहीं किया, हमें वहां कोई कर्मचारी दिखाई नहीं दिया। आर.एस.एस. के कार्यकर्ताओं ने वहां पर सभी राहत कार्यों में विशेष सहायता जुटाई। हमें उनका आभारी होना चाहिए।

श्री रमेश चेन्नितला : वे सारे कांग्रेस के कार्यकर्ता थे।

चौधरी रामचन्द्र बैंदा : कांग्रेस कहां है, कांग्रेस तो रही ही नहीं। कांग्रेस का चार्म अब खत्म हो गया।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : क्या है? ठीक है। अब हर समय आप यहीं करेंगे? आप ठीक से बैठिये।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री अनंत कुमार (बंगलौर दक्षिण) : माननीय सभापति महोदय, यह एक मानवीय त्रासदी है और मैं श्री पप्पू यादव से भी अनुरोध करता हूं कि वे इसे सहन करें।

मैं दक्षिण बंगलौर का प्रतिनिधित्व करता हूं। यह रेलगाड़ी कर्नाटक एक्सप्रेस बंगलौर से नई दिल्ली तक है। बंगलौर से हजारों यात्री इस रेलगाड़ी में यात्रा कर रहे थे और यह 12 घंटे के विलंब से चल रही थी। जैसा कि माननीय रेलमंत्री ने कहा गत रात्रि, 2303 बजे इस रेलगाड़ी की हिमसागर एक्सप्रेस से टक्कर हो गई। कर्नाटक एक्सप्रेस के कई यात्री विशेषतः जो द्वितीय श्रेणी वातानुकूलित और

[श्री अनंत कुमार]

प्रथम श्रेणी में यात्रा कर रहे थे और टू-टियर में यात्रा करने वाले कुछ यात्री भी घायल हुये हैं और उनमें से बहुत से यात्रियों की मृत्यु हो गई थी मुझे बंगलौर शहर से लोगों के टेलीफोन आते रहे और वे कह रहे हैं कि उन्हें अपने रिश्तेदारों के बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती है क्या वे मृत हैं, अथवा घायल। बंगलौर स्टेशन पर कोई सुविधा उपलब्ध नहीं की गयी है। बंगलौर के लोगों को कोई जानकारी उपलब्ध नहीं की गई है। अतः बंगलौर के लोग निराशा और दुख की स्थिति में हैं।

जैसा कि मेरे साथी ने कहा कि उस चालक की विश्वसनीयता पर संदेह है। वह माल गाड़ी का चालक था। किन्तु वास्तव में वह यह सुपरफास्ट रेलगाड़ी चला रहा था। कर्नाटक एक्सप्रेस प्रतिष्ठित रेलगाड़ियों में से एक है और यह सुपरफास्ट एक्सप्रेस है और यह रेलगाड़ी संदेहास्पद विश्वसनीयता वाले चालक द्वारा चलाई जा रही थी।

माननीय मंत्री ने 8.5.97 के एक प्रश्न के उत्तर में कहा कि गत दस महीनों में 322 दुर्घटनाएं और 166 से ज्यादा पटरी से उतरने की घटनाएं हुई हैं। यह, यहां वक्तव्य में नहीं दिया गया है। मैं माननीय मंत्री के उत्तर से उद्धृत कर रहा हूं। उन्होंने कहा कि मानवीय गलतियों और सिगनल में दोष होने के कारण 322 दुर्घटनाएं हुई थी। जब इतनी सारी दुर्घटनाएं होती है, तो मंत्री जी को इस्तीफा दे देना चाहिए किन्तु उन्होंने कुछ नहीं किया।

सभापति महोदय : आप भाषण दे रहे हैं।

श्री अनंत कुमार : मैं भाषण नहीं दे रहा हूं।

सभापति महोदय : तो, यह क्या है?

श्री अनंत कुमार : मैं यह बहुत दुख के साथ कह रहा हूं।

माननीय मंत्री ने अभी-अभी कुछ अनुग्रह राशि और मुआवजे की घोषणा की है। यह बहुत ही कम राशि है। गत दस महीनों में, 322 से अधिक दुर्घटनाएं हुई है और 217 लोग इस दुर्घटना में मारे गये हैं किन्तु उन्हें कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ है। अतः मैं माननीय मंत्री से इस बात पर ध्यान देने की आशा करता हूं कि अनुग्रह राशि में वृद्धि की जाये, मुआवजा राशि का निपटान हो। इस दुर्घटना में मरे लोगों तथा घायल लोगों के बारे में सही जानकारी दी जाये। मैंने उनसे कर्नाटक एक्सप्रेस सहित दुःखद दुर्घटनाओं के संबंध में यह बातें सुनिश्चित करने का अनुरोध करता हूं।

श्री पी॰सी॰ चाक्को (मुकुन्दपुरम) : महोदय, आज जो दुर्घटना हुई है, वह बहुत बड़ी दुर्घटना है। हममें से कुछ माननीय सदस्य जिस सदमें से गुजर रहे हैं, वह इस दुर्घटना से कहीं अधिक है। प्रातः काल से ही हम रेल भवन में लोगों से सम्पर्क स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं। दुर्भाग्य से, अभी तक इस दुर्घटना मे मरे लोगों की सूची जारी नहीं की गयी। हम यहां यह मुद्दा उठा रहे है। हम सभा के नियम जानते हैं। हम इस सभा की कार्यवाही में विघ्न नहीं डालना चाहते। हिमसागर एक्सप्रेस केरल से आ रही थी और यात्रियों के रिश्तेदार हमें टेलीफोन कर रहे हैं। हम रेलवे बोर्ड और रेल मंत्री के कार्यालय से संपर्क करने का प्रयास कर रहे हैं।

महोदय, मैं अनुरोध करता हूं कि जब कभी भी इतनी अथवा इस तरह की दुर्घटना घटे, रेल मुख्यालय में एक नियंत्रण कक्ष खोला जाये और रिश्तेदारों को जानकारी दी जाये। जब रिश्तेदार आते हैं, तो उन्हें यह जानकारी ही नहीं होती कि कहां जायें और कैसे पता लगायें। माननीय मंत्री के वक्तव्य के अनुसार 23 व्यक्तियों के गंभीर चोटें आई हैं। किन्तु हमें मालूम नहीं है कि वे कौन यात्री हैं। सूची अभी जारी नहीं की गयी है। हम अभी भी यह देखकर दुखी हैं कि हमारे इतने प्रयासों के बावजूद भी कुछ नहीं हुआ।

आधा दर्जन संसद सदस्य रेल भवन गये और अधिकारियों से बातचीत की किन्तु हम दुर्घटना में मारे गये लोगों की सूची प्राप्त नहीं कर पाये। यह कैसे हो सकता है? दिल्ली से आधे घंटे में फरीदाबाद पहुंचा जा सकता है। यह दुर्घटना प्रातः 2 बजे घटी। हम सरकार को अधिक जिम्मेदाराना चाहते हैं। मैं माननीय मंत्री को दोषी नहीं ठहरा रहा हूं। वह वहां गये थे। यह अच्छी बात है कि उन्होंने वहां सभी स्थानों का दौरा किया। जब कभी भी ऐसी दुर्घटनाएं, घटनाएं घटती है, हम सरकार से अनुरोध करेंगे कि वह स्वतः वक्तव्य दे।

अपराह्न 4.11 बजे

[श्रीमती रीता वर्मा *पीठासीन हुईं*]

हमारे द्वारा कई बार अनुरोध किये जाने के बावजूद, सरकार ने कोई जानकारी नहीं दी गई थी। सरकार का इस तरह का गैर-जिम्मेदाराना रवैया बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। हमारे रिश्तेदारों को अभी भी नहीं पता कि किससे संपर्क करें और कौन-कौन मृत व्यक्ति हैं। यह दुर्घटना अधिकारियों के उदासीन रवैये के कारण अधिक दुखदाई हो गयी है। अतः महोदय, हम माननीय रेल मंत्री से स्पष्ट आश्वासन चाहते हैं कि घायल व्यक्तियों की देखभाल की जायेगी और उनके रिश्तेदारों को उनसे संपर्क करने का मौका मिलेगा। रेल मंत्री के कार्यालय अथवा रेल बोर्ड में 24 घंटे के लिये नियंत्रण कक्ष खुला रहना चाहिये। उस संतोषजनक उत्तर के बिना, मेरे विचार से केवल शब्दों से सहानुभूति व्यक्त करने का कोई अर्थ नहीं है।

मैं शोक संतप्त परिवार के सदस्यों और घायल व्यक्तियों के परिवारजनों के प्रति भी शोक व्यक्त करता हूं। मैं रेल मंत्री से वक्तव्य देने का अनुरोध करता हूं, ताकि शोक संतप्त परिवार के सदस्यों को कुछ संतोष मिल सके।

श्री रमेश चेन्नितला : यह दुर्घटना बहुत ही गंभीर है। प्रातःकाल से हम सभी बहुत चिन्तित हैं। हमें, देश के दक्षिणी राज्यों से बहुत से टेलीफोन आ रहे हैं। हिमसागर एक्सप्रेस कन्याकुमारी से चलती है और कर्नाटक एक्सप्रेस बंगलौर से चलती है। अधिकतर यात्री केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश से थे। महोदय, जिस समय

दुर्घटना घटी, तभी से हम लोग यात्रियों के बारे में पूछताछ कर रहे हैं।

श्री पी॰सी॰ चाक्को ने इस ओर सही ही इंगित किया है कि हम चैयरमेन के कार्यालय में अधिकारियों से संपर्क स्थापित करने का प्रयत्न कर रहे हैं। चैयरमेन के कार्यालय में सूची उपलब्ध नहीं थी। मैंने माननीय रेल मंत्री के कार्यालय में लोगों से बात करने का प्रयत्न किया। वे भी हमें बता रहे थे कि मृत लोगों के बारे में वहां भी कोई स्पष्ट जानकारी उपलब्ध नहीं थी। 'टाइम्स ऑफ इण्डिया' में बताया गया है कि 50 लोग मरे है और कुछ अन्य न्यूज एजेन्सियों ने बताया है कि 12 लोग मरे हैं। इससे दक्षिणी राज्यों में पूर्ण दहशत फैल चुकी है। अभी तक भी मृत व्यक्तियों की सूची उपलब्ध नहीं है। हमने फरीदाबाद में अधिकारियों से संपर्क स्थापित करने का प्रयत्न किया। वहां कोई नियंत्रण कक्ष नहीं था। जब इस तरह की दुर्घटना घटती है, तो सामान्यतः रेल मंत्रालय एक नियंत्रण कक्ष खोलता है और आवश्यक जानकारी देता है। किन्तु इस स्थिति में, हमें किसी भी प्रकार की जानकारी नहीं दी गयी।

मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि नियंत्रण कक्ष खोलने में देरी के क्या कारण हैं। मैं इस दुर्घटना की गहराई से जांच करने के लिये न्यायिक जांच की मांग करता हूं, क्योंकि सुरक्षा आयुक्त की जांच से सही कारण नहीं पता चलेंगे। मैं माननीय मंत्री से न्यायिक जांच करवाने का अनुरोध करना चाहूंगा ताकि सभी विस्तृत ब्यौरों पर प्रकाश डाला जा सके।

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : महोदय, फिरोजाबाद में हुई रेल दुर्घटना के बाद यह बहुत ही गंभीर दुर्घटना है...*(व्यवधान)* मेरे विचार से, कल फरीदाबाद में हुई दुर्घटना फिरोजाबाद में हुई दुर्घटना जैसी हैं जैसा कि माननीय रेल मंत्री ने बताया यह दुर्घटना, कर्नाटक एक्सप्रेस के चालक द्वारा खतरे के सिग्नल को अनदेखा करने के कारण घटी।

जब दो वर्ष पूर्व, इस सभा में फिरोजाबाद दुर्घटना का मुद्दा उठाया गया था, तो एक सुरक्षा समिति नियुक्त की गई थी और अभी हाल ही में, उस समिति ने अपनी रिपोर्ट दी है। मैंने उस समिति की रिपोर्ट का भी अध्ययन किया है। हमें पता चलता है कि उस दुर्घटना का मुख्य कारण यह था कि व्यवस्था होने के बावजूद उस विशेष स्टेशन पर ट्रैक सर्किट प्रदान नहीं किया गया था। उस रिपोर्ट में रेल सुरक्षा आयुक्त ने यह तथ्य दिया है कि उस दुर्घटना का मुख्य कारण ट्रैक सर्किट उपलब्ध नहीं कराया गया था। आज प्रातःकाल फरीदाबाद में हुई दुर्घटना के संबंध में मैं जानना चाहता हूं कि क्या यहां ट्रैक सर्किट उपलब्ध कराया गया था।

हमें भूतपूर्व प्रधान मंत्री, जिनके पास उस समय रेलवे का भी कार्यभार था, ने इस सभा में यह आश्वासन दिया था कि सभी स्टेशनों पर 'फाउलिंग मार्क' से 'फाउलिंग मार्क' तक 'ट्रेक सर्किट' की व्यवस्था की जाएगी। मैं यह जानना चाहता हूं कि यह व्यवस्था की गई है अथवा नहीं।

सभापति महोदय : श्री आचार्य जी, कृपया अपनी बात संक्षेप में कहिए।

श्री बसुदेव आचार्य : यदि यह व्यवस्था कर दी गई होती, तो यह दुर्घटना नहीं हुई होती। कई महीनों के बाद यह एक अत्यंत गंभीर और बड़ी रेल दुर्घटना हुई है, जिसके कारण 12 से अधिक यात्री मारे गए हैं। अतः, मैं इस मामले में रेल सुरक्षा आयुक्त द्वारा की जाने वाली आम जांच के बजाय न्यायिक जांच की मांग करता हूं। जब धनबाद स्टेशन के निकट कालुबाथन में दुर्घटना हुई थी – महोदया, आपको उस दुर्घटना के बारे में बेहतर जानकारी है – तो इस सभा ने इसकी न्यायिक जांच करवाने की मांग की थी और न्यायिक जांच के आदेश दिए गए थे। मैं भी यही मांग करता हूं कि रेल सुरक्षा आयुक्त द्वारा आम जांच कराये जाने की बजाय इसकी न्यायिक जांच करवाई जाए। उन्हें समुचित मुआवजा भी दिया जाना चाहिए। वे पहले ही यह मांग कर चुके हैं कि मुआवजा राशि 2 लाख रुपए से बढ़ाकर 4 लाख रुपए की जानी चाहिए...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : आपका धन्यवाद। बस इतना ही काफी है। माननीय रेल मंत्री जी, क्या आप इस का उत्तर देना चाहते हैं?

...*(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य : मैं यह भी मांग करता हूं कि एक नियंत्रण कक्ष खोला जाए...*(व्यवधान)*

श्री जी॰एम॰ बनातवाला (पोन्नानी) : हमें यह बताया गया था कि हरेक को स्पष्टीकरण लेने की अनुमति दी जाएगी...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : मेरे विचार से सभी प्रश्न उठाए जा चुके हैं। माननीय रेल मंत्री जी, को इसका उत्तर देने दीजिए।

...*(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य : मैं यह भी चाहता हूं कि मृतकों की एक सूची यहां संसद भवन स्थित माननीय रेल मंत्री जी के कक्ष में उपलब्ध होनी चाहिए।

सभापति महोदय : चार माननीय सदस्य पहले ही प्रश्न पूछ चुके हैं। अब, यदि माननीय रेल मंत्री जी चाहें तो उत्तर दें सकते हैं।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : ठीक है। चार सदस्यगण प्रश्न पूछ चुके हैं और मेरे विचार से उन्होंने सभी मुद्दे उठा दिए हैं। ठीक है।

...*(व्यवधान)*

श्री जी॰एम॰ बनातवाला : ऐसी बात नहीं है। मैं इसका विरोध करता हूं...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री रमेन्द्र कुमार (बेगूसराय) : चेयर की ओर से कहा गया था कि हरेक पार्टी के एक-एक सदस्यों को बोलने का मौका मिलेगा। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : कुछ लोगों को मौका मिलेगा। हरेक पार्टी के सदस्यों को नहीं कहा गया था।

[अनुवाद]

श्री जी॰एम॰ बनातवाला : महोदया, यह बात रिकार्ड में है। कृपया आप रिकार्ड देखिए। ऐसा सुस्पष्ट रूप से कहा गया था।

[हिन्दी]

सभापति महोदय : एक बात बताइए। फिर तो पहले वाली बहस छोड़कर उसी पर बहस चलेगी।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री जी॰एम॰ बनातवाला : आप रिकार्ड देख सकते हैं। आप सभापति, उस समय पीठासीन सभापति के निर्णय को बदल रहे हैं। यह बहुत आश्चर्यजनक बात है...*(व्यवधान)*

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी (दमदम) : शायद उस समय पीठासीन अधिकारी के मन में दलों और समूहों में किसी अन्तर की कोई बात नहीं थी और उसी संदर्भ में उन्होंने दलों का उल्लेख किया था। ऐसा हो सकता है। मुझे पता नहीं है...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : मेरे विचार से सभी समूहों को इस चर्चा में शामिल कर लिया गया है। कृपया मेरे साथ सहयोग कीजिए। श्री रमेन्द्र कुमार जी, आप एक अत्यंत अनुभवी सदस्य है। श्री बनातवाला जी, आप तो अत्यंत वरिष्ठ सदस्य हैं, कृपया मेरे साथ सहयोग कीजिए। मंत्री जी को कहीं जाना है। कृपया उन्हें उत्तर देने दीजिए।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान : सभापति महोदय, कल रेलवे का सप्लीमेंट्री बजट पेश होगा, तो मैं समझता हूं कि रेलवे के बजट पर माननीय सदस्यों को विस्तार से अपनी बात रखने का मौका मिलेगा। यह जो ऐक्सीडेंट हुआ है, इसमें कोई पार्टी का मुद्दा नहीं है। जो भी चीज आप कहेंगे, मैं उसको मानने के लिए तैयार हूं। इसमें कोई प्रतिष्ठा का प्रश्न नहीं है। इस घटना के बारे में फरीदाबाद के हमारे माननीय सांसद ने कहा...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री वी॰वी॰ राघवन (त्रिचूर) : महोदया, उन्हें व्यक्तियों की सूची प्रस्तुत करने दीजिए...*(व्यवधान)*

श्री राम विलास पासवान : मैं एक-एक करके उसी बात पर आ रहा हूं। मैं अपनी बात अभी समाप्त नहीं कर रहा हूं।

[हिन्दी]

उन्होंने कहा कि मालगाड़ी का ड्राइवर था। मुझे बतलाया गया कि हमारे ड्राइवर एक्सपर्ट हैं, वे मालगाड़ी भी चलाते हैं और पैंसेजर गाड़ी भी चलाते हैं। इसमें कोई मुद्दा नहीं है। लेकिन हम इसको इन्क्वायरी में रखने के लिए तैयार हैं। उसके कारण गलती हुई हो, मालगाड़ी ड्राइवर एफिशियेंट नहीं था, तो इस मुद्दे को भी जांच में ले आयेंगे। दूसरी बात, आप न्यायिक जांच के बारे में कह रहे हैं। कमिश्नर ऑफ सेफ्टी कोई रेलवे का अधिकारी नहीं है, वह मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन का है और इंडिपेंडेंट है। इसलिए मैंने कहा है कि एक सप्ताह में अंतरिम रिपोर्ट और एक महीने, यानी 28 अगस्त तक पूरी की पूरी रिपोर्ट दो। ट्रैक सर्किट की बात भी कही गई है। ट्रैक फरीदाबाद में है, यदि उसके खिलाफ रिपोर्ट आयेगी, तो कार्रवाई करेंगे। इसके बावजूद भी अगर सदन चाहता है कि जुडिशियल इन्क्वायरी ही होनी चाहिए, तो उसके अंदर भी कोई आपत्ति नहीं है। ...*(व्यवधान)*

एक माननीय सदस्य : उसमें तो देर हो जाएगी...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री राम विलास पासवान : मेरी बात सुनिए। आप मेरी बात क्यों नहीं सुनते। मुझे अपनी बात पूरी कर लेने दीजिए और उसके बाद आप स्पष्टीकरण मांग सकते हैं। प्रो॰ कुरियन, आप एक वरिष्ठ सदस्य हैं और आप मंत्री भी रहे हैं। मुझे अपनी बात पूरी कर लेने दीजिए और उसके बाद आप स्पष्टीकरण मांग सकते हैं...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

आपने कहा कि बंगलौर में सुविधायें नहीं है और कोई सूचना नहीं दी गई है। मैं आपको बतलाता हूं। बंगलौर में भी सूचना दी गई है। इस बारे में आप पता कर लें। सूचना नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर है, निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पर है और सूचना साइट पर है। मैं जब तीनों अस्पतालों-एस्कार्ट, सन-फ्लाइट् और डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में गया, तो मैंने कहा कि वहां पर भी सूची टांग दें। बारह लोगों में से एक गार्ड है और बाकी ग्यारह में से पांच की पहचान हो गई है। इन पांचों के नाम सब जगहों पर भेज रहे हैं। एक बच्ची दो साल की थी, उसका नाम प्रिया है। सब लोगों के आग्रह करने पर इस बच्ची का नाम पता लगा। चाह रहे थे कि टी.वी. पर फोटो के साथ बच्ची को दिखाया जाए इसलिए उसका नाम पता करवाया, जो कि बाद में पता लगा। ड्राइवर को एस्कार्ट में भरती कराया गया है। जो भी सूचनाएं आ रही हैं, उनको हर जगह हम भेजने का काम करेंगे। हमने यहां तक कह दिया है कि किसी भी परिवार के लोग, कहीं से भी बुलाना हो चाहे ट्रेन से या प्लेन से, उनका खर्चा भी रेलवे उठाने को तैयार है। 3-4 केसेस ऐसे हैं जो सीरियस इंजरी के हैं। जिनको मामूली चोटें आई हैं, उनको दो हजार रुपये और जिनको थोड़ी ज्यादा चोटें आई हैं, उनको दस हजार रुपये देने की बात है। उसको दस हजार दिया है। जो मृतक हो गए हैं उनके परिवार को एक्स॰ग्रेशिया के रूप में 20 हजार दिया है। हमारे जितने भी पैसेंजर्स होते हैं वे सारे के सारे इंश्योर्ड होते हैं उनके लिए दो लाख रुपए का प्रावधान है लेकिन हमने इसको बढ़ाया है। महंगाई को देखते हुए इस राशि को दो लाख से बढ़ा कर चार लाख कर दिया जाए और उसके लिए हम स्वयं प्रयत्नशील हैं। इसलिए यह एक ऐसी घटना है और हमको इस बात का दुख है मैं जब से मंत्री बना हूं, हमको नहीं कहना चाहिए था लेकिन हमको

थोड़ा यह लगता था, मैं कई बार कह चुका था कि कम से कम हमारे मंत्रिमंडल के समय में अम्बाला में, भटिंडा में हुआ या कोकराझार में तीन बम का एक्सप्लोजन जरूर हुआ। लेकिन यह जो घटना थी इसमें प्राइमाफेमी में ड्राइवर की गलती से ये सारी की सारी घटना हुई। लेकिन हम दूसरा ऐंगल भी देख रहे हैं कि जो गाड़ी पीछे से आ रही थी तो आगे वाली गाड़ी को स्टेशन पर से तुरंत खोलने की क्या जरूरत थी, उसको स्टेशन पर रोका भी जा सकता था जब कि वह गाड़ी पास न हो जाती। लेकिन बतलाया गया कि यह लाईन इतनी बिजी लाईन है जैसे मुंबई में एक-दो मिनट के अंदर गाड़ी चलती रहती है उसी तरीके से फरीदाबाद और इसके बीच में गाड़ी चलती रहती है। इसलिए हम स्वयं देख रहे हैं और हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि इसमें हम में और आप में क्या अंतर है। हम जो चीज उधर बैठ कर डिमांड करते रहते हैं वही चीज हम यहां भी करने को तैयार है। आप स्वयं बैठ जाइए, कुछ माननीय सदस्य गए भी हैं, 15-20 माननीय सदस्य जाना चाहते हैं आप वहां से हो आइए, वहां से आप जो भी रिकोमेंड कीजिए हम रेल मंत्री जी की हैसियत से उसे मानने को तैयार हैं, यह हम आपको घोषणा करना चाहते हैं।

[अनुवाद]

प्रो॰ पी॰जे॰ कुरियन (मवेलीकारा) : क्या वह यात्रियों की सूची दे सकते हैं?...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : यह बात उन्होंने पहले ही मान ली है।

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान : जितने घायल लोग हैं और जिनका आइडेंटिफिकेशन हुआ है, जिनकी मृत्यु हुई है मैं उनकी लिस्ट पार्लियामेंट में रख दूंगा, आप माननीय सदस्य उसको ले लें।

[अनुवाद]

श्री अनंत कुमार : मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूं।

सभापति महोदय : आप जाकर मंत्री जी से मिल सकते हैं और सभी स्पष्टीकरण मांग सकते हैं।

अपराह्न 3.27 बजे

बिहार में हाल ही की घटनाओं से उत्पन्न गंभीर स्थिति के बारे में प्रस्ताव – *जारी*

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव (झंझारपुर) : मैं समझता हूं कि सदन में बहुत ही महत्वपूर्ण लोक महत्व विषय पर चर्चा हो रही है। इस चर्चा के दरम्यान कई माननीय सदस्यों ने अपने विचार रखने का काम किया है। आज देश नाजुक दौर से गुजर रहा है। मैं बहुत ही तकलीफ और दर्द से सदन में अपनी वेदना रखने का काम कर रहा हूं, क्योंकि बहुत ही अहम् विषय पर सदन में चर्चा हो रही है। यह प्रस्ताव प्रतिपक्ष के नेता ने रखा है। मैं कहना चाहता हूं कि खास कर आज बिहार नाजुक दौर से गुजर रहा है। भ्रष्टाचार संपूर्ण रूप से शिष्टाचार बनता जा रहा है। मैं बिहार की बात कह रहा हूं, लेकिन यह पूरे देश का मामला है इसको संपूर्णता से देखना चाहिए तब हम किसी नतीजे पर पहुंच सकते हैं। यह सदन सर्वोपरि है। इस सदन की शानदार गौरवशाली परम्परा रही है। सदन चाहे तो समाधान निकल सकता है और सरकार चाहे तो समाधान निकल सकता है। समाधान कोई मुश्किल नहीं है लेकिन नीयत बनानी पड़ेगी। अभी आए दिन भ्रष्टाचार पर राजनेताओं का बयान प्रेस में, मीडिया में, समाचारपत्रों में छाया रहा और इस विषय पर लोक सभा में भी लगातार लगभग चार रोज हो गए हैं इस पर गर्मागरम बहस हो रही है लेकिन इसके बाद भी क्या कारण है कि वह घटने की बजाए बढ़ता जा रहा है। समस्या को कहीं रूक जाना चाहिए, घट जाना चाहिए या कहीं थम जाना चाहिए। भ्रष्टाचार को कहीं तो रोक लगानी चाहिए। मैं इसलिए इस बात को कहना चाहता हूं क्योंकि यह विषय बहुत ही गंभीर है। इसलिए दलों से ऊपर उठ कर जब तक इस पर गंभीरता से विचार नहीं होगा तब तक कोई नतीजा नहीं निकलने वाला है, तब तक हमारे सामने कोई निष्कर्ष नहीं आएगा। केवल डिस्कशन समस्या का हल नहीं है। हम जब तक किसी डिसिजन तक नहीं पहुंचते तब तक इस डिस्कशन का कोई लाभ नहीं है। जब भ्रष्टाचार पर समय रहते काबू नहीं पाया गया तो भ्रष्टाचार ही देश पर काबू पा लेगा, यह मैं आज की 28 तारीख को कह देना चाहता हूं।

हम आजादी का स्वर्ण जयन्ती मनाने जा रहे हैं। आज से 50 वर्ष पहले भी इस देश में ऐसी समस्या थी। उस समय आजादी की समस्या थी। आजादी की समस्या का समाधान महात्मा गांधी जी ने निकाला। महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई हुई और अंग्रेजी सल्तनत इस देश से बाहर गई। इससे हमें आजादी मिली। हमें इस आजादी पर भी सोचना पड़ेगा। हम आज कहां पहुंचे है? हम आजादी के पीछे जा रहे हैं या आगे जा रहे हैं, इस पर गौर करना पड़ेगा।

श्री राजीव प्रताप रूडी (छपरा) : आप एक ईमानदार मंत्री थे। इसलिए आपको मंत्रिमंडल से निकाल दिया गया।

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : ऐसी बात यहां कहना ठीक नहीं है। मैं अपनी बात कह रहा हूं। आजादी के समय जो मुख्य समस्याएं थीं, उनका गांधी जी ने समाधान निकाला। करोड़ों लोगों ने महात्मा गांधी जी को पूज्य बापू जी और राष्ट्रपिता कह कर सम्मान देने का काम किया था। डा. भीमराव अम्बेड़कर, महात्मा फूले, डा. राम मनोहर लोहिया ने इस देश की सामाजिक विषमता, गैर-बराबरी को प्रमुख समस्या माना था और अपने-अपने तरीके से उन लोगों ने उसका समाधान किया था। इस कारण करोड़ों के दिल में उनके प्रति स्थान बना हुआ हैं उन्होंने करोड़ों लोगों के दिल में जगह बनायी। समस्या

[श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव]

यहीं नहीं, 1974 में भी आंदोलन हुआ था। हम उस आन्दोलन में काफी सक्रिय थे। मैं इसलिए इस आंदोलन को याद करना चाहता हूं कि उस समय बिहार की भूमि काफी प्रयोगशाला बनी थी। नीतीश जी बैठे हुए हैं। उस छात्र आंदोलन में वह भी थे। मैं भी जिले का प्रेजिडेंट था। छात्र संघर्ष समिति बनी थी। इस आंदोलन में आए कई लोग यहां हैं। 1972 से हम इस संघर्ष में थे। उस आंदोलन में हमने अपनी एक अच्छी भूमिका निभाने का काम किया था। 1976 के आंदोलन में नारा था "भ्रष्टाचार मिटाना है, नया बिहार बनाना है।"

हमें सम्पूर्ण रूप से अपने एजुकेशन सिस्टम को चेंज करना होगा। लोकतांत्रिक मूल्यों से जुड़े सवाल उस समय उठे थे। 1974 में लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी के नेतृत्व में भ्रष्टाचार के खिलाफ भी आंदोलन हुआ था। उन्होंने हम लोगों को दिशा दी थी। एक नई स्थिति पूरे देश में आई थी। परिवर्तन तो नहीं हम कह सकते और क्रांति आई थी, यह कहना भी मुश्किल है। हजारों वर्षों समाज का जो स्ट्रक्चर बना हुआ है, इसमें क्रांति नहीं हो सकती है। कुछ तार टूट सकते हैं, लाइन उखड़ सकती है, सत्ता का परिवर्तन हो सकता है लेकिन क्रांति करना मुश्किल है। डा. लोहिया इसी सदन में प्रतिपक्ष के नेता थे। उनको हमारे प्रधान मंत्री जी, गृह मंत्री जी, चन्द्रशेखर जी जो कि इस समय सदन में नहीं है और शरद पवार जी जानते हैं। लोहिया जी इस सदन में काफी भाषण देते थे। जब एक पत्रकार ने उनसे पूछा कि इस देश में क्रांति होगी या नहीं तो उन्होंने कहा था कि क्रांति नहीं कुछ उथल पुथल हो सकती है। चूंकि जिस के लिए हम क्रांति करना चाहते हैं, वह बेखबर हैं और जिस के खिलाफ क्रांति करना चाहते हैं, वह खबरदार है, सचेत हैं। दोस्त बेखबर और दुश्मन चोकन्ना तो क्रांति कैसे होगी। जो क्रांति का दुश्मन है, जो पूंजीपति है, जो बड़े इजारेदार है, करोड़पति हैं, वे ऐसे परिवर्तन को नहीं होने देंगे। जो गरीब इसके हिमायती हैं, उनको जानकारी नहीं है। मैंने इसलिए इसका जिक्र किया कि 1988-89 में भी आंदोलन हुआ था। उस समय भ्रष्टाचार को मुद्दा बनाया था। आपको याद होगा... *(व्यवधान)* 1988-89 में बोफोर्स के नाम पर, मुझे बहुत अचरज होता है, दुख होता है, कभी कभी वक्त भी इंसान को आईना दिखा देता है। आईने में आदमी अपना चेहरा जल्दी नहीं देखता। वक्त ने बिहार में आज एक इंसान को आईना दिखा दिया है। मैंने इसलिए इस बात का जिक्र किया कि 1989-90 में विश्वनाथ प्रताप सिंह जी ने बोफोर्स के सवाल को लेकर जन-चेतना जगाने का काम किया था, समर्थन जुटाने का काम किया था, संघर्ष छेड़ने का काम किया था। उनको कामयाबी मिली और नेशनल फ्रंट की सरकार बनी। 1989 में भी हम पार्लियामेंट में जीतकर आए थे और 1977 में भी हम असेम्बली में चुनाव जीते थे। स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी के लिए मैंने 1977 में विधान सभा से इस्तीफा दिया था। आज 19 साल हो गए हैं। उस समय से मैंने इस्तीफे की राजनीति शुरू की थी। इसलिए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि मैं यहां रहूं या न रहूं, दिल में जो था वह मैंने किया। किसी पद की लालसा मुझे नहीं है। जो कुर्सी छोड़ता है, कुर्सी उसका पीछा करती है और जो कुर्सी पकड़ लेना चाहता है, उसकी कुर्सी जाती है। बिहार में कुर्सी कभी आएगी नहीं। "जल का दीप न जल पाएगा, छल का राज न चल पाएगा", यह मैं आपसे कहना चाहता हूं। मैंने इसीलिए इस बात का जिक्र किया कि आज भ्रष्टाचार की जड़ों ने इस देश के हर अंग में इतनी गहरी पेठ बना ली है कि मात्र तकरीर करने से, उपदेश देने से और इंटैलैक्चुअल में बड़ा भारी प्रस्ताव पास करने से इस रोग का निदान नहीं होने वाला है। मैं इसको साफ तौर से प्रोसीडिंग्ज में दर्ज कराना चाहता हूं।...*(व्यवधान)*

श्री नीतीश कुमार (बाढ़) : ये आप किसको कह रहे हैं?

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : किसी व्यक्ति की बात नहीं है। यह सबके लिए कह रहा हूं।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : शांति से बोलने दीजिए।

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : हम पहले ही कह चुके हैं कि हम दल से ऊपर उठकर बात करना चाहते हैं। ये लोग इंटरप्ट करते हैं। यदि समय रहते भ्रष्टाचार को बरबाद करने की योजना हमने नहीं बनाई तो भ्रष्टाचार ही देश को बरबाद कर देगा। यह मुझे भरोसा है इसलिए मैं इस बात को पूरे आत्मविश्वास से कहना चाहता हूं। समय रहते आप योजना बनाइए। योजना बनाना सरकार का भी काम है और आप लोगों का भी दायित्व हैं ऐसा नहीं है कि सदन में आप बैठे हैं तो आपका उत्तरदायित्व नहीं है। यह सर्वोच्च सदन है जिसकी गौरवमयी परंपरा रही है और कई इम्तिहान इस सदन ने दिये हैं जब कोई समस्या देश के सामने आई। उसके हल भी निकले हैं। इसलिए सदन सर्वोपरि हैं। मैं सदन के सभी सदस्यों से निवेदन करता हूं कि आप भी और केन्द्र सरकार और हमारे प्रधान मंत्री भी बैठे हैं जिन्होंने साफ-साफ ऐलान किया है और जनता को भ्रष्टाचार के खिलाफ जन-आंदोलन छेड़ने के लिए कहा है।...*(व्यवधान)*

श्री सत्य पाल जैन (चण्डीगढ़) : जनता तो पहले ही तैयार बैठी है। प्रधान मंत्री तो कुछ कहें।...*(व्यवधान)*

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : प्रधान मंत्री जी ने ऐलान कर दिया है सार्वजनिक रूप से सभाओं में...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : इतनी टोका-टाकी मत कीजिए। बोलने दीजिए।

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : मैंने कहा कि प्रधान मंत्री जी ने कहा है जन आंदोलन के लिए जनता को तैयार रहने के लिए, लेकिन प्रधान मंत्री जी से भी मेरा निवेदन है कि सगुण और सकारात्मक रूप देने का काम हमारी सरकार करती है इस भ्रष्टाचार के खिलाफ और सदन में रहकर भी आप लोग इस पर अपनी राय से किसी नतीजे पर पहुंचिए। प्रधान मंत्री जी ने रुख स्पष्ट कर दिया है कि भ्रष्टाचार से कोई समझौता यूनाइटेड फ्रंट का नहीं हो सकता हैं उन्होंने अपना रुख स्पष्ट कर दिया है और हम आपसे कहना चाहते हैं कि जिस पार्टी

से, जिस जनता दल से हम आते हैं, जनता दल को विरासत में जो चीज मिली है, देश के सामने और आपके सामने उसका चित्र स्पष्ट है। भ्रष्टाचार के मुद्दे पर हम टूट सकते हैं लेकिन हम झुक नहीं सकते। यह हमने साबित कर दिया है और हम इसके लिए लड़ेंगे। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदया, जो अपना देश हिन्दुस्तान है वह दुनिया का सबसे बड़ा प्रजातांत्रिक देश है। आज दुनिया के इस सबसे बड़े डैमोक्रेटिक कंट्री में भ्रष्टाचार इतनी गहरी जड़ें जमा चुका है जिसके कारण आम आदमी पीड़ित है।

सभापति महोदय : देवेन्द्र प्रसाद जी, आप कितना समय और लेंगे?

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : सभापति महोदया, मैं जनता दल से बोलने वाला अकेला व्यक्ति हूं। मैं अनुशासित सदस्य हूं। जब आपका इशारा हो जाएगा, मैं बैठ जाऊंगा।

सभापति महोदय : मैं इसलिए पूछ रही हूं क्योंकि मेरे पास वक्ताओं की अभी बहुत लंबी लिस्ट है।

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : सभापति महोदया, मैं कहना चाहता हूं कि देश में भ्रष्टाचार इतना फैल गया है कि आज आम जनता कराह रही है और इसके साथ-साथ जो लोकतांत्रिक संस्थाएं हैं उनका भी अवमूल्यन होने की स्थिति आ गई है। ये दोनों सवाल एक साथ उठ खड़े हुए हैं। भ्रष्टाचार बढ़ रहा है जिसके कारण आम जनता परेशान है और इसी भ्रष्टाचार के कारण आज स्थिति ऐसी बनती जा रही है जिससे राजनीतिक संस्थाओं का अवमूल्यन शुरू गया है। हम अपनी आजादी की 50वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में स्वर्ण जयन्ती समारोह मनाने जा रहे हैं, लेकिन 50 साल की आजादी में हमने यह पाया है कि आज इस भ्रष्टाचार के कारण हमारी लोकतांत्रिक संस्थाओं को चोट पहुंचनी शुरू हो गई है। जो भी इन संस्थाओं को चोट पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी शक्ति को खत्म करने का संकल्प आज हमें लेने की जरूरत है।

सभापति महोदया, मैं यह बात इसलिए कह रहा हूं यदि लोकतांत्रिक संस्थाओं का अवमूल्यन हो जाएगा, तो सामाजिक न्याय और धर्मनिरपेक्षता की लड़ाई बंद हो जाएगी जिसका सबसे ज्यादा नुकसान देश के गरीब लोगों को होगा। यदि लोकतंत्र का दरवाजा बंद होता है, तो वोट का राज खत्म होता है और यदि वोट का राज खत्म होता है तो गरीबों का राज खत्म होता है और सामंतशाही बढ़ती है। जब संख्या बल खत्म होगा लोकतंत्र में भी तूफान आ जाएगा और जो संख्या बल है वह भी ऐसे मौके पर काम नहीं आएगा और फिर सिद्धांत बल तूफान से दब जाएगा और जब यह दबेगा, तो फिर हिन्दुस्तान नहीं रह पाएगा। सामाजिक न्याय का मतलब लोकतांत्रिक मूल्यों को समाप्त करना नहीं हैं जो लोक मर्यादा है, उसके बिना लोकशाही नहीं चलती है। व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह डैमोक्रेटिक नहीं होगा, तो वह सैकुलर नहीं रह पाएगा और जब वह सैकुलर नहीं रह पाएगा, तो जो लोग आज सैकुलरिज्म की बात करते हैं, सैकुलरिज्म के ऊपर चिंघाड़ते हैं वे भी नहीं चल पाएंगे।

सभापति महोदया, मुझे यह कहने के लिए क्षमा किया जाएगा कि बिहार में कुछ लोग इस बारे में बहुत जोर-जोर से लोग बोले हैं और उन्होंने बड़ा भारी सैकुलर का खिताब लिया है। जिनके जहन में, जिनके चरित्र में डैमोक्रेसी में विश्वास नहीं होगा, वह व्यक्ति या समूह सैकुलर नहीं हो सकता है।

श्री नीतीश कुमार : डैमोक्रेसी या लालूक्रेसी?

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : नहीं, मैं व्यक्ति की बात नहीं कर रहा हूं।

सभापति महोदया, हम लोग जिस परंपरा को मानने वाले लोग हैं और जो यह प्रजातांत्रिक पद्धति है, यह केवल शासन पद्धति नहीं है, बल्कि यह जीवन शैली है। आचार्य नरेन्द्र देव ने कहा था, यह लोकतंत्र जीवनशैली की पद्धति है। इसलिए समाज को चलाना लोकतंत्र की बुनियाद है, यह केवल शासन पद्धति नहीं है। यदि इस पद्धति को रोका गया, इस जीवनशैली को रोका गया या रोकने की कोशिश की गई, तो एक्सीडेंट होगा। मैं आपको दिल्ली ट्रैफिक पुलिस का एक उदाहरण देना चाहता हूं। जब दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की रैड लाइट हो जाती है, तो चाहे कितना भी बड़े से बड़ा व्यक्ति हो, उसको रूकना पड़ता है। ठीक है, कुछ ये एरियाज भी होंगे जहां रैड लाइट बहुत कम हैं। लेकिन जब भी रैड लाइट होती है दिल्ली का ट्रैफिक रूक जाता है।...*(व्यवधान)* मैं उसी पर बोल रहा हूं आप समझिए तो। ट्रैफिक रैड लाइट के सहारे चलता है। बड़े से बड़ा व्यक्ति भी रैड लाइट होने पर रूक जाता है। यदि व्यक्ति लोकतांत्रिक मूल्यों को, डैमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन की मर्यादा को नहीं मानेगा तो क्या होगा। तब न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका में क्या होने वाला है। इसलिए मैंने निवेदन किया कि जिस तरह रैड लाइट के सहारे दिल्ली का ट्रैफिक चलता है उसी तरह इंसान को अपने आप भी आत्मचिंतन करना होगा कि हमको क्या करना चाहिए।

कुछ लोगों ने सवाल उठाया था कि संविधान में नैतिकता नहीं है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या संविधान में कहीं इनडीसैंट बिहेवियर करने का लिखा हुआ हैं घोटाले और भ्रष्टाचार से आर्थिक बरबादी होती है। जिस दिन नैतिक गिरावट हो जाएगी, जब नैतिक मूल्यों का हास होगा, देश को बरबाद करने के लिए यही काफी है। आज संविधान बनाने वाले ने जिनके हाथ में बंदूक दी है, उनको फायरिंग करने की इजाजत नहीं दी। फायरिंग कौन करवाता है? उसके लिए मैजिस्ट्रेट नियुक्त है। मैजिस्ट्रेट के आदेश से फायरिंग होगी। आपने सिपाही को बंदूक दे दी है लेकिन फायरिंग वह नहीं कर सकता। यह संविधान कहता है। यह एक दूसरे से जुड़ी हुई चीज है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में एक दूसरे का अलग अधिकार है। मैं इस बात को इसलिए कहना चाहता हूं कि जैसे कानून को लागू करने के लिए सर्वोच्च सदन है, आज कानून बनाने का अधिकार संसद को है लेकिन कानून को इम्प्लीमैंट करने को अधिकार कार्यपालिका के जिम्मे हैं। मैंने इस बात

[श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव]

को इसलिए कहा कि स्वेच्छाचारिता से लोकतंत्र नहीं चल सकता। चाहे बड़े से बड़ा व्यक्ति हो, स्वेच्छाचारी बनने से लोकतंत्र का दफन हो जाता है। इसलिए सहमति से होगा, आम राय से होगा, ऐसे नहीं चल सकता।...*(व्यवधान)*

अंत में मैं यह कहना चाहता हूं कि आजादी के पचास वर्षों में हम देश को क्या देने जा रहे हैं, यह सोचना होगा। यह दुनिया का सबसे बड़ा प्रजातांत्रिक देश है। अभी सदन में बैठे हुए श्री नवल किशोर राय ने टोक दिया तो मुझे याद आ गया। यह हमारा सौभाग्य है कि प्रधानमंत्री जी इस समय सदन में मौजूद हैं और इस डिबेट को सुन रहे हैं। 21 तारीख को हम बिहार के सीतामढ़ी जिले में गए थे। भारत सरकार के केन्द्रीय रेल मंत्री श्री राम विलास पासवान और जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री शरद यादव समारोह में भाग ले रहे थे। मैं खुद भी उसमें उपस्थित था। नवल किशोर राय जी सीतामढ़ी लोक सभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। मुजफ्फरपुर से सीतामढ़ी बड़ी रेल लाइन परियोजना का शिलान्यास समारोह था। समारोह के रास्ते में एक जगह हमारी गाड़ी पर पत्थर पड़े। यह मैं नहीं कहता, होम मिनिस्टर साहब मौजूद हैं, रिकार्ड देख लेंगे कि क्या लिखा हैं इन्टैलीजैंस ब्यूरो ने क्या रिपोर्ट दी है। एक मंत्री के जरिए किस तरह की साजिश की गई। एक मंत्री तीन दिन से कैम्प कर रहा था कि किसी तरह से भारत सरकार के केन्द्रीय मंत्री का प्रोग्राम, देवेन्द्र यादव और शरद यादव को किसी तरह घुसने नहीं देना। उस मंत्री ने तीन दिन पहले क्या क्या इंतजाम किया था। सब इंतजाम तो फेल हो गए। जब हम मीटिंग में गए तो उस सभा में डेढ़ लाख लोगों ने भाग लिया। जब नवल किशोर राय अध्यक्ष के तौर पर भाषण करने के लिए खड़े हुए तो उसी समय बम फूट गया। विस्फोट हुआ, मैं इसीलिए इसका जिक्र करता हूं, मैं चश्मदीद ग्वाह हूं। सभा में दो आदमी सीरियस घायल हुए, एक आदमी को हल्की चोंटे लगीं।...*(व्यवधान)* एक मिनट सुन लो भाई। वह सारी रिपोर्ट तो आई.बी. के पास होगी। रिपोर्ट की बात मैं नहीं कहना चाहता, वह तो हमारे होम मिनिस्टर साहब देखेंगे। मैंने होम मिनिस्टर साहब को पर्सनली पत्र भी लिखा है कि इस तरह की घटना घट रही है। आई.बी. की रिपोर्ट आपके पास होगी, आप देख सकते हैं कि क्या हो रहा है। बिहार में लोकतंत्र का मजाक हो रहा है। हिन्दुस्तान मे जो संविधान हमको दिया, उसमें अभिव्यक्ति की, फ्रीडम की, स्पीच करने की, सभा करने की आजादी है, उस पर भी बैन हो रहा है। मैं इसीलिए इसका जिक्र किया।

हम लोग वहां की उस धरती से आते हैं, जहां गौतम बुद्ध को ज्ञान मिला था और दुनिया में कई देशों को ज्ञान का प्रकाश मिला। चीन हो, जापान हो, उस ज्ञान से वे देश आगे बढ़े। बिहार आज अधोगति की तरफ चल रहा है। हम लोग उस धरती से आते हैं, जहां डा. राजेन्द्र बाबू ने हिन्दुस्तान में कीर्तिमान स्थापित किया। हम लोग उस बिहार से आते हैं, जिस बिहार में लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने अपनी कर्मभूमि बनाई है। उस बिहार से हम लोग आते हैं, जहां जननायक कर्पूरी ठाकुर ने सामाजिक न्याय का संघर्ष किया था। हम लोग उस बिहार से आते हैं, जिस बिहार में, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हमारा सौभाग्य है कि हमारे प्रधान मंत्री जी भी राज्य सभा के सदस्य बनकर आते हैं। मैं इसीलिए इस बात को कहना चाहता हूं कि यह हमारा सौभाग्य है। वहीं बिहार है, जहां महात्मा गांधी जी ने चम्पारण को प्रयोगस्थली बनाया था। चम्पारण का भितहरबा आश्रम आज भी है। महात्मा गांधी ने भी उसको कर्मभूमि बनाने की कोशिश की थी, उसे चुना था। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि आज उस बिहार की पहचान और वह बिहार कैसे चल रहा है, उसकी कल्पना आप नहीं कर सकते। न संविधान निर्माताओं ने कभी कल्पना की होगी, संविधान निर्माताओं ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि बिहार में क्या हालत होगी, कानून और व्यवस्था की। क्या स्थिति बिहार में है। मैंने केवल एक घटना का जिक्र मात्र किया, यदि मैं घटनाओं का जिक्र करने लगूं तो घंटों हो जायेंगे, क्योंकि वहां शासन कोर्ट के आदेश से चलता है। कर्मचारी को पेमेंट लेना है, अपील दायर करिये, पेमेंट मिलेगा। शिक्षक को पेमेंट लेना है तो कोर्ट में अपील दायर कीजिए, याचिका दीजिए, कोर्ट का आदेश होगा और शिक्षक को पेमेंट होगा। यदि नगरपालिका के पानी का एन्क्रोचमेंट हटाना है तो हाई कोर्ट पटना में जाइये, अपील कीजिए, हाई कोर्ट कहेगा, इस 10 फीट पानी को पांच दिन में पटना से खाली करा दीजिए। क्या राम कृपाल जी बोले हैं?

श्री राम कृपाल यादव : पहले क्यों नहीं बोले थे?

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : मैं पहले भी बोलता था। मैं दसों बार लालू जी के सामने बोला हूं।...*(व्यवधान)* अरे बोलोगे तो बैठ जाएंगे, हम पप्पू यादव नहीं हैं।

श्री नीतीश कुमार : राम कृपाल जी, आप भी कुछ दिन में बोलिएगा, चिंता मत कीजिए।

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : मैंने दस्तखत नहीं किया, अपनी मर्यादा और साहस के...*(व्यवधान)* साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया है।

श्री राम कृपाल यादव : हम लोग आपके जैसे नहीं हैं।

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : मैंने इस लड़ाई में कुर्सी छोड़ दी है। इस स्वेच्छाचारिता के खिलाफ मैंने कुर्सी छोड़ना पसन्द किया, आप क्या बोलते हो। मैंने उनकी तानाशाही को बर्दाश्त नहीं किया। मुझमें यह हिम्मत है, चरित्र बल से मैं दुनिया के किसी भी अभेद्य रास्ते को भेद दूंगा, यह मेरे पास करैक्टर है। जिसके पास करैक्टर नहीं है, वह हमारे सामने क्या बोलेगा। दूसरों पर चीखना, हम पर मत चिल्लाना।

मैंने इसीलिए आपसे निवेदन किया, आपसे प्रार्थना की कि हम लोग जिस पार्टी में हैं...*(व्यवधान)* अंत में मैं एक ही बात कहकर अपनी बात खत्म करूंगा। जनता दल ने अग्निपरीक्षा दी थी। यहां

होंगे,...*(व्यवधान)* एम.एल.ए. लोग हैं, बहुत एम.एल.ए. हैं। मैं लास्ट में यही अनुरोध करूंगा कि जनता दल अग्निपरीक्षा दे चुका और जो डा. लोहिया की राजनीति का आधार था, वह नैतिक आचरण था। जे.पी. की सम्पूर्ण क्रांति भी नैतिकता पर आधारित थी ...*(व्यवधान)*

श्री नीतीश कुमार : आप जिस जनता दल मे हैं, उसके हाउस में लीडर कौन है?

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : प्रधान मंत्री जी लीडर हैं।

श्री नीतीश कुमार : लीडर हैं?

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : हां।

श्री नीतीश कुमार : अभी तक इलैक्टिड नहीं हैं। अभी भी जे.डी. के कोई इलैक्टिड लीडर नहीं हैं। अब आपके कई लोग तो आर.जे.डी. में चले गये हैं।

श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव (पूर्णिया) : राजनीति में भ्रष्टाचार क्यों होता है, इसलिए होता है कि जब राजनीति का अराजनीतिकरण हो जाता है, जैसा बिहार में हो चुका है। इससे राजनैतिक मुद्दे पीछे हट जाते हैं और व्यक्तिवाद तथा परिवारवाद आगे आ जाते हैं...*(व्यवधान)* मैं किसी व्यक्ति पर नहीं बोलना चाहता, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि जहां वोट का सवाल था तो कोर्ट में लोग चले गए। हमने जनता दल में आंतरिक लोकतंत्र बहाल करने के लिए कुर्बानी दी है और हमने तानाशाही के खिलाफ झुकने का काम नहीं किया। पार्टी के अध्यक्ष का चुनाव होना था, लेकिन पार्टी टूट गई और कुछ लोग अलग हो गए। एक दिन पहले अध्यक्ष का चुनाव होना था तो उसके खिलाफ लोग कोर्ट में चले गए कि किसी तरह से चुनाव रोक दिए जाएं। जबकि चुनाव पार्टी लोकतंत्र की आत्मा होती है, चाहे पार्टी के अंदर हों या बाहर हों। हम आत्मा को कभी बेच नहीं सकते इसीलिए लोकतंत्र को जिंदा रखने के लिए चुनाव हुए और शरद यादव जी राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। यही है जनता दल का लोकतंत्र और उसकी पहचान। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि जनता दल ने कुर्बानी दी है। जहां वोट का सवाल आया, पार्टी के कुछ लोग कोर्ट में जा रहे हैं और जहां कोर्ट का सवाल आया तो ये लोग वोट का सवाल उठाते हैं। कहते हैं कि हम तो लोगों द्वारा जीतकर आए हैं, कैसे हटेंगे। क्या इसी तरह से लोकतंत्र चलेगा? ...*(व्यवधान)*

मैं समझता हूं मेरी बात से कुछ माननीय सदस्यों को तकलीफ हो रही है। मैं अपनी बात को पूर्ण विराम लगाना चाहता हूं।

मैं अंत में कहना चाहता हूं कि भ्रष्टाचार के मामले में देश में भ्रम फैलाने की इजाजत किसी को नहीं दी जाए। जो व्यक्ति यह कहता हो कि मैं सद्दाम हुसैन हूं, उसके विषय में क्या कहूं ...*(व्यवधान)* उन्होंने कहा या नहीं, मैं नहीं कह सकता, लेकिन अखबारों में आया है।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : आप चेयर को एड्रैस कीजिए। बीच-बीच में रनिंग कमेंट्री नहीं होनी चाहिए।

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : सद्दाम हुसैन ने अच्छा किया या बुरा किया, यह एक संवेदनशील मुद्दा है। लेकिन सद्दाम हुसैन अपने राष्ट्र के स्वाभिमान को बचाने के लिए लड़े थे, भ्रष्टाचार को बचाने के लिए नहीं लड़े थे। इसलिए मैं यही निवेदन करूंगा इस सदन से और अपने प्रधान मंत्री जी से कि भ्रष्टाचार पर हर हालत में तुरंत काबू पाया जाए। अगर भ्रष्टाचार बढ़ेगा तो देश में आतंक, अंधकार और भय आएगा। क्योंकि यही भय, अंधकार और आतंक की जड़ है। भ्रष्टाचार द्वारा ही कालाधन आता है जिससे आतंकित किया जाता है। इसलिए लोकतंत्र को बचाने के लिए भ्रष्टाचार को खत्म करें और लोकतंत्र को बचाया जाए।

इतना ही कहकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री राधा मोहन सिंह (मोतीहारी) : सभापति महोदया, मैं आपका बड़ा आभारी हूं कि आपने मुझे इस विषय पर बोलने का अवसर दिया। इसके साथ ही मैं अपने उस मित्र की भर्त्सना करना चाहता हूं जिसके कुकर्मों के कारण आज हमारा बिहार पूरे देश और विदेश में और इस सदन में भी चर्चा का विषय बना हुआ है। मेरे पूर्व वक्ता जब बोल रहे थे तो कोर्ट की चर्चा कर रहे थे। कोर्ट ने बिहार के बारे में कहा कि वहां जंगल राज है। ऐसा कोर्ट द्वारा कहना बिहार में अपराध और अपराधियों की खिल्ली उड़ाने जैसा लगता है।

अपराह्न 5.00 बजे

क्योंकि जंगल का भी अपना एक राज होता है। उसका कानून और कायदा होता है। लेकिन बिहार राज्य के अंदर न तो कोई कानून है न कोई कायदा है। आज बिहार के अंदर चार-चार सरकारें चल रही हैं। एक सरकार नहीं है, वहां चार-चार सरकारें चल रही हैं। पहली सरकार बिहार के बड़े भू-भाग में उग्रवादियों की चल रही है। अब उग्रवादियों की कैसी सरकार चल रही है? भारत सरकार के संचार मंत्री यहां नहीं बैठे हुए हैं। उनको पता होगा कि पलामू इलाके में दूर संचार विभाग ने 235 स्थानों पर दूर संचार सेवा का विस्तार किया हैं उग्रवादियों ने उसको ध्वस्त कर दिया, उनको नहीं चलने दिया। उग्रवादियों की सरकार बिहार के एक बड़े भू-भाग में और खासकर उस भू-भाग में जहां गौतम बुद्ध और महावीर जैन ने पटना, गया और नालंदा से अहिंसा का संदेश दिया था, आज वही इलाके उग्रवादियों की चपेट में हैं। नक्सलियों ने पिछले कुछ वर्षों के अंदर इन इलाकों में जहां गौतम बुद्ध और महावीर जी ने उपदेश दिया था, वहीं पर पुलिस की 87 राइफलें छीन ली थीं। वे राइफलें पुलिस की थीं, पब्लिक की नहीं थीं। पांच बंदूकें और तीन रिवॉल्वर थाने से छीनकर ले गए थे। एक बड़े भाग में उग्रवादियों की सरकारें हैं और जो बाकी बचा है, वहां पर अपराधियों की सरकार है।

[श्री राधा मोहन सिंह]

मैं माननीय प्रधान मंत्री के सामने, सरकार के सामने सारी घटनाओं का जिक्र तो नहीं कर सकता, लेकिन मैं जिस मोतीहारी इलाके से चुनकर आया हूं, पिछली 21 तारीख को दिन-दहाड़े पंजाब नेशनल बैंक में 18 लाख की डकैती हुई। बिहार के समाचार पत्रों में छपा है और मैं सारा तो पढ़ नहीं सकता, परंतु उसके कुछ अंशों को बिना पढ़े रह भी नहीं सकता। "आज" में यह छपा है :

उक्त अपराध कर्मी ने पुलिस तथा पत्रकारों के समक्ष जो बयान दिया कि बिहार की सत्ता में शीर्ष पर बैठे हुए राजनेता के साले विधान परिषद का संरक्षण उसको प्राप्त है तथा इस तरह की लूटी हुई राशि में से बीस प्रतिशत हिस्सा उक्त राजनेता को दिया जाता रहा है। अपराधकर्मी गौरव ने यह भी जानकारी दी कि उसके चम्पारण जिले में कई शातिर अपराधकर्मियों तथा राज्य के कई जिलों में पदस्थापित जिलों के कई पुलिस अधिकारियों समेत अनेक राजनैतिक हस्तियों से उसके ताल्लुक हैं। इन अपराधकर्मियों के पकड़े जाने की खबर ज्योंही राजधानी पटना पहुंची, तब वहां के बहुचर्चित नेताओं और पुलिस अधिकारियों के फोन की घंटियां जिला पुलिस के यहां बजने लगी। इसमें विधान पार्षद का नाम बताया जाता है। कहते हैं कि उक्त पार्षद ने पुलिस को इन अपराधियों को छोड़ने तथा उसकी पिटाई नहीं करने का निर्देश दिया। उनको धमकी दी कि अन्यथा वे अपनी नौकरी गवां बैठेंगे। यह कहा जा रहा है कि बिहार में राज बदल गया है। बदलाव जरूर हुआ हैं कल जो मुख्य मंत्री का साला था, आज मुख्य मंत्री का भाई है, पहले कोई मुख्य मंत्री था तो आज मुख्य मंत्री का पति है। कल जो मुख्य मंत्री की पत्नी थी तो आज मुख्य मंत्री है।...*(व्यवधान)* वहां अपराधियों का राज है। हमारे पप्पू यादव जी चर्चा कर रहे थे और बोल रहे थे कि राज भवन के सामने क्या हो रहा था? कई मित्र उसका विरोध कर रहे थे। लेकिन अखबार उठाकर देखिए। 25 जून के जनसत्ता में जो कुछ छपा है, उसको कैसे झुठलाया जा सकता है और लिखा है कि लालू के समर्थन में राज भवन के सामने भुंजाली और गढ़ासे लहराए। इतना ही नहीं 26 जून के जनसत्ता के मुख्यपृष्ठ पर लिखा है कि "तलवार की धार पर चल रहे हैं पटना के पत्रकार।"

मैं ये बातें अपनी ओर से नहीं कह रहा हूं। फोटो छपती हैं। ये सारी बातें अखबारों में और खुद वहां के जो मुख्य मंत्री थे, वे कहते थे - "राज करत तो ठोक के कर और नाश करत तो ठोक के कर।" यह देश का दुर्भाग्य है। उस सरकार को समझाने के लिए इतने लोगों को कसरत करनी पड़ रही है। अभी चर्चा हो रही थी कि वहां के मुख्य मंत्री क्या कह रहे थे। अभी देवेन्द्र जी बतला रहे थे कि वे कहते हैं, कि ये (सद्दाम हुसैन) हैं। मैं प्रधान मंत्री जी और सरकार को बतलाना चाहता हूं कि वे भले ही अपने आपको सद्दाम हुसैन कहते हों लेकिन पूरे बिहार में उनकी चर्चा है कि वे उनकी तानाशाही बदमिजाज अफ्रीकी तानाशाह इदि अमीन की तरह कार्य कर रहे हैं। मुख्य मंत्री और उनके मित्रों को इस प्रकार के शब्द अच्छे नहीं लगते हैं स्वाभाविक है कि प्रत्येक अहंवादी व्यक्ति को सत्य शब्द सुनने में कटु लगता है। इसमें उनका कसूर नहीं है। बिहार में उग्रवादी लोग किस प्रकार से पटना गया रेल खंड को डायनामाइट से उड़ाते हैं। देश में ऐसे बहुत कम हिस्से हैं जहां पर डायनामाइट से रेल लाइन को उड़ा दिया जाए। आजादी की लड़ाई लड़ते हुए गुलामी के दिनों में जो काम किए जाते थे, वे काम आज बिहार में हो रहे हैं।

अभी राम विलास जी और शरद यादव जी सीतामढ़ी गए थे। उस घटना का वर्णन आया है लेकिन वह चिंता का विषय नहीं है बल्कि चिंता का विषय है कि उसके बाद जब किसी सदन के माननीय सदस्य खगरिया में सम्मलेन करते हैं, आप 22 तारीख के हिन्दुस्तान में पढ़ सकते हैं कि खगरिया में राम विलास और शरद यादव जी को नहीं आने देंगे, ऐसी घोषणा छपी है। यही ऐलान चल रहा है। जब यह स्थिति है तो प्रधानमंत्री जी के खिलाफ भी इस तरह का बिहार के लिए ऐलान होगा कि बिहार में प्रधानमंत्री को भी नहीं घुसने देंगे। इन बयानों से तो लगता है कि प्रधानमंत्री जी कुछ कदम उठाने से डरते हैं। यदि डरते हैं तो यह देश का दुर्भाग्य है और प्रधानमंत्री की कुर्सी का भी दुर्भाग्य है। इस प्रकार के ऐलान और इस प्रकार की मानसिकता को बनाना कि अगर कोई हमारे खिलाफ बोलेगा तो हम उसको अपने इलाके में नहीं आने देंगे, इस आजादी का क्या अर्थ है। पूरे देश में साधारणतया जो अपराधी होते हैं, वे कारागार में होते हैं और कानून के मानने वाले जो लोग होते हैं, वे स्वच्छन्द रूप से विचरण करते हैं। लेकिन बिहार में इससे विपरीत स्थिति है। वहां जो कानून के मानने वाले लोग हैं, वे छः बजे के बाद घर में बंद हो जाते हैं और अपराधी बिल्कुल स्वतंत्र रूप से विचरण करते हैं।

चम्पारण की चर्चा अभी देवेन्द्र जी ने की है। महात्मा गांधी ने जहां से आजादी के लिए लड़ाई का बिगुल बजाया था, आज उसकी क्या हालत है। पटना, गया, जहानाबाद की क्या हालत है। जंगल से भी बदतर स्थिति आज बिहार की हो गई हैं बिहार के अंदर जितनी घटनाएं हो रही हैं, उसको देखते हुए मुझे तुगलक का जमाना याद आ रहा हैं राजा तुगलक बिना कुछ सोचे समझे अपने अनुयायियों से कहते थे कि दिल्ली से दौलताबाद चलो और फिर वहां से लौटकर आते थे। बिहार में भी यही हो रहा है और एक शब्द है "रैली", स्त्रीलिंगवाची है। इस शब्द से पूरा जोश नहीं आता है इसलिए इसको पुलिंग वाची बनाना है और रैली से रैला बना दिया। और सभी अनुयायी रैला बोलने लगे।

प्रो॰ रासा सिंह रावत (अजमेर) : इतनी गंभीर चर्चा है और सरकार की तरफ से कोई भी मंत्री प्वाइंट्स नोट करने वाला नहीं है।

सभापति महोदय : जेना साहब, आपके मंत्री कहां है? कौन नोट कर रहा है?

...(व्यवधान)

सभापति महोदय : नोटिंग हो रही है।

...(व्यवधान)

श्री राधा मोहन सिंह : अभी मैं बिहार के अपराध की चर्चा कर रहा था। मैं इसके विस्तार में नहीं जाना चाहता लेकिन सदन को

आपके माध्यम से यह बताना चाहूंगा कि सिर्फ 1991 से 1994 तक जो रिपोर्ट थी वह अखबारों में भी छपी फरवरी, 1994 नई दुनिया, इन्दौर, संस्करण में जो रिपोर्ट गृह मंत्रालय को भी आई थी। चार वर्ष के अंदर बिहार में 30 हजार हत्याएं हो चुकी हैं। मैं 1991 से 1994 की बात कर रहा हूं उसके बाद यह क्रम बढ़ा है। चार वर्षों में 30 हजार हत्याएं, 10 हजार से अधिक अपहरण, मानो अपहरण बिहार के अंदर एक प्रकार की इंडस्ट्री बन गई। यह छह-सात वर्षों से जो बिहार में सरकार चल रही है, बिहार के तमाम उद्योग धंधे बिजली के अभाव में बंद हो रहे हैं। एक उद्योग, अपहरण का उद्योग तेजी से बढ़ रहा है। चार वर्ष मे दस हजार से अधिक अपहरण, तीन हजार से ज्यादा डकैती और 65 से ज्यादा नरसंहार पिछले चार वर्ष में हो चुके हैं। 558 से ज्यादा साम्प्रदायिक दंगे हुए हैं, लेकिन पूरे देश में 1990 से 94 में सबसे ज्यादा दंगे बिहार में हुए हैं। अब बिहार की जो आपराधिक स्थिति है वह पूरी दुनिया के, देश के सामने है। कोई भी बिहारी जब बाहर जाता है तो लोग पूछते हैं और उस समय हमें सिर झुकाना पड़ता है। पूरे देश में विकास की गति बढ़ रही है और बिहार की क्या हालत है? हमारी सरकार और बिहार की जो सरकार है उसके समर्थक मित्र योजना आयोग की रिपोर्ट में विश्वास करते हैं तो उस पन्ने को उलटिए और देखिए कि पूरे देश में जो विकास की गति है बिहार में उसकी गाड़ी उल्टी है, पूरे देश की विकास की गाड़ी आगे जा रही है और बिहार की विकास की गाड़ी पीछे जा रही है। बिहार के लोग 1990-91 के मुकाबले ज्यादा गरीब हैं। इस दरम्यान शासन जिनके हाथ में रहा है उन्होंने ऐसे करतब दिखाए हैं कि जिसके कारण बिहार आज पिछड़ रहा है। 1990-91 में प्रतिव्यक्ति राष्ट्रीय औसत आय 2199 रुपए थी और 1994-95 के जो उपलब्ध आंकड़े हैं उस आधार पर यह 2449 रुपए हो गई। 1990 में 2199 रुपए, उसके बाद पांच वर्ष में 2449 रुपए और बिहार में विकास की गाड़ी उल्टी चली। 1990-91 में 1204 और उसके 5 वर्ष बाद आज 1067 रुपए हैं। अब देश में जिस गति से विकास की गाड़ी आगे और बिहार में पीछे है इसका कारण बहुत साफ है कि इतने सारे घोटाले हुए, विकास की योजनाओं की मद की राशि के घोटाले हुए। आप उत्तर-बिहार में जाइए पिछले सात वर्ष में किसी भी तटबंध, नहर की मरम्मत नहीं हुई - अजीब राज्य बिहार और अजीब राजा बिहार का। अभी बाढ़ और वर्षा आई तो सदन को इस बात को जानकर आश्चर्य होगा कि बिहार में जो जल संसाधन विभाग के अभियंता प्रमुख हैं, जो बाढ़ नियंत्रण के प्रभारी हैं उनका सात दिन तक टेलीफोन कटा रहा। बाढ़ नियंत्रण विभाग की गाड़ियां जब सड़क पर आती थी तो विधि व्यवस्था के लिए की गाड़ी को ले लिया जाता था, तटबंध को देखने के लिए जब गाड़ी चलती थी तो उस गाड़ी को जिला प्रशासन विधि व्यवस्था के लिए कब्जा कर लेता था।

तटबंधों के कटाव और उनकी रक्षा का कोई उपाय नहीं हैं सात दिनों तक बाढ़ नियंत्रक का फोन कटा रहता है। हमारे मित्र राम कृपाल जी गुहार करते हैं कि पटना से कैसे पानी निकाला जाए? इनकी पटना में बड़ी लोकप्रियता है। पटना की गली गली में घूमते हैं। इन्होंने मुख्यमंत्री जी से गुहार लगायी थी। जब पटना की जनता ने गुहार लगायी और सुनवाई नहीं हुई तो हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। हाई कोर्ट के आदेश से पटना का पानी निकलता है। यह बिहार में विकास की गाड़ी के पिछड़ने का सबसे बड़ा नमूना है।

अपराह्न 5.15 बजे

[उपाध्यक्ष महोदय *पीठासीन हुए*]

महोदय, महालेखा परीक्षक की फरवरी से पहले जो नई रिपोर्ट आई, उसमें घोटालों के बारे में साफ तौर पर कहा गया। वित्तीय घोटालों के बारे में यह तथ्य भी उल्लेखनीय है जिसमें कहा गया कि अधिकांश कोषागारों का कोई मां-बाप नहीं है और वर्षों से उनके लेन-देन का कोई हिसाब-किताब नहीं हुआ। मंत्रियों के वेतन भत्ते के नाम पर करोड़ों रुपए निकाले गए। अपने आप में अजूबा बिहार राज्य ऐसा है कि जहां मंत्रियों के वेतन और भत्ते के नाम पर करोड़ों रुपए की फर्जी निकासी हुई। बाकी घोटाले जैसे चारा घोटाला, वर्दी घोटला, दवा घोटाला छोड़ दीजिए। एक बहुत बड़ा घोटाला जो वहां के मंत्री है, उनके वेतन-भत्ते के नाम पर हुआ। भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक ने बिहार के मंत्रियों के वेतन और भत्ते के नाम पर करोड़ों रुपए के अवैध एवं धूर्ततापूर्ण निकासी का रहस्योद्घाटन किया है।

प्रतिवेदन में पांच विभागों पर एक करोड़ 76 लाख रुपये गबन करने तथा चार विभागों पर जाली आबंटन पत्र के आधार पर 65 लाख 87 हजार की फर्जी निकासी का आरोप लगाया गया है। 1996 के महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन में उक्त मद में बानी मंत्रियों के वेतन-भत्ते के मद में वर्ष 1992 से 1996 के बीच 12 मंत्रियों के विभागों द्वारा पटना सचिवालय कोषागार से एक करोड़ 75 लाख रुपए के बजट के विरुद्ध 6 करोड़ 25 लाख रुपए की निकासी की गई। बजट आवंटन एक करोड़ 75 लाख था, निकासी हुई 6 करोड़ 24 लाख मंत्रियों के वेतन भत्ते में। ये आंकड़े भारतीय जनता पार्टी द्वारा नहीं दिए जा रहे हैं। इसको देखने के बाद हमारा सिर शर्म से झुक जाता है। इस स्थिति में बिहार की जनता कराह रही है। हमारे कांग्रेस के मित्र जब भाषण करते हैं और उनके भाषण को जब कोई बिहारी सुनता है तो उसे कितना कष्ट पहुंचता है? वह कह रहे थे कि हमारी गौरवशाली परम्परा है। जब किसी पर आरोप लगा तो उसने इस्तीफा दिया। इस देश में भ्रष्टाचार की अगर कोई जननी है तो यहां बैठी कांग्रेस पार्टी हैं। भ्रष्टाचारी शिरोमणी के रूप में इस देश में अगर कोई नेता जाने जाते हैं तो 99 परसैंट नेता कांग्रेस के हैं। एक लालू जी दूसरी पार्टी के हैं। बड़े-बड़े घोटाले किस के राज में हुए हैं? राबड़ी देवी जी को समर्थन देने के बारे में पता नहीं बिहार विधान सभा में इन्होंने क्या किया? कल बयान आया था कि यह राबड़ी देवी का समर्थन करेंगे। परिवर्तन हो गया है। कौन सा परिवर्तन हो गया है? कांग्रेस के नेताओं ने क्या इस फोटो को देखा है? अगर देखा होगा तो यही परिवर्तन उन्हें दिखायी देगा। इसमें सचिवालय का एक फोटो है। मुख्यमंत्री खड़े हैं, भूतपूर्व मुख्यमंत्री फोन उठाए हुए हैं, कांग्रेस के मित्रों

[श्री राधा मोहन सिंह]

बताओं यही परिवर्तन हुआ है। दूसरा अखबार देखों कैसा परिवर्तन है? मुख्य पृष्ठ पर छपा है। मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री बैठे हैं, फोन आता है, पूर्व मुख्यमंत्री फोन उठाते हैं, और बताते हैं कि क्या जवाब दिया गया। यही परिवर्तन हुआ है। अब विचार करना पड़ेगा कि आप किस रास्ते पर चल रहे हैं? बिहार से एक प्रतिनिधि हैं। अगर यही रास्ता रहा तो बिहार से आपका सफाया होगा। मैं प्रधानमंत्री से निवेदन करना चाहूंगा कि आप भ्रष्टाचार के खिलाफ बार-बार बोल रहे हैं। सदन में स्वीकार कर रहे हैं कि सीबीआई जो कुछ कर रही है, उनके निर्देशन में कर रही है। बार-बार प्रधान मंत्री जवाहर लाल नेहरू का नाम भी ले रहे हैं। मैं आपके माध्यम से उनसे कहना चाहता हूं कि वह स्मरण करें कि जब जवाहर लाल नेहरू प्रधान मंत्री बने थे, उस समय लॉर्ड माउंटबैंटन यहां गवर्नर जनरल थे। जब पंडित जवाहर लाल नेहरू जी ने लॉर्ड माउंटबैंटन से पूछा कि भ्रष्टाचार को दूर करने का क्या उपाय है तो उन्होंने कहा था कि सीढ़ी को साफ करने के लिए झाड़ू ऊपर से दिया जाता है। प्रधान मंत्री सबसे ऊपर बैठे हैं। सीबीआई के निदेशक को बदल दिया। नये निदेशक ने क्या बयान दिया कि जो मंत्री हैं, बड़े-बड़े लोग हैं, उनको गिरफ्तार नहीं करेंगे। यानी भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए हम ऊपर से सफाई नहीं करेंगे। भ्रष्टाचार के जो मुजरिम हैं, हम उनको मोहलत देंगे कि आप जमानत कराकर चले आओ। यह तो थाने में घटना होती है कि थाने का दारोगा किसी वारन्टी को पकड़ता है और फिर कुछ रिश्वत लेता है और उसको अवसर देता है कि तुम इतने दिनों में जमानत कराकर चले आओ।

मैं इंडोनेशिया की घटना का स्मरण कराना चाहूंगा। राष्ट्रपति सुहार्तो के समय में कई घटनाएं घटती थी। जो घटना मैं बता रहा हूं उसका जिक्र अखबारों में भी आया है। राष्ट्रपति का एक संबंधी विदेश जाने के लिए पासपोर्ट बनाने के लिए गया। पासपोर्ट कार्यालय ने उससे घूस मांगी। उसने कहा कि मैं तो राष्ट्रपति का संबंधी हूं। उन्होंने कहा कि तुम रिश्तेदार हो तो अच्छी बात है, यह पैसा तुम्हारे रिश्तेदार के यहां ही पहुंचने वाला है, उसी घर में जाने वाला है। उसने यह बात जाकर राष्ट्रपति को बताई। जब इस प्रकार की कई घटनाएं हुई तो जन आंदोलन हुआ और वहां का भ्रष्टाचार दूर हुआ। माननीय प्रधान मंत्री जी से मैं कहना चाहता हूं कि बोलना अच्छी बात है। आप बोलिए लेकिन कुछ करिये भी। इसी विनती के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री चित्त बसु (बारसाट) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं निराशा, दुख और वेदना के साथ इस चर्चा में भाग ले रहा हूं। मैं निराशा, दुख और वेदना की बात इसलिये कर रहा हूं क्योंकि इस चर्चा से हमारे देश के लोकतंत्र पर असर पड़ता है। मुझे इस बात पर विचार करने के लिए संयुक्त मोर्चे के एक घटक अथवा अपने दल के एक सदस्य होने की कोई चिंता नहीं है कि आज बिहार में किसका राज है, भूतपूर्व मुख्यमंत्री श्री लालू प्रसाद यादव का राज है अथवा उनकी पत्नी श्रीमती राबड़ी देवी का राज है। इसकी मुझे कोई चिंता नहीं है; इसका देश में किसी राजनीतिक तत्व में कोई लेना देना नहीं है। लेकिन संसदीय लोकतंत्र के लिये इसका क्या अभिप्राय है? महोदय, बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण बहुत ही शर्मनाक कार्य रहा है, यह कार्य इस ढंग से किया गया जैसे कि यह परिवार का मामला हो, जैसे कि दल में कोई व्यवस्था ही न हो। दलीय प्रणाली के बिना लोकतंत्र कार्य नही कर सकता। यदि कोई यह कहता है कि राष्ट्रीय जनता दल एक दल है तो मैं इसका विरोध करता हूं। इसे दल नहीं कहा जा सकता। यह तो एक पति-पत्नी का मामला हो सकता है; पति-पत्नी के मामले को राजनीतिक गठबंधन नहीं कहा जा सकता और यह समाज मे परिवर्तन नहीं ला सकता। किसी राजनीतिक दल का वास्तविक अभिप्राय परिवर्तन का साधन होता है और उसे सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिवर्तन लाना होता है। लेकिन परिवार में समायोजन करना एक अलग बात है जिससे किसी 'क' 'अथवा 'ख' व्यक्ति को लाभ हो सकता है। दल का सदस्य होने के नाते मेरे लिये यह गंभीर चिंता की बात है। इससे लोकतंत्र में दलीय प्रणाली प्रभावित होती है और इसे भारत में भिन्न-भिन्न ढंग से लिया जा सकता है।

महोदय, मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि यदि यह केवल बिहार का ही मामला रहा होता तो है इसे बिहार की जनता पर ही छोड़ देता। लेकिन बिहार भारतीय लोकतंत्र का एक अभिन्न अंग है। यदि पटना में संसदीय लोकतंत्र को समाप्त कर दिया जाता है तो वह दिल्ली, कलकत्ता, चेन्नई, त्रिवेन्द्रम अथवा किसी अन्य स्थान पर भी अस्तित्व में नहीं रह सकता।

अतः मैं अपनी निराशा और दुख अभिव्यक्त कर रहा हूं।

इस मामले में संयुक्त मोर्चे को इसकी काफी चिंता है। संयुक्त मोर्चे के एक घटक के रूप में, मैं यह महसूस करता हूं कि यह मेरा उत्तरदायित्व है कि भ्रष्टाचार के बारे में हमने जो घोषणा की थी, उसके बारे में सभा को याद दिलाया जायें।

> "संयुक्त मोर्चा भ्रष्टाचार विशेषकर उच्च स्थानों पर भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ाई लड़ने के लिये वचनबद्ध है और वह सरकारी कार्यालयों और संस्थाओं के विश्वास और उनकी साख को बहाल करने के लिये ऐसे कदम उठायेगा जो विधि के अनुसार आवश्यक हों।"

प्रधानमंत्री ने देश को विश्वास दिलाया है कि न्यूनतम सांझा कार्यक्रम में की गई घोषणा पर केवल ध्यान ही नहीं दिया जाएगा बल्कि उसे सख्तीपूर्वक लागू भी किया जायेगा। संयुक्त मोर्चे के एक घटक के रूप में मैं तो केवल यह चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी अपने वायदे को पूरा करें और तमाम कारगर उपाय करें ताकि भ्रष्टाचार पर रोक लगायी जा सके, यदि इसे पूर्णतया समाप्त न किया जा सकता हो तो न्यूनतम तो किया ही जा सके और भ्रष्टाचार को जड़ से समाप्त करने के लिये केन्द्र में संयुक्त मोर्चे की प्रतिबद्धता का उदाहरण प्रस्तुत करें। दुर्भाग्यवश, ऐसा वातावरण पैदा किया जा रहा है कि जो कार्य किये गये हैं अथवा किए जाने हैं, उनमें निष्ठा, ईमानदारी और प्रतिबद्धता दिखाई नहीं देती। यह एक बहुत बड़ी चेतावनी है और मेरे

विचार में संयुक्त मोर्चे को चाहिए कि वह अपने आप को ठीक करें और जनता में अपनी साख बनाए।

महोदय, मौलिक आदर्शात्मक सिद्धांत जिनके आधार पर मैं पूरे बिहार की स्थिति की बात कर रहा हूं, ऐसे सिद्धांत है कि भ्रष्टाचार के साथ कोई समझौता नहीं होना चाहिये और साम्प्रदायिक ताकतों के साथ कोई समझौता नहीं होना चाहिये। जिस तरह भ्रष्टाचार के विरुद्ध राजनीतिक तौर पर लड़ाई की जानी है, उसी तरह से साम्प्रदायिकता के विरुद्ध की लड़ाई की जानी है और उसे समाप्त किया जाना है ताकि संसदीय लोकतंत्र का अस्तित्व बना रहे। चूंकि भ्रष्टाचार लोकतंत्र के विरुद्ध है, इसी पर साम्प्रदायिकता भी लोकतंत्र के विरुद्ध है।

बिहार में, सामाजिक न्याय के मुद्दे पर एक बहुत बड़ा बंबडर खड़ा हो गया था। लेकिन यदि लोकतंत्र ही समाप्त हो जाता है तो सामाजिक न्याय अस्तित्व में नहीं रह सकता अथवा पनप नहीं सकता। आज पटना में लोकतंत्र को समाप्त कर दिया गया है और लोकतंत्र को मिटा देने से सामाजिक न्याय सुनिश्चित नहीं किया जा सकता। मेरे उन साथियों को, जो सामाजिक न्याय की वकालत करते हैं, सामाजिक न्याय के भविष्य का स्मरण कराया जाना चाहिये।

जहां तक अनुच्छेद 356 को लागू करने का संबंध है, मेरा दल संविधान के अनुच्छेद 356 को समाप्त करने के पक्ष में नहीं है। लेकिन इसमें उचित ढंग से संशोधन करने की आवश्यकता है ताकि इसका दुरूपयोग न किया जा सके। यह निर्णय सरकार को करना है कि क्या अनुच्छेद 356 किसी राज्य विशेष के संबंध में लागू होना है या नहीं और यदि लागू होना है तो कैसे और कब। इसके लिये एक निर्धारित प्रक्रिया है। हमारा मत यह है कि जहां तक पटना का संबंध है, वहां ऐसी स्थिति अभी नहीं आयी है, मेरा अभिप्राय अनुच्छेद 356 को लागू करने की स्थिति से है जिसके बारे में अनेक माननीय सदस्यों ने प्रत्यक्षतः अथवा अप्रत्यक्षतः अपनी मांग उठायी है। अंततः बिहार के लोगों को ही बिहार का भविष्य तय करना होगा। उन्हें राजनीतिक नेतृत्व विकसित करना होगा और हम बिहार के उस जन आंदोलन पर पूरी तरह से विश्वास रखते हैं जोकि पूरे बिहार राज्य में आरंभ हो चुका है। हजारों छात्र कामगार और कृषक इस आंदोलन में शामिल हैं और वे अपना संघर्ष जारी रखेंगे। इनमें से हजारों लोगों ने गिरफ्तारियां भी दी हैं। भविष्य में और भी कई हजार लोग गिरफ्तारियां देंगे और इस प्रकार लोकतंत्र की बहाली के लिये लोकतांत्रिक ढंग से लड़ाई लड़ेंगे जिससे सामाजिक न्याय सुनिश्चित हो सकता है जोकि बिहार में लोगों में जागृति का मुख्य आधार बन चुका है।

गरीब किसानों और भूमिहीन श्रमिकों का सर्वाधिक शोषण हुआ है। ऐसे शोषणग्रस्त लाखों लोग भी संघर्ष करने के लिए सड़कों पर आ गये हैं और मुझे पूरा यकीन है कि यह लोकतांत्रिक आंदोलन ही एक ऐसा उपाय हैं जिसके द्वारा बिहार में हुए गलत कार्यों और खामियों का समाधान हो सकेगा। अतः हम सभी को बिहार में जन संघर्ष के भविष्य के बारे में आश्वस्त होना चाहिये जोकि भ्रष्टाचार फैलाने वाली ताकतों, प्रतिहारक विचारधारा और साम्प्रदायिक शक्तियों को पराजित कर सकता है। हमारा यह प्रयास होना चाहिये कि बिहार में वामपंथी लोकतंत्र और धर्मनिरपेक्ष एकता कायम रखने वाली सरकार की स्थापना की जाये। ऐसा अभी भी किया जा सकता है। हम पुनः कोशिश कर सकते हैं और बिहार में वामपंथी लोकतंत्र तथा धर्मनिरपेक्ष एकता का विकल्प अभी भी संभव हैं, क्योंकि जन आंदोलन सफलता की ओर अग्रसर है और इस आंदोलन से ही बिहार की विशाल जनता के हितों की रक्षा की जा सकती है।

[हिन्दी]

श्री राम कृपाल यादव : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, काफी समय से हमारे माननीय सदस्यों ने बिहार की वर्तमान परिस्थिति के बारे में अपनी भावनाएं रखी हैं। मुझे खुशी है कि बहुत दिनों के बाद खास तौर पर जब से मैं यहां सांसद के रूप में हूं, विरोधी दल के वरिष्ठ नेता माननीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने बिहार के विषय में चिंता जाहिर की है। अच्छा होता यदि बिहार जैसे गरीब, पिछड़े, दबे, कुचले लोगों के विषय में पहले से उनकी चिंता रहती।

और विशेष चर्चा किये होते तो शायद बिहार के विकास में भी इनका योगदान हुआ होता और सदन का योगदान हुआ होता। मगर आज लम्बे अर्से के बाद बिहार पर चर्चा हो रही है। बिहार देश का एक दूसरा बड़ी जनसंख्या वाला प्रदेश है। बिहार में गरीबी है, बिहार अविकसित है, मैं इस बात को मानता हूं, मगर पिछले पचास साल से, जब हम आजादी के पचासवें साल से गुजर रहे हैं, प्रवेश कर रहे हैं। इन पचास सालों में क्या लालू प्रसाद यादव जी के नेतृत्व वाला जो कार्यकाल रहा, वही बिहार को पीछे धकेलने का कारण है। बिहार ...*(व्यवधान)* अब सुन तो लीजिए। मैं आपकी बात नहीं कर रहा। मेरा निवेदन है कि कृपया आप सुन लीजिए, उसके बाद आप बोलिएगा।...*(व्यवधान)*

श्री सत्यदेव सिंह (बलरामपुर) : अब ऊंट पहाड़ के नीचे आ गया। अब आप कह रहे हैं, टोका-टाकी मत करिये। उस दिन आपने कोई सहयोग नहीं किया, कोई शालीनता नहीं दिखाई, कोई ऐसा व्यवहार प्रस्तुत नहीं किया, जिसको कहा जा सके कि आप संसदीय मर्यादाओं के भीतर थे। आज आपको बहुत बुरा लग रहा है।

श्री राम कृपाल यादव : नहीं, बुरा नहीं लग रहा है।

श्री नीतीश कुमार : आप राम कृपाल जी को शान्ति से सुनिये। ये आगे से ऐसा नहीं करेंगे।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : उनको बोलने दीजिए।...*(व्यवधान)*

श्री राम कृपाल यादव : आपने मुझे डांट लगाई थी, उसके बाद मैं बैठ गया। मैं दूसरी बार नहीं बोला।

आप अपने प्रश्नों का जवाब चाहते हैं तो धैर्य से सुनिये, मैं जवाब दूंगा। मेरे अलावा और कोई जवाब नहीं देगा।...*(व्यवधान)* कहा जाता है कि वहां इतनी बड़ी संख्या में माइन्स, मिनरल्स हैं, मगर

[श्री राम कृपाल यादव]

बिहार की जो स्थिति है, वह आपसे और सदन से छिपी हुई नहीं है। मैं बता रहा था कि बिहार के पिछड़ेपन का कारण कोई लालू प्रसाद यादव जी नहीं हैं। वहां की जो व्यवस्था रही है और जिन लोगों के ऊपर आजादी के बाद लम्बे अर्से तक जिम्मेदारी सौंपी गई थी, उनकी जिम्मेदारी थी कि विकास की ओर ध्यान दें। मगर मैं बताना चाहता हूं कि जब से लालू प्रसाद यादव जी ने बिहार की बागडोर को संभाला है, तब से बिहार मे पहले क्या हो रहा था। जब लालू प्रसाद यादव जी नहीं थे, तब आपकी वजह से अशांति फैली हुई थी, भारी पैमाने पर पूरे प्रदेश में दंगे हो रहे थे, हजारो लोग मौत के घाट उतारे जा रहे थे। मगर जब से लालू प्रसाद यादव जी ने इस प्रदेश की बागडोर को संभाला, बिहार को संभाला, उन्होंने सारी साम्प्रदायिक शक्तियों को घर में बिठाने का काम किया। आज बिहार अमन और चैन से गुजर रहा है। बिहार में वे लोग, जिनके मुंह से आवाज नहीं निकलती थी ...*(व्यवधान)*

श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव : वहां 15,000 तो सिर्फ यादव मारे गये।

उपाध्यक्ष महोदय : आप एक बार अपनी बात कह चुके।

श्री राम कृपाल यादव : उसमें से 10,000 लोग आप मरवाने वाले हो। 10,000 मारने वाले यही हैं। ये क्या बात करेंगे। ...*(व्यवधान)*

श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव : ठीक है, यदि हम ही हैं तो माध्यम कौन है?

श्री राम कृपाल यादव : माध्यम तो अपने आपसे पूछ लीजिए। लालू प्रसाद यादव जी अगर बदनाम हुए हैं तो उसमें एक कारण ये पप्पू यादव जी भी हैं।

मैं बता रहा था कि जो साम्प्रदायिक शक्तियां थी, उनको दबाने का काम लालू प्रसाद यादव जी ने किया। जिनके मन टूटे हुए थे, जो परेशानी में थे, बदहाली में थे, जहां विकास की किरण नहीं जा रही थी, वहां बड़े पैमाने पर अशिक्षा थी, उन घरों तक विकास की किरण से जोड़ने का काम किया। आज वहां पूरी शांति है। बिहार को पूरे देश में और दुनिया में प्रतिष्ठित करने का काम लालू प्रसाद यादव जी ने किया है।...*(व्यवधान)* उपाध्यक्ष महोदय, स्वाभाविक है इन लोगों की तकलीफ बढ़ेगी ही। मैं भारतीय जनता पार्टी और समता पार्टी के लोगों से कहना चाहता हूं कि बिहार की राज सत्ता कभी इनके हाथ में नहीं आने वाली, वहां की जनता आज भी हमारे साथ है और कल भी रहेगी। जब तक लालू प्रसाद यादव जी लोकतंत्र की मशाल वहां जलाए हैं, लोग हमारे साथ रहेंगे।

श्री सत्य पाल जैन : तो उनसे कहो कि विधान सभा भंग करके चुनाव कराएं।

श्री राम कृपाल यादव : वह समय भी आ रहा है। लालू प्रसाद यादव को हटाए जाने की बात आप कर रहे हैं। क्या गलत और झूठे आरोप लगाकर उनको हट जाना चाहिए? सी.बी.आई. के झूठे आरोप और षडयंत्र के चलते क्या उनको हटाया जा सकता है? जबकि लालू प्रसाद यादव जी ने ही इस कांड को उजागर करने का काम किया। इतने चोरों को पकड़ने का काम किया। यह कोई चार-पांच साल का मामला नहीं है। यह 1977 से घटना चल रही थी। गड़बड़ियां हो रही थी और उनको पकड़ने की कोशिश किसी ने नहीं की। विधान सभा में प्रतिपक्ष के नेता ने या अधिकारियों ने पकड़ने का काम नहीं किया, केवल लालू प्रसाद यादव जी ने यह काम किया। उन्होंने 45 एफ.आई.आर. दर्ज कराकर 200 से अधिक पदाधिकारियों और अधिकारियों के खिलाफ केस दर्ज कराने का काम किया। उस पर आप कहते जा रहे हैं कि लालू प्रसाद यादव जी की साजिश की वजह से यह हुआ। उन्होंने कोई साजिश नहीं की, साजिश तो उन लोगों ने की जो वहां सत्ता में बैठकर यहां आए। वे सी.बी.आई. के लोग जो बाइस थे लालू प्रसाद के, उन्होंने साजिश करके उनको आरोपित करने का काम किया। आप सारा दोष लालू प्रसाद यादव जी पर ही डालना चाहते हैं, जिनके खिलाफ कोई आरोप साबित नहीं हो रहा है। न्यायालय में केस है, लेकिन न्यायालय का काम तो आप कर रहे हैं। जब तक न्यायालय द्वारा किसी पर आरोप साबित नहीं किया जाता, तब तक कौन अभियुक्त हो सकता है। अगर आप चार्ज शीट के आधार पर ही किसी को दंडित करना चाहते हैं तो हमारे माननीय अटल बिहारी वाजपेयी यहां बैठे हुए हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि आपने जोशी जी को क्यों गृह मंत्री बनाया, जबकि उनके खिलाफ भी आरोप पत्र था।...*(व्यवधान)*

श्री सत्य पाल जैन : ये असत्य कह रहे हैं।

श्री राम कृपाल यादव : कल्याण सिंह जी, जो कि सजायाफ्ता हैं, उनको आप फिर से मुख्य मंत्री बनाने जा रहे हैं। कई लोग जिनके खिलाफ जांच हो रही है, इस सभा में एक-एक सांसद और बड़े लोगों की सम्पत्ति की जांच हो जाए, अधिकारियों की जांच हो जाए तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा।

बहुत भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं। बहुत सिद्धांतों और नैतिकता की बात कर रहे हैं। मुझे मालूम है आप जो बोल रहे हैं, आपकी क्या नैतिकता है। मैं आपसे प्रश्न करना चाहता हूं अगर आपमे नैतिकता की बात होती तो साहिब सिंह वर्मा जो दिल्ली के मुख्य मंत्री हैं, उन पर भी आरोप लगे हैं, उनके बारे में क्यों नहीं कुछ किया? जसवंत सिंह जी के ऊपर भी आरोप लगे थे, लेकिन यहां कहने वाला कोई नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह भी कहना चाहता हूं कि हवाला कांड में आडवाणी जी आरोपित हुए, लेकिन वह अध्यक्ष पद से नहीं हटे, क्या यह नैतिकता की बात है?

श्री सत्य पाल जैन : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। ये जो चाहें बोलें, लेकिन असत्य आरोप नहीं लगाएं। जसवंत सिंह जी और जोशी जी पर कभी आरोप नहीं लगा। आप बताएं, कहां आरोप लगे हैं? ...*(व्यवधान)*

प्रो॰ रासा सिंह रावत : सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के उसूलों से, खुशबू आ नहीं सकती कागज के फूलों से।

श्री सत्य पाल जैन : ये सदन को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं।

श्री राम कृपाल यादव : आप सी.बी.आई. की बात कह रहे हैं। उसके खिलाफ आडवाणी जी ने क्या कहा, वह समाचार पत्रों में देख सकते हैं। सी.बी.आई. के खिलाफ आडवाणी जी ने क्या कहा था? खुराना जी ने क्या कहा था? आपने रिमार्क्स पास किए थे कि सी.बी. आई. गलत है। आज उसी सी.बी.आई. की रिपोर्ट के आधार पर आप लालू यादव जी पर आरोप लगा रहे हैं?...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : जरा सुन लीजिए। किसी का नाम लेने में मुझे कोई एतराज नहीं है। लेकिन इल्जाम वाली जो बात है, वह रिकार्ड में नहीं रहेगी।

...*(व्यवधान)*

श्री राम कृपाल यादव : समूची प्रोसीडिंग उठाकर देख लीजिए। क्या उसमें कोई आपत्तिजनक बात नहीं की गई?...*(व्यवधान)* मैं कहना चाहता हूं कि आज हमारे देश में भ्रष्टाचार चिंता का विषय है। भ्रष्टाचार की बात जो लोग कर रहे हैं, करनी भी चाहिए, परंतु क्या सिर्फ भ्रष्टाचार की बात करके ही हम यहां से चले जाएं और भ्रष्टाचार में लिप्त होते रहे? हमें अपने गिरेवान में झांककर देखना पड़ेगा कि हम कितने अपने आप में खरे हैं। यदि यहां हम एक-दूसरे पर बे-बुनियादी आरोप लगाने का काम करते रहेंगे तो भ्रष्टाचार का समाधान निकलने वाला नहीं है। भ्रष्टाचार के मुद्दे को सदन को गंभीरता से लेना चाहिए। कोई नियम, कोई उपाय निकाले जाने चाहिए ताकि भ्रष्टाचार इस देश से जड़मूल से समाप्त हो जाए। लेकिन आप इस पर सहमत नहीं होंगे। सर्वसम्मति से भ्रष्टाचार पर रोक लगाने के लिए कदम उठाने का काम आप नहीं करेंगे।

हम सत्ता में हैं और आप विपक्ष में हैं। आप भी कहीं न कहीं सत्ता में हों। मगर महाराष्ट्र, गुजरात में क्या हो रहा है?...*(व्यवधान)* क्या आपके वहां के मुख्य मंत्री के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप नहीं लग रहे हैं?...*(व्यवधान)* आपने जो महाराष्ट्र के मंत्रियों को हटाया है, आप अपने गिरेवान में झांककर देखिए।...*(व्यवधान)*

प्रो॰ रासा सिंह रावत : मंत्रियों के खिलाफ जांच करवाई गई और उन्हें निर्दोष पाया गया।...*(व्यवधान)*

श्री राम कृपाल यादव : बोल रहे हैं। आप बोलने तो दीजिए। ...*(व्यवधान)* बड़ी लम्बी-लम्बी बातें हम लोग करते हैं। सिस्टम की बात हम लोग करते हैं। आज तक इस देश में कोई भी पुलिस अधिकारी राजनीति से ग्रसित होकर भ्रष्ट होकर किसी व्यक्ति के खिलाफ जो साध्विक जीवन जी रहा हो, उसके खिलाफ आरोप लगाकर उसका राजनैतिक जीवन समाप्त करने का काम कर देंगे? महाराष्ट्र के जो भूतपूर्व मुख्य मंत्री श्री अंतुले साहब हैं, उन पर आरोप लगाए गए। 16-17 सालों से राजनैतिक जीवन के सक्रिय जीवन से संयास ले लिया। आदरणीय कल्पनाथ जी बैठे हुए हैं। उनको जेल तक खींचने का काम किया गया। क्या राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ यही भ्रष्टाचार का हथियार चलता रहेगा? यह साजिश नहीं चलेगी। अगर यही साजिश चलती रहेगी तो हम कहीं बचने वाले नहीं हैं।

वाजपेयी जी, आपका लम्बा राजनैतिक जीवन है। आप हमारे गुरू के समान हैं, बड़े बुजुर्ग हैं। आप कोई ठोस उपाय निकालिए। पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर कोई ऐसा काम न कीजिए जिससे आने वाले दिनों में राजनैतिक जीवन में जीने वाले जो लोग हैं, उनके ऊपर प्रश्न चिह्न लग जाए। यह सोच का विषय है। यह चिंता का विषय है। आदरणीय वाजपेयी जी कह रहे थे कि बिहार में 356 क्यों नहीं लगाई गई, 356 लगाने की बात आप करते हैं, ठीक बात हैं। पिछले दिनों जब मुख्य मंत्रियों का सम्मलेन हुआ था, उसमें सहयोमी अकाली दल के जो नेता भी थे, उन सब लोगों ने क्या 356 के पक्ष में रिजोल्यूशन पास किया है? जो नोमिनेटेड व्यक्ति हैं, वह किसी भी प्रदेश में राज्यपाल हैं, क्या वह अपने पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर किसी राज्य की सरकार को बर्खास्त करने का काम करे? क्या यही होना चाहिए? क्या आप यही होने देना चाहते हैं? क्या यही व्यवस्था रहेगी? केन्द्र में कोई भी सरकार बैठी हो और उसके प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से कहकर किसी भी राज्य की सरकार को गिराने का काम करेंगे तो इससे क्या लोकतंत्र बचेगा। इस तरह से यदि आप लोकतंत्र की हत्या करना चाहते हैं तो मुझे कुछ नहीं कहना है। बहुत से मुद्दे हैं और यहां सदन में बहुत से विद्धान लोग बैठे हुए हैं। अगर इस तरह से किसी व्यक्ति के खिलाफ पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर धारा 356 को लागू करें और चुनी हुई सरकार को बरखास्त करने का काम करेंगे तो उससे लोकतंत्र नहीं बच सकता है।

अभी कुछ समय पहले हमारे नेता लालू प्रसाद यादव जी ने वहां सदन में बहुमत हासिल किया था और आज भी राबड़ी देवी जी के नेतृत्व में बहुमत हासिल किया गया है।...*(व्यवधान)* मैं बताना चाहता हूं कि 200 वोट हैं और आप इस सरकार को बरखास्त करना चाहते हैं?...*(व्यवधान)* जिस व्यक्ति को लोकतंत्र में बहुमत होता है वहीं राज करता है। मैं साफ तौर पर कहना चाहता हूं कि इसका फैसला जनतंत्र और लोकतंत्र में कौन करेगा। संविधान के अनुसार अंत में फैसला देश की जनता करेगी और प्रदेश की जनता करेगी। मैं कहना चाहता हूं कि आइए फैसला कर लें, प्रदेश की जनता बैठी है फैसला देने के लिए। आप लोग आने वाले नहीं हैं, यह मैं कहना चाहता हूं। बिहार की जनता...*(व्यवधान)* बिहार की जनता खड़ी है आपको जवाब देने के लिए।...*(व्यवधान)*

माननीय अटल जी दल टूटन की बात कह रहे थे। आपके दल में क्या हो रहा है, क्या मैं उसकी चर्चा करूं? दिल्ली में क्या हो रहा है, साहिब सिंह और खुराना के बीच में। गुजरात में वाघेला ने क्या किया और आडवाणी जी तथा वाजपेयी जी के बीच में जो कुछ हो रहा है, क्या उसकी चर्चा मैं सदन में करूं। इसलिए मेरा निवेदन है कि किसी दूसरे के दल पर छींटाकशी करने का अधिकार किसी को नहीं है और मेरे विचार से इस सदन का समय आपको जाया नहीं करना

[श्री राम कृपाल यादव]

चाहिए था। आपने सदन का समय जाया करने का काम किया है। ...*(व्यवधान)*

श्री सोमनाथ चटर्जी कह रहे थे, इस समस्या का समाधान हमें मिल-जुलकर करना चाहिए। मगर समस्या का समाधान यदि राजनीति से ऊपर उठकर करने की बात उन्होंने कहीं थी तो आज क्या हो रहा है। आप लोगों को लग रहा है कि जब तक लालू प्रसाद नहीं हटेंगे, हम लोग सत्ता में नहीं आ पाएंगे, प्रदेश में भी और देश में भी। मगर जिस तरह से राजनीति से ग्रसित होकर और राजनैतिक साजिश करने की कोशिश की जा रही है, उससे समाधान निकलने वाला नहीं है। अगर आपका मन साफ है, अगर आपका मन पवित्र है तो निश्चित तौर पर इसका समाधान निकालिए और हम लोग इस कारगर कदम को उठाने में आपके साथ रहेंगे। भ्रष्टाचार का विरोध करने में हम आपके साथ हैं लेकिन आप उस व्यक्ति को फांसी देना चाहते हैं जिसके ऊपर कोई आरोप साबित नहीं हुआ है। मुद्दई को मुदालय बनाना चाहते हैं, यह कैसे होगा। अगर आप इस तरह से जनतंत्र को चलाना चाहते हैं तो मुझे कुछ नहीं कहना है। आप इसी तरह से जनतंत्र चलाइए। लेकिन आने वाला दिन काला दिन होगा। ...*(व्यवधान)*

मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आज जैसी स्थिति है, निश्चित तौर पर बहुत से माननीय सदस्यों ने न्यायपालिका की बात की है। यह बात सही है कि न्यायपालिका पर हम लोगों को विश्वास है मगर जिस तरह से आज ...*(व्यवधान)**

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे खेद है। इसे कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

[हिन्दी]

श्री राम कृपाल यादव : मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि सबको अपने-अपने कर्तव्य में उत्तरदायी होना होगा चाहे वह न्यायपालिका हो, चाहे वह कार्यपालिका हो और चाहे वह विधायी पालिका हो। हर जगह हम लोग ठीक-ठाक रहें तो उससे देश की सुरक्षा हो सकती है। अन्यथा यह देश बचने वाला नहीं है। यह चिंता का विषय है और हम सब लोग चिंतित हैं।

महोदय, आज बिहार के विषय में हम सब लोग चिंतित हैं। हम लोग कभी इस बात के लिए नहीं लड़े कि बिहार इतना क्यों पिछड़ गया है। बिहार 50 साल में जिस जगह पर जाना चाहिए था वहां क्यों नहीं गया। मगर लालू यादव जी ने बिहार के विकास के लिए खून-पसीना एक करने का काम किया। उस घर में दीपक जलाने का काम किया जहां आज तक कोई दीपक जलने वाला नहीं था। उन लोगों को संगठित करने का, आवाज देने का काम किया जिनकी आवाज पिछले दिनों छीन ली गई थी। आजादी के 50 साल बीत रहे हैं, बिहार की 80 से 85 प्रतिशत आबादी है वह आगे बढ़ रही है मगर जब बिहार के गरीब आगे बढ़ रहे थे, बिहार की जनता आगे बढ़ रही थी उस वक्त विरोधी पार्टी के लोगों ने साजिश करने का काम किया। बिहार की जनता इस बात को समझ गई है कि उसके हकों को कौन छीनने का काम कर रहा है और इसका जवाब आपको मिलने जा रहा है। बिहार की जनता जो कभी नहीं बोलती थी उसके अधिकार छीन लिए गए थे। बिहार में दंगे और भय का वातावरण बना करके गरीबों के अधिकार को छीनने का काम किया है और उसको लालू यादव ने देने का काम किया है। इसलिए बिहार की जनता आज खुशहाली में है। आज आगे बढ़ने का काम कर रही है। बिहार का सर्वांगीण विकास हो रहा है आप यह चाहते है। कि आपकी साजिश चले तो यह आपकी साजिश चलने वाली नहीं है, यह मैं बताना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री राम कृपाल यादव कृपया अब अपनी बात समाप्त कीजिए।

श्री राम कृपाल यादव : लालू यादव ने बिहार के लोकतंत्र के लिए लड़ने का काम किया है और उस चीज को वह दिखाने चाहते थे कि कोई भी पुलिस पदाधिकारी, कोई भी अधिकारी, कोई भी पोलिटीकल पार्टी के लोग, हम किसी व्यक्ति की बात नहीं कहना चाहते। हम यह कहना चाहते हैं कि अगर यह साजिश करके किसी को हटाता है तो हम उसको नाकामयाब करने का काम करें। आपकी इच्छा नहीं थी कि इस लोकतंत्र में सहयोग करके उसको और मजबूत करने का काम करते। आपने लोकतंत्र की जड़ को हिलाने का काम किया है। लालू यादव एक अभिमन्यु की तरह हैं और आज पूरी तरफ से आप घेरने का काम कर रहे हैं, साजिश करने का काम कर रहे हैं मगर यही अभिमन्यु है, जिस तरह से आप घेरने का काम कर रहे हैं वह इस घेराव को फांद करके आगे निकलेगा और आने वाले चुनाव में आप तमाम लोगों को मुंह तोड़ जवाब देने का काम करेगा।

आज बिहार की जनता लालू यादव के साथ हैं, लोकतंत्र उसके साथ है और जब तक बिहार की जनता उनके साथ है तब तक आप बाल बांका भी नहीं कर सकते। हम सब लोग मिल कर एक उपाय निकालें ताकि भ्रष्टाचार जड़ से समाप्त हो जाए और आपकी साजिश को बिहार की जनता नाकामयाब करेगी। अब देश की जनता सब पहचान रही है, जान रही है। इन्हीं चंद शब्दों के साथ आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

उपाध्यक्ष महोदय : अभी मेरे पास बोलने के लिए आठ नाम और हैं। अगर आज खत्म करना है तो एक आधा घंटा और बैठ सकते हैं।

श्री ब्रह्मानंद मंडल (मुंगेर) : महोदय, इसको कल के लिए रखा जाए।

[अनुवाद]

पर्यटन मंत्री और संसदीय कार्य मंत्री (श्री श्रीकांत जेना) : महोदय, हमने इस चर्चा पर पहले भी बहुत समय लगाया है। माननीय

* कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

गृह मंत्रीजी को अभी इस बारे में कुछ कहना है। तत्पश्चात् विपक्ष के नेता अपना उत्तर देंगे। माननीय मंत्री जी के हस्तक्षेप और विपक्ष के नेता के उत्तर को कल प्रश्न काल के तत्काल बाद लिया जा सकता है।

हम ठीक 2.00 बजे नियम 184 के अंतर्गत महाराष्ट्र संबंधी प्रस्ताव पर चर्चा करेंगे। हम सभा का समय दो घंटे और बढ़ाकर इस चर्चा को आज ही समाप्त कर सकते हैं। माननीय गृह मंत्री तथा विपक्ष के नेता के उत्तर को कल लिया जा सकता है। *...(व्यवधान)*

श्री पृथ्वीराज दा॰ चव्हाण (कराड़) : महोदय, कल शून्य काल नहीं होगा।...*(व्यवधान)*

श्री श्रीकान्त जेना : महोदय, मैं भी यह कहना चाहूंगा कि कल शून्यकाल नहीं होगा...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री (झांसी) : इसे कल के लिए रखा जाए। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री पृथ्वीराज दा॰ चव्हाण : महोदय, यदि यह स्थगन प्रस्ताव होता, तो यह इसी दिन ही पूरा हो जाता और हम इस पर से अथवा तीन दिन तक चर्चा न करते...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : अब यह स्थगन प्रस्ताव तो नहीं है बल्कि नियम 184 के अंतर्गत चर्चा है।

...(व्यवधान)

डा॰ टी॰ सुब्बारामी रेड्डी (विशाखापतनम्) : महोदय, हमें इसे आज ही समाप्त करना होगा। हम इसे इस तरह से कई दिनों तक नहीं घसीट सकते।...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री श्रीकान्त जेना : एक घंटा समय बढ़ा दीजिए।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : इस पर कनसैंसस नहीं है।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : लालमुनी चौबे जी, इसे कल लेंगे।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : श्री लालमुनी चौबे, आप अपनी बात कल कह सकते है।

अब सभा कल 29 जुलाई, 1997 के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिये स्थगित होती है

अपराह्न 6.00 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा मंगलवार, 29 जुलाई, 1997/7 श्रावण, 1919 (शक) के पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई।

पी.एल.एस.–48/15/4/97 (एन.)
220

© 1997 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमो (आठवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अंतर्गत प्रकाशित और मै. जैनको आर्ट इंडिया, नई दिल्ली द्वारा मुद्रित।